सत्यमेव जयते

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2017–2018

भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ''गणतंत्र दिवस 2018 समारोह'' के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ''गणतंत्र दिवस 2018 समारोह'' के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हुए जनजातीय अतिथियों से मिलते हुए

जनजातीय विकास के लिए
सामाजिक आर्थिक कार्यकलाप

अधिकारों की सुरक्षा	आर्थिक विकास	शिक्षा	स्वास्थ्य	सामाजिक सशक्तिकरण	संस्कृति, शिल्प, विरासत, फसलों का संवर्धन

पेयजल	आवास	स्वच्छता	संपर्क	खेलों का संवर्धन	सिंचाई

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय	1-9
2	मंत्रालय के कार्यकलाप – सिंहावलोकन	10-12
3	कार्यकलापों की मुख्य उपलब्धियां	13-24
4	अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा	25-39
5	अनुसूचित जनजातियां तथा अनुसूचित क्षेत्र	40-47
6	जनजातीय विकास की रणनीति और कार्यक्रम	48-64
7	अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	65-71
8	शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम	72-78
9	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	79-81
10	अनुसंधान, सूचना और जनसंचार	82-87
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	88-91
12	जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता	92-99
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	100-102
14	स्वैच्छिक कार्यों के संवर्धन हेतु कार्यक्रम	103-111
15	पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान	112
16	जेंडर बजटिंग	113-116
17	दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम	117-118
18	लोक शिकायत और सूचना के अधिकार, अधिनियम 2005 का कार्यान्वचन	119-120
19	विभागीय लेखा–परीक्षण	121-122
20	नागरिक/ग्राहक चार्टर	123-132

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	संगठनात्मक चार्ट– जनजातीय कार्य मंत्रालय	135
2	जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	136
3क	जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय	137-139
3ख	वर्ष 2017–18 के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 30.12.2017 तक व्यय	140-143
4क	लिंग तथा निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जनसंख्या: जनगणना 2011	144-145
4ख	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सम्पूर्ण जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता तथा अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता	146
4ग	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की लिंग सबंधी सरंचना	147
4घ	सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर: जनगणना 2011	148
4ङ	15 वर्ष या इससे अधिक आयु की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा इससे ऊपर शैक्षिक स्तर	149
4च	जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) की स्थिति	150
4छ	जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला]/एएनएम	151
4ज	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टाफ	152
4झ	जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में डॉक्टर	153
4ञ	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत	154
4ट	अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों के अंदर शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है	155

4ठ	जनगणना की शर्त वाले मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता	156
4ड	पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार	157
4ढ	ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में 12 महीनों के लिए उपलब्ध, परन्तु वास्तविक रूप से सामान्य सिद्धांत एवं सहायक स्थिति पहलु (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करने वाले 15 वर्ष तथा इससे अधिक के अनुसूचित जनजाति के कामगारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशतता का संवितरण	158
4ण	वर्ष 2014–16 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अपराध/अत्याचार	159-160
4प	अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार)– 2016	161-162
4फ	मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले (आईपीसी)– 2016	163
4ब	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अ.ज.जा. प्राथमिकता वाले जिले	165-68
4भ	अ.ज.जा. प्राथमिकता वाले उप–जिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र तथा जिला–वार सूची	169-191
4म	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति के प्रमुख समुदायः जनगणना 2011	192-199
5क	राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश/संशोधन	200-202
5ख	भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	203-215
5ग	अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची	216-256
5घ	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति (31.12.2016 तक)	257
5ड़	2012–13 से (31.12.2016 तक) राज्यों द्वारा आयोजित जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण	258
6क	वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक राज्य टीएसपी परिव्यय	259
6ख	वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक मंत्रालय/विभाग–वार टीएसएस आवंटन	260-261
6ग	क्रियाकलापों को दर्शाने वाली सूची	262-264
6घ	वर्ष 2007–08 से 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत निधियों की निर्मुक्ति	265

6ड़	2007–08 से 2017–18 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों की निर्मुक्ति	266
6च	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अब तक स्वीकृत और कार्यरत ईएमआरएस की संख्या (31.12.2017 तक)	267
6छ	वर्ष 2017–18 के दौरान ईएमआरएस के लिए निधियों की राज्य–वार निर्मुक्ति (31.12.2017 तक)	268
7	दिनांक 31.10.2017 तक अनुसूचित जनजाति तथां अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में कार्यन्वयन की स्थिति	269
8क	वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक (31.12.2017 तक) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्य–वार निर्मुक्तियां	270
8ख	2015–16 से 2017–18 तक अनुसूचित जनजातियों के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत सहायता अनुदान की राज्य–वार निर्मुक्तियां तथा लाभार्थियों की संख्या	271
9क	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची	272-273
9ख	वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास की योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि का सारांश	274
10क	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)	275-276
10ख	वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए कार्यकलापों की स्थिति	277
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)– वर्ष 2017–18 के दौरान लाभार्थियों की कवरेज हेतु लक्ष्य	278-279
12	वर्ष 2015–16 से 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान "जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन", पूर्व में "एमएफपी प्रचालनों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान" के नाम से ज्ञात योजना के तहत राज्यों को जारी सहायता अनुदान के ब्यौरे	280
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं क्षेत्राधिकार क्षेत्र	281
14क (i)	2015–16 से 2017–18 के दौरान "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के तहत निधि पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों की राज्य–वार सूची	282-304

14 क (ii)	अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे	305
14ख (i)	2015–16 से 2017–18 के दौरान "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत निधि पोषित संगठनों की राज्य–वार सूची	306-309
14ख (ii)	"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे	310
15	वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि	311
16	वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां	312-314
17	''अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति'' की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	315-316
18	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची	317-318
19	लेखा–परीक्षित पैराओं/पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिन पर कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित हैं	319

शब्दावली

शब्द / छोटा रुप	अर्थ / पूरा रुप
एएमएसवाई	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना
एएनएम	सहायक नर्स प्रसाविका
बीआईटी	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान
सीसीडी	संरक्षण–सह–विकास
सीएफटीआरआई	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्यागिकी अनुसंधान संस्थान
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
सीओ	संवैधानिक आदेश
सीपीजीआरएएमएस	केन्द्रीकृत जन–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
सीएसपीएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीएसएस	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
सीवीओ	मुख्य सतर्कता अधिकारी
डीईएसए	जिला शिक्षा समर्थनकारी एजेंसी
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईएमआरएस	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
ईवीए	स्थापित स्वैच्छिक एजेंसियां
एफडीए	वन विकास एजेंसियां
एफडीसी	वन विकास निगम
एफआरए	वन अधिकार अधिनियम
एफटीएस	फाइल ट्रैकिंग प्रणाली
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आईपीआर	बौद्धिक संपदा अधिकार
आईटीडीपी / आईटीडीए	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना / एजेंसी
जेआरएफ	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एलएएन	स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एमएडीए (माडा)	संशोधित क्षेत्र विकास उपागम
एमएएन	महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क
एमईएस	मॉडयूलर रोजगारक्षम कौशल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीपी	बहु–उद्देशीय जनजातीय विकास परियोजना
एनएईबी	राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनसीएसटी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
एनडीसीएसपी	राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र शास्त्री पार्क
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओएस	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनटीए	राष्ट्रीय जनजातीय पुरस्कार
एनटीएफपी	गैर–इमारती लकड़ी वाला वन उत्पाद
एनटीपी	राष्ट्रीय जनजातीय नीति
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
पीएमएवाई	प्रधानमंत्री आवास योजना
पीएमएस	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
पीवीटीजी	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
एससी	उप–केन्द्र
टीएसएस को एससीए	जनजातीय उप– योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
एससीएसवीई	स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति
एसएचजी	स्व–सहायता समूह
एसपीएआरआरओडब्ल्यू	स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो
एसआरएफ	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति
एसएसए	सर्व–शिक्षा अभियान
एसटीडीसीसी	राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम
टीएसी	जनजातीय सलाहकार परिषद
टीटीएएडीसी	त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
ट्राइफेड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि.
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीएसपी	जनजातीय उप–योजना
टीएसएस	जनजातीय उप–योजना
यूसी	उपयोग प्रमाण–पत्र
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएल	सम स्रोत निर्धारक
वीकेवाई	वनबंधु कल्याण योजना
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
वीटीसी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
डब्लूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क

अध्याय 1

जनजातीय कार्य मंत्रालयः एक परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि–विभाजन के उपरांत किया गया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत वंचित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निपटाए जाते रहे थे, जो निम्नानुसार हैं:–

1. स्वतंत्रता प्राप्ति से सितम्बर, 1985 तक गृह मंत्रालय के "जनजातीय प्रभाग" नामक एक प्रभाग के रूप में।
2. सितम्बर, 1985 से मई, 1998 के दौरान कल्याण मंत्रालय।
3. मई, 1998 से सितम्बर, 1999 तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

अधिदेश

1.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना एवं समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इस उद्देश्य हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप किए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

''1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा।

2. जनजातीय कल्याणः जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।

3. जनजातीय कल्याण के बारे में स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।

4. ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित अनुसूचित जनजातियां।

5. अनुसूचित जनजातियों का विकास।

5क. वन भूमियों पर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से संबंधित विधान सहित सभी मामले[1]।

टिप्पणी: जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों की सम्पूर्ण नीति, आयोजना तथा समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा। इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन आदि तथा उनका समन्वय भी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र के संबंध में नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा।

6. (क) अनुसूचित क्षेत्र[2];

   (ख) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा तैयार किए गए विनियम।

7. (क) आयोग अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देगा; तथा

   (ख) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी करेगा।

8. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

9. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का 22) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) जहां तक वे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, के मामले

1. दिनांक 17.03.2006 की संशोधन श्रृंखला संख्या 285 के माध्यम से जोड़ा गया। 2. दिनांक 26.02.2012 की संशोधन श्रृंखला संख्या 300 के माध्यम से संशोधित किया।

में अपराधों के संबंध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर'' ।

10. नीति आयोग द्वारा तैयार की गई रूप–रेखा ढांचे और तंत्र के आधार पर जनजातीय उप–योजना की निगरानी[3] ।''

भूमिका

1.3 मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और आंशिक रूप से स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन देने और उनकी संपूर्ति के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संस्थानों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर को पाटने हेतु निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है। यह मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक उपायों के जरिए उनके प्रयासों की संपूर्ति करता है। इनमें आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं सम्मिलित हैं तथा यह संस्थान निर्माण के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती हैं और इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है।

संगठन

1.4 जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय मंत्री के समग्र निर्देशन में कार्य करता है और दो राज्य मंत्रियों द्वारा इनकी सहायता की जाती है। सचिव, मंत्रालय के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा इनकी सहायता दो संयुक्त सचिवों, एक उप–महानिदेशक तथा दो आर्थिक सलाहकारों द्वारा की जाती है। वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के आंतरिक वित्त तथा बजट के मामलों में सहायता कर रहे हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक बजट/व्यय नियंत्रण में सहायता कर रहे हैं। मंत्रालय का गठन प्रभागों/शाखाओं तथा अनुभागों/एककों में किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में 136 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है तथा कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 110 है। समूह "क" के 44 पद, समूह "ख" (राजपत्रित/अराजपत्रित) के 59 पद, समूह "ग" के 33 पद जिसमें पूर्ववर्ती समूह "घ" के 16 पद शामिल हैं जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब समूह "ग" के पद में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–1** में दिया गया है।

प्रशासन

1.5 मंत्रालय के स्थापना एवं सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग द्वारा देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम तथा इस मंत्रालय के संवर्ग के बाह्य पदों के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित पदों जैसे भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के स्थापना संबंधी मामलों पर इसी प्रभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय शास्त्री भवन में स्थित है तथा शुरुआत से ही जगह की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। कुछ प्रभाग जैसे सांख्यिकी, संवैधानिक तथा विधाई मामले (सीएलएम) नीति विश्लेषण तथा हिन्दी अनुभाग भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में अगस्त क्रांति भवन में अवस्थित है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)

1.7 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैंः

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) एप्लीकेशन/परियोजना विकास तथा इसके प्रचालनों का समर्थन तथा रखरखाव।
- एलएएन/एमएएन/डब्ल्यूएएन/इंटरनेट सेवाओं और इसकी सुरक्षा की साइबर हमलों से रक्षा तथा रखरखाव। बैकअप के रूप में एमटीएनएल तथा पीजीसीआईएल से लीज लाइनों के माध्यम से एनआईसी मुख्यालय से इंटरनेट एनआईसी नेट की संयोजकता।
- वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) प्रगति की सुविधा को (अति सक्रिय अभिशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन) तथा सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों हेतु बढ़ाया गया है।
- ट्राइफेड, एनसीएसटी, एनएसटीएफडीसी को आईसीटी सहायता प्रदान करना तथा उनकी वेबसाइट और आईसीटी सेवाओं का रखरखाव करना।

3 दिनांक 17.03.2006 की संशोधन श्रृंखला संख्या 285 के माध्यम से जोड़ा गया।

परियोजनाओं/वेबसाइटों की वर्तमान स्थिति जो विकासाधीन हैं तथा परियोजनाएं जो शुरू किए जाने हेतु तैयार हैं:

- **https://tribal.nic.in** तथा **https://tribal.gov.in** : मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट है। "भारत सरकार की वेबसाइट हेतु दिशा–निर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू)" के अनुसार मंत्रालय की वेबसाइट को अद्यतन बनाते हुए इसका नवीकरण तथा रखरखाव किया जाता है। इसमें कई और सामग्री/लिंक डाले जाते हैं तथा साइट को और अधिक सुधारा गया है। इसकी तृतीय पक्ष की लेखा–परीक्षा पूरी हो गई है। इसकी सामग्री के हिन्दी रूपांतरण प्रसारित किए जाते हैं तथा सिक्योर सॉकेट लेयर/ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी (एसएसएल/टीएलएस) (एचटीटीपीएस:) सुरक्षा प्रमाण–पत्र खरीदे, स्थापित तथा कार्यान्वित किए गए हैं।
- **2012 संशोधन नियमों के अनुसार वन अधिकार अधिनियम निगरानी प्रणाली** का सुधार करना। विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम सभा, उप–मंडल तथा जिलों से व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों दावों के आवेदन प्राप्त करना। कुछ राज्यों द्वारा रिपोर्ट रखने के रूप में तथा सभी प्रकार के दावों के लिए आवेदन का उपयोग भी किया जाता है। इस पोर्टल का यूआरएल http://www.forestrights.nic.in है।
- जनजातीय उप–योजना के तहत **http://stcmis.gov.in** निगरानी, आवंटन, उपयोग तथा निर्दिष्ट लाभों की पहुंच के लिए वेब आधारित निगरानी सूचना प्रणाली है, जो अलग–अलग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रशासित की जा रही है। यह परियोजना यूएनडीपी तथा मंत्रालय तथा एनआईसी के संयोजन में है। इस पोर्टल को एनआईसी क्लाउड में शुरू किया गया है। प्रतिभागियों के लिए कार्यशाला के आयोजन के माध्यम से कार्यान्वित और प्रचालित।
- एसएमआईएस (योजना प्रबंधन सूचना प्रणाली अनुच्छेद 275 के तहत) वेब आधारित एप्लीकेशन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कई जनजातीय परियोजनाओं के निधियन के लिए आईटीडीए/राज्यों से मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह एप्लीकेशन परियोजना प्रस्तुति, स्वीकृति, निधि की निर्मुक्ति, उपयोग की प्रस्तुति तथा स्थिति, कार्यान्वित परियोजना की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति और लाभार्थियों के ब्यौरों आदि की निगरानी करता है। पोर्टल आरंभ किए जाने हेतु तैयार है।
- ई–छात्रवृत्तियों के लिए **केन्द्रीकृत राष्ट्रीय ई–छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी 2.0)** अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु कार्यान्वित की जाती है।
- **http://ngo.tribal.nic.in** मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एनजीओ की निधियों तथा एनजीओ की परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी के लिए वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह पोर्टल आरंभ किया जा चुका है।
- **http://ngograntsmota.gov.in**: अजजा के कल्याण के लिए कार्यरत "स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के तहत एनजीओ के प्रस्ताव आवेदनों की प्रक्रिया के लिए एनजीओ–एमआईएस/पोर्टल एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एनआईसी क्लाउड से कार्यान्वित/आरंभ किया गया है।
- **एनजीओ–दर्पण**: नीति आयोग का पोर्टल: उनके खातों में सीधे ही प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण (संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति के आधार पर) होने तक सभी एनजीओ तथा वीओ का पंजीकरण। पोर्टल मंत्रालय के **http://ngogran.tsmota.gov.in** पोर्टल के साथ आरंभ किया गया।
- **मोबाइल एप–जनजातीय** डायरियाँ (**http://tribaldiaries.gov.in**): एनआईसी क्लाउड, शास्त्री पार्क में डाला गया। एप्लीकेशन अपलोड की गई तथा इसकी जांच की गई, तृतीय पक्ष की सुरक्षा लेखा–परीक्षा पूरी की गई।
- **जनजातीय कोष/विरासत**: टेम्पलेट का डिजाइन अनुमोदित किया गया है। विकास

प्रक्रियाधीन है। अंतिम डेमो दिया गया है तथा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। सुधार किए जा रहे हैं।

- **https://dbttribal.gov.in** डीबीटी एप्लीकेशन (डीबीटी–एप) नए वर्जन–3.0 को तैयार करने के लिए इसे एनआईसी एनडीसीएसपी क्लाउड पर प्रसारित किया गया है और इसे एनसीपीआई के साथ एकीकृत किया गया है। यूआईडीएआई के साथ एकीकरण प्रक्रियाधीन है। वी–3 प्रतिस्थापित किया गया तथा डेमो दिया गया है। यूआईडीएआई तथा एनआईसी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आंकडों की प्रविष्टि की शुरूआत हुई है। एसएसएल/टीएलएस (https:) सुरक्षा प्रमाण–पत्र खरीदे गए, प्रतिस्थापित किए गए तथा कार्यान्वित किए गए हैं।
- **डीबीटी राष्ट्रीय पोर्टलः**

  https://dbtbharat.gov.in: नीति आयोग का पोर्टलः मंत्रालय की सभी 09 योजनाओं के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि की जा रही है।
- **राष्ट्रीय अध्येतावृति (पीएचडी/एमफिल)** (पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति के रूप में ज्ञात) – (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से) केनरा बैंक, पीएफएमएस तथा यूजीसी प्राधिकरणों के साथ विस्तृत चर्चा। विकास पूरा हुआ है। एक्सएमएल तथा एक्सेल फाइलों के माध्यम से कैनरा बैंक के साथ परीक्षण किया जा रहा है। विद्यार्थी का पंजीकरण प्रपत्र तैयार है। तैयारी तथा विज्ञापन किए जाने हैं। बहुत विधिमान्यकरण आदि के साथ वरहोफ एलगोरिद्म, एलजी–निर्देशिका, आईएफएससी बैंक कोड के साथ शामिल किया गया।
- **राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस):** राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का विकास पूरा हुआ। विद्यार्थियों का पंजीकरण तथा आवेदन भरा गया है (विदेश मंत्रालय के माध्यम से भुगतान होगा)।
- **कार्यसूची निगरानी प्रणाली (एएमएस):** अनुकूल तथा विकास किया गया है। सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा ली गई वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक के लिए कार्यसूची की निरन्तर निगरानी हेतु कार्यान्वित।
- **ट्राइफेडः** ई–गवर्नेन्स परियोजना जैसे ई–ऑफिस/ई–फाइल, जीईएम, उपस्थिति प्रणाली, विडियो कांफ्रेंसी सैट अप, ई–कॉमर्स पोर्टल (खुदरा ऑनलाइन खरीदारी) आदि के कार्यान्वयन के लिए सीजीओ से ट्राइफेड मुख्यालय (डीजी–एनआईसी द्वारा अनुमोदित) तक एनआईसीएनईटी 20 एमबीपीएस लीज्ड लाइन कनेक्टीविटी डाली गयी है।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी):** एनसीएसटी में एफटीएस तथा सीपीजीआरएएमएस के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव सचिव (एनसीएसटी) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रौद्योगिकी; तथा वित्तीय बोलियों की प्रस्तुति के लिए टियर–II विक्रेताओं के साथ विक्रयपूर्व बैठक की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना भी की जा रही है। एनसीएसटी की वेबसाइट का रखरखावः एनसीएसटी द्वारा अनुरोध के अनुसार देखो और महसूस करो तथा संशोधन किया गया है।
- **वस्तु सूची प्रणालीः (http://10.21.102.8/inventory):** उपभोग्य मदों के स्टॉक के रखरखाव के लिए मंत्रालय में अनुकूलित तथा कार्यान्वित। सफलतापूर्वक चल रहा है।
- अन्य ई–अभिशासन के एप्लीकेशन जैसे ई–ऑफिस, कोम्पडीडीओ, वस्तुसूची प्रणाली, Bhavishya.gov.in (पेंशन, स्वीकृति तथा भुगतान का पता लगाने की प्रणाली), limbs.gov.in (न्यायालय के मामलों के डिजिटलीकरण के लिए वेब एप्लीकेशन), pg portal.gov.in (शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली के लिए पोर्टल), e-samiksha.gov.in (बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी), ई–टेंडरिंग, ई–सर्विस बुक, एसपीएआरआर ओडब्ल्यू, ई–आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, आधार पर निर्भर उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस,

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में सम्मिलित सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम और सुश्री लीना नायर, सचिव (जनजातीय कार्य मंत्रालय)

http:://hlc.tribal.nic.in एवं http://vky.tribal.nic.in आदि का कार्यान्वयन।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

1.8 हिन्दी के संघ की राजभाषा होने के कारण जनजातीय कार्य मंत्रालय सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग हिन्दी अनुवाद का कार्य करने के साथ राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी कार्य देखता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी करता है। मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए साधन तथा तरीके बताए जाते हैं और राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के तहत लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। मंत्रालय के अधिकतर अधिकारी तथा कार्मिक हिन्दी में प्रवीण हैं अथवा हिन्दी का कार्य–साधक ज्ञान रखते हैं।

1.9 भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा निगरानी और अनुवाद में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.) एक वरिष्ठ अनुवादक तथा दो कनिष्ठ अनुवादकों के अनुमोदित पद हैं।

राजभाषा अधिनियम/नियम तथा वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1.10 वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में दिये जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को अधिकतर पत्र हिन्दी में भेजे गए। सभी प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें द्विभाषी रूप में तैयार की जा रही हैं। रबड़ की सभी मोहरें तथा मुद्रित स्टेशनरी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है। मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। इस मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की हिन्दी में सरकारी काम करने की हिचक को दूर करने के लिए वर्ष के दौरान हिन्दी

सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा पुरस्कार संवितरण समारोह के दौरान विजेताओं को पुरस्कारों का संवितरण

कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण भी किए गए थे।

1.11 हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.09.2017 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में विज्ञान भवन एनेक्सी में आयोजित की गई थी।

हिन्दी पखवाड़ा

1.12 मंत्रालय में 1 से 14 सितम्बर, 2017 के दौरान 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन किया गया था। इस पखवाड़े के दौरान कार्यकलाप तथा हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी स्वरचित कविता पाठ, हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप लेखन, हिन्दी में तत्काल भाषण (एक्सटेम्परी), हिन्दी टंकण, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिन्दी श्रुतलेखन, वाद–विवाद तथा अनुवाद प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

सतर्कता कार्यकलाप

1.13 मंत्रालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय के सचिव को सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सहायता प्रदान करते हैं तथा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशा.) के रूप में अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सतर्कता के कार्य देखते हैं। एक उप–सचिव, मुख्य सतर्कता अधिकारी की उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं।

1.14 मंत्रालय ने दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया। दिनांक 30.10.2017 को सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शास्त्री भवन में तथा उप महानिदेशक (डीडीजी) ने अगस्त क्रांति भवन में मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

1.15 दिनांक 13.12.2017 से मंत्रालय में श्री लालसंगलूर, आर्थिक सलाहकार को शिकायत निदेशक के तौर पर मनोनीत किया गया है। शिकायत निदेशक के ब्यौरे जैसे कमरा नंबर, टेलीफोन नंबर आदि व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं। लोक शिकायत निगरानी तंत्र की ऑनलाइन (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय आदि के माध्यम से तथा सीधे ऑनलाइन प्राप्त लोक शिकायतों का निपटान ऑनलाइन किया जा रहा है।

नागरिक / ग्राहक चार्टर

1.16 जनजातीय कार्य मंत्रालय के नागरिक / ग्राहक चार्टर के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 20 में दिए गए हैं।

1.17 इस मंत्रालय की योजनाओं / कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता के उपयोग के माध्यम से प्रभावी एवं कुशल सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी प्रणाली सृजित की गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह

1.18 वर्षों से चली आ रही परिपाटी के अनुसार, मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार के अतिथियों के रूप में प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र से एक महिला और एक पुरुष दो जनजातीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।

1.18.1 वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस उत्सव के दौरान 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्यक्षेत्रों से जनजातीय अतिथियों ने 27 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के सम्पर्क अधिकारियों के साथ भाग लिया। मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्रियों द्वारा विश्व युवक केन्द्र, चाणक्यपुरी में उनका स्वागत किया गया था। जनजातीय अतिथियों ने गणतंत्रता दिवस परेड, बीटिंग रिट्रीट तथा प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली में भाग लेने के अलावा राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम में भाग लिया और तीन मूर्ति भवन में माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लिया। वे भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति से भी मिले। माननीय

दिनांक 26.01.2018 को 69वे गणतंत्र दिवस परेड, 2018 के अवसर पर राजपथ से गुजरती हुई जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी।

जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा जनजातीय अतिथियों के सम्मान में सांस्कृतिक शाम तथा रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था।

1.18.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय की "उचित दाम हक से मांग" झांकी जनजातीय लोगों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्यान्वित लघु वन उत्पाद (एमएफपी) क्षेत्र के लिए अपनी महत्वपूर्ण योजना को प्रदर्शित किया।

संसदीय स्थाई समिति

1.19 सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थाई समिति ने दिनांक 17.03.2017 को जनजातीय कार्य मंत्रालय की "अनुदान मांग 2017–18" संबंधी अपनी 38वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह दिनांक 09.02.2017 को राज्यसभा के सभा पटल पर रखी गई थी।

1.20 सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थाई समिति ने दिनांक 11.04.2017 को जनजातीय कार्य मंत्रालय की "अनुदान मांग 2017–18" संबंधी समिति की 29वीं रिपोर्ट में सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर अपनी 41वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1.21 सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थाई समिति ने दिनांक 10.08.2017 को "अनुदान मांग 2017–18" संबंधी समिति की 38वीं रिपोर्ट में सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर अपनी 46वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1.22 सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थाई समिति (2017–18) द्वारा "जनजातीय लोगों के लिए शिक्षा योजनाएं" विषय की जांच के संबंध में श्री रमेश बैस की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता संबंधी स्थाई समिति ने दिनांक 28.11.2017 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिए।

सलाहकार समिति की बैठक

1.23 वर्ष 2017–18 के दौरान "कला और संस्कृति के संवर्धन" से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए क्रमशः दिनांक 20.06.2017 को माननीय जनजातीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी तथा 'वन अधिकार अधिनियम, 2006' से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए दिनांक 18.01.2018 को एक अन्य बैठक आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

1.24 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में सहायता करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)

1.25 अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा अनुच्छेद 338–क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के मुख्य कर्त्तव्य–अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षापायों के कार्यकरण का मूल्याकंन करना है और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षापायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षापायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं।

जनजातीय विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग

1.26 जनजातीय लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार से नेशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (एनआरएससी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के परामर्श से निम्नलिखित पहलों का जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसरण किया जा रहा है:–

- विकासीय आयोजना के लिए 177 जनजातीय जिलों में सतत जलाशयों की पहचान, और
- खगोलीय आंकडों का उपयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेत में तालाबों/मछली के तालाबों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान

भुवन पोर्टल (http://bhuvan.nrsc.gov.in/gis/thematic/wbis) पर जलाशय सूचना प्रणाली (डब्ल्यूबीआईएस) संबंधी आंकडे डाले गए हैं। राज्यों (अजजा प्राथमिकता वाले जिलों) से मतस्य/सिंचाई आदि के लिए इन जलाशयों के विकास हेतु उपयुक्त आयोजना के लिए भुवन पोर्टल पर उपलब्ध सूचना का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। सुलभ संदर्भ तथा सहज पथ प्रदर्शन के लिए स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से पोर्टल सुविधाओं के ब्यौरे भी प्रदान किए गए हैं।

पंचायती राज संस्थान (पीआरआई)/पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)

1.27 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को अन्य बातों के अलावा संविधान के भाग IX तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को सुनिश्चित करता है, जैसा इसे अधिदेश दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य पंचायतों अथवा पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से विकेन्द्रित तथा भागीदारी वाली स्थानीय स्व–सरकार प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय तथा सेवाओं की कार्यकुशल सुपुर्दगी के साथ अंतर्वेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों का सशक्तिकरण, सामर्थ्य तथा जवाबदेही पंचायती राज मंत्रालय का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसे लागू करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को अधिनियमित किया।

1.27.1 संविधान की 5वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के साथ–साथ इन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों से सरोकार रखती है। पेसा अधिनियम, 1996 का विस्तार संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत अधिसूचित 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए कुछ संशोधनों तथा अपवादों के साथ संविधान के भाग IX तक किया जाता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना में विद्यमान है।

1.27.2 इन क्षेत्रों में इस अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को लोगों की परंपराओं तथा रीति–रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवाद हल करने के प्रथागत तरीके की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए "सक्षम" माना जाता है। ग्राम सभाओं के पास गांव की पंचायतों की योजनाओँ को अनुमोदित करने, स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने, निधियों के उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करने, सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों तथा कार्यकरणों को नियंत्रित करने की अनिवार्य कार्यकारी शक्ति है तथा जनजातीय उपयोजना सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों के पास भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श करने; लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस, खनन पट्टे नियमित करने; भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति: मद्य की बिक्री/उपभोग को नियमित करने तथा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने और लघु वन उत्पाद के स्वामित्व का अधिकार भी है।

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में शिकायत समिति

1.28 इस मंत्रालय में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में एक शिकायत समिति गठित की गई है श्रीमती विशु मैनी, उप–महानिदेशक समिति की अध्यक्ष हैं । वर्ष 2017 के दौरान समिति द्वारा कोई शिकायतें प्राप्त नहीं की गई थीं।

अध्याय 2

जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकलाप—एक सिंहावलोकन

2.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय आबादी का समेकित विकास प्राप्त करने के लिए समर्पित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विकास के लिए संपूर्ण नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों का वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन करती हैं तथा उन्हें पूरा करती हैं और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील अंतर को पूरा करती हैं। यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक संवर्धन तथा सामाजिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सभी केन्द्रीय मंत्रालयों की है, जनजातीय कार्य मंत्रालय विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न विकासीय उपायों के रूप में उनके प्रयासों को पूरा करता है। ये योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

2.2 मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के विकास के लिए सभी प्रयासों को योगदान देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान तथा जनजातीय उप—योजना को केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत दो विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ चलाता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची **अनुलग्नक—2** में दी गयी है।

2.3 मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में सिंहावलोकन नीचे दिया गया है जबकि इनके ब्यौरे अनुवर्ती अध्यायों में दिये गये हैं।

2.4 चूंकि शिक्षा का विकास आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रगति का सोपान है तथा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक कारगर उपाय है, इसलिए वर्ष के दौरान विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उपस्थिति को बढ़ाने तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक—पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस), उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति जैसे छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ—साथ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालयों , व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करते हुए अवसंरचना के प्रावधान के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच को बढाने के उद्देश्य के साथ योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रयास किए गए थे।

2.5 'अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास की योजना' का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाना है ताकि माध्यमिक/उच्चतर स्तर की शिक्षा में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) दरों को घटाया जा सके। आश्रम विद्यालयों की योजना एक अन्य योजना है, जिसका उद्देश्य समर्पित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए सहज वातावरण प्रदान करना तथा शैक्षिक सुविधाएं देना है।

2.6 व्यवसायिक प्रशिक्षण की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जनजाति को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। योजना को दिनांक 01.04.2009 से संशोधित किया गया है तथा प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षु को नियमानुसार प्रति वर्ष 30,000/— रुपए की अधिकतम सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, संस्थानों या संगठनों को प्रदान की जाएगी। संशोधित योजना का प्रावधान राज्य के साथ—साथ

एनजीओ द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए समान रूप से लागू हैं।

2.7 कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना 01.07.2012 से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का समर्थन करने का दोहरा उद्देश्य है ताकि प्राथमिक से माध्यमिक में परिवर्तन और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना को कम से कम किया जा सके तथा मैटिक पूर्व स्तर की कक्षा IX तथा X कक्षाओं में अजजा के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार किया जा सके और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर सत्र के चरणों में उन्हें प्रगति करने का बेहतर मौका मिल सके। आय सीमा तथा छात्रवृत्तियों की दर वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधन के अधीन है।

2.8 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना को छात्रवृत्ति की दर, आय सीमा तथा विषयों के समूहीकरण में कुछ संशोधनों के साथ दिनांक 01.07.2010 से संशोधित कर दिया गया है तथा अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के संवर्धन हेतु एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में यह जारी है।

2.9 विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजना के तहत मंत्रालय स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययनों हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2.10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा की निगरानी एवं कार्यान्वयन पर उचित नियंत्रण को सुसाध्य बनाने और इसके स्तरों, जिसमें समय ज्यादा लगता है, को समाप्त करने के लिए मंत्रालय ने इन दोनों योजनाओं को "अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति" नामक एकल केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में मिला दिया है।

2.11 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत मंत्रालय यथा अनुमोदित "संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाओं" के अनुसार पीवीटीजी के लिए प्राथमिकता वाले कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु पीवीटीजी जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान करता है।

2.12 अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत मंत्रालय ने आवासीय विद्यालयों, गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्रामीण रात्रि विद्यालय, कृषीय प्रशिक्षण इत्यादि को कवर करते हुए परियोजनाओं को निधि पोषित किया है।

2.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

2.14 जनजातीय संस्कृति, आदत तथा भाषा की भिन्नता/विशिष्टता के उच्च संरक्षण एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता देता है तथा अनुसंधान एवं प्रलेखन (जनजातीय संस्कृति का संरक्षण), प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (कानूनी/संवैधानिक प्रावधान पर) तथा कार्यकर्ताओं और जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण (सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम) के क्षेत्रों में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा स्थापित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

2.15 "न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए तंत्र व लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" योजना वर्ष 2013–14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ताकि अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लोगों और अन्य परम्परागत वन निवासियों जिनकी आजीविका लघु वन उत्पादों के संग्रहण व बिक्री पर निर्भर करती है उनके लिए काफी आवश्यक सुरक्षा नेट और समर्थन दिया जा सके। प्रारम्भ करने में 5वीं अनुसूची वाले राज्यों तथा जिन्हें दस एमएफपी मदों में शामिल किया गया है, में यह योजना कार्यान्वित की गई थी। अक्टूबर, 2016 में "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के

विपणन हेतु तंत्र एवं एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" की योजना के दिशा–निर्देशों को विभिन्न हितधारकों तथा ट्राइफेड के साथ चर्चा के पश्चात् संशोधित किया गया था एवं योजना के प्रारम्भ से ही एक भाग के रूप में उभरे 10 एमएफपी वस्तुओं की एमएसपी के संशोधन के दौरान 14 और एमएफपी वस्तुओं को शामिल किया गया था। तत्पश्चात, एमएसपी मूल्य निर्धारण सैल की सिफारिशों के आधार पर एवं एमएफपी के लिए आयोजित विस्तृत अध्ययन के पालन में मूल रूप से वर्तमान 10 वस्तुओं की एमएसपी को 21 नवम्बर, 2017 को संशोधित किया गया तथा अतिरिक्त सूची में से एक वस्तु को हटाया गया। इस मूल्य संशोधन के परिणामस्वरूप 5 एमएफपी वस्तुएं नामतः साल बीज, साल के पत्ते, चिरोंजी फली सहित, रंगिनी लाख तथा कुसुम लाख की एमएसपी में वृद्धि की गई है।

2.16 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) एक बहु–राज्यीय सहकारी समिति है, जिसकी स्थापना बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (अब बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वर्ष 1987 में की गई थी। यह देश में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पाद का विपणन करता है। क्षमता निर्माता के रूप में, यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों तथा लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

2.17 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत अनुदान, जनजातीय लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 23 राज्यों को निर्मुक्त किया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और परियोजना आकलन समिति (पीएसी) में विचार किए जाने के आधार पर राज्यों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार–सह–आय सृजन आदि जैसे क्षेत्रों में अंतरों को भरने के लिए राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2.18 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर के उत्थान तथा जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 27 राज्यों को अनुदान जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक गतिविधियों में अंतर भरने के लिए हैं। यह विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है तथा राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

2.19 मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य समुदायों को अनुसूचित/गैर–अनुसूचित करना है। संविधान, राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा व विकास की विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में समुदायों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों को उन वर्तमान प्रविधियों के अनुसार तैयार किया जाता है, जिनकी अनुमति 15.06.1999 को दी गई थी एवं जो दिनांक 25.06.2002 को पुनः संशोधित किया गया था।

अध्याय 3

कार्यकलापों की विशेषताएं

योजना परिव्यय तथा इसके उपयोग

3.1 वर्ष 2017–18 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए आवंटित योजना परिव्यय 5300.14 करोड़ रुपये था तथा संशोधित अनुमान 5293.30 करोड़ रुपये है। वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) मंत्रालय द्वारा की गई कुल निर्मुक्तियां 3972.28 करोड़ रुपये थी, जो बजट अनुमान का 74.95 प्रतिशत है।

3.2 वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा व्यय के योजना–वार ब्यौरे **अनलुग्नक–3क** के अनुसार हैं। वर्ष 2017–18 (31.12. 2017 तक) के दौरान योजना–वार बजट अनुमान तथा व्यय के योजना–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–3ख** में दिए गए हैं।

परियोजना मूल्यांकन समिति

3.3 राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान (31.12. 2017 तक) जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए), अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और पीवीटीजी के विकास की योजना के तहत 28 राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के साथ परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) तथा जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदानों के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान कुछ अनुमोदित कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (आवर्ती तथा अनावर्ती लागत)
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की विद्यमान अवसंरचना का विस्तार [प्राथमिक/अपर प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड करने के साथ]
- बालिकाओं तथा बालकों के छात्रावासों का निर्माण
- सीएचसी/पीएचसी के अवसंरचना भवन का विस्तार/सुदृढ़ीकरण
- न्यूनतम तीन वर्ष की जीवन अवधि के साथ स्वास्थ्य उपस्कर
- कौशल विकास
- जनजातीय आय को बढ़ाने के लिए वाणिज्य तथा परंपरागत फसलों को अपनाना तथा इसका विस्तार।
- जैविक खेती का संवर्धन।
- पोलीहाउस, ग्रीनहाउस खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों की नर्सरी स्थापित करना।
- जनजातीय परिवारों के लिए बेहतर तथा उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण तथा शीतलन अवसंरचना सहित सहकारी आाधारित (अथवा अन्य) डेयरी विकास।
- अवसंरचना तथा उपस्कर निर्माण सहित पशु चिकित्सा सेवाएं।
- अग्र तथा पश्च संयोजन के साथ आय सृजनकारी कार्यकलाप के रूप में मुर्गी पालन का संवर्धन।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
- जनजातीय विद्यालयों में खेल सुविधाओं का प्रावधान।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान

3.5 ईएमआरएस के आवर्ती अनुदानों के अलावा, वर्ष 2017–18 के दौरान (31.12.2017 तक) 6720 जनजातीय विद्यार्थियो के लक्ष्य के साथ 9 राज्यों में 14 नए ईएमआरएस स्वीकृत किए गए थे। इस अवधि के दौरान 29 ईएमआरएस शुरु किए गए।

जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)

3.6 जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास का प्रमुख भाग तथा देश में जनजातीय लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय 'जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए)' के कार्यक्रम के तहत अंतर कम करने के रूप में इन पहलों को अपना योगदान प्रदान करता है। केन्द्रीय बजट 2017–18 दस्तावेजों के अनुसार अनुसूचित जनजाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) से बदला गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान 1350.00 करोड़ रुपये (ब.अ.) की राशि इस योजना के तहत आवंटित की गई है जिसे 1325.00 करोड़ रुपए (सं.अ.) तक संशोधित किया गया है। दिनांक 31–12–2017 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आय सृजन तथा आजीविका आदि क्षेत्रों में लगभग 16 लाख लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले कार्यकलाप विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 160.00 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लगभग 66000 लाभार्थियों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत की गई है।

3.7 प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी)

- आधार अधिनियम, 2015 की धारा 7 के तहत इस मंत्रालय की नौ योजनाएं अधिसूचित की गई हैं;
- इन सभी योजनाओं के संबंध में मासिक रिपोर्ट डीबीटी भारत पोर्टल पर अद्यतन की जा रही है;
- इन योजनाओं के लाभार्थी–वार आंकड़े प्राप्त करने तथा मंत्रालय स्तर पर एमआईएस सृजित करने के लिए इस मंत्रालय के स्थानीय एनआईसी सर्वर में डीबीटी एप स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

3.8 आवेदन करने तथा प्राधिकारियों द्वारा मामलों की जांच करने और अन्तिम स्वीकृति तथा पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे ही संवितरण के लिए एकल खिड़की प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा योजना के तहत छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन प्राप्त किया जाना जारी था।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

3.9 12वीं योजनावधि के बाद संशोधित दिशा–निर्देशों के साथ इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल मंत्रालय की वेबसाइट पर विकसित तथा सक्रिय किया गया है।

3.10 अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

- इस वित्तीय वर्ष के बाद से योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है जिसे पिछले वित्तीय वर्ष तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद संशोधित दिशानिर्देशों के साथ योजना कार्यान्वित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;
- इस मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए पोर्टल विकसित तथा सक्रिय किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.11 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक), 20 राज्यों में 83 आवासीय विद्यालयों में 12,576 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला, 13 राज्यों में 49 छात्रावासों से 4,409 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ मिला और 14 राज्यों में 51 सचल–औषधालयों को निधि–पोषित किया गया था, जिससे 4,95,057 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिला। 8 राज्यों में 22 अस्पतालों को निधि–पोषित किया गया है जिससे 4,79,693 अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को लाभ मिला तथा 6 राज्यों में 9 कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों को निधि–पोषित किया गया है

जिससे 270 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को लाभ मिला।

3.12 इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 5 राज्यों में 1097 अनुसूचित जनजाति (अजजा) की बालिका लाभार्थियों को कवर करने वाले 9 शैक्षिक परिसरों के लिए 2.09 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

3.13 मंत्रालय से सभी हितधारियों के साथ सहयोग द्वारा व्यापक संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी) योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सीसीडी योजनाओं की कमियों और पीवीटीजी समुदायों की सामने आ रही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जमीनी कार्य करने की सलाह दी गई थी। वर्ष 2017–18 (30.12.2017 तक) के दौरान परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए 17 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को निधियां दी गई हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन

3.14 जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस वृहद परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं तथा टीआरआई के सुदृढ़ीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान टीआरआई योजना के बजट को 21.00 करोड़ रुपये से 80.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन कराने, कार्मिकों और जनजातीय विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, प्रसार हेतु बेसलाइन आंकड़ों का संग्रहण, जनजातीय त्यौहार आयोजित करने, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने, यात्रा का अनुदान प्रदान करने का समर्थन किया है। इसके अलावा, सरकार उन राज्यों में जहां जनजातीय लोग रहते थे तथा उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और उनके आगे नहीं झुके, वहां स्थाई संग्रहालय बनाना चाहती है तथा इसकी योजना बना रही है। सरकार अलग–अलग राज्यों में ऐसे संग्रहालय बनाने के लिए कार्य करेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि हमारे जनजातीय लोग बलिदान करने में किस प्रकार आगे थे। मंत्रालय ने 75.00 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ गुजरात में राष्ट्रीय महत्व का अत्याधुनिक जनजातीय संग्रहालय बनाने का निर्णय किया है। दिनांक 31–12–2017 तक 50.00 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है। इस मंत्रालय ने जनजातीय कोष के लिए एक वेब–पेज (www.tribal.nic.in/repository) विकसित किया है जिसमें दस्तावेज, लोकगीत, चित्र, वीडियो आदि भी अपलोड किए गए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

3.15 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक विकासात्मक गतिविधियों का प्रोन्नयन करने के लिए अभिप्रेरक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। यह निगम रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष, 2017–18 के दौरान, 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, निगम ने 13793 लाभार्थियों के लिए 158.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसमें अजजा के 8729 लाभार्थियों के लिए सावधि ऋण योजना के अंतर्गत 146.82 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। 31.12.2017 तक निगम ने विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 78.92 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास

3.16 "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" की एक स्कीम अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों, जिनकी आजीविका पूरी तरह से एमएफपी के संग्रहरण एवं विक्रय पर आधारित है, के लिए अत्यंत आवश्यक है, सुरक्षा जाल उपलब्ध करने के लिए 2013–14 में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ

लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.17 ट्राइफेड पूरे देश में अपनी खुदरा दुकानों "ट्राइब्स इंडिया" के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों के विपणन का कार्य करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान, 31.12. 2017 तक लगभग 1,220 लाख रुपए का व्यापार किया गया है।

3.18 विपणन विकास गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

- ट्राइफेड ने 31 स्वयं की 'ट्राइब्स इंडिया' दुकानों तथा 37 परेषण आधारित दुकानों तथा 16 फ्रैंचाइजी दुकानों की श्रृंखला स्थापित किया है।
- ट्राइफेड ने अप्रैल से दिसम्बर, 2017 के दौरान 30 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया है।
- दिनांक 31.12.2017 तक ट्राइफेड ने जनजातीय शिल्प, संस्कृति, भोजन तथा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, भोपाल एवं जयपुर में तीन "ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव" का आयोजन किया। ट्राइफेड ने जनजातीय चित्रकलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी चंडीगढ़ में एक आदिचित्र महोत्सव का आयोजन किया।
- ट्राइफेड ने दिनांक 31.12.2017 तक 846.96 लाख रुपये के जनजातीय उत्पादों को खरीदा।
- ट्राइफेड के पास सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के रूप में 1,213 व्यक्तिगत/एसएचजी/सहकारी/एनजीओ/राज्य सरकार/संगठन आदि हैं जो 69,247 जनजातीय परिवारों के साथ जुड़े हैं।

"न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन का तंत्र एवं एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास"

3.19 वर्ष 2013–14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई लघु वन उत्पाद योजना (एमएफपी के लिए एमएसपी योजना) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जनजातियों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। आरंभ में, योजना में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। बाद में इसे सभी राज्यों में तथा 24 एमएफपी के लिए विस्तारित किया गया। योजना को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसएलए को परिक्रामी निधि प्रदान करता है। यदि कोई हानि हो, तो केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। वर्तमान में, योजना में 23 एमएफपी शामिल है तथा यह सभी राज्य में लागू है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

3.20 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 21/11/2017 की अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों में लागू 23 एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। योजना में संशोधन की कुछ मुख्य संभावनाएं निम्नलिखित हैंरू–

क. चार एमएफपी के लिए एमएसपी में संशोधन

i. साल के बीज 10/– रुपये प्रति कि.ग्रा. से 12/– रुपये प्रति कि.ग्रा.

ii. साल के पत्ते 21/– रुपये प्रति कि.ग्रा से 24/– रुपये प्रति कि.ग्रा.

iii. बीज सहित चिरौंजी की फली 60/– रुपये प्रति से 93/– रुपये प्रति कि.ग्रा.

iv. क. लाख रंगिनी 100/– रुपये/कि.ग्रा. से 130/– रुपये प्रति कि.ग्रा.

ख. लाख कुसुमी 150/– रुपये/कि.ग्रा. से 167/– रुपये प्रति कि.ग्रा.

ख. एमएसपी सूची से पलाश फूल को हटाना – दिनांक 31.10.2016 के आदेश के भाग के रूप में शामिल पलाश फूल को योजना के तहत शामिल एमएफपी से हटा दिया गया है।

ग. दिनांक 31.10.2016 के पत्र के माध्यम से घोषित अन्य सभी एमएफपी के लिए एमएसपी वही है। नीचे दी गई **तालिका 3.1** में ब्यौरे दिये गये हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए)

3.21 अक्तूबर, 2017 तक, प्रति अधिकार पत्र 2.36 एकड़ भूमि के औसत के साथ 41.20 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्र पर लगभग 17.60 लाख व्यक्तियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं। इसी प्रकार लगभग 99.85 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्र पर 64,000 सामुदायिक आधिकार पत्र संवितरित किए गए हैं। ओडिशा ने सर्वाधिक संख्या में अधिकार पत्र जारी करने की विशिष्टता प्राप्त की है, जो 4,16,531 (4,10,579 व्यक्तिगत अधिकार पत्र तथा 5,952 सामुदायिक अधिकार

तालिका 3.1

क्र.सं.	एमएफपी मदें	21.11.2017 से प्रभावी प्रति किलोग्राम रुपये में मूल्य
01.	इमली (बीज सहित)	18/-
02.	शहद	150/-
03.	गोंद कराया	108/-
04.	करंज के बीज	18/-
05.	साल के बीज	12/-.
06.	महुआ बीज	20/-
07.	साल की पत्तियां	24/-
08.	बीज के साथ चिरौंजी की फली	93/-
09.	हरीतिका	8/-
10.	लाख	
(क)	रंगिनी	130/-
(ख)	कुसुमी	167/-
11	कुसुम बीज	10/-
12	नीम बीज	12/-
13	पुआद बीज	8/-
14	बहेड़ा	15/-
15	पहाड़ी झाड़ू घास	10/-
16	शिकाकाई	30/-
17	गुग्गल (तरल)	700/-
18	बायल (सूखा और बिना बीज के)	15/-
19	नागरमोथा	25/-
20	शतावरी (सूखा)	40/-
21	मधुनाशनी	35/-
22	कालमेघ	15/-
23	इमली (बिना बीज के)	40/-

पत्र) हैं। छत्तीसगढ़ ने अधिकतम वन क्षेत्र की विशिष्टता प्राप्त की है, जिस पर इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए हैं। कुल वन क्षेत्र जिस पर छत्तीसगढ़ में अधिकार पत्र जारी किए गए हैं, 24,59,298.43 एकड़ है।.

3.21.1 प्रशिक्षण मैनुअल सृजित करने के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय परिपत्रों/दिशानिर्देशों और जारी दिशा–निर्देशों के सार–संग्रह के साथ–साथ वन अधिकार अधिनियम पर निर्णय के संबंध में सार–संग्रह पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संबंध में स्वतः अधिगम ई–मोड्यूल तैयार किया तथा आरंभ भी किया है।

3.21.2 अधिकारों की मान्यता के पश्चात् पूरे भारत में कई ग्राम सभाएं न केवल मान्यता के कार्यक्षेत्र को सीमित करने की दिशा में अपितु अधिकारों की मान्यता के बाद वन निवासियों की आजीविका की बढ़ोत्तरी में भी आगे बढ़ी है। अग्रणी ग्राम सभाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश से हैं। वन अधिकार अधिनियम ने वन निवासियों को वन संसाधनों से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त बांस तथा तेन्दू पता (बीड़ी पत्ता) की बिक्री से गांवों को करोड़ों रुपए का अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है।

3.21.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ परामर्श में दिशा–निर्देश भी तैयार कर रहा है, वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसका लक्ष्य अपने सामुदायिक वन संसाधनों का सतत, न्यायोचित, लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी रूप में प्रबंध करने में ग्राम सभाओं को सुसाध्य बनाना है। ये दिशा–निर्देश ग्राम सभा द्वारा गठित "सामुदायिक वन संसाधन समितियों (सीएफआरसी)" में हितधारियों के प्रतिनिधित्व से निर्मित सक्षम संस्थागत संगठन स्थापित करने हेतु निर्दिष्ट हैं तथा एफआरए के अनुसार देय जवाबदेही के साथ उनके वन्य जीवन, वनों तथा जैव–विविधता की सुरक्षा के लिए इन समितियों के कार्यों को भी प्रतिपादित करते हैं।

3.21.4 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा तथा गुजरात राज्यों में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करने के लिए 1–2 नवम्बर, 2017 के दौरान विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एक समीक्षा–सह–परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

3.21.5 बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 8–9 दिसंबर, 2017 के दौरान गुरुग्राम, हरियाणा में दूसरे दौर की समीक्षा–सह–परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।

जनजातीय विकास संबंधी समीक्षा–सह–परामर्श बैठकें

3.22 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ साझेदारी में मंत्रालय ने जनजातीय विकास पर समीक्षा–सह– परामर्शियों की श्रृंखला आयोजित की। इन परामर्शियों का लक्ष्य मुख्य रूप से जनजातीय विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की विद्यमान

योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करना है; नई पहलों की हिस्सेदारी तथा भारत में जनजातीय विकास के भविष्य के संबंध में मुद्दों और चुनौतियों तथा संवेदनशील अवलोकन की हिस्सेदारी के लिए राज्य जनजातीय कल्याण अधिकारियों हेतु एक सामान्य मंच प्रस्तुत करना है। ऐसी आवधिक समीक्षाएं तथा परामर्शियां बेहतर निगरानी तथा समन्वय सुनिश्चित करती हैं जो अनुसूचित जनजातियों और पीवीटीजी के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन करेंगी। इसके अलावा, परामर्शियों ने उन मुद्दों जो लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र, राज्यों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से लंबित निधियों से संबंधित है, के तीव्र समाधान के लिए प्रत्येक के साथ आमने–सामने की बातचीत के लिए मंच प्रदान किया।

3.23 पहली परामर्श बैठक 1 से 2 नवंबर, 2017 के दौरान विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसमें 8 राज्यों अर्थात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और जम्मू–कश्मीर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

दूसरी परामर्श बैठक 8 से 9 दिसंबर, 2017 के दौरान गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

राज्यों से, प्रधान सचिवध्सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, आयुक्तध्निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग तथा निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने भागीदारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य, गुरुग्राम, हरियाणा में परामर्श बैठक के प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए

विशाखापट्टनम में परामर्श बैठक में प्रतिभागी

सचिव, जनजातीय कार्य, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

गुरुग्राम में परामर्श बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों सहित प्रतिभागी

राष्ट्रीय कार्यशाला

3.24 जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से दिनांक 25.09.2017 को "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की योजना–इसे अगले स्तर तक ले जाते हुए" मुद्दे के संबंध में ट्राइफेड द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, नीति आयोग, भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, राज्यों, विभिन्न संघों, एनजीओ तथा कॉरपोरेट क्षेत्र आदि से कुल 179 प्रतिनिधियों ने इसमें भागीदारी की थी। श्री जुएल ओराम, माननीय केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने कार्यशाला का उद्घाटन किया, जहां दोनों राज्य मंत्री भी विशिष्ट अतिथि थे।

3.25 इस राष्ट्रीय कार्यशाला के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्यों को योजना के प्रति जागरूक करना तथा इस योजना के तहत भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना था ताकि इस योजना की परिधि को लाभार्थियों की बड़ी संख्या को कवर करने के लिए बढ़ाया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भाग लें, एक समझौता ज्ञापन विकसित किया गया था जिस पर उनके साथ हस्ताक्षर किए गए। व्यक्तिगत दौरों, पत्राचारों तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों और अन्य अधिकारियों के दौरों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ इस मामले का कड़ाई से अनुपालन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 14 राज्य सरकारों ने इस योजना के तहत भागीदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा अन्य 4 राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपने नोडल विभागों तथा राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियों की घोषणा की है। इन राज्यों के अलावा तीन अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन को तैयार किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि अब इस योजना के तहत भागीदारी करने वाले राज्यों की संख्या पूर्व में 7 से बढ़कर 20 राज्यों से अधिक हो जाएगी।

कार्यशाला के दौरान सचिव (जनजातीय कार्य) प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय कार्यशाला में लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पुस्तक का अनावरण करते हुए

आदि महोत्सव

3.26 ट्राइफेड के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 16 से 30 नवंबर, 2017 तक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सवः आदि महोत्सव आयोजित किया था। उत्सव की शुरूआत 15 नवंबर, 2017 को प्रिंट तथा सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से बिरसा मुंडा, प्रसिद्ध जनजातीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी तथा लोकनायक को उनकी 142वीं जयंती पर उन्हें श्रंद्धाजलि के साथ की गई। आदि महोत्सव का उद्घाटन श्री एम. वैंकेया नायडू, महामहिम उप–राष्ट्रपति भारत द्वारा दिनांक 16.11.2017 को किया गया था। उन्होंने जनजातीय शिल्प, खाद्य संस्कृति तथा वाणिज्य को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल की प्रशंसा की।

3.27 आदि महोत्सव, जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खाद्य तथा वाणिज्य की भावना का उत्सव है जो दिल्ली के लाखों निवासियों के साथ 15 दिन तक सफलतापूर्वक मनाया गया था। इस उत्सव ने जनजातीय कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प को प्रदर्शित किया। इसमें सुन्दर साड़िया, परिधान सामग्री, आभूषण, बांस तथा केन के उत्पाद, चित्रकला तथा सैकड़ों

वस्तुएं शामिल थीं। 27 राज्यों से लगभग 800 कारीगरों ने इस महोत्सव में भागीदारी की तथा उनके लिए स्थापित किए गए 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पाद बेचे और अपने शिल्प तथा कौशल को प्रदर्शित किया। जनजातीय नृत्यों तथा लोकगीतों के स्टेज कार्यक्रम जो प्रतिदिन किए जाते थे, प्रत्येक शाम के बड़े आकर्षण थे। 25 राज्यों के 85 जनजातीय रसोइयों ने, जनजातीय भोजन जैसे तेलंगाना की बंजारा बिरयानी, ओडिशा के खोडिया रोटी तथा चिकन और पूर्वोत्तर, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य राज्यों के शाकाहारी तथा मांसाहारी स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रदर्शन किया। दिल्ली के लोगों ने उनका बड़ा आनंद उठाया।

3.28 पखवाड़े के दौरान जनजातीय कारीगरों ने 1.60 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की जोकि इस कार्यक्रम के लिए एक रिकॉर्ड है। ट्राइफेड ने अपने शोरूमों के माध्यम से बिक्री के लिए इन कारीगरों से 2.50 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं खरीदी। महोत्सव के दौरान जनजातीय कारीगरों की कुल बिक्री 4.10 करोड़ रुपए थी। यह जनजातीय कारीगरों के लिए बहुत खुशी का क्षण है, वे बहुत खुश है तथा उन्होंने भविष्य के सभी महोत्सवों में उत्साह के साथ भागिदारी करने का वादा किया है।

3.29 महोत्सव दिल्ली हॉट, आईएनए; दिल्ली हॉट, जनकपुरी; सेंट्रल पार्क राजीव चौकय बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया तथा इसने 3 लाख से अधिक लोगों को आकर्षित किया जिन्होंने खरीदारी, खान–पान तथा जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। उत्कृष्ट जनजातीय नृत्यों को प्रस्तुत करने, मार्शल आर्ट तथा लोक संगीत को प्रदर्शित करने के लिए उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र, देश के 25 राज्यों से लगभग 450 कारीगरों को लेकर आया। एसएमएस, इलैक्ट्रोनिक, प्रिंट तथा सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि ने एक साथ उत्सव के लिए सूचना/प्रचार/प्रसारण प्रदान किया। उत्सव ने विशाल मीडिया कवरेज को आकर्षित किया।

3.30 दिल्ली हॉट के इतिहास में पहली बार जनजातीय कारीगरों ने डिजीटल लेन–देन किया जिसके लिए सभी को कार्ड रीडर प्रदान किए गए थे। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने डिजिटल लेन–देन की शुरूआत के लिए ट्राइफेड की प्रशंसा की तथा इस प्रकार से लगभग 30 प्रतिशत लेन–देन किए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक की एक विशेष टीम द्वारा सभी जनजातीय कारीगरों को कार्ड रीडर का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

3.31 ट्राइफेड ने ई–कॉमर्स लेन–देन की भी शुरूआत की है। भविष्य में ट्राइफेड अमेजॉन, स्नैपडील, फिलपकार्ट तथा जीईएम (ई–कॉमर्स का भारत सरकार का पोर्टल) के माध्यम से उत्पाद बेचेगा जिसके लिए तैयारी की जा रही है। यह आशा है कि इन पोर्टल पर बिक्री जनवरी, 2018 तक आरंभ हो जाएगी।

3.32 माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू; माननीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग; सुश्री अनुसूइया उइके ने भी आदि महोत्सव की शोभा बढ़ाई।

3.33 आदि महोत्सव के दौरान एनएसटीएफडीसी से ऋण प्रदान करने की एक विशेष योजना भी आरंभ की गई थी। प्रत्येक जनजातीय उद्यमियों का उनके व्यापार के प्रसार के लिए ऋण की उनकी आवश्यकता के संबंध में साक्षात्कार लिया गया था। जनजातीय पुरुषों के लिए 6 प्रतिशत तथा जनजातीय महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत की विशेष दर पर ऋण प्रदान करने के लिए 106 मामलों पर विचार किया जा रहा है तथा उनकी जांच की जा रही है।

आदि महोत्सव की कुछ झलकियां निम्नानुसार दी गई हैं:

A few glimpses of the Aadi Mahotsav are given below:

दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2017 के दौरान
महामहिम उप–राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरुस्कार प्राप्त श्री रामेश्वर मुण्डा के स्टॉल को देखते हुए।

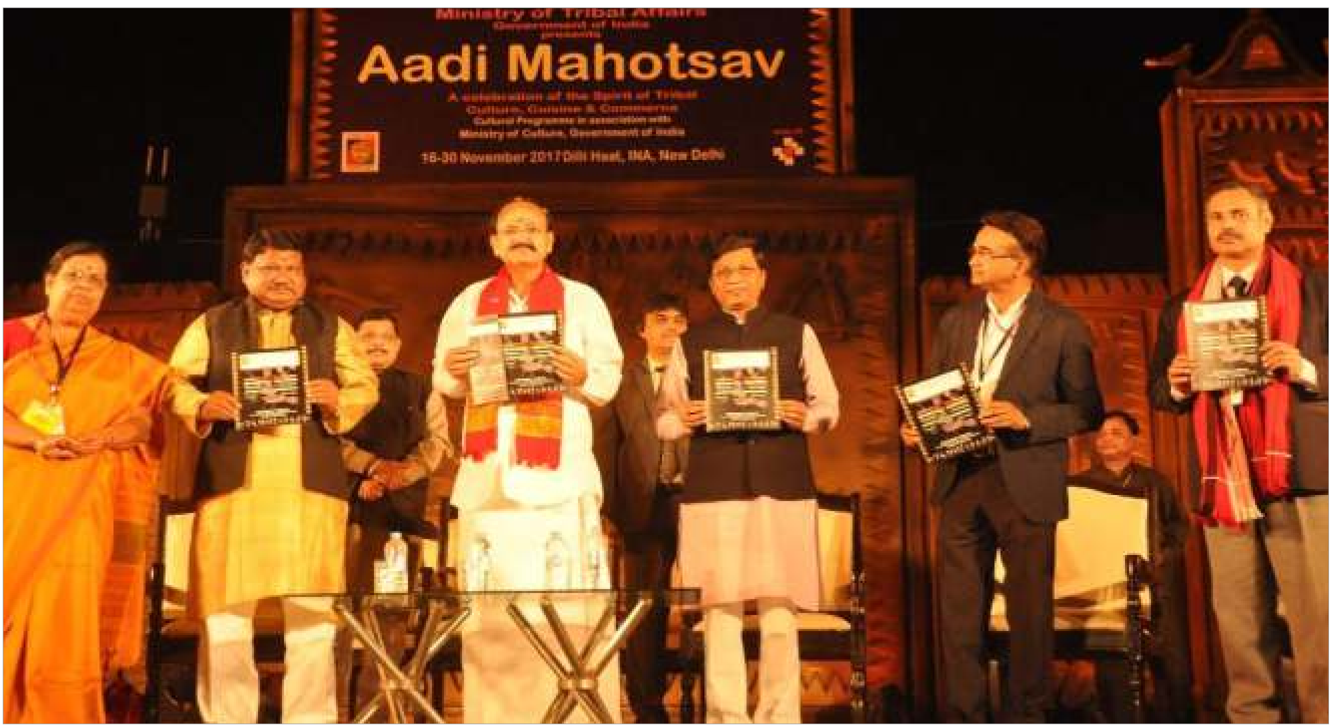

दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली में आदि महोत्सव–2017 के दौरान भारत के महामहिम उप–राष्ट्रपति द्वारा
ट्राइब्स इंडिया पुस्तिका का अनावरण ।

दिनांक 18.11.2017 को दिल्ली हॉट, आईएनए, नई दिल्ली में
आदि महोत्सव के दौरान श्री किरण रिजिजू, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

आदि महोत्सव – 2017, दिल्ली हाट, नई दिल्ली में जनजातीय कलाकारों के साथ
सचिव (जनजातीय कार्य), सचिव (श्रम और रोज़गार), सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), सचिव (दूर संचार), सचिव (युवा मामले), प्रबंधक निदेशक (ट्राईफेड) तथा अन्य अधिकारी

आदि महोत्सव–2017, दिल्ली हाट, आईएनए गुजरात के कलाकार सिद्धि धमाल नृत्य करते हुए।

आदि महोत्सव–2017, सेंट्रल पार्क, नई दिल्ली में केरल के कलाकार कलारीपायट्टू नृत्य करते हुए

आदि महोत्सव–2017, नई दिल्ली में सिक्किम के कलाकार नृत्य करते हुए।

आदि महोत्सव–2017, नई दिल्ली में छाऊ नृत्य करते हुए कलाकार।

अध्याय 4

अनुसूचित जनजातियों की रूपरेखा

जनसंख्या

4.1 जनगणना 2011, के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3 प्रतिशत है। 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि **ग्राफ 4.1** में दर्शाई गई है जो स्पष्ट करती है कि अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या की वृद्धि दर (25%) अनुसूचित जनजाति के पुरूष की वृद्धि दर (23%) से उच्चतर है। लिंग और आवास के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का विवरण **अनुलग्नक–4क** में दिया गया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में कुल जनसंख्या के प्रति अनुसूचित जनजाति की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशतता तथा भारत में अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या के लिए राज्य में अ.ज.जा. की प्रतिशतता के ब्यौरे **अनुलग्नक 4ख** में दिया गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में राज्यों/राज्यक्षेत्रों का क्रम **तालिका–4.1 में** दिया गया है।

ग्राफ 4.1: अजजा की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि: 2001–2011

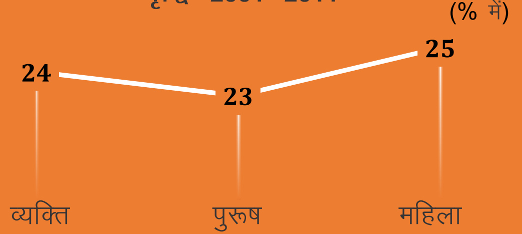

तालिका 4.1: अनुसूचित जनजातियों के अनुपात द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का क्रम: जनगणना 2011

शीर्ष 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र		नीचे के 5 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	
लक्षद्वीप	94.8%	उत्तर प्रदेश	0.6%
मिजोरम	94.4%	तमिलनाडु	1.1%
नागालैण्ड	86.5%	बिहार	1.3%
मेघालय	86.1%	केरल	1.5%
अरुणाचल प्रदेश	68.8%	उत्तराखंड	2.9%

लिंग अनुपात

4.2 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लिंग अनुपात 990 है जो 943 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2001 में प्रति 1000 पुरुषों पर 978 महिलाओं से बढ़कर 2011 में 990 महिला हो गयी है। गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि ने अनुसूचित जनजाति का उच्च लिंग अनुपात दर्शाया है, जबकि जम्मू और कश्मीर ने वर्ष 2011 में 924 महिलाओं पर अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात निम्नतम दर्शाया है। वर्ष 2001 और 2011 में आवास के आधार पर राज्य–वार अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात **अनुलग्नक–4ग** में दिया गया है।

बाल लिंग अनुपात

4.3 0–6 वर्ष आयु समूह के संबंध में बाल लिंग अनुपात 2001 में 972 से 2011 में 957 तक कम हुआ है। तथापि, अनुसूचित जनजाति का बाल लिंग अनुपात सामान्य जनसंख्या के बाल लिंग अनुपात जो 1000 लड़कों के प्रति 914 लड़कियां हैं, की तुलना में अधिक है।

साक्षरता दर

4.4 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 47.1% से 2011 में 59% तक सुधार हुआ है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.2% से 68.5% तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34. 8% से 49.4% तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या के लिए साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.8% से वर्ष 2011 में 73% तक की बढ़ोतरी हुई है। अखिल भारतीय साक्षरता दर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 14 प्रतिशत का अंतर है। वर्ष 1991, 2001 तथा 2011 के लिए व्यक्तियों, पुरुषों तथा महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में अंतर जैसा **ग्राफ 4.2** में दर्शाया गया है, प्रगति सूचक गिरावट दर्शाता है। वर्ष 1961 के बाद की जनगणना के आधार पर साक्षरता दरें निम्नलिखित **तालिका 4.2** में दी गई हैं।

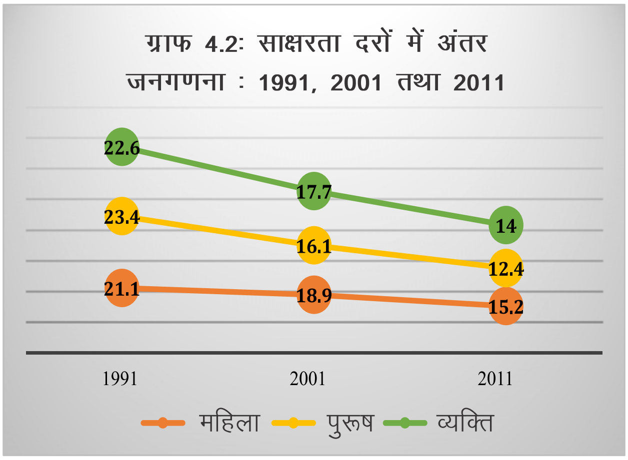

तालिका 4.2: अनुसूचित जनजाति और सभी की साक्षरता दर						
वर्ष	सभी			अनुसूचित जनजातियाँ		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1961	28.30	40.40	15.35	8.53	13.83	3.16
1971	34.45	45.96	21.97	11.30	17.63	4.85
1981	43.57	56.38	29.76	16.35	24.52	8.04
1991	52.21	64.13	39.29	29.60	40.65	18.19
2001	64.84	75.26	53.67	47.10	59.17	34.76
2011	73.00	80.90	64.60	59.00	68.50	49.40

स्रोत : सग भारत के महापंजीयक का कार्यालय

4.5 वर्ष 2011 के दौरान तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल नामक राज्यों ने कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में 18 प्रतिशतता बिन्दुओं से अधिक अंतर दर्शाया है। तथापि, सभी राज्यों ने वर्ष 2001 तथा 2011 के बीच साक्षरता दर के अंतर में गिरावट दर्ज की है। संपूर्ण जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की साक्षरता दर और अंतरों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4** घ में दिए गए हैं।

4.6 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा "सामाजिक उपभोगः शिक्षा" पर कराए गए 71वें सर्वेक्षण (जनवरी-जून, 2014) के आधार पर अनुसूचित जनजातियों हेतु साक्षरता दर 67% है तथा सभी श्रेणियों के लिए अनुरूपी आंकडा 76% है।

4.7 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जन जातियों के लिए स्नातक तथा उससे ऊपर 15 वर्षों तथा उससे ऊपर के शिक्षा स्तर के अखिल भारतीय तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-4ड.** में दिए गए हैं। भारत के लिए वर्गीकृत, लिंग-वार अलग-अलग श्रेणियों (सभी आयु वर्ग, 10-14 वर्ष, 15-19 वर्ष, 20-24 वर्ष की आयु) किशोर (10-19 वर्ष) तथा युवा (15-24 वर्ष) के लिए अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर जो वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है, निम्नलिखित **तालिका 4.3** में दी गई है:

तालिका 4.3: साक्षरता दर

सभी श्रेणियां (आयु समूह)	कुल			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
सभी आयु	73.0	80.9	64.6	66.1	75.2	56.5	59.0	68.5	49.4
10-14	91.1	92.2	90.0	90.3	91.5	89.0	86.4	88.3	84.4
15-19	88.8	91.2	86.2	87.1	89.7	84.1	80.2	85.7	74.6
20-24	83.2	88.8	77.3	79.1	86.2	71.6	69.2	79.6	59.0
किशोर (10-19)	90.0	91.7	88.2	88.8	90.6	86.8	83.6	87.1	79.9
युवा (15-24)	86.1	90.0	81.8	83.3	88.1	78.0	75.0	82.9	67.1

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

युवा साक्षरता दर

4.8 जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011 के अनुसार सभी तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए अखिल भारत स्तर पर युवा साक्षरता दर **ग्राफ 4.3** में दर्शाई गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं में साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 75 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की युवा पुरुष साक्षरता दर में 11 प्रतिशतता की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजाति की महिला युवा साक्षरता दर ने महत्वपूर्ण 20 प्रतिशतता बिन्दुओं का उछाल दर्शाया है। तथापि, सारी जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की युवा साक्षरता दर के बीच अभी भी अंतर विद्यमान है।

ग्राफ 4.3: युवा साक्षरता दर (15–24 वर्ष)–अखिल भारत जनगणना 2001 तथा 2011

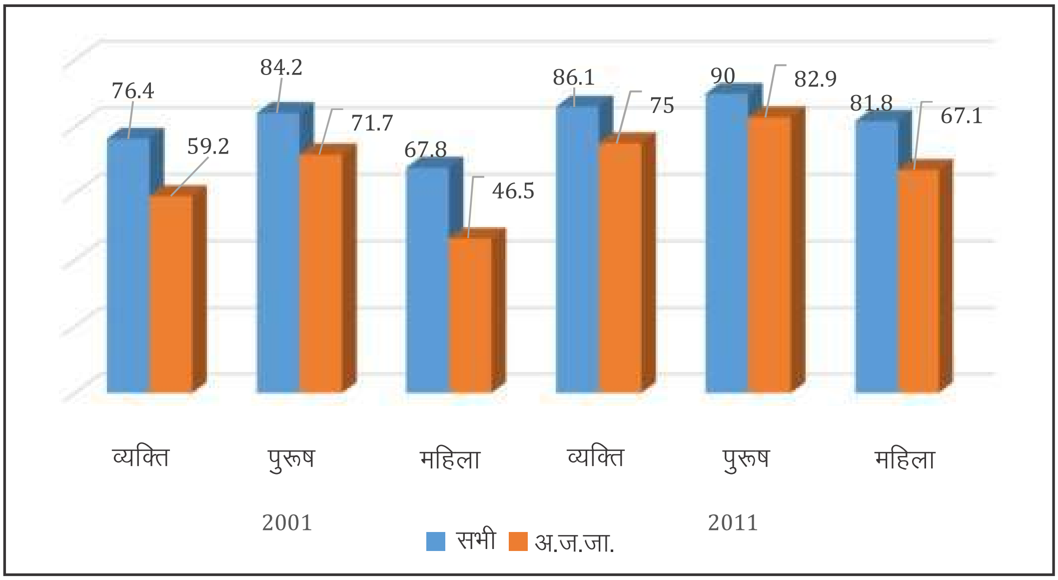

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.9 वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लिए प्राथमिक, अपर प्राथमिक तथा प्रारंभिक स्तरों पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के ब्यौरे **तालिका 4.4** में दिए गए हैं। माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का सकल नामांकन अनुपात **तालिका 4.5** में दिया गया है। ये आंकडे दर्शाते हैं कि वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में प्राथमिक स्तर (I-VIII) पर सकल नामांकन अनुपात आंशिक रूप से कम हुआ है। तथापि, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर नामांकन अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ा है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जनजाति के सकल नामांकन अनुपात में भी सुधार हुआ है। माध्यमिक स्तर (IX-X) में अजजा बालिकाओं के जीईआर में वर्ष 2013–14 में 70.1% से 2015–16 में 75.4% तक वृद्धि हुई है।

तालिका 4.4: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

स्तर / वर्ष	प्राथमिक (I-V) 6-10 वर्ष			उच्च प्राथमिक (VI-VIII) 11-13 वर्ष			प्रारंभिक (I-VIII) 6-13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2013-14	114.4	111.9	113.2	90.5	92.2	91.3	105.9	105.0	105.5
2014-15	110.6	108.2	109.4	93.0	95.2	94.1	104.4	103.7	104.0
2015-16	107.8	105.7	106.7	95.4	98.2	96.7	103.4	103.1	103.3

तालिका 4.5: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात

स्तर / वर्ष	माध्यमिक (IX-X) 14-15 वर्ष			वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII) 16-17 वर्ष			उच्चतर शिक्षा 18-23 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2013-14	70.3	70.1	70.2	36.7	34.1	35.4	12.5	10.2	11.3
2014-15	71.8	72.6	72.2	39.8	37.8	38.8	15.2	12.3	13.7
2015-16	73.7	75.4	74.5	43.8	42.4	43.1	15.6	12.9	14.2
2016-17	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	उप. नहीं	16.7	14.2	15.4

आंकडों के स्रोत:

विद्यालय शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसइ), एनयूइपीए

उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)

टिप्पण: विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकडे अनंतिम हैं।

उप नहीं: उपलब्ध नहीं

प्राथमिक स्तर के लिए जीईआर की परिभाषा: आयु के असंगत प्राथमिक शिक्षा (ग्रेड I-V) में कुल दाखिले जो दिए गए विद्यालय वर्ष में पात्र आधिकारिक प्राथमिक विद्यालय आयु (6–10 + वर्ष) की जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त की जाती है।

लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)

4.10 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) ने माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा स्तर पर सुधार दर्शाया है। आंकडें नीचे **तालिका 4.6** में दिए गए हैं:

तालिका 4.6: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई)

स्तर / वर्ष	माध्यमिक (IX-X)	वरिष्ठ माध्यमिक (XI-XII)	उच्चतर शिक्षा
2013-14	1.00	0.93	0.81
2014-15	1.01	0.95	0.81
2015-16	1.02	0.97	0.83
2016-17	उप. नहीं	उप. नहीं	0.85

आंकडो के स्रोत:

विद्यालय शिक्षा के लिए: शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू–डीआईएसइ), एनयूइपीए

उच्चतर शिक्षा के लिए: उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्टें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) टिप्पण: विद्यालय शिक्षा संबंधी आंकडे अनंतिम हैं। उप. नहीं: उपलब्ध नहीं

स्कूल शिक्षा में ड्रॉप–आउट दरें

4.11 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा में ड्रॉप–आउट दरों में 2011–12 से 2013–14 तक के दौरान अलग–अलग कक्षाओं में लगातार गिरावट आई है। ब्यौरे नीचे **तालिका 4.7** में दिए गए हैं:

तालिका 4.7: अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की विद्यालय शिक्षा में ड्रॉप–आउट दरें

वर्ष / कक्षाएं	कक्षाएं (I-V)			कक्षाएं (I-VIII)			कक्षाएं (I-X)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2011-12	36.1	34.4	35.3	57.3	57.1	57.2	64.4	67.6	65.9
2012-13 (P)	33.3	31.2	32.3	50.6	47.5	49.2	63.2	62.2	62.7
2013-14 (P)	31.9	30.7	31.3	49.8	46.4	48.2	63.2	61.4	62.4

स्रोतः शैक्षिक आंकड़े एक नजर में, स्कूल शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
वर्ष 2013–14 के लिए कक्षा I से V हेतु ड्रॉप आउट दर

$$= 1 - \frac{\text{2014 के दौरान कक्षा V में दाखिला}}{\text{2010 के दौरान कक्षा I में दाखिला}} \times 100$$

परिक्षा परिणाम

4.12 वर्ष 2015 के दौरान 64.1% तथा 68.9% अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने मुक्त (ओपन) बोर्ड सहित विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय परीक्षा बोर्डों के माध्यम से क्रमशः कक्षा X तथा XII उत्तीर्ण की है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए उत्तीर्ण की प्रतिशतता सभी श्रेणियां और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः **तालिका 4.8** तथा **तालिका 4.9** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.8: वर्ष 2010–2015 के दौरान माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की प्रतिशतता

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजातियां		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2010	72.6	76.6	74.3	61.6	60.8	61.3
2011(अ)	73.3	76.7	74.8	62.4	61.7	62.1
2012 (अ)	74.4	78.0	76.0	61.5	61.2	61.4
2013 (अ)	75.8	80.1	77.8	64.2	64.8	64.5
2014 (अ)	77.6	81.0	79.2	65.1	63.8	64.5
2015 (अ)	77.5	80.6	78.9	65.0	63.2	64.1

तालिका 4.9: वर्ष 2010–2015 के दौरान उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत

वर्ष	सभी श्रेणियां			अनुसूचित जनजातियां		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
2010	72.7	80.8	76.2	64.8	68.9	66.5
2011(अ)	70.8	81.0	75.3	63.9	68.4	65.8
2012 (अ)	75.2	82.8	78.5	66.6	72.0	68.9
2013 (अ)	75.0	83.0	78.5	66.7	72.0	69.0
2014 (अ)	75.8	84.1	79.5	67.9	73.7	70.6
2015 (अ)	75.2	84.1	79.2	65.8	72.2	68.9

स्रोतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय
अ–अनंतिम

स्वास्थ्य संकेतक

4.13 वर्ष 2015–16 के दौरान स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–4 के अनुसार, सभी श्रेणियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातियों हेतु बाल मृत्यु दर (आईएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) तथा महिलाओं में खून की कमी की स्थिति ग्राफ 4.4 में दर्शाई गई है।

ग्राफ 4.4

स्वास्थ्य संकेतक: एनएफएचएस–4 (2015–16)

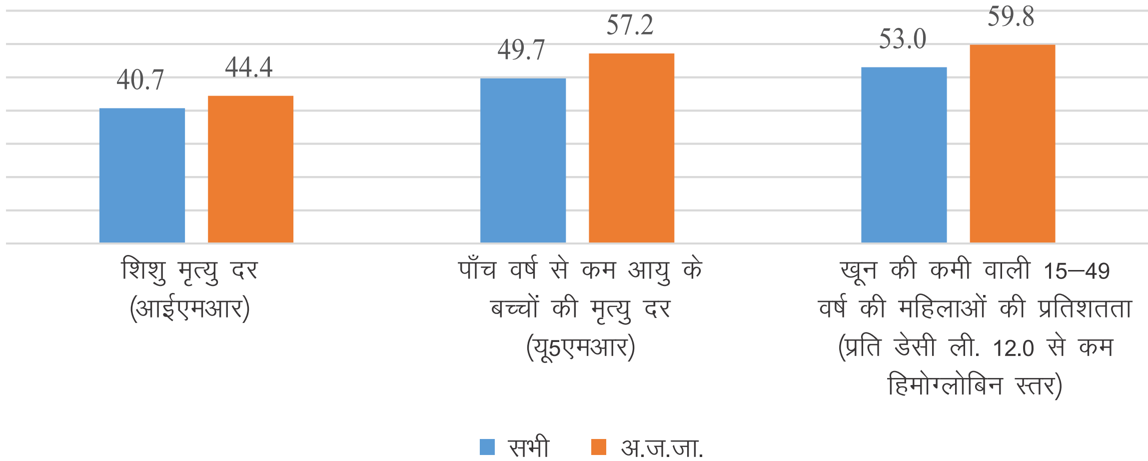

ग्राफ 4.5 दर्शाता है कि एनएफएचएस–3 (2005–06) तथा एनएफएचएस–4 (2015–16) के आधार पर सभी श्रेणियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिशु मृत्यु दर तथा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वर्ष 2005–06 से 2015–16 तक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

ग्राफ 4.5: स्वास्थ्य संकेतकों की तुलना

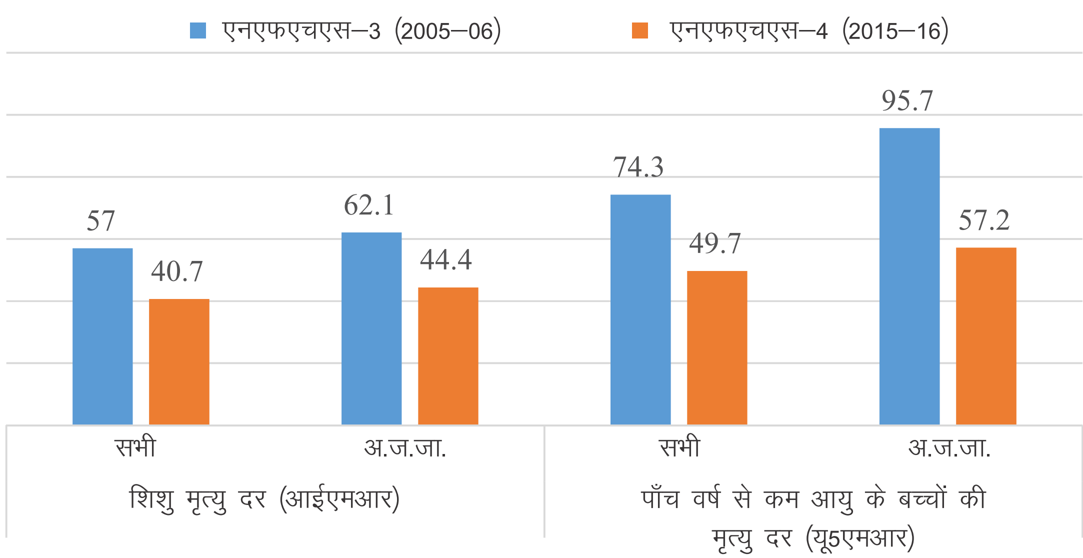

आंकडों के स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

आईएमआर, वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्म के दौरान शिशु मृत्यु की संख्या है।

यू5एमआर इस आयु समूह में वर्ष के दौरान प्रति 1000 बच्चों पर, आयु 0–4 वर्ष के बीच बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

5 वर्ष से कम आयु के अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पोषण स्थिति

4.14 क्रमशः 2005–06 और 2015–16 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराये गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–3 और 4 के आंकड़ों पर आधारित, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रतिशतता जिससे कुपोषण की स्थितिः रूकी हुई वृद्धि (आयु के अनुसार कद), कमजोर (कद के अनुसार वजन) और कम वजन (आयु के लिए वजन) के अनुसार कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित ग्राफ 4.6 में दिए गए है।

ग्राफ 4.6 पोषण स्थिति के प्रसार की तुलना

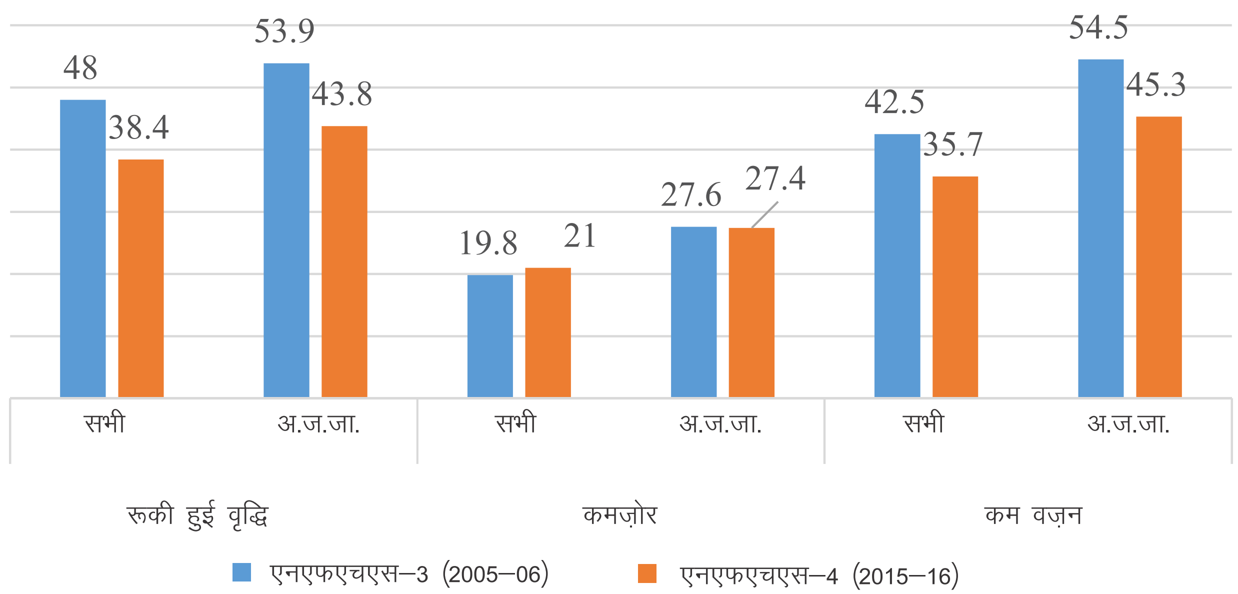

बच्चों का टीकाकरण कवरेज

4.15 12–23 माह के अनुसूचित जनजाति के बच्चे जिन्हें पूरा प्रतिरक्षण प्राप्त हुआ है तथा जिनका कोई टीकाकरण नहीं हुआ है, की स्थिति **तालिका 4.10** में दी गई है। बच्चों का टीकाकरण तब पूरा हुआ माना जाता है जब उन्हें तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके, पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) की तीन खुराक (जन्म के समय पोलियो के टीके को छोड़कर; और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

तालिका 4.10: 12–23 माह आयु के अजजा तथा सभी श्रेणियों के बच्चों की प्रतिशतता जिनका सम्पूर्ण टीकाकरण हुआ है/कोई प्रतिरक्षण नहीं हुआ है

स्रोत	संपूर्ण टीकाकरण		कोई प्रतिरक्षण नहीं	
	सभी	अजजा	सभी	अजजा
एनएफएचएस-3 (2005-06)	43.5	31.3	5.1	11.5
एनएफएचएस-4 (2015-16)	62.0	55.8	6.0	9.2

स्रोतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

जब उन्हें तपेदिक (बीसीजी), डिप्थीरिया की तीन, काली खांसी (परटूसिस) तथा टिटनेस (डीपीटी) के टीके, पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) की तीन खुराक (जन्म के समय पोलियो के टीके को छोड़कर)य और 12 माह की आयु तक खसरा की 1 खुराक दे दी जाती है।

संस्थागत प्रसूति

4.16 **ग्राफ 4.7** में दिए गए आंकडे दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति की प्रतिशतता वर्ष 2005–06 में 17.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 68 प्रतिशत हो गई है। वहीं सभी श्रेणियों के लिए कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं की कराई गई प्रसूतियां 2005–06 से 2015–16 में 25.4 प्रतिशत से बढ़कर 71.5 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। 38.7 प्रतिशत से 78.9 प्रतिशत तक का सुधार हुआ है। दोनों मामलों में सभी महिलाओं की तुलना में, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए लगभग 10 प्रतिशत का अंतर है।

ग्राफ 4.7

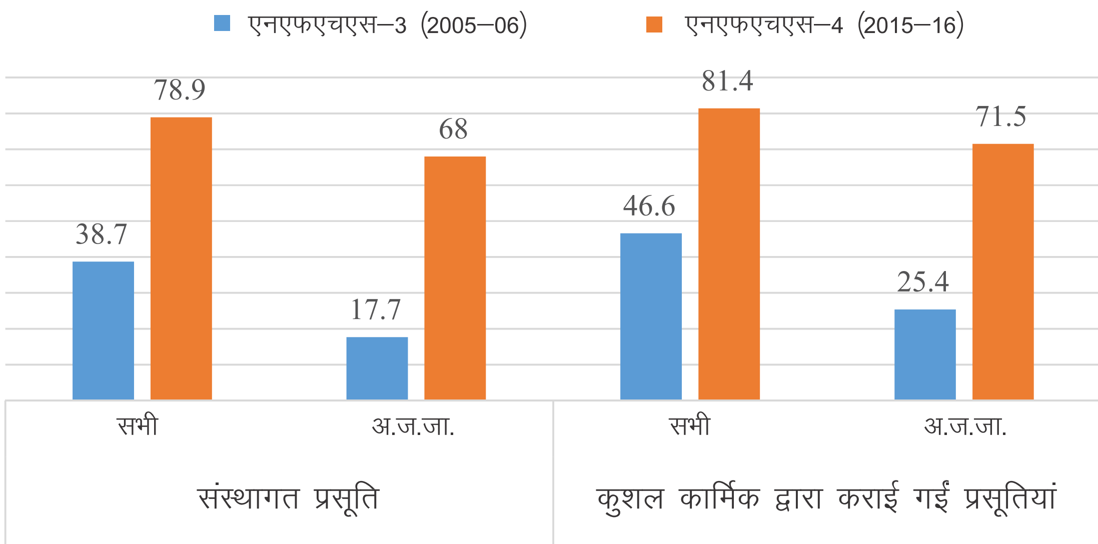

नोटः कुशल स्वास्थ्य कार्मिकों में चिकित्सक, एएनएम, नर्स, एलएचवी/दाई शामिल हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना

4.17 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित आंकडों के अनुसार 31 मार्च 2017 तक 28,200 उपकेन्द्र (एससी), 4,024 पीएचसी (पीएचसी) तथा 1,028 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) कार्यरत हैं। विद्यमान उपकेन्द्रों की संख्या में 2015 से 2017 तक 242 की वृद्धि, पीएचसी में 67 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 30 की वृद्धि हुई है। आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च, 2017 तक जनजातीय क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर 6,503 उपकेन्द्र, 1,240 पीएचसी तथा 273 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है। इसके आगे, मध्य प्रदेश (1,806), राजस्थान (1,239), महाराष्ट्र (945), कर्नाटक (822) और ओडिशा (309) में उप–केंद्रों की संख्या में कमी है। मध्य प्रदेश में 381 पीएचसी की कमी है, इसके पश्चात झारखंड में 228 तथा राजस्थान में 225 पीएचसी की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मामले में मध्य प्रदेश सर्वाधिक (74) कमी दर्शाता है, इसके पश्चात महाराष्ट्र (45) तथा राजस्थान (43) का स्थान है।

ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की जाती है, जो **तालिका 4.11** में दी गई है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4च** में दिए गए हैं।

तालिका 4.11

केन्द्र	जनसंख्या मानक	
	समतल क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/ मुश्किल क्षेत्र
उपकेन्द्र	5000	3000
पीएचसी	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

4.18 अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता [महिला]/सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के स्वीकृत पदों के 10.5 प्रतिशत पद 31.03.2017 तक रिक्त थे। ब्यौरे **अनुलग्नक–4छ** में दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 1000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/एएनएम की कमी है। इसके पश्चात गुजरात (726) तथा असम (349) का स्थान आता है। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की संख्या वर्ष 2015 में 4298 से बढ़कर वर्ष 2017 में 4543 हो गई है। जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी में डॉक्टरों की कमी की स्थिति छत्तीसगढ़ में 235 है इसके बाद मध्य प्रदेश (124) तथा ओडिशा (90) का स्थान है। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2017 तक जनजातीय क्षेत्रों में पीएचसी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पदों का 22.4 प्रतिशत और पीएचसी में डॉक्टरों के स्वीकृत पदों का 27.6 प्रतिशत रिक्त है। पश्चिम बंगाल में पीएचसी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 789 नर्सिंग कार्मिकों की कमी अधिकतम है, इसके बाद ओडिशा (734) तथा झारखंड (499) का स्थान है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4ज तथा 4झ** में दिए गए हैं।

गरीबी अनुमान

4.19 पूर्व के योजना आयोग ने उन वर्षों के गरीबी अनुपात के लिए तेंदुलकर पद्धति पर आधारित अनुमान उपलब्ध कराए हैं जिनके लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण दिए गए हैं। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में संपूर्ण जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 13.7 प्रतिशत लोगों की तुलना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 45.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 24.1 प्रतिशत था। वर्ष 2009–10 और 2011–12 के लिए राज्य–वार ब्यौरे नीचे **तालिका 4.12** में दिए गए है:

तालिका 4.12: वर्ष 2009–10 तथा 2011–12 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता (तेंदुलकर पद्धति)

क्रम सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		2009-10	2011-12	2009-10	2011-12
1	आंध्र प्रदेश	40.2	24.1	21.2	12.1
2	असम	32.0	33.4	29.2	15.6
3	बिहार	64.4	59.3	16.5	10.3
4	छत्तीसगढ़	66.8	52.6	28.6	35.2
5	गुजरात	48.6	36.5	32.2	30.1
6	हिमाचल प्रदेश	22.0	9.5	19.6	4.0
7	जम्मू और कश्मीर	3.1	16.3	15.0	3.0
8	झारखंड	51.5	51.6	49.5	28.7
9	कर्नाटक	21.3	30.8	35.6	33.7
10	केरल	24.4	41.0	5.0	13.6
11	मध्य प्रदेश	61.9	55.3	41.6	32.3
12	महाराष्ट्र	51.7	61.6	32.4	23.3
13	ओडिशा	66.0	63.5	34.1	39.7
14	राजस्थान	35.9	41.4	28.9	21.7
15	तमिलनाडु	11.5	36.8	17.6	2.8
16	उत्तर प्रदेश	49.8	27.0	20.2	16.3
17	उत्तराखंड	20.0	11.9	0	25.7
18	पश्चिम बंगाल	32.9	50.1	20.6	44.5
	अखिल भारत	**47.4**	**45.3**	**30.4**	**24.1**

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता और उनकी प्रकाश की व्यवस्था के स्रोत– अनुसूचित जनजाति एवं सभी सामाजिक समूहों की एक तुलनात्मक तस्वीर

4.20 जनगणना 2011 के अनुसार संपूर्ण भारत की तस्वीर दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों तथा सभी परिवारों के लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। इसके पश्चात मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। लक्षदीप में 99.7% परिवारों के लिए प्रकाश के मुख्य स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात दमन व दीव (96.6%), हिमाचल प्रदेश (94.5%), अंडमान और निकोबार द्वीप (94%) तथा गोवा (93.8%) का स्थान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। सिक्किम का स्थान सर्वोत्तम (91.5%) है, इसके पश्चात मिजोरम (84.3%) तथा नागालैंड (81.2%) का स्थान है। बिहार तथा ओडिशा एक विकृत तस्वीर दर्शाते हैं, जहां बिहार में कुल परिवारों के 16.4% की तुलना में अनुसूचित जनजाति के केवल 11.5% परिवार (न्यूनतम) तथा ओडिशा में कुल परिवार के 43% की तुलना में 15.6%, अनुसूचित जाति के परिवार बिजली का उपयोग करते हैं। बिहार तथा ओडिशा में अनुसूचित जनजाति के अधिकतम परिवार मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं (विस्तृत तालिका **अनुलग्नक–4ञ** में देखें)

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता जिनके मकानों में शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा है– अनुसूचित जनजाति तथा सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.21 जनगणना, 2011 के आंकडों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर ही सभी परिवारों में 46.9% के पास की तुलना में 22.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, जिनके परिसर में शौचालय की सुविधा है। पूरे परिवारों के 0.3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 0.1 प्रतिशत परिवार अभी भी मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग करते हैं। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 49.8 प्रतिशत खुले में जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 74.7 प्रतिशत अभी भी खुले में शौच जाते हैं। राज्य स्तर पर लक्षद्वीप सबसे ऊपर स्थान पर है क्योंकि उसके (98.3%) परिवारों के पास परिसर में ही शौचालय ही सुविधा है। कुछ अन्य राज्य जिनमें अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास यह सुविधा है और इस क्रम में सबसे ऊपर मिजोरम (91.9%), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (88.2%), सिक्किम (85.9%), मणिपुर (78.4%), नागालैंड (74.8%) तथा केरल (71.4%) है। ओडिशा में अनुसूचित जनजाति परिवारों के केवल 7.1% के साथ निम्नतम स्तर पर दिखाई देता है जबकि सभी परिवार जिनके परिसर में शौचालय की व्यवस्था है वे 22% है। जम्मू और कश्मीर में सभी परिवारों के 8.9 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति के परिवारों का 5.2 प्रतिशत मनुष्यों द्वारा मैला ढोने की पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार कई अन्य राज्य जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मणिपुर और दादर व नगर हवेली में इस रीति का उपयोग किया जा रहा है।

4.22 अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों के 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों के 17.3 प्रतिशत के मकानों में स्नान घर की सुविधा है। मकानों में स्नान घर की सुविधा वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप में देखा गया है जो 96.6 प्रतिशत है तथा 3.4 प्रतिशत के साथ ओडिशा न्यूनतम स्थान पर है। ब्यौरे **अनुलग्नक–4 ट** में देखें।

जनगणना की स्थितियों के अनुसार अनुसूचित जनजातीय परिवारों का प्रतिशत जिनके पास घर हैं– अनुसूचित जनजातियों और सभी सामाजिक समूहों की तुलनात्मक तस्वीर

4.23 जनगणना 2011 के अनुसार कुल परिवारों के 53 प्रतिशत की तुलना में 40.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों को अच्छे घरों में रहते देखा गया है। अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास अच्छे मकान हैं (87 प्रतिशत) उनकी अधिकतम संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखी गई है। इस श्रेणी में सबसे नीचे ओडिशा 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों के साथ है जिनके पास अच्छे मकान हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल 28 प्रतिशत के साथ बिहार और राजस्थान प्रत्येक 31 प्रतिशत के साथ और असम 32 प्रतिशत के साथ आता है। अखिल भारतीय स्तर पर समस्त परिवार जिनके परिसर के भीतर अलग से रसोई है उनके 61.3 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजाति परिवार 53.7 प्रतिशत पर हैं। इस श्रेणी में अनुसूचित जनजाति परिवार जो अधिकतम संख्या में देखे गए हैं वे अंडमान व निकोबार (97.9%), इसके बाद नागालैंड (96.8%), लक्षद्वीप (96.6%), सिक्किम (91.7%), मेघालय (91.2%) और गोवा (90.2%) पर आता है। घर के भीतर रसोई रखने वाले

अनुसूचित जनजाति के परिवारों में सात राज्य अखिल भारतीय प्रतिशत से नीचे हैं, जिनमें निम्नतम प्रतिशत राजस्थान में है (21.1%) इसके बाद बिहार (34.4%), झारखंड (34.5%), मध्य प्रदेश (36.6%), आंध्र प्रदेश (37. 8%), उत्तर प्रदेश (43.0%) और पश्चिम बंगाल (48.2%) का स्थान आता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4 ठ** में दिए गए हैं।

पेयजल के मुख्य स्रोतों की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत

4.24 जनगणना 2011 के अनुसार, यह देखा गया है कि देश के सभी परिवारों में लगभग 47 प्रतिशत के पास उनके परिसर के भीतर पेयजल सुविधा हैं वहीं 20 प्रतिशत से कम अनुसूचित जनजातीय परिवार इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के एक तिहाई से अधिक लोगों को दूर स्थित स्रोतों से पेयजल भरके लाने में अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सभी परिवारों में केवल 18 प्रतिशत को ऐसा श्रम करना पड़ता है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्न–4ड** में दिए गए हैं। वर्ष 2001 और 2011 के दौरान पेयजल उपलब्धता के विभिन्न स्रोत दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण **तालिका 4.13** में दिया गया है।

तालिका 4.13 अजजा परिवारों के लिए पेयजल के स्रोत

(संख्या % में)

जनगणना	पेयजल स्रोत का स्थान	शोधित स्रोत से टेप नल द्वारा जलापूर्ति	हेंडपम्प	ट्यूबवेल/बोरवेल	कुआं	तालाब/पोखर/झील	नदी/नहर	स्रोत	अन्य स्रोत
2001	कुल	20.0	35.8	5.9	28.4	1.4	3.2	3.9	1.5
	परिसर के अंदर	52.4	18.2	4.2	24.3	0.7	0.0	0.0	0.4
	परिसर के नज़दीक	17.1	44.1	5.9	26.3	1.0	2.2	2.6	0.8
	दूर	8.5	28.7	6.7	34.9	2.5	6.9	8.5	3.4
2011	कुल	24.5	39.1	7.8	21.0	1.1	2.0	3.1	1.3
	परिसर के अंदर	54.1	20.9	8.8	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	परिसर के नज़दीक	22.5	46.8	7.5	18.0	1.1	1.3	2.0	0.9
	दूर	9.8	39.1	7.7	28.2	1.9	4.2	6.5	2.6

स्रोतः जनगणना 2001 तथा 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

भूमि जोत

4.25 जनवरी से दिसम्बर 2013 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 70वें चक्र में किए गए भूमि एवं पशुधन सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में परिवारों द्वारा स्वामित्व का अनुमानित कुल क्षेत्र प्रति स्वामित्व वाले 0.592 हेक्टेयर भूमि के आकार के औसत के साथ 92.369 मिलियन हेक्टेयर था। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा ग्रामीण भारत में स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के लिए 13.06 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 9.23 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.68 प्रतिशत तथा अन्य के लिए 32.03 प्रतिशत था। प्रति परिवार द्वार भू–स्वामित्व का औसत क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए 0.650 हेक्टेयर, अनुसूचित जातियों के लिए 0.272 हेक्टेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0.603 हेक्टेयर और अन्यों के लिए 0.816 हेक्टेयर था। प्रत्येक परिवार सामाजिक समूह के लिए जोत भूमि श्रेणी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परिवारों के आबंटन का ब्यौरा नीचे **तालिका 4.14** में दिया गया है।

तालिका 4.14 प्रत्येक सामाजिक समूह के परिवार के लिए भूमि जोत के आकार श्रेणी द्वारा परिवारों के समवितरण की प्रतिशतता

जोत की श्रेणी (भूमि आकार वर्ग हेक्टेयर में)	परिवार सामाजिक समूह				
	अजजा	अजा	अपिव	अन्य	सभी (संसूचित नहीं सहित)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भूमिहीन (≤ 0.002)	9.41	7.18	6.98	7.40	7.41
अत्यल्प (0.002–1.000)	68.83	85.70	75.25	70.22	75.42
लघु (1.000–2.000)	14.64	4.77	10.43	11.31	10.00
अर्ध–मध्यम (2.00–4.00)	5.74	1.84	5.12	7.18	5.01
मध्यम (4.000–10.000)	1.36	0.48	1.99	3.34	1.93
वृहत (>10.000)	0.03	0.03	0.23	0.55	0.24
सभी आकार	100	100	100	100	100

स्रोतः एनएसएस रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

4.26 परिवारों का सर्वोच्च अनुपात (75.42%) निम्न जोत वाली श्रेणी से संबंधित है और परिवारों का सबसे कम अनुपात दीर्घ जोत (0.24%) से संबंधित है। इस पैटर्न को सभी परिवार सामाजिक समूहों में देखा गया है।

4.27 **तालिका 4.15** में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि अनुसूचित जनजाति के मामले में परिवारों के मामले में परिवारों का सर्वोच्च प्रतिशत कृषि में (50.95 प्रतिशत) स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। इसके पश्चात मजदूरी/वेतनभोगी रोजगार (32.90 प्रतिशत) की श्रेणी से संबंधित है, जबकि परिवारों का सबसे कम प्रतिशत (0.75%) में स्वरोजगार प्राप्त की श्रेणी से संबंधित है। यह पैटर्न अनुसूचित जाति के अलावा सभी सामाजिक समूहों में देखा गया है।

तालिका 4.15 विभिन्न सामाजिक समूहों में परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता

सामाजिक समूह	परिवार वर्गीकरण द्वारा परिवारों के संवितरण की प्रतिशतता						कुल
	निम्नलिखित में स्वरोजगार प्राप्त				मज़दूरी/वेतनभोगी रोजगार	अन्य	
	कृषि	पशुपालन	अन्य कृषि कार्यकलाप	गैर कृषि उद्यम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अजजा	50.95	0.75	3.70	5.54	32.90	6.17	100.00
अजा	30.88	1.50	4.79	11.41	43.22	8.19	100.00
अपिव	42.58	2.17	2.81	13.44	31.23	7.77	100.00
अन्य	49.90	1.67	3.49	11.27	24.82	8.85	100.00
सभी	42.92	1.75	3.47	11.59	32.36	7.91	100.00

स्रोतः एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571 भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

4.28 **तालिका 4.16** में दी गई अखिल भारतीय स्तर पर परिवार सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार भू–स्वामित्व के संवितरण की प्रतिशतता यह संकेत करती है कि अनुमानित परिवारों की प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति (11.89%) के लिए सबसे कम है और स्वामित्व प्राप्त भूमि की क्षेत्र प्रतिशतता अनुसूचित जाति (9.23%) के लिए सबसे कम है। अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रति परिवार भू–स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र (0.650 हेक्टेयर) अनुसूचित जाति (0.272 हेक्टेयर) के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्गों (0.603 हेक्टेयर) की तुलना में उच्चतर है।

तालिका 4.16 सामाजिक समूह द्वारा प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त भूमि का संवितरण

संकेतक	अजजा	अजा	अ.पि.वि.	अन्य	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवार की प्रतिशतता	11.89	20.06	44.82	23.23	100.00
स्वामित्व प्राप्त भूमि का अनुमानित कुल क्षेत्र (एमएचए)	12.062	8.528	42.190	29.588	92.369
स्वामित्व प्राप्त भूमि के क्षेत्र की प्रतिशतता	13.06	9.23	45.68	32.03	100.00
प्रति परिवार स्वामित्व प्राप्त औसत क्षेत्र (हेक्टेयर)	0.650	0.272	0.603	0.816	0.592

• सामाजिक समूह द्वारा गैर–अभिलेखित मामले शामिल, एमएचए: मिलियन हेक्टेयर

स्रोत: एनएसएस की रिपोर्ट संख्या 571: भारत में परिवार स्वामित्व और प्रचालनात्मक जोत

रोजगार

कामगार जनसंख्या का अनुपात (डब्ल्यूपीआर)

4.29 श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा कराए गए पांचवे वार्षिक रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार सामान्य प्रधान स्थिति (यूपीएस) पहलु तथा सामान्य प्रधान एवं अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस) पहलु पर आधारित अलग–अलग सामाजिक समूहों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) **तालिका 4.17** में दिए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर, सामान्य प्रमुख स्थिति (यूपीएस) दृष्टिकोण पर आधारित डब्ल्यूपीआर सबसे अधिक 54.2% के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए था उसके बाद 50.6% के साथ अनुसूचित जाति, 47.8% के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 44.0% अन्य समुदाय के थे।

तालिका 4.17 अखिल भारत (प्रतिशत में)

पहुंच	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अपिव	अन्य
यूपीएस	50.6	54.2	47.8	44.0
यूपीएसएस	53.7	60.0	50.4	45.5

अल्प रोजगार

4.30 अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति है जहां काम के लिए लोग उपलब्ध हैं तथा उन्हें काम मिल भी जाता है, परन्तु आंशिक रूप से मिलता है। 15 वर्ष तथा ऊपर की आयु वाले कामगारों का संवितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में वे सामान्य प्रधान एवं अनुषंगी स्थिति पहलु (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं, **ग्राफ 4.8** में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि अखिल भारत स्तर पर सभी श्रेणियों के 60.6% जो संदर्भित अवधि के दौरान 12 माह के लिए काम करती है की तुलना में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति लगभग 46% है। अखिल भारत स्तर पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अल्प रोजगार सभी श्रेणियों के 35.5% की तुलना में लगभग 51.3% है।

ग्राफ 4.8 वर्ष 2015–16 के लिए 15 वर्ष तथा ऊपर की आयु के कामगारों का संवितरण जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में वे सामान्य प्रधान एवं अनुषंगी स्थिति दृष्टिकोण (पीएस़एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं।

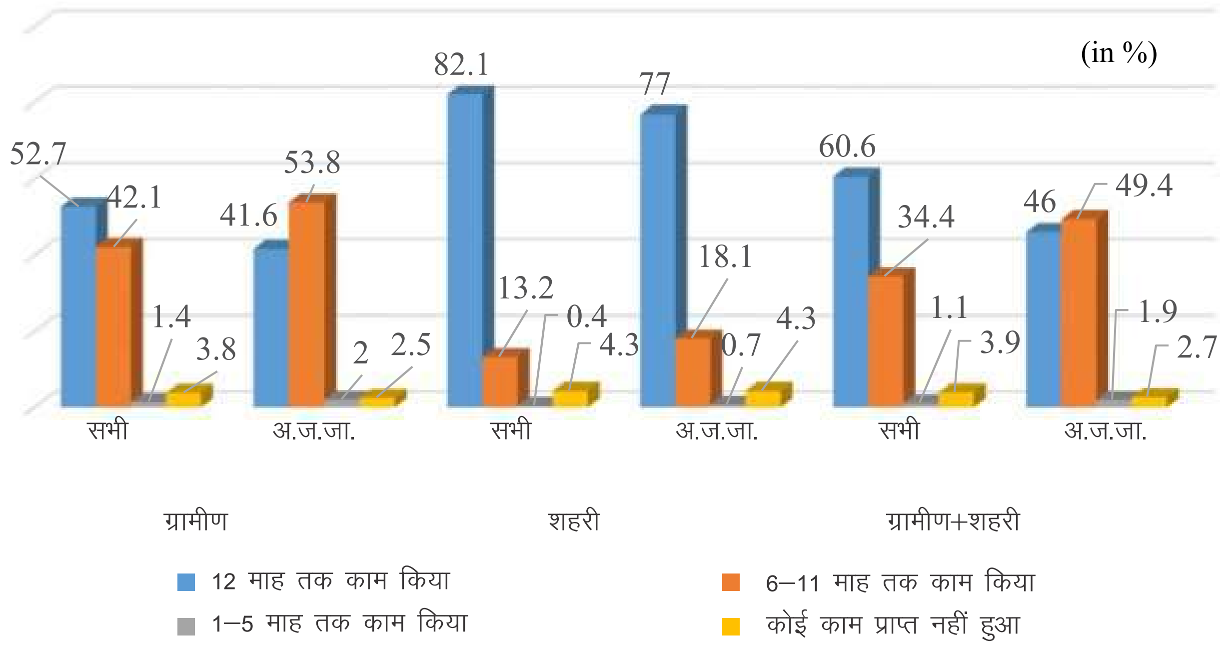

ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के 15 वर्ष तथा ऊपर के कामगार जो 12 माह के लिए उपलब्ध हैं परन्तु वास्तव में जो सामान्य प्रधान एवं अनुषंगी स्थिति पहलू (पीएस+एसएस) के अनुसार कार्य करते हैं, उनका राज्य /संघ राज्यक्षेत्र–वार संवितरण **अनुलग्नक–4ढ** में दिया गया है।

बेरोजगारी दर

4.31 बेरोजगारी दर का तात्पर्य उन व्यक्तियों का अनुपात है जो काम के लिए उपलब्ध हैं परन्तु संदर्भित अवधि के दौरान जिन्हें काम नहीं मिलता है। सामान्य प्रधान स्थिति (यूपीएस) पहलु के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए अखिल भारत स्तर पर बेरोजगारी दर 5.2% थी जो सभी चार सामाजिक समूहों में उच्चतम थी। अनुसूचित जाति तथा अन्य श्रेणी प्रत्येक के मामले में बेरोजगारी 5.0% अनुमानित की गई थी। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत न्यूनतम बेरोजगारी दर 4.4% रिकार्ड की गई थी।

सामान्य प्रधान स्थिति (यूपीएस) की परिभाषा: यूपीएस पहलु सर्वेक्षण की तिथि से पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति से संबंधित है। कार्यकलाप की स्थिति जिस पर व्यक्ति ने अवधि के दौरान सापेक्षिक रूप से लम्बा समय (183 दिन अथवा अधिक) अधिक समय बिताया है, को उस व्यक्ति की सामान्य प्रधान कार्यकलाप स्थिति माना जाता है।

सामान्य प्रधान तथा अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस): सामान्य प्रधान तथा अनुषंगी स्थिति पहलु प्रधान स्थिति का विस्तार है। यदि एक व्यक्ति पूर्ववर्ती 365 दिनों के दौरान 30 दिनों या अधिक की अवधि के लिए किसी आर्थिक कार्यकलाप में लगा है तो वह व्यक्ति इस पहलु के तहत कार्यरत माना जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विरुद्ध किए गए अपराध

4.32 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकडों के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान मध्य प्रदेश ने अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की उच्चतम संख्या (1823 मामले) रिपोर्ट किए हैं जो 27.8% इसके पश्चात 18.2% (1195 मामलों) के साथ राजस्थान तथा 10.4% (681 मामलों) के साथ ओडिशा का स्थान है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–ण** में दिए गए हैं। 2014 से 2016 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के तुलनात्मक आंकडे **तालिका 4.18** में दिए गए हैं।

अपराध शीर्ष–वार मामले दर्शाते हैं कि वर्ष 2016 के दौरान अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के प्रति अपराधों/अत्याचारों के मामलों की रिपोर्ट की गई उच्चतम संख्या 'बलात्कार' (974 मामले) है जो 14.8% है इसके

तालिका 4.18: अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध/अत्याचार

अपराध मद	अपराध घटना			अपराध दर		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
अजजा के खिलाफ अत्याचार	6827	6276	6568	6.5	6.0	6.3

पश्चात 12.7% (835 मामलों) के साथ 'महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की भावना के साथ उन पर हमला' तथा 2.5% (163 मामलों) के साथ 'अपहरण' हैं। अपराध शीर्ष–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4त** में दिए गए हैं।

4.33 मानव तस्करी मामलों (आईपीसी) संबंधी एनसीआरबी के आंकडों के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान पश्चिम बंगाल ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों की उच्चतम संख्या (3579) रिपोर्ट की है, इसके पश्चात राजस्थान (1422) तथा गुजरात (548) हैं। पश्चिम बंगाल ने मानव तस्करी की राष्ट्रीय औसत दर 0.6% की तुलना में उच्चतम दर (3.8%) रिपोर्ट की है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग से आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले **अनुलग्नक–4थ** में दिए गए हैं।

केन्द्रीकृत हस्तक्षेपों के लिए चिह्नित जिले, उप–जिले तथा समुदाय

प्राथमिकता वाले जिले

4.34 अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के कल्याण एवं विकास के लिए केन्द्रीकृत रूप में हस्तक्षेप योजना बनाने के लिए 177 प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान की गई है तथा उन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

- **प्राथमिकता 1:** 14 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित 50% या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 94 जिले।
- **प्राथमिकता 2:** 7 वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों सहित 25% या इससे अधिक किंतु 50% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले 69 जिले।
- **प्राथमिकता 3:** 25% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले शेष 14 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले।

58% अनुसूचित जनजातियां (6.10/10.45 करोड़) प्राथमिकता 1 और 2 वाले जिलों में रहती है अर्थात (94+69) जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है। 177 प्राथमिकता वाले जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक– 4द** में दिए गए हैं।

672– उप–जिले

4.35 जनगणना, 2011 के आधार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार 672 उप–जिलों को चिह्नित किया गया है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% तथा 10 हजार से अधिक है। 672 उप–जिलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4ध** में दिये गए हैं।

प्रमुख अनुसूचित जनजाति समुदाय

4.36 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदाय देश के अलग–अलग राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में फैले हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अंदर कुछ अनुसूचित जनजाति के समुदाय प्रत्येक राज्य में 5% जनसंख्या से अधिक संख्या में है। इन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार चिह्नित तथा समेकित किया गया है। 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति के समुदायों में से 111 समुदाय प्रत्येक में (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का) 5% से अधिक की संख्या में है। ये 111 समुदाय अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 803.25 लाख अर्थात् 76.8% जोड़े जाते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–4न** में दिए गए हैं।

अध्याय 5

अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित जनजातियाँ

5.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रुप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया है, अनुसूचित जनजाति माना जाएंगे।

5.2 अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विशेष से संबंधित है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति के माने जाएं।

5.3 अनुसूचित जनजातीय समुदाय विभिन्न पारिस्थितिकीय और भौगोलिक जलवायु के हालात में मैदानों और जंगलों से लेकर पहाड़ों में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। जबकि कुछ जनजातीय समुदायों ने जीवन की मुख्यधारा की शैली अपना ली है वहीं दूसरी ओर 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है (जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कहा जाता था), जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैः–

(क) कृषि–पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी;

(ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या;

(ग) बहुत ही कम साक्षरताय; तथा

(घ) अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर।

प्रमुख जनजातियां

5.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या उड़ीसा राज्य में जो कि 62 है।

जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं गैर–अनुसूचीकरणः

5.5 "अनुसूचित जनजातियां" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय के अंतर्गत भाग या समूह, जिन्हें संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां होना समझा जाता है"। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्धारण के मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5.6 संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

5.7 अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या शामिल नहीं करने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

5.8 इस प्रकार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित

अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची **अनुलग्नक–5क** में दी गई है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है।

5.9 किसी समुदाय को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं–

- आदिम विशेषताओं के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन ।

5.10 इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परन्तु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं। यह 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबधी सलाहकार समिति (लोकुर समिति), 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश (संशोधन) विधेयक 1967, (चंदा समिति), 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है।

5.11 अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची **अनुलग्नक 5–ख** में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता लगाना

5.12 जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह प्रमाणित किया जाना चाहिएः–

(i) कि वह व्यक्ति या उसके माता–पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं:

(ii) कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है;

(iii) कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) कि वह या उसके माता–पिता/दादा–दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।

(v) वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है।

5.13 वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से अर्थात् उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण दूर होता है तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति/समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है।

5.14 राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात् पैदा हुए लोगों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है, के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता–पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है।

5.15 **एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा**

(i) यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह

समुदाय अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा।

(ii) यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं कर सकता जिसमें वह बस गया है।

विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे

5.16 इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी करना

5.17 अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र जारी किए जा सकते हैंः

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप–कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप–मण्डलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्य पालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

(जो प्रथम श्रेणी के वेतनभोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों)

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों।

(iv) उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, के उप–मण्डलीय अधिकारी।

(v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)।

बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड

5.18 यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र असावधानीपूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी।

अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

5.19 किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं वे उस राज्य से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके पिता/माता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता/माता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जो एक अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाणपत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिसमें वह व्यक्ति आया है, में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि, वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतारित हुए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के विनिर्दिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनों हेतु दावों के निर्धारण के लिए प्रविधियां

5.20 जून, 1999 में सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और शामिल नहीं करने संबंधी दावों के निर्णय के लिए प्रक्रियाओं को अनुमोदित किया जिन्हें 25.6.2002 को और संशोधित किया गया। इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार केवल उन मामलों को विचारार्थ लिया जाएगा जिन पर राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (जो अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है) की सहमति होगी। जब कभी किसी राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने/उससे अपवर्जन के लिए मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो जैसा कि प्रविधियों के अनुसार है, मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आवश्यकतानुसार संबधित राज्य सरकार को उस अभ्यावेदन को सिफारिश के लिए भेज देता है। यदि संबंधित राज्य सरकार उस प्रस्ताव की सिफारिश करती है तो उसे भारत के महापंजीयक को भेज दिया जाता है। यदि भारत के महापंजीयक राज्य सरकार की सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो वह उस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं। तत्पश्चात, सरकार उस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को सिफारिश के लिए भेजती है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी सिफारिश कर देता है तो उस मामले पर मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए कार्यवाही की जाती है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपति के आदेश को संशोधित करने के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए शामिल करने/उससे अपवर्जन के मामले जिसका राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र अथवा आरजीआई, अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समर्थन नहीं करते, निरस्त कर दिए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र

5.21 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास संबंधी कार्यकलापों तथा विनियम संबंधी प्रावधानों के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण रखना अधिक आसान होता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए भूमि तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में प्रावधान संविधान की पांचवी अनूसूची तथा छठी अनुसूची में दिए गए हैं।

पांचवीं अनुसूची

5.22 संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान निहित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग–ग की धारा 6 में प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"अनुसूचित क्षेत्र – (1) इस संविधान में "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करे।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा।

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा।

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन कर सकेगा।

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर या नये राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा।

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिभाषित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा।

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे, जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप–पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"

अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के लिए मानक

5.23 पांचवीं अनुसूची के अधीन किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड निम्नलिखित

हैं–

(i) जनजातीय जनसंख्या का बाहुल्य,

(ii) सघनता तथा क्षेत्र का औचित्यपूर्ण आकार,

(iii) व्यवहार्य प्रशासनिक अस्तित्व जैसे वह जिला, ब्लाक या तालुका हो, तथा

(iv) निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए उपर्युक्त मानक संविधान में उसी रूप में तैयार नहीं किए गए हैं, परंतु ये सुस्थापित हो गए हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों की कवरेज

5.24 वर्तमान में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–5ग** में दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू कानून

5.25 संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के प्रावधान, जो अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल से संबंधित है निम्नानुसार दिए गए हैं:

"(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा, जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे और इस उप–पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकेगा, जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है।

विशिष्टतया और उसके पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम–

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का निषेध या प्रतिबंधित कर सकेंगे;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकेंगे;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप–पैरा (2) में निर्दिष्ट हैं, राज्यपाल, संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियमन का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियमन तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजातीय सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद से परामर्श नहीं कर लिया हो।"

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट

5.26 संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग क, पैरा 3 के प्रावधनों के अनुरूप ऐसे प्रत्येक राज्य के राज्यपाल जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा।

5.27 संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना को वार्षिक रूप से राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वर्ष 2009–10 के बाद से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक – 5घ** में दिया गया है।

जनजातीय सलाहकार परिषद

5.28 5वीं अनुसूची के भाग ख, पैरा 4 के प्रावधान के अनुसार, ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) स्थापित की जाएगी, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से यथासंभव निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे, जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

5.29 जनजातीय सलाहकार परिषदें (टीएसी) सभी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में गठित कर ली गई हैं। यद्यपि तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, तो भी उन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की हैं। वर्ष 2012–13 के बाद से राज्यों द्वारा आयोजित टीएसी की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक –5ङ. में दिया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए अधिसूचना

5.30 इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल रूप या संशोधित रूप में लागू है।

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	राज्यों के नाम जिनके लिए लागू है
1	अनुसूचित क्षेत्र (भाग–क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
2	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश
3	मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 (सी.ओ.30)	2.6.1951	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.50)	9.9.1955	आंध्र प्रदेश
5	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
6	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ.109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
7	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
8	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	2.12.1985	महाराष्ट्र
9	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश) आदेश, 2003 (सी.ओ.192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
10	अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 (सी.ओ.229)	11.4.2007	झारखंड

5.31 मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों का पुनर्गठन क्रमशः मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत तथा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, पूरे मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का एक भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरित हो गया और इसी प्रकार के संपूर्ण क्षेत्रफल मूल बिहार राज्य से झारखंड को अंतरित हो गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवगठित राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त होते रहेंगे, इसलिए 31 दिसम्बर, 1977

को जारी अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 (सी.ओ.109), जहां तक कि यह बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे राज्यों से संबंधित हैं, को संशोधित करना आवश्यक हो गया था। राष्ट्रपति ने 20 फरवरी, 2003 को छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नया संवैधानिक आदेश प्रख्यापित किया है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में दिनांक 11.04.2007 को अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 (संवैधानिक आदेश 229) द्वारा पुनः परिभाषित किया गया है।

छठीं अनुसूची

5.32 संविधान के अनुच्छेद 244(2) तथा 275(1) के तहत छठीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के लिए भी प्रावधान है। छठीं अनुसूची से संबंधित विषयगत मामले गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आते हैं।

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/ एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट्स तथा क्लस्टर्स

5.33 जनजातीय विकास की रणनीति जनजातीय उप–योजना के माध्यम से प्रशासनिक समर्थन तथा विकास प्रयासों के संवर्धन द्वारा जनजातीय लोगों के हितों की सुरक्षा के उपागम पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने जनजातीय सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए संस्थागत तथा प्रशासनिक उपायों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) / एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) की शुरूआत की। छठीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 10,000 जनजातीय जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत या अधित सघनता वाले छोटे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद के दौरान न्यूनतम लगभग 5,000 की कुल जनजातीय सघनता वाली आबादी वाले छोटे क्षेत्रों तथा जहां अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की सघनता 50 प्रतिशत या अधिक है, को शामिल करने के लिए क्लस्टर चिह्नित किए गए थे। भारत सरकार ने 18 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव में 193 आईटीडीपी / आईटीडीए घोषित किए हैं।

5.34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) एक अथवा अधिक विकास ब्लॉकों के आकार का क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ऐसे ब्लॉकों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक है। संपूर्ण विकास ब्लॉक/पंचायत समिति आईटीडीपी की न्यूनतम संघटन इकाई है। जिले में एक अथवा अधिक आईटीडीपी हो सकते हैं। आईटीडीपी का क्षेत्र एक से अधिक जिलों के ब्लॉकों से भी बनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में आईटीडीपी का नाम सामान्यतः इसके मुख्यालय के स्थान अथवा जिला जहां इसका मुख्यालय स्थित है, के नाम पर किया जाएगा।

5.35 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) जो जनजातीय विकास परियोजनाओं के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला संबंधित प्राधिकरण है को आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना राज्यों में ऐतिहासिक रूप से इस नाम से जाना जाता है। अतः आईटीडीए (अर्थात एजेंसी अथवा प्राधिकरण) के पास आईटीडीपी (सम्पूर्ण ब्लॉक/ पंचायत अथवा प्राधिकरण) माडा तथा क्लस्टर पॉकेट पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होना चाहिए। जिले की फैली हुई जनजातीय आबादी को भी संबंधित जिले के आईटीडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है।

5.36 संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट 10,000 या अधिक की कुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। माडा पॉकेट की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगी तथा माडा क्षेत्रों में एक से अधिक राजस्व गांवों को शामिल करते हुए गांवों में सबसे अधिक जनसंख्या के प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति के नाम पर गांव का नाम रखा जाना चाहिए।

5.37 **क्लस्टर** 5,000 की कुल जनसंख्या के अंदर जनजातीय लोगों की 50 प्रतिशत या अधिक सघनता वाले समीपवर्ती क्षेत्रों में (एक या अधिक राजस्व ग्रामों वाले) चिह्नित पॉकेट हैं। क्लस्टर की न्यूनतम संघटक इकाई गांव होगा तथा क्लस्टर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के सर्वोच्च प्रतिशत वाले गांव के नाम पर इसका

5.38 आटीडीपी/आईटीडीए, माडा पॉकेट्स, क्लस्टर्स की राज्य–वार सूची निम्नानुसार दी गई है:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या		
		आईटीडीपी/आईटीडीए	माडा पॉकेटस्	क्लस्टर
1	आंध्र प्रदेश	5	41	17
2	असम	19	-	-
3	बिहार	-	7	-
4	छत्तीसगढ़#	19	9	2
5	गुजरात#	9	1	-
6	हिमाचल प्रदेश#	5	2	-
7	जम्मू–कश्मीर	-	-	-
8	झारखंड#	14	34	7
9	कर्नाटक	5	-	-
10	केरल	7	-	-
11	मध्य प्रदेश#	31	30	6
12	महाराष्ट्र#	16	44	24
13	मणिपुर	5	-	-
14	ओडिशा#	22	46	14
15	राजस्थान#	5	44	11
16	सिक्किम	4	-	-
17	तमिलनाडु$	9	-	-
18	तेलंगाना	3		
19	त्रिपुरा*	-	-	-
20	उत्तर प्रदेश	1	1	-
21	उत्तराखंड	-	-	-
22	पश्चिम बंगाल$	12	-	1
	संघ राज्य क्षेत्र			
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	-	-
24	दमन और दीव	1	-	-
	कुल	**193**	**259**	**82**

*त्रिपुरा में कोई आईटीडीपी नहीं है। वहां त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषदें (टीटीएएडीसी) हैं। छठीं अनुसूची के प्रावधान संविधान के 49वें संशोधन द्वारा 1985 से त्रिपुरा को दिए गए थे, जैसा 2006 में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों तथा जजनातीय सलाहकार परिषदों (टीएसी) वाले राज्य।

$ केवल जनजातीय सलाहकार परिषदों वाले राज्य।

अध्याय 6

जनजातीय विकास रणनीति तथा कार्यक्रम

पृष्ठभूमि

6.1 स्वतंत्रता प्राप्ति से ही जनजातीय विकास योजनाकारों तथा नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती रहा है। ऐसा मुख्यतः उनकी परम्परागत जीवनशैलियों, अधिवासों की सुदूरता, बिखरी हई जनसंख्या तथा विस्थापन की वजह से है। जनजातियों के लोगों के त्वरित विकास के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–75) में जनजातीय उप–योजना रणनीति अपनाई गई थी। यह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के विकास के सभी क्षेत्रों में परिव्यय तथा लाभों के प्रवाह को चैनेलाइजिंग करने की परिकल्पना करती है। टीएसपी निधियां जनजातीय विकास के लिए निधियों का समर्पित स्रोत हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय संवेदनशील अंतरों को भरने हेतु विशेष रुप से तैयार की गई शैक्षिक, अवसंरचना तथा आजीविका योजनाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। प्राथमिक रुप से संबंधित लाइन मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकार टीएसपी रणनीति (अब 'अनुसूचित जनजाति घटक' (एसटीसी) के रुप में ज्ञात) के तहत अपनी संबंधित कल्याण योजनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। टीएसपी रणनीति के माध्यम से किए गए प्रयासों ने साक्षरता, स्वास्थ्य, आजीविका से संबंधित विभिन्न संकेतकों के संबंध में जनजातीय लोगों के लिए कुछ सुधार किए हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों और सभी श्रेणी समूहों के बीच मानव विकास सूचकांक में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर है।

तालिका 6.1

क्र.सं.	संकेतन	सभी	अ.ज.जा.
1	साक्षरता दर (% में) (2011)	73.00	59.00
2	स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर (कक्षा I-X) (% में) (2013–14)	47.4	62.4
3	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000) (2015–16)	40.7	44.4
4	संस्थागत प्रसूतियां (% में) (2015–16)	78.9	68.0
5	बाल टीकाकरण (संपूर्ण टीकाकरण) (% में) (2015–16)	62.0	55.8
(स्रोत : जनगणना 2011, शैक्षिक सांख्यिकी 2014 एक नजर में, एनएफएचएस–4,2015–16)			

6.2 32 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में "जनजातीय उप–योजना (टीएसपी)' निधियां (अब 'अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) के रुप में ज्ञात) हैं जो 273 अलग–अलग योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जनजातीय विकास का प्रबंध करती हैं। वर्ष 2016–17 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन 4827.00 करोड़ रुपये से 5329.32 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) तक बढ़ा है जिसे वर्ष 2017–18 में 5329.32 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) तक संशोधित किया गया है। वर्ष 2016–17 में सभी मंत्रालयों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में भी 24,005.00 करोड़ रुपये से संबंधित अवधि में 31,920.00 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। इस मंत्रालय ने अनुसूचित

जनजातियों के लिए विभिन्न विकासीय पहलों पर अपने आवंटित परिव्यय के 70% भाग को पहले ही उपयोग कर लिया है।

6.3 देश की जनजातीय जनसंख्या के विकास के लिए निधि की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति उपलब्धता (जनगणना 2011 के अनुसार) 12000/– रुपये से ऊपर है।

तालिका 6.2 : जनजातीय उप–योजना निधियां (करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-2018 (ब.अ.)
अनुसूचित जनजाति घटक	16,088	16,413	19,205	26620
केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग	86,487	95,033	104,406	114,000 लगभग
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत निधियां	3833	4550	4800	5329
कुल	**1,06,408**	**1,15,996**	**1,28,411**	**1,45,920**

ग्राफ 6.1

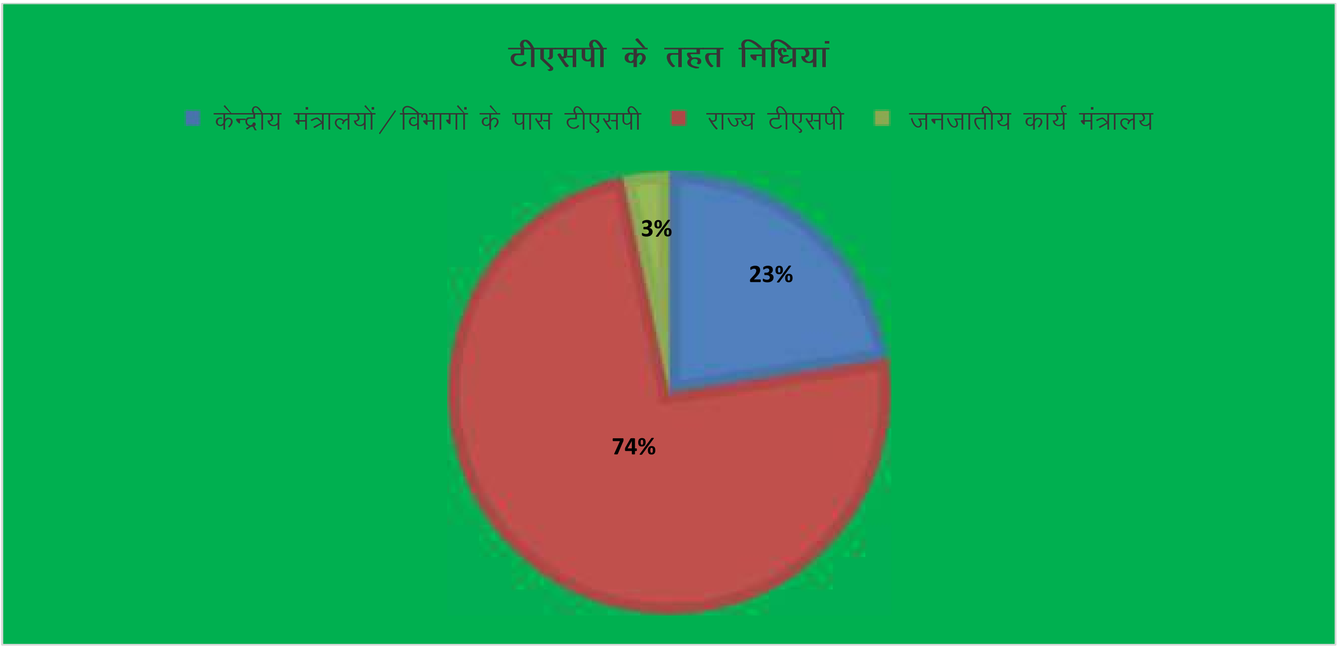

6.4 जनवरी, 2017 में कार्य आवंटन नियमावली (एबीआर) को संशोधित किया गया है जिसके द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय को नीति आयोग द्वारा तैयार रुपरेखा तथा तंत्र पर आधारित केन्द्रीय मंत्रालयों की एसटीसी निधियों की निगरानी के लिए अधिदेश दिया गया है। stcmis.nic.in वेब पते के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली लगाई गई है। यह रुप रेखा योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटनों की निगरानी, आवंटनों की तुलना में व्यय की निगरानी, वास्तविक प्रदर्शन की निगरानी तथा परिणाम की निगरानी की परिकल्पना करती है। यह रुपरेखा जवाबदेही तथा लक्षित व्यय को सुनिश्चित करने के लिए स्थान–वार ब्यौरे प्राप्त करने की भी परिकल्पना करती है। आगे, समन्वय एवं निगरानी के लिए लाइन मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं के तहत आवंटनों को निधियों के अपवर्तन की संभावना को रोकने के लिए पहले ही एक अलग बजट शीर्ष 796 आवंटित किया गया है। मंत्रालय/विभाग–वार प्रदर्शन की समीक्षा जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रुप से छमाही आधार पर की जाएगी।

6.5 दिनांक 31.12.2017 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़कें, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल आवंटित एसटीसी राशि का 73% निर्मुक्त किया जा चुका है।

राज्य टीएसपी

6.6 पूर्व के योजना आयोग ने 18 जून, 2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देशों को संशोधित किया है। दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ टीएसपी के तहत निधियों के आवंटन के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया है जो कुल योजना परिव्यय में से राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के अनुपात से कम नहीं है। दिशा–निर्देश, जनजातीय क्षेत्रों के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किए जाने तथा व्यवस्था, सेवा सुपुर्दगी के परिणामों के साथ–साथ मानकों को शामिल करते हुए सुपरिभाषित संकेतों के मसौदे की सम्पूर्ण निगरानी को पुनः अनुबद्ध करते हैं। टीएसपी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार टीएसपी के लिए चिह्नित /आवंटित की जाने वाली निधियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

i. टीएसपी के तहत व्यय, सामान्य प्रावधानों के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रुप में केवल विकास कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जो महत्पूर्ण कार्यक्रमों सहित, विभिन्न योजनाओं में अन्य लोगों की तरह, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध होना चाहिए।

ii. टीएसपी के तहत निधियां, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुपात से अधिक तथा अनुसूचित जनजाति की आबादी की समस्याओं के अनुसार कुल योजना परिव्ययों से चिह्नित की गई हैं (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं–ईएपी तथा कोई अन्य योजना के तहत निवेशों को बिना छोड़े)।

iii. निधियां वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले, कम से कम छः माह पूर्व चिन्हित की जानी चाहिए। अतः टीएसपी निधियों के आकार की सूचना प्रत्येक विभाग के लिए टीएसपी तैयार करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए सभी विभागों को दी जाएगी।

iv. जिनके पास सीधे अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए योजनाएं नही हैं, उन्हें कोई भी सांकेतिक आवंटन नहीं होगा।

v. अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिक निधियां आंवटित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. भौतिक सुदूरता तथा दुर्गम घाटियों में जनजातीय अधिवासों के कारण, सामान्य क्षेत्रों की तुलना में जनजातीय क्षेत्रों में वित्तीय मानक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सेवा मानकों से कोई समझौता न हो।

vii. प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कौशल मूल्यांकन करेंगे तथा जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए टीएसपी के तहत निधियां आंवटित करेंगे एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी एवं रोजगार के तहत निगरानी योग्य लक्ष्यों के आलोक में लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लक्ष्य कौशल विकास के माध्यम से 50 मिलियन नए काम के अवसरों का सृजन करना है।

viii. संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए अंतर क्षेत्रीय कार्यक्रमों का तालमेल अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण/अभिसरण सुनिश्चित है।

ix. नोडल विभाग के परामर्श से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विकास में निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए टीएसपी तैयार करेंगे।

x. अन्यत्र उपयोग की रोक सुनिश्चित करने के लिए टीएसपी के तहत निधियां क्रियाशील मुख्य शीर्ष /

उप मुख्य शीर्षों के तहत एक पृथक लघु शीर्ष के अंतर्गत चिन्हित की जाएंगी।

6.7 गत तीन वर्षों अर्थात 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के लिए सभी राज्य द्वारा टीएसपी निधियों का आवंटन एवं व्यय **अनुलग्नक–6क** पर दिया गया है।

6.8 योजना तथा गैर–योजना के विलय के पश्चात वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2016 में केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों के निर्धारण के लिए नीचे **तालिका 6.3** के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया है।

तालिका 6.3

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग का नाम	वित्त मंत्रालय के अनुसार एसटीसी के तहत निधियों का निर्धारण (% में)
1	दूरसंचार विभाग	0.3
2	कपड़ा मंत्रालय	1.2
3	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय	1.3
4	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1.4
5	आयुर्वेद, योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय	2.0
6	संस्कृति मंत्रालय	2.0
7	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2.4
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2.5
9	पर्यटन मंत्रालय	2.5
10	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3.5
11	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	3.6
12	खान मंत्रालय	4.0
13	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.7
14	उच्चतर शिक्षा विभाग	7.5
15	कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग	8.0
16	कोयला मंत्रालय	8.2
17	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.2
18	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	8.2
19	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8.2

20	खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय	8.2
21	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.2
22	पंचायती राज मंत्रालय	8.2
23	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	8.2
24	श्रम एंव रोजगार मंत्रालय	8.2
25	भूमि संसाधन विभाग	10.0
26	पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय	10.0
27	विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	10.7
28	ग्रामीण विकास विभाग	17.5
29	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	27.0
30	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.0
31	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई
32	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	

6.9 वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक टीएसपी निधियों के मंत्रालय / विभाग–वार आवंटन के ब्यौरे **अनुलग्नक –6ख** पर दिए गए ।

6.10 केन्द्रीय टीएससी के लिए दिशा–निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- मंत्रालयों / विभागों को अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, अंतरों का आंकलन करना तथा अन्तरों को भरने के लिए योजनाओं को उन्मुख करना है।
- टीएसपी के तहत तैयार की गयी योजनाएं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों / परिवारों /अधिवासों को प्रत्यक्ष तथा मात्रात्मक लाभ देनी चाहिए।
- दर्शायी गयी प्रतिशतता को केवल न्यूनतम तथा निम्न प्रतिशतता के रुप में माना जाए।
- टीएसपी के तहत 8.2 प्रतिशत से अधिक चिन्हित करने की बाध्यता वाले मंत्रालयों / विभागों में टीएसपी इकाई के मुखिया के रुप में पूर्ण कालिक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो सकता है।
- नोडल इकाइयों जिनकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव (आयोजना) अथवा आर्थिक सलाहकार द्वारा की जानी है सभी मंत्रालयों / विभागों में स्थापित किए जायें जो आवश्यक पूर्णकालिक समर्थकारी स्टाफ के साथ एससीएसपी तथा टीएसपी के तहत चिन्हित करने के लिए बाध्य हैं।

जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)

6.11 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) भारत सरकार से (वर्ष 1977–78 से अब तक), 100 प्रतिशत अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर प्रभारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदान के अलावा, एक मतदान मद) तथा जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए एक योगदान है। यह अनुदान आईटीडीपी, आईटीडीए, माडा, कलस्टर, पीवीटीजी और फैली हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। टीएसएस को एससीए 23 राज्यों को कवर करता है : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान,

सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

6.12 टीएसएस को एससीए के उद्देश्य है :

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी पहुंच को बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास।
- आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों/स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर जीवन गुणवत्ता (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य योजनाओं के तहत ज्यादातर कवर किया जाना है)।
- गरीबी और बेरोजगारी में काफी कमी, उत्पादनशील परिसंपत्ति और आय सृजनकारी अवसरों का निर्माण।
- अन्य क्षेत्रों के समान अवसरों को हासिल करने, अधिकार और अधिकार–पत्र प्राप्त करने और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्षमता की वृद्धि।
- शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा।

6.13 मुख्यतः गैर–आवर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों (कम–से–कम 3 वर्ष की जीवन अवधि वाले अवसंरचना और उपकरणों सहित) को इन योजनाओं के तहत सहायता दी जाती है। आवर्ती घटक राज्य निधियों/टीएसपी आवंटन द्वारा वहन किए जाते हैं। समान आजीविका पद्धति/परपंरागत व्यवसाय वाले अ.ज.जा. समुदाय (अर्थात जनजातीय पारिवारिक अर्थ–व्यवस्था के लिए समान आय स्रोत) का टीएसएस को एससीए के तहत आयोजना के उद्देश्य से एक साथ मिला देना चाहिए। सड़क संपर्क, बिजली, पेय–जल, मुख्य सिंचाई परियोजना, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों में राज्य योजना निधियों के मुख्य भाग में दिए जाने के कारण टीएसएस को एससीए के तहत निधियन के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। टीएसएस को एससीए के तहत निधियों की स्वीकृति के लिए विचार किए जाने वाले क्रियाकलापों की विस्तृत सूची **अनुलग्नक–6ग** में दी गई है।

6.14 1350.00 करोड़ रुपये (बजट अनुमान), जो वर्ष 2017–18 के लिए 1325.00 (संशोधित अनुमान), तक संशोधित किया गया, की तुलना में 31.12.2017 तक टीएसएस को एससीए के तहत 1123.72 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 2007–08 से 2017–18 (31.12.2017 तक) निधियों की राज्य–वार निर्मुक्ति **अनुलग्नक–6घ** पर है। 2002–2003 से 2017–18 तक टीएसपी को एससीए के तहत निधियों की निर्मुक्ति **ग्राफ–6.2** में दी गई है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों की निर्मुक्ति **ग्राफ 6.3** पर दी गई है।

ग्राफ 6.2

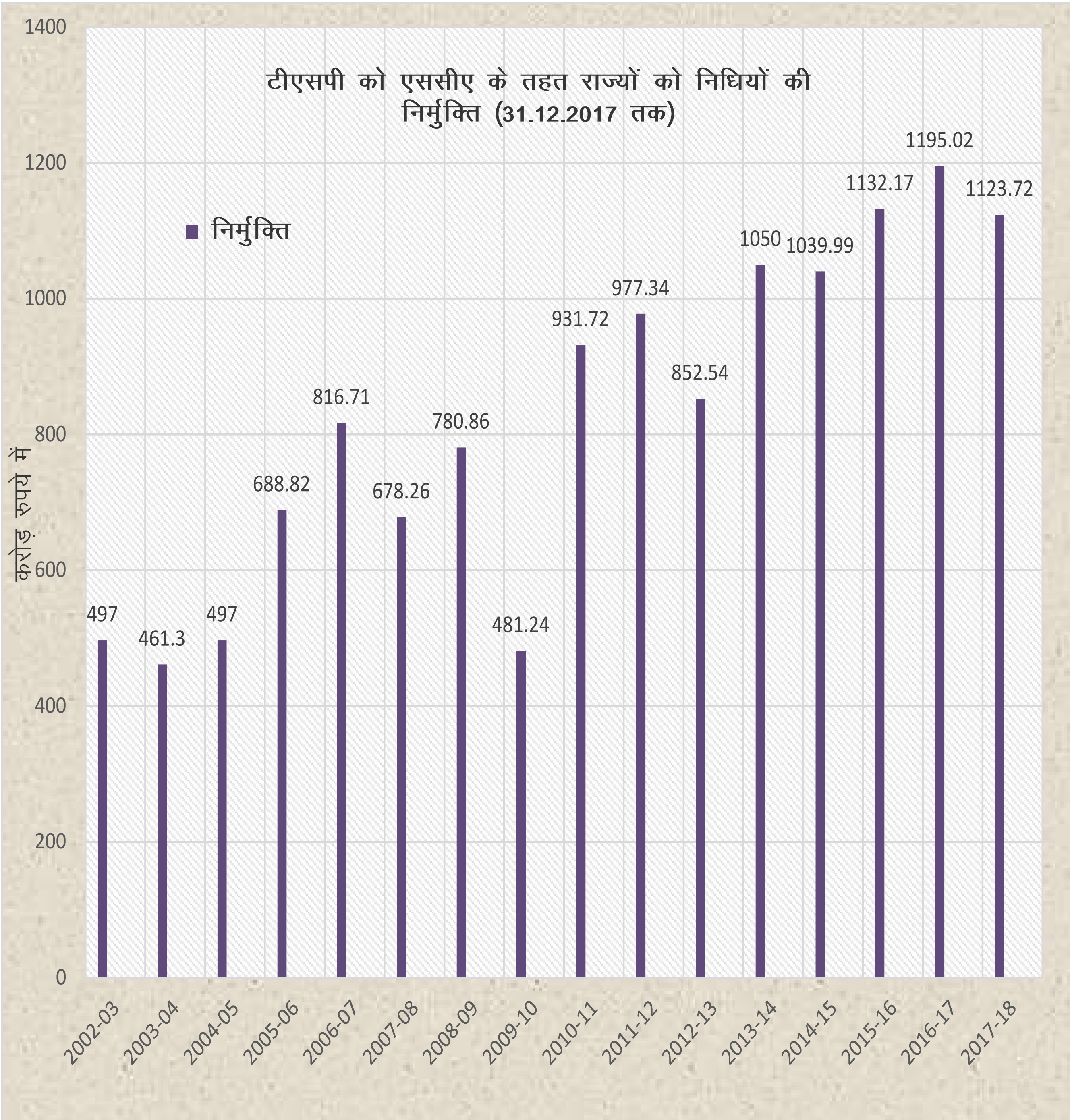

वित्तीय वर्ष

ग्राफ 6.3

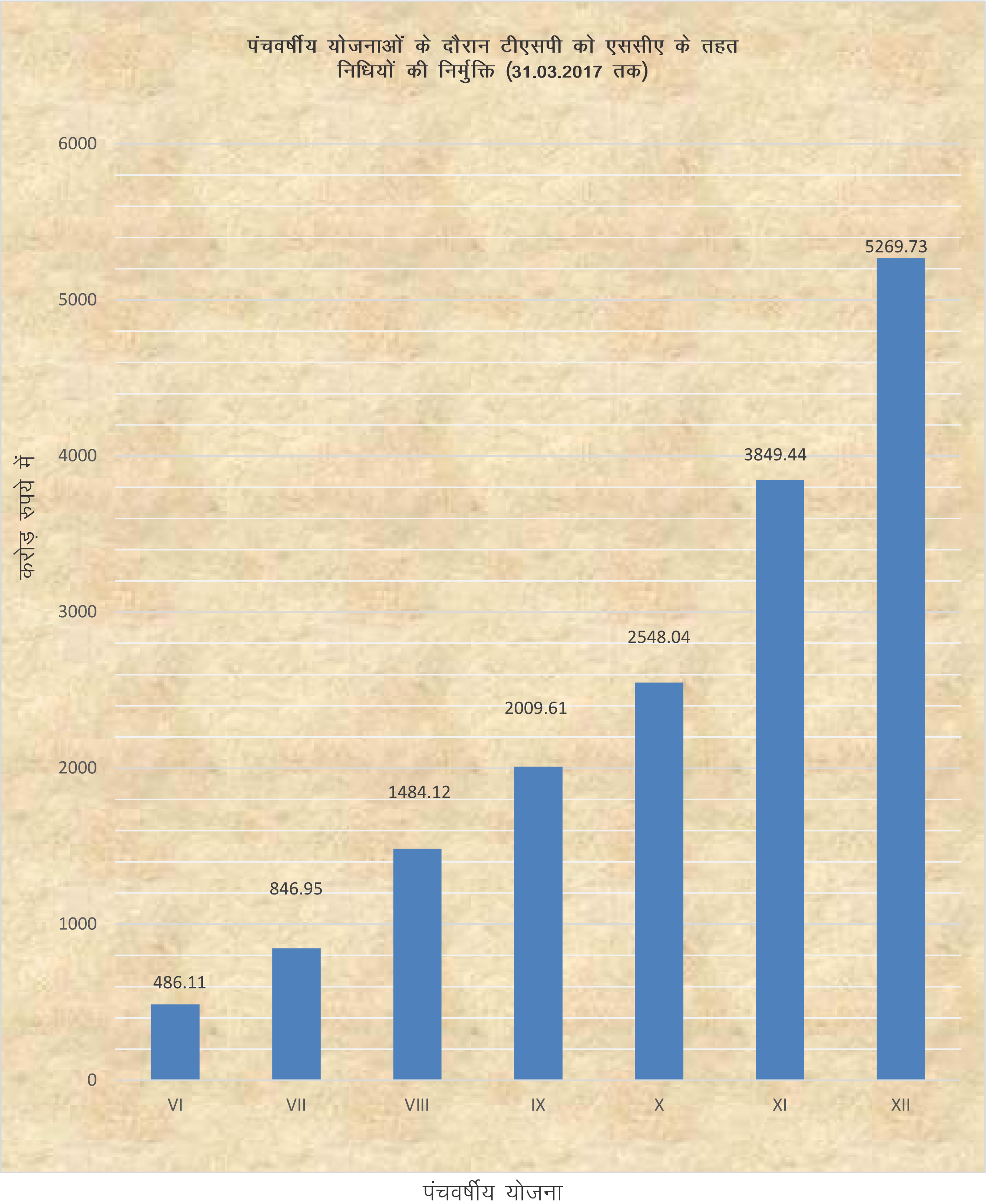
पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान टीएसपी को एससीए के तहत
निधियों की निर्मुक्ति (31.03.2017 तक)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
करोड़ रुपये में
486.11
846.95
1484.12
2009.61
2548.04
3849.44
5269.73
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
पंचवर्षीय योजना

6.15 अगले तीन महीनों अर्थात जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 के दौरान संभावित व्यय 201.28 करोड़ रुपये हो सकता है।

परियोजना अंकलन समिति (पीएसी)

6.16 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में टीएसपी को एससीए तथा अनुच्छेद 275(1) अनुदान के तहत राज्य सरकारों की परियोजनाओं के अंकलन एवं अनुमोदन के लिए परियोजना अंकलन समिति (पीएसी) का तंत्र आरम्भ किया गया है। समिति की अध्यक्षता राज्य सरकारों, वित्तीय सलाहकार, योजना आयोग आदि के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (जनजातीय कार्य) द्वारा की जाती है। वर्ष 2017 के दौरान राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए करीब 28 पीएसी बैठके आयोजित की गई।

6.17 परियोजना अंकलन समिति (पीएसी) का गठन निम्नानुसार है:

1	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3	संबंधित राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, आयुक्त जनजातीय विकास/सामाजिक कल्याण और योजना विभाग (विशेष रूप से जनजातीय विकास के साथ कार्यरत)	सदस्य
4	वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5	सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
6	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव	सदस्य
7	निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य संयोजक

वनबंधु कल्याण योजना

6.18 यह सुनिश्चित करने के विचार से कि जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) और अन्य स्रोतों के तहत उपलब्ध निधियां और संसाधन उचित तालमेल को प्रभावित करते हुए जनजातीय लोगों के समग्र विकास की ओर परिणाम आधारित दृष्टिकोण के साथ की जाए, भारत सरकार ने वर्ष 2014–15 के दौरान "वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई)" नामक एक उपागम आरंभ किया है। वनबंधु कल्याण योजना, 14 विषय गत क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है जो इस प्रकार हैं: गुणवत्तापरक एवं निरंतर रोजगार, गुणवत्तापरक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा पर बल, जनजातीय क्षेत्रों का तीव्र आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, आवास, सभी के घर तक सुरक्षित पेयजल, क्षेत्र के अनुकूल सिंचाई सुविधाएं, निकटवर्ती कस्बों/शहरों तक संपर्क के साथ सभी मौसम वाली सड़कें, बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता, शहरी विकास, निरंतरता के साथ विकास को गति देने के लिए प्रबल संस्थागत तंत्र, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन एवं संरक्षण, जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना और सुरक्षा।

6.19 वर्ष 2014–15 में, वनबंधु कल्याण योजना के तहत 100.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसे अनुसूचित क्षेत्रों वाले 10 राज्यों को जारी किया गया था। वर्ष 2015–16 के दौरान 21 राज्यों को उनकी भावी योजना के आधार पर 200.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2016–17 में, केवल 1.00 करोड़ रुपये का टोकन प्रावधान किया गया था तथा जिसे राजस्थान राज्य सरकार को जारी किया गया था। अब वनबंधु कल्याण योजना एक रणनीतिक प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध टीएसपी निधियों से पूरे किये जा रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान

6.20 मुख्य विशेषताएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100 प्रतिशत वार्षिक अनुदान है। इसका भुगतान भारत की समेकित निधि से किया जाता है (पूर्वोत्तर राज्यों, श्रेणी निर्धारित मद के लिए अनुदानों को छोड़कर) और जनजातीय कल्याण के लिए राज्य योजना निधियों एवं प्रयासों के लिए योगदान है।

6.21 कवरेज

27 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल को अनुदान प्रदान किया जाता है।

आईटीडीए, माडा, कलस्टर और पीवीटीजी के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निधियों का उपयोग किया जाता है।

6.22 मूल उद्देश्य

(i) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनकी पहुंच बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास,

(ii) जनजातीय क्षेत्रों/स्थानों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर जीवन की गुणवत्ता,

(iii) गरीबी और बेरोजगारी में काफी कमी तथा उत्पादनशील परिसंपत्तियों और आय सृजनकारी अवसरों का निर्माण,

(iv) अन्य स्थानों के समान अवसर प्राप्त करने की बढ़ी हुई क्षमता, अधिकार और हक और बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने, तथा

(v) शोषण और दमन के विरुद्ध सुरक्षा।

6.23 आवंटन के लिए मानदंड

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 27 राज्यों के बीच निधियों का अंतर्राज्यीय आवंटन संबंधित राज्यों के राज्य में अजजा जनसंख्या, शामिल जनजातीय क्षेत्र और परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

25 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जनजातियों वाले जिलों (जिले की जनसंख्या का) पर जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 25 प्रतिशत अथवा अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (जनगणना 2011 पर आधारित) वाले 177 जिलों की सूची **अनुलग्नक–4द** में दी गई है। इसमें वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) गतिविधियों द्वारा प्रभावित जिले (जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम 25 प्रतिशत से भी कम है) भी शामिल हैं।

प्राथमिक रूप से, अनावर्ती प्रकृति के क्रियाकलापों को (कम से कम तीन वर्षों की जीवन अवधि वाले उपकरण और अवसंरचना सहित) इन योजनाओं के तहत समर्थन दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं के आवर्ती घटक के लिए निधि का वहन राज्य निधियों/टीएसएस आवंटन द्वारा किया जाता है। सड़क संपर्क, बिजली, पेयजल, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, आवास जैसे प्रमुख अवसंरचना वाले क्षेत्र को अनुच्छेद 275(1) के अनुदानों के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाता, क्योंकि राज्य योजना निधियों का बड़ा हिस्सा इन कार्यक्रमों में जाता है।

6.24 संस्थागत संरचना

(i) राज्य स्तर पर, शीर्ष स्तरीय समिति (एएलसी) अथवा जनजातीय परामर्शदात्री समिति (टीएसी) अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष के रूप में नोडल विभाग के मंत्री के साथ गठित होनी चाहिए। यह छह महीने में एक बार बैठक करेगी।

(ii) कार्यकारी समिति अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव

और इसके सदस्यों के रूप में सभी लाइन विभागों के प्रमुख सचिव तथा सदस्य सचिव के रूप में नोडल विभाग के प्रमुख सचिव के साथ गठित होनी चाहिए। यह तीन महीने में एक बार बैठक करेगी।

(iii) जिला आयोजना और निगरानी समिति (डीपीएमसी) इसके अध्यक्ष के रूप में जिलाधीश तथा सचिव के रूप में आईटीडीपी/आईटीडीए के परियोजना अधिकारी, इसके सदस्यों के रूप में संबंधित लाइन विभागों के जिला स्तर के अधिकारियों के साथ गठित होनी चाहिए।

6.25 2017–18 के लिए बजट

तालिका 6.4 (करोड़ रुपये में)

	बजट अनुमान 2017–18	निर्मुक्त (31.12.2017 तक)	प्रत्याशित निर्मुक्ति (01.01.2018 से 31.3.2018)
अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	1500.00	1259.94	240.06

*प्रशासनिक व्यय सहित

वर्ष 2017–18 के दौरान (31.12.2017 तक) निधियों की राज्य–वार निर्मुक्ति **तालिका 6.1** में दी गई है। वर्ष 2007–08 से 2017–18 के दौरान (31.12.2017 तक) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत निधियों की राज्य–वार निर्मुक्ति दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–6ड.** पर दिया गया है। 2007–08 से 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान निधियों का वर्ष–वार आवंटन और निर्मुक्ति तथा गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति क्रमशः **ग्राफ 6.4 और ग्राफ 6.5** में दिया गया है:

ग्राफ 6.4: 31.12.2017 तक अनुच्छेद 275 (1) के तहत निधियों का आवंटन (ब.अ.) तथा निर्मुक्ति (वर्ष 2007–08 से 2017–18 के दौरान)।

(करोड़ रुपये में)

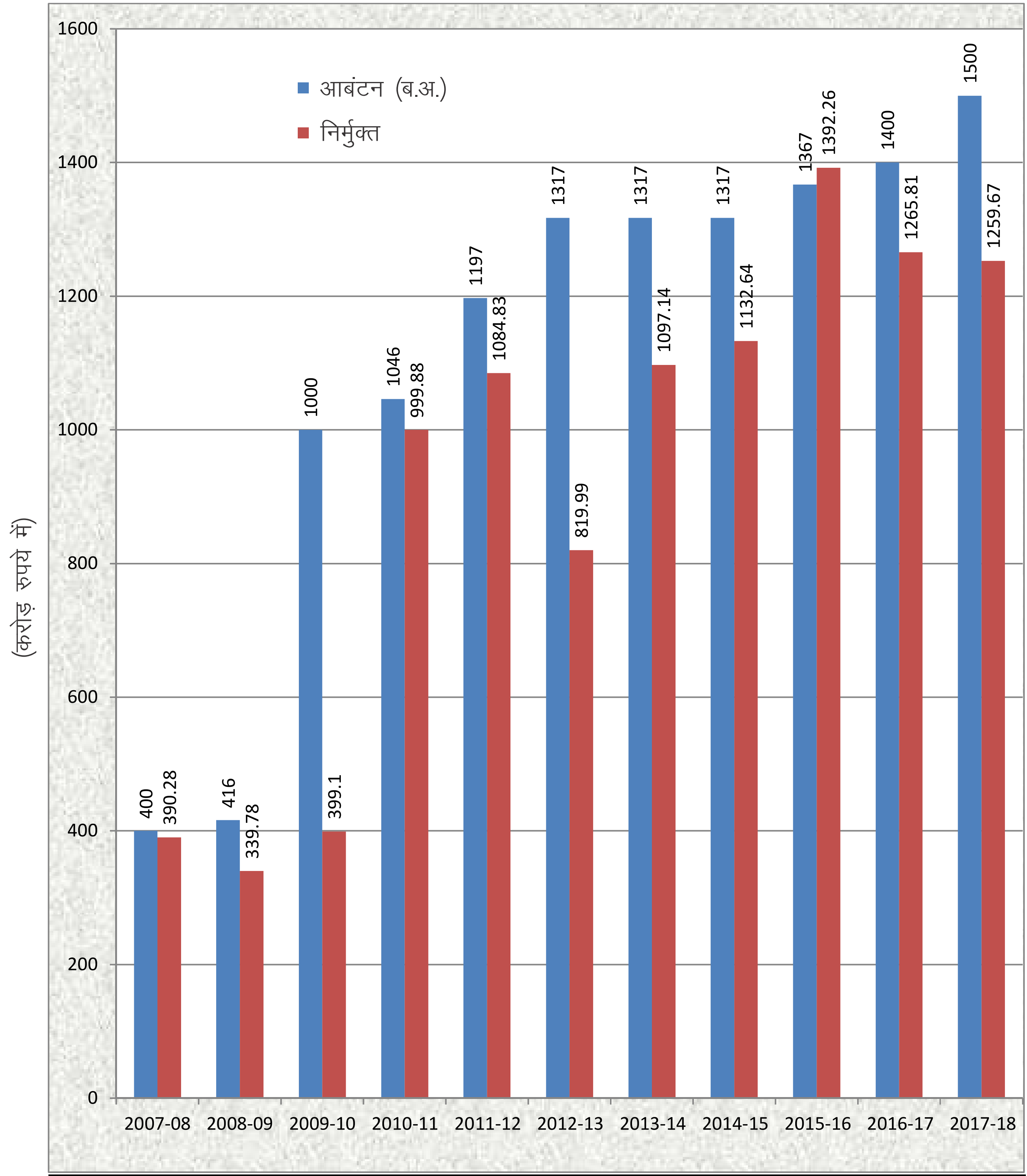

ग्राफ 6.5: गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत आवंटन (ब.अ.) और निधियों की निर्मुक्ति 31.03.2017 तक

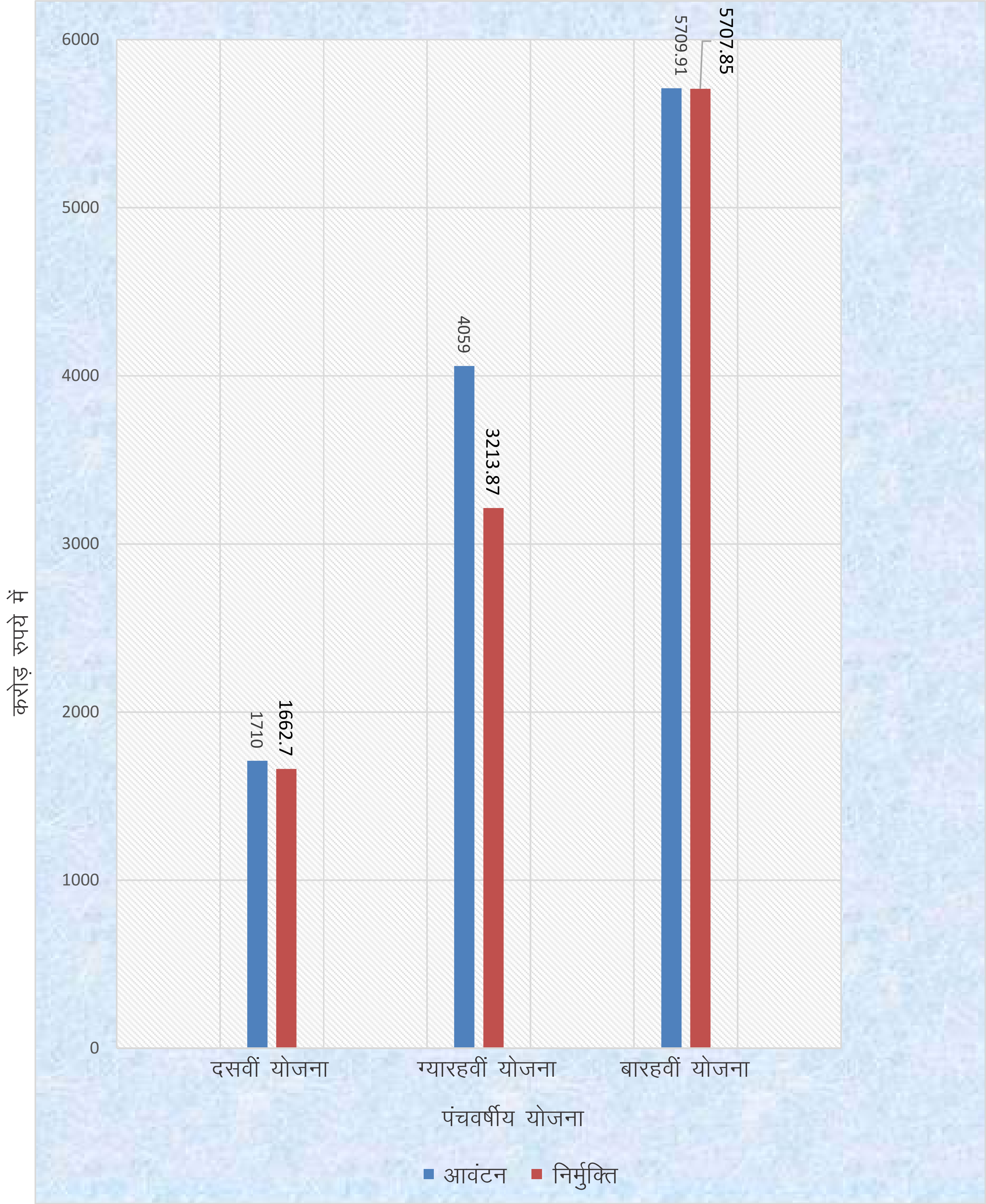

6.26 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी), जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालयों की पद्धति पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) प्रत्येक विद्यालय 480 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ स्थापित किये गये हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक मिडिल एवं उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, उनको न केवल उच्च एवं सार्वजनिक और निजी व सरकारी क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में समर्थ बनाना है बल्कि गैर–अनुसूचित जनजाति के बराबर शिक्षा में उत्तम अवसर उपलब्ध कराना भी है।
- ईएमआरएस की स्थापना के लिए कम से कम 15 एकड़ भूमि अपेक्षित है और अकादमिक शिक्षा और पाठ्येतर गतिविधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेहतर ढांचागत सुविधाएं देना भी आवश्यक है। स्कूल भवन के अतिरिक्त खेल कूद के लिए जगह, विद्यार्थी कम्प्यूटर लैब, अध्यापक संसाधन कक्ष इत्यादि की व्यवस्था भी ईएमआरएस में इस दृष्टि से की गई है कि विद्यार्थियों के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाया जा सके ताकि वे अपनी रूचि के क्षेत्रों में उभरने के लिए अवसरों का उपयोग करें। स्थापित मानदण्डों के अनुसार केवल 60 विद्यार्थी प्रति कक्षा को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसमें 30 विद्यार्थी प्रति कक्षा छठी से दसवीं कक्षा तक होंगे और प्रति कक्षा 90 विद्यार्थी 3 भागों में होंगे विज्ञान वाणिज्य और मानविकी विषयों में कक्षा XI और XII में 30 विद्यार्थी एक कक्षा में अनुमत्य हैं। यह भी अपेक्षित है कि राज्य सरकारें अध्यापकों और अकादमिक तथा पाठ्येतर गतिविधियों के लिए स्टाफ के चयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें और बनाए रखें।
- ईएमआएस दिशा–निर्देश 2010 के अनुसार, प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) में कम से कम एक ईएमआरएस स्थापित किया जाना है। छात्रावासों और कर्मचारियों के क्वार्टर सहित, स्कूल परिसर की स्थापना की पूंजीलागत पर्वतीय क्षेत्रों, मरूस्थलों और द्वीपों में 16.00 करोड़ रुपये तक जाने के प्रावधानों के साथ 12.00 करोड़ रुपये चिन्हित की गई है। स्कूल के लिए प्रथम वर्ष के दौरान आवर्ती लागत महंगाई की क्षतिपूर्ति आदि के लिए प्रत्येक दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाने के प्रावधान के साथ, प्रति बच्चे 42000/– रुपये की दर से होगी।
- आज की तारीख में देश के विभिन्न भागों में मंत्रालय द्वारा 271 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 190 ईएमआरएस पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और 81 निर्माणाधीन हैं। भारत में ईएमआरएस **चित्र–6.1** में दिए गए मानचित्र में दर्शाए गए हैं।
- अब तक मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ईएमआरएस की राज्य–वार सूची और वर्तमान में इनमें से कार्यरत ईएमआरएस की स्थिति **अनुलग्नक–6च** में दी गयी है। दिनांक 31.12.2017 तक वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य सरकारों को आवर्ती और अनावर्ती निधियों की निर्मुक्ति का विवरण **अनुलग्नक–6छ** में दिया गया है।

चित्र 6.1: भारत में ईएमआरएस

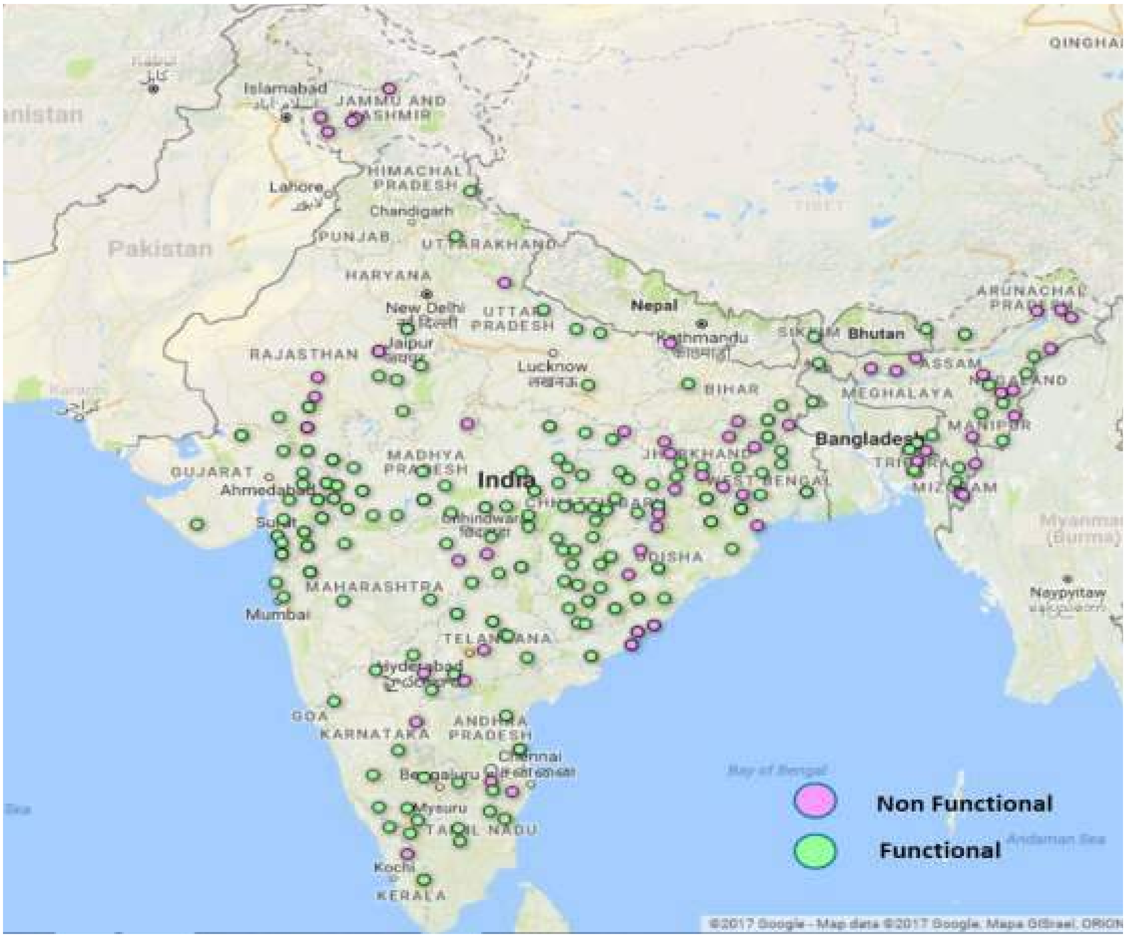

ईएमआरएस लुमला, तवांग, अरूणाचल प्रदेश

बास्केटबॉल चौम्पियन–ईएमआरएस गंगायप, सिक्किम की बालिकाएं

ईएमआरएस कलसी, देहरादून, उत्तराखंड

योग क्लास के दौरान ईएमआरएस जगना, गुजरात के विद्यार्थी

ईएमआरएस नगरकाटा पश्चिम बंगाल के मार्चिंग दस्ते ने राज्य स्तर पर गणतंत्रता दिवस मार्चिंग, 2018 में सर्वोत्तम मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया

अध्याय 7

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

पृष्ठभूमि

7.1 वन कई जनजातीय लोगों तथा अन्य वन समुदायों के लिए आजीविका, पहचान, रीति–रिवाज तथा परंपरा के स्रोत हैं। पीढ़ियों से वनों में रह रही वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी सदियों से वन भूमि के अधिभोक्ता रहे थे। तथापि, वन की पारिस्थितिकी पद्धति की उत्तरजीविता एवं स्थिरता के बावजूद उनके पूर्वजों की भूमि तथा उनके आवास पर उनके अधिकारों को पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई थी। भूतकाल में, राज्य वनों के समेकन के दौरान दोषपूर्ण आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के परंपरागत अधिकारों एवं हितों को न तो मान्यता दी गई थी और न ही इन्हें दर्ज किया गया था।

7.2 वन निवासी जनजातीय लोग तथा वन अविभाज्य हैं, तथ्य है कि जनजातीय लोगों के बहुत से लोकाचार से पारिस्थितिकी स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। वन निर्माण के लिए संरक्षण प्रक्रिया तथा वानिकी उत्पादन हेतु वनक्षेत्र में, जहां जनजातीय समुदाय प्रमुख रूप से रह रहे हैं, वैधानिक ढांचे से जनजातीय समुदाय की वास्तविक रुचि को किसी तरह नजर–अंदाज कर दिया गया है। जन–जातियों की सादगी तथा उनकी आधुनिक नियामक ढांचे की सामान्य अज्ञानता, जिन क्षेत्रों से वे संबंधित हैं तथा जिन पर निर्भर हैं, उन्हें संसाधानों के वास्तविक दावे पर जोर नहीं देने देती। आधुनिक संरक्षण संबंधी दृष्टिकोण भी एकीकरण के बजाय अपवर्जन की वकालत करता है। यह बहुत बाद में हुआ कि वन प्रबंधन तंत्र ने वन निवासियों के कब्जे तथा अन्य अधिकारों को मान्यता देने के लिए कार्रवाई शुरु की और इन्हें प्रबंधन के स्वरुप में शामिल किया। भूमि जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे तथा सम्पन्न थे, वहां से निष्कासन का डर व अवधि की असुरक्षा ही जनजातीय समुदायों के भावनात्मक रूप के साथ–साथ वास्तविक रूप से वनों और वन भूमि से विस्थापित होने का शायद सबसे बड़ा कारण था। इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की आवश्यकता है और इसलिए, सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है, जिसे सामान्यतरू वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के रुप में जाना जाता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिनांक 01.01.2008 को नियमों की अधिसूचना के साथ अधिनियम प्रचालन में आया है।

7.3 अधिनियम, वन अधिकारों की 'मान्यता' देने की व्यवस्था से आगे जाता है और वन अधिकार धारकों, ग्राम सभाओं, स्थानीय संस्थाओं को किसी भी समुदाय के वन स्रोतों, जिनका वे परंपरागत रूप से निरन्तर उपयोग करते रहे हैं, उनकी रक्षा, पुनः सृजन, संरक्षण तथा प्रबंधन का अधिकार देता है। संसाधन प्रशासन में अपने आप यह एक निर्णायक उपाय है। जनजातीय लोगों तथा वन निवासियों के आंदोलनों के इतिहास में इसे मील का पत्थर होने के साथ यह अधिनियम, सतत उपयोग तथा संरक्षण के लिए वनों को प्रशासित करने के लिए उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को सरल बनाने की व्यवस्था है। ठीक इन्हीं कारणों से, प्रतिमान में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विशेष रुप से राज्य सरकारों द्वारा कड़े सकारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया है।

वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

7.4 वन अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं:–

(1) अधिनियम की धारा 3 में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, जो वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों पर लागू होंगे। ये वन अधिकार हैं:

(क) वन निवासी अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका हेतु निवास या स्व–कृषि हेतु व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वन भूमि पर कब्जा करने तथा वहाँ रहने का अधिकारय

(ख) सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, जिस भी नाम से जाना जाता हो सहित भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी या ऐसे अंतरवर्ती राज्यों में प्रयुक्त अधिकार।

(ग) लघु वन उत्पाद के स्वामित्व, इन्हें एकत्रित करने, इनके उपयोग तथा निपटान का अधिकार जिसे गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्र किया गया है।

(घ) सामुदायिक अधिकार जैसे मछली तथा जल निकायों के अन्य उत्पादों, चराई (स्थायी या मौसम के अनुसार स्थान बदलने वाले) और घुमंतू या चरवाहा समुदायों की परंपरागत मौसमी संसाधन तक पहुंच।

(ड.) आदिम जनजातीय समूहों तथा कृषि पूर्व समुदायों के लिए अधिवास तथा आवास के कार्यकाल सहित अधिकार।

(च) लंबित दावों वाले किसी भी राज्य में किसी नामावली के तहत विवादित भूमि में अथवा पर अधिकार।

(छ) अधिकार पत्रों के लिए वन भूमि पर किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पट्टों के परिवर्तन या लीज या अनुदानों के लिए अधिकार।

(ज) सभी वन गांवों, पुराने निवास स्थान, गैर–सर्वेक्षित गावों तथा वनों में अन्य गावों के निपटान तथा परिवर्तन का अधिकार चाहे राजस्व गांवों में रिकार्ड किया गया हो, अधिसूचित किया गया हो या न किया गया हो।

(झ) किसी समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, पुनरू उत्पन्न करने सुधार या संरक्षण का अधिकार जिसे वे सतत उपयोग के लिए परंपरागत रुप से सुरक्षित तथा संरक्षित कर रहे हैं।

(ञ) अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वायत्त जिला परिषद् के विधि या स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद् के तहत मान्यता प्राप्त हो या किसी राज्य के संबंधित जनजातियों के किसी परंपरागत या प्रत्यायन विधि के तहत जनजातीय लोगों के अधिकार के रुप में स्वीकृत हो।

(ट) जैव–विविधता तक पहुंच का अधिकार एवं बौद्धिक संपदा तथा जैव–विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार।

(ठ) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा परम्परागत रूप से प्राप्त कोई अन्य परम्परागत अधिकार जैसा भी मामला हो जिसका उल्लेख खण्ड (क) से (ट) में नहीं किया गया है, परन्तु उनमें जंगली जानवर की किसी भी प्रजाति का शिकार करने या पकड़ने या शरीर के एक हिस्से को निकालने के परम्परागत अधिकार को छोड़कर।

(ड) वैकल्पिक भूमि, जहां अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को अवैध रुप से बेदखल किया गया है या 13 दिसंबर, 2005 से पहले उनके पुनर्वास की कानूनी हकदारी प्राप्त किए बिना वन भूमि से विस्थापित किया गया है, के मामले सहित पुनर्वास के बदले में अधिकार।

(2) इस अधिनियम की धारा 3(2) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में दिए गए किसी प्रावधन के बावजूद सरकार द्वारा प्रबंधित कुछ सुविधाओं के लिए वन भूमि के विपथन हेतु प्रावधन है तथा जिसके तहत प्रति हेक्टेयर 75 वृक्षों से अधिक नहीं गिराए जाने चाहिएं और इस उद्देश्य के लिए विपथित की जाने वाली वन भूमि का एक हेक्टेयर से कम होना तथा ऐसी विकास परियोजना की क्लीयरेंस की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा दिया जाना शामिल है।

(3) इस अधिनियम की धारा 4(1) किसी समय लागू किए जाने हेतु किसी अन्य कानून में दिए गए किसी प्रावधन के बावजूद वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है तथा इन्हें प्रदान करता है।

(4) अधिनियम की धारा 4(2) में वन्य जीव संरक्षण हेतु अक्षत क्षेत्र सृजित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों में वन अधिकारों के संशोधन या पुनरूस्थापन हेतु प्रावधान है, जिसमें विचारार्थ सभी क्षेत्रों में अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया पूरी करने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है, जैसी शर्तों के अधीन है, यह सुस्थापित है कि वर्तमान अधिकार धारकों की गतिविधियां या प्रभाव वन्य जीवों तथा उनके आवास को अपरिवर्तनीय हानि तथा उनके अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगे, संबंधित ग्राम सभाओं की मुक्त एवं संसूचित स्वीकृति प्राप्त की गई है, पुनरूस्थापन या वैकल्पिक पैकेज तैयार कर लिए गए हैं तथा भेज दिए गए हैं जो प्रभावित व्यक्यिों तथा समुदायों के लिए एक सुरक्षित आजीविका प्रदान करते हैं तथा ऐसे प्रभावित परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो संगत कानूनों और केन्द्र सरकार की नीतियों में दी गई हैं तथा पुनरूस्थापन स्थल पर सुविधाओं और भूमि आबंटन के पूरा हो जाने के उपरांत ही पुनरूस्थापन किया जाना चाहिए। यह प्रावधन भी किया गया है कि महत्वपूर्ण वन्य जीव आवासों जहां से अधिकार धारकों को पुनःस्थापित किया गया है, को किसी अन्य उपयोग के लिए बाद में पुनः बदला नहीं जाएगा।

(5) अधिनियम की धारा 4(3) इस शर्त के साथ वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने का उद्देश्य करती है कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर कब्जा किया था, धारा 4(4) में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार अनुवांशिक होंगे, परन्तु अन्य हस्तान्तरणीय या परिवर्तनीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्यिों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत किए जायेंगे।

(6) धारा 4(5) के माध्यम से वन अधिकार धारकों को एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक सुरक्षोपाय प्रदान किया गया है जो इस बात को अनिवार्य करता है कि किसी वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को मान्यता एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उनके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकेगा।

(7) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा आजीविका के लिए स्वकृषि या आवास के लिए व्यक्तिगत या सामान्य कब्जे के तहत वनभूमि को धारण करने तथा वहां रहने का अधिकार उसके वास्तविक कब्जे के अंतर्गत क्षेत्र तक प्रतिबंधित होगा तथा इस अधिनियम की धारा 4(6) के अनुसार किसी मामले में यह चार हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा। अधिनियम की धारा 4(7) में प्रावधान है कि सभी बाधाओं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से मुक्त वन अधिकार सौंपे जाएंगे।

(8) इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त एवं प्रदान किए गए वन अधिकारों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के लिए भूमि का अधिकार शामिल है जो यह स्थापित कर सकता है कि राज्य विकास हस्तक्षेपों के कारण भूमि की क्षतिपूर्ति के बिना उन्हें उनके रहने एवं खेती वाली जगह से विस्थापित किया गया था तथा इस अधिनियम की धारा 4(8) के अनुसार जहां उक्त अधिग्रहण के पांच वर्षों के अन्दर भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से नहीं किया गया है जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।

(9) अधिनियम की धारा 5 वन अधिकार धारकों, ग्राम सभा तथा ग्राम स्तरीय संस्थानों को (क) वन्यजीव, वन एवं जैव विविधता की सुरक्षाय (ख) यह सुनिश्चित करना कि निकटवर्ती/अवाह–क्षेत्र, जल स्रोत तथा अन्य संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्रों की समुचित रूप से सुरक्षा हो; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के आवास किसी विनाशकारी प्रक्रियाओं जो उनकी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित कर रहे हैं, से संरक्षित रहे, तथा (घ) यह सुनश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक

पहुंच को नियमित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णय तथा कोई गतिविधि जो जंगली जानवरों, जंगल और जैव–विविधता को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, की रोक को संकलित किए जाने को सशक्त करती है।

10. इस अधिनियम की धारा 6 (अध्याय–IV) वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों को वन अधिकार प्रदान करने के प्राधिकरणों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। वन अधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकरणों की एक त्रिस्तरीय संरचना है, ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों जिन्हें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किया जा सकता है, की प्रकृति तथा सीमा के निर्धारण हेतु प्रारंभिक प्राधिकरण है। उप–मण्डल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की जांच करती है तथा इसे अंतिम निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास भेजती है। ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प से अपकृत कोई व्यक्ति उप–मण्डल स्तरीय समिति से याचिका प्रस्तुत कर सकता है और उप–मण्डल स्तरीय समिति के निर्णय द्वारा अपकृत कोई व्यक्ति जिला स्तरीय समिति में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। वन अधिकारों की मान्यता और इन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी करने तथा नोडल एजेंसी को प्रस्तुत ऐसे विवरण तथा रिपोर्ट जिन्हें उस एजेंसी द्वारा मांगा जा सकता है, के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) है।

11 अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी प्राधिकरण या अधिकारी को सजा देने का प्रावधान है।

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

13. धारा 12 इस अधिनियम के अध्याय– IV में संदर्भित प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने के लिए भारत सरकार को शक्ति प्रदान करती है।

14. अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून के अलावा होंगे तथा उसके अपकर्ष में नहीं होंगे।

अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

7.5 अक्तूबर, 2017 की स्थिति के अनुसार, 17.60 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र प्रति अधिकार पत्र औसत भूमि का 2.36 एकड़ औसत के साथ वन भूमि के 41.20 लाख एकड़ क्षेत्र पर जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, 64,000 सामुदायिक अधिकार पत्र 99.85 लाख एकड़ वन भूमि क्षेत्र में वितरित किए गए हैं। ओडिशा ने सबसे अधिक अधिकार पत्र जारी किए हैं जिनकी संख्या 4,16,531 है (4,10,579 व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 5,952 सामुदायिक अधिकार पत्र) । छत्तीसगढ़ के पास सबसे अधिक वन क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है जिस पर इस अधिनियम के तहत अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र जिसे अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं वह 24,59,298.43 एकड़ है। 31.08.2017 तक अधिनियम के तहत दावों की संख्या (राज्य–वार) पर वितरित अधिकार पत्रों के प्रतिशत के अनुसार स्थान दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–7** पर है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

7.6 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एफआरए के कार्यान्वयन में कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन के सभी विषयगत पहलू एकीकृत किए हैं। मंत्रालय इन चुनौतियों के समाधान के लिए स्पष्टीकरण और निदेश प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत रहा है। मंत्रालय अतिरिक्त व्यपगमन को समर्थन प्रदान करने तथा हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों के विश्लेषण और कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी को सुदृढ़ करने का प्रयास करता रहा है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

- मंत्रालय सभी राज्यों में अधिकारपत्रों के वितरण में प्रगति की नियमित निगरानी करता है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) के रुप में सभी राज्यों से नियमित अद्यतन जानकारी मांगी जाती है जो प्रत्येक माह मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित भी की जाती है। मासिक प्रगति रिपोर्ट अधिक/कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों की पहचान करने और हस्तक्षेप की आवश्यकता में भी सहायक है।

- मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2017 को प्रगति बैठक आयोजित की जिसमें वन अधिकार अधिनियम, 2006 कार्यसूची मदों में से एक मद था। इस मंत्रालय ने कार्यान्वयन की स्थिति एवं सफल कार्यान्वयन की प्रक्रिया में मुख्य चुनौतियों को प्रदर्शित किया था। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित निर्देश दिये थे :–

(i) अस्वीकृत किये जाने के मामले में प्रक्रिया को कठिन बनाना।

(ii) कमजोर प्रदर्शन वाले राज्यों की समीक्षा।

(iii) पोस्ट मान्यता समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

(iv) दावों के निपटान के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग।

- मंत्रालय ने गत छः वर्षों (2012–2017) के विस्तार में एकत्रित मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्यों के कार्यों का विश्लेषण किया गया था। विलंबित दर, अस्वीकृति की दर और दावों के आनुपातिक संग्रहण के मामले में परिणाम चौंकाने वाले थे। इस विश्लेषण के माध्यम से, 8 राज्यों को कम निष्पादन वाले राज्यों के रुप में चिह्नित किया गया है तथा इस मंत्रालय ने उनकी वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण मांगते हुए इन राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलत अस्वीकृति नहीं की जाएगी, अस्वीकृत दावों की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।
- संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संयुक्त समीक्षा बैठक एफआरए कार्यान्वयन की स्थिति पर वामपंथ उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 29 जिलों के राज्यों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 14.02.2017 को आयोजित की गई थी।
- कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग का आरम्भ दिनांक 31.08.2017 को तमिलनाडु सरकार के साथ प्रथम कांफ्रेंस करने के साथ किया गया है। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा एवं गुजरात राज्यों में एफआरए कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए विशाखापट्टनम में 1–2 नवम्बर, 2017 के दौरान एक समीक्षादृसह–परामर्श बैठक आयोजित की गई थी।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जहां एफआरए दावों की अस्वीकृति की दर बहुत अधिक है। एफआरए दावाकर्ता को अस्वीकृति के मामले में अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर प्रदान करता है। जनजातियों के लिए कानूनी सेवा की पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्रवाई है तथा यदि निर्णय लेने वाले किसी भी निकाय में पुनः अपील के माध्यम से इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया है तो राज्य सरकारों को 01 अप्रैल, 2014 से निरस्त दावों की आवश्यक रुप से समीक्षा करने का निदेश दिया गया है। उक्त तिथि के पूर्व निरस्त दावों की समीक्षा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
- वन अधिकार अधिनियम की धारा 5 यह पहचान करती है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की विद्यमानता और स्थिरता के लिए वन निवासी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वन अधिकार नियम 4(1)(ड.) के तहत, ग्राम सभा को वन्य जीवन, वन और जैव–विविधता के संरक्षण के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता है जो सामुदायिक वन स्रोतों के निरंतर और समान प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक वन स्रोतों के लिए एक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करेगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) के साथ परामर्श से, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक सक्रिय ढांचा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश विकसित किया है जिसके तहत ग्राम सभा नियम 4(1)(ड.) के तहत समिति के माध्यम से सामदुयिक वन संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्थान, रक्षा और प्रबंधन के अधिनियम के प्रावधनों के तहत अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकता है।

- यह पाया गया था कि जन–जागरुकता निर्माण, साक्ष्य संग्रहण, मानचित्रण तथा सीमांकन के लिए समर्थन, भूमि नपायी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग (साक्ष्यों के समर्थन में) अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि जैसे महत्वूपर्ण पूर्व अपेक्षित कार्यों को करने के लिए निधियों की गैर–उपलब्धता के कारण एफआरए के कार्यान्वयन की प्रगति बिगड़ी हुई है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वयन तंत्र या तो दावेदार से शुल्क लेते हैं या फिर काम को बंद कर देते हैं। वन निवासी समुदायों को परेशानी रहित सेवाएं प्रदान करने के साथ–साथ लंबे समय तक लंबितता को हल करने के लिए मंत्रालय ने एफआरए के कार्य के लिए केन्द्रीय अनुदानों के तहत निधियों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2017 को यह निर्देश जारी किया है कि राज्य एफआरए के कार्यों के उद्देश्य के लिए टीएसएस को एससीए, राज्य टीएसएस तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों का उपयोग कर सकती है। इसके अलावा, राज्यों को दिनांक 05.04.2017 को जागरुकता निर्माण, मानचित्रण, सीमाकंन प्रक्रिया, आदि जैसे कार्यों के लिए जिला खनिज निधियों के तहत निधियों का उपयोग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में प्रभावी परिणाम प्राप्त करने की दिशा में, मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से ''जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमता का सुदृढ़ीकरण'' शीर्षक की एक परियोजना चला रहा है। मंत्रालय ने विस्तृत एफआरए समीक्षा के साथ विभिन्न मामलों पर दो क्षेत्रीय समीक्षा–सह–प्रामर्श कार्यशालाएं आयोजित की हैं। कार्यशालाओं के दौरान प्रदर्शित की गई प्रस्तुति में अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त विभिन्न अधिकार तथा प्रगतिशील राज्यों द्वारा प्राप्त वर्तमान स्थिति, उच्चतर हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों के लिए असमानता एवं आवश्यकताओं का निर्धारण शामिल है।
- परियोजना के तहत, विभिन्न परामर्श एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई तथा सूचना एवं संचार के प्रसार के लिए साहित्य का निर्माण किया जा रहा है। बार–बार अधिकारियों के स्थानान्तरण के साथ–साथ प्रशिक्षणों को आयोजित करने में कठिनाई को समझते हुए मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर एफआरए सम्बंधी कार्य करने वाले अधिकारियों की शिक्षा एवं संदर्भ के लिए एक स्वयं शिक्षा ई–मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल एफआरए के तहत सभी प्रावधानों, अधिकारों, परिलब्धियों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। मॉड्यूल में एफआरए पर एक प्रश्नोत्तरी के रुप में स्व–मूल्याकंन का एक विकल्प भी है जो अधिनियम तथा इसके प्रावधानों की समझ के सत्यापन में मदद प्रदान करता है। मॉड्यूल का लिंक जुलाई, 2017 से मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्वयं शिक्षा ई–मॉड्यूल का स्क्रीन शॉट चित्र 7.1 पर दिया गया है।
- मंत्रालय गंभीर वन जीवन आवास पर दिशा–निर्देशों को तैयार करने के सम्बंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) के साथ परामर्श में है। एमओईएफएण्डसीसी ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए इस मंत्रालय का नामांकन मांगा था तथा जिसे इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

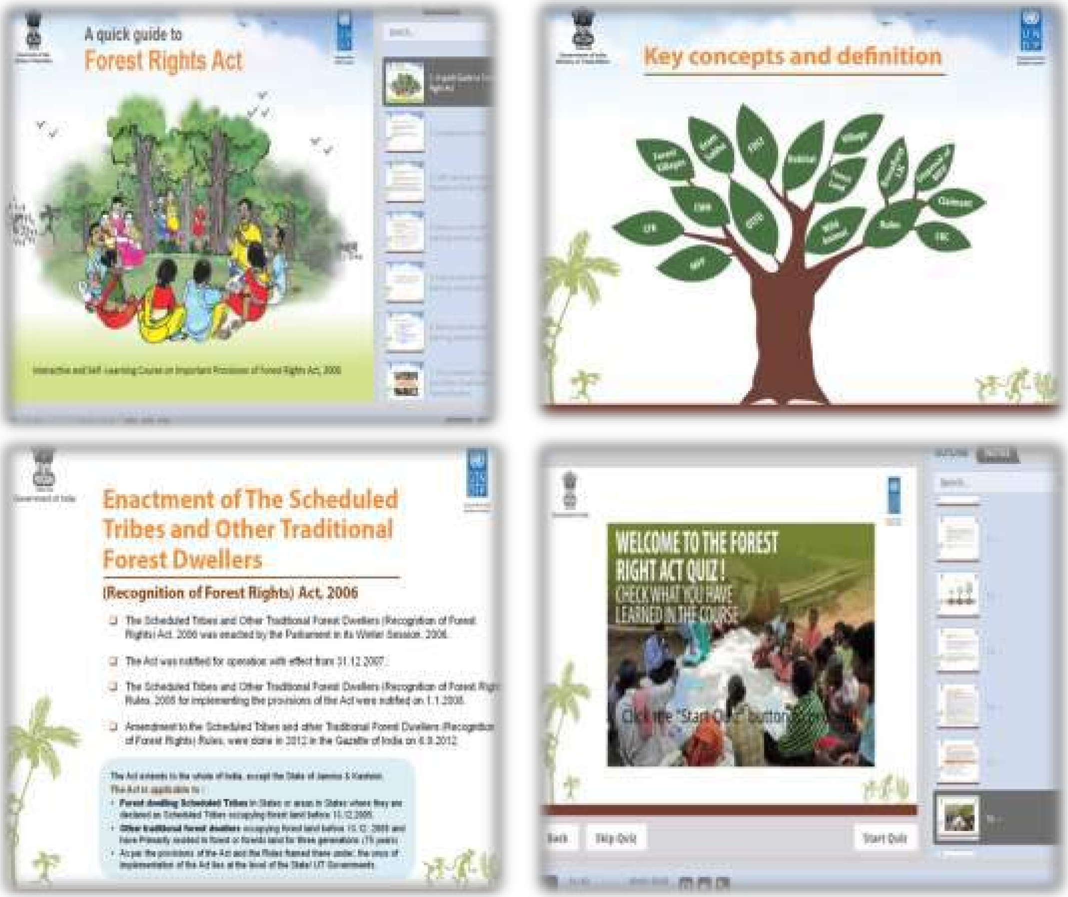

चित्र 7.1 : एफआरए पर स्व–शिक्षा ई–मॉड्यूल का स्क्रीनशॉट

आगे की राह

7.7 वन अधिकार अधिनियम में करोड़ों जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की क्षमता है। इस मंत्रालय तथा सभी प्रतिभागियों के नियमित समर्थन और ग्राम सभाओं एवं कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सभी स्तरों पर दिशा निर्देश द्वारा निरंतर प्रयासों से वन अधिकार अधिनियम की पूरी क्षमता प्राप्त की जा सकती है।

यह आशा की जाती है कि वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, विशेष रुप से सामुदायिक वन अधिकारों की पहचान, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, पीवीटीजी का अधिवास अधिकार और घुमन्तू अथवा गांवों के समुदायों के मौसमी संसाधनों की पहुंच के अधिकारों का कार्यान्वयन आने वाले वर्षों में गति प्राप्त करेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के समर्थन से राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर अक्षरशः इस ऐतिहासिक अधिनियम के उद्देश्यों की पहचान के लिए अभियान स्तर पर कार्य के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएंगी।

आगे की राह की ओर उठाए जाने वाले कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

- नियमित बैठकें, समयबद्ध निर्णय और उठाए गए मुद्दों के साथ–साथ कृत कार्रवाई द्वारा एसएलएमसी, डीएलसी तथा एसडीएलसी के कार्य, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग एवं एक एमआईएस द्वारा निगरानी प्रक्रिया में सुधार।
- मंत्रालय कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ सामुदायिक वन अधिकारों एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी पर ध्यान दे रहा है।
- तालमेल करते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से वन अधिकार धारकों की आजीविका को बेहतर करना जो वर्तमान कौशल स्तरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों की पहचान पर केन्द्रित होगा। इससे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत निधियो का उपयोग प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

अध्याय 8

शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास की योजना

8.1 योजना के तहत नये छात्रावास भवनों के निर्माण और/या वर्तमान छात्रावासों के विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों / विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

जनजातीय उप–योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की योजना

8.2 योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों के बीच साक्षरता दर को बढ़ाने एवं देश की अन्य जनसंख्या के समतुल्य बनाने के लिए अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा हेतु पर्यावरण अनुकूल आवासीय विद्यालय प्रदान करना है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना

8.3 योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्व–रोजगार के साथ–साथ विभिन्न नौकरियों के लिए उनके कौशल का विकास करना तथा आय को बढ़ाते हुए उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

उपरोक्त तीन घटकों नामतः 'आश्रम विद्यालय', 'बालक तथा बालिका छात्रावास' तथा 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' को वर्ष 2018–19 से बंद किया जा रहा है क्योंकि ऐसे उपाय (विद्यालय, छात्रावास तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण [कौशल / आजीविका] पर टीएसएस को एससीए/संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान या राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय विकास के लिए उनकी स्वयं की निधि से निधि पोषित करने के लिए अब एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा विचार किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दायरे का विस्तार

8.4 5–16 की आयु समूह में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा को प्रसंग के अनुरुप तथा सांस्कृतिक रुप से उचित बनाया गया है। पाठ्यक्रम को जब सांस्कृतिक रुप से संवेदनशील बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जीवन तथा आजीविका के लिए आर्थिक रुप से व्यवहार्य विकल्पों को सीखने के लिए भी ध्यान दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों में सीखने एवं सिखाने के लिए क्षेत्रीय लिपियों में जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक पुस्तकों के विकास एवं प्रयोग द्वारा बहु–भाषीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। छुट्टियों के समय को स्थानीय जनजातीय उत्सवों एवं फसल कटने की ऋतुओं के साथ समकालीन बनाया गया है। जनजातीय संस्कृति, कला, चित्रकारी, नृत्य को शिक्षा के दायरे में शामिल करने की पहल की गई है। खेल, क्रीड़ा, पोषण, स्वास्थ्य के मुद्दों का भी निपटान किया गया है।

<table>
<tr><th colspan="8">अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा–योजनाएं एक नजर में</th></tr>
<tr><th>IX</th><th>X</th><th>XI</th><th>XII</th><th>स्नातक (3)</th><th>स्नातकोत्तर (2)</th><th>एम. फिल</th><th>पीएच.डी (1 एवं 1/2)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="6">छात्रावासीय के लिए 380/– रु. से लेकर 1200/– रु. तक प्रतिमाह और दिवा छात्रों के लिए 230/रु. से 550/– रु. तक प्रति माह अनुरक्षण भत्ता + अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति (01.04.2013 से अधिकतम आय सीमा 2.50 लाख रु. प्रति वर्ष है)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">अनुरक्षण भत्ता प्रति वर्ष 15,400 अमेरिकी डॉलर और 9900/– यू.के. पाउंड + अन्य भत्ते, यदि लागू हो।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
कनिष्ट अनुसंधान अध्येतावृत्ति–2 वर्षों के लिए 25,000/– प्रति माह की दर से, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति 28,000/–रु. प्रति माह की दर से शेष अवधि के लिए</td></tr>
<tr><td colspan="2">मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">छात्रावासियों तथा दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां क्रमशः प्रति माह 350/– रुपये तथा 150/–रु. की दर से हैं तथा पुस्तकें एवं तदर्थ अनुदान क्रमशः प्रति वर्ष 1000/–रु. एवं 750/–रु. की दर से है।</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">* कोष्ठक में दिए आंकड़े वर्षों की संख्या दर्शाते हैं।</td></tr>
</table>

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)

8.5 उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्रः इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके। यह योजना कुछ संसाधनों के साथ 01.07.2010 से संशोधित की गई है। यह योजना उन सभी अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए खुली है जिनके माता–पिता की वार्षिक आय दिनांक 01.04.2013 से 2.50 लाख रुपये या इससे कम है तथा छात्रवृत्ति का वितरण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है जहां वे अधिवासित है।

8.6 मुख्य विशेषताएंः

i. छात्रों को पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रवृत्तियों की विभिन्न दरें प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रमों को चार श्रेणियों में बांटा गया है एवं इसकी दरें 230/– रु. से लेकर 1200/– रु. प्रतिमाह तक है। इसके अलावा, अनिवार्य शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

ii. दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ते का प्रावधान है। विकलांगों के लिए सहायक और परिवहन भत्ते का प्रावधान है।

iii. छात्रवृत्ति वार्षिक आधार पर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और यह छात्रों के संतोषजनक निष्पादन और अच्छे आचरण पर निर्भर करती है।

8.7 निधियन पद्धतिः योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।

8.8 कार्य निष्पादनः 2017–18 के दौरान 1347.07 करोड़ रुपये (अंब्रेला योजना के सामान्य घटक) के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2017 तक 935.53 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। वर्ष 2015–16 से 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान लाभार्थियों की राज्य–वार कवरेज तथा निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता **अनुलग्नक–8क** में दी गई है।

पुस्तक बैंक

8.9 उद्देश्यः व्यावसायिक पाठयक्रमों में चुने गए अनुसूचित जनजाति के अनेक छात्रों के लिए अपने विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा जारी रखना कठिन होता है क्योंकि ये अधिकांशतः महंगी होती हैं। व्यावसायिक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा पढ़ाई छोड़ कर जाने की दर कम करने के लिए इस योजना के अंतर्गत पुस्तकें खरीदने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

8.10 मुख्य विशेषताएं : यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए खुली है जो मेडिकल (मेडिसिन और होम्योपैथी की भारतीय प्रणालियों सहित) इंजीनियरी, कृषि, पशुचिकित्सा, पॉलिटेक्निक, कानून, चार्टर्ड एकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, जैव विज्ञान विषय पढ़ते हैं, और जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

8.11 निधियन पद्धति : योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।

विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजनाः

8.12 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टोरत्तर अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु चयनित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय ने इनको रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसके प्रावधानों में संशोधन किया है। मंत्रालय ने वर्ष 2017–18 से आगे कार्यान्वयन हेतु अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां (एनओएस) की संशोधित योजनाओं को अनुमोदित किया है।

8.13 कार्य क्षेत्र : विदेश में पढ़ने वाले स्नातकोत्तर, डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल स्तर के पाठ्क्रमों के लिए अनुसूचित जनजाति के 17 अभ्यर्थियों तथा विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित 3 अभ्यर्थियों को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है।

8.14 मुख्य विशेषताएं:

(i) यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवरों (प्रत्येक परिवार से एक सदस्य) को दी जाती है बशर्ते कि उम्मीदवार या उसके माता–पिता /अभिभावकों की कुल आय 6 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए, 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातक डिग्री वांछनीय है तथा कम से कम दो वर्षों का कार्य अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। एम फिल या पी एचडी पाठ्यक्रम के लिए 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में दो वर्षों का अनुसंधान/शिक्षण/ एम. फिल डिग्री कार्य में वांछनीय अनुभव हो। अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन के लिए उम्मीदवार के पास डॉक्टोरल डिग्री सहित 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड वाली स्नातकोत्तर डिग्री सहित संगत क्षेत्र में 5 वर्षों का वांछनीय अध्यापन/अनुसंधान/ व्यावसायिक अनुभव हो।

(iii) उम्मीदवारों से विदेश में किसी विश्वविद्यालय / संस्थान में चयन की तारीख से 2 वर्षों के अंदर अपने द्वारा स्वयं दाखिले की व्यवस्था करना अपेक्षित है।

(iv) छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को 15,400 अमेरिकी डॉलर या 9900 पौंड प्रति वर्ष का अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है जिसे वे 2400 अमेरिकी डॉलर या 1560 पौंड प्रतिवर्ष अनुसंधान/शिक्षण असिस्टेंटशिप कार्य आरम्भ करके सम्पूरित कर सकते हैं। इस सीमा से अधिक कमाई के मामले में, भारतीय मिशन तदनुरुप मंजूर किए गए अनुरक्षण भत्ते को कम कर सकता है।

8.15 इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा आदिम जनजातीय समूहों के उम्मीदवारों को चार वार्षिक 'यात्रा अनुदान' भी प्रदान किए जाते हैं। यात्रा अनुदान ऐसे उम्मीदवारों के लिए पूरे वर्ष भर खुले हैं जो विदेश में स्नातकोत्तर अध्ययनों, अनुसंधान या प्रशिक्षण के लिए किसी विदेशी विश्विविद्यालय/सरकार या किसी अन्य योजना के अंतर्गत जहां यात्रा की लागत नहीं दी जाती है, योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। इस योजना में इकोनॉमी क्लास द्वारा भारत से आने–जाने के लिए अनुदान उपलब्ध है।

8.16 निधियन प्रतिमान : चुने हुए उम्मीदवारों को भारतीय मिशन के माध्यम से मंत्रालय द्वारा शत–प्रतिशत आधार पर अनुदान दिए जाते हैं।

8.17 कार्य निष्पादन : वर्ष 2016–17 के दौरान 15 विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2015–16 के लिए एवं 16 विद्यार्थियों का चयन वर्ष 2016–17 के लिए किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए चयन प्रक्रियाधीन है।

8.18 आबंटन : वर्ष 2017–18 के लिए एक करोड़ रु. के बजट अनुमान के बजटीय आबंटन के समक्ष 31 दिसम्बर, 2017 तक 70.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति

8.19 स्तरों के हटाने के परिणामस्वरुप तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजनाएं उदाहरणतः राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा उच्च श्रेणी शिक्षा के कार्यान्वयन और निगरानी पर उपयुक्त नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय ने इन दो योजनाओं को मिलाकर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नामतः 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' तथा छात्रवृत्ति' बनाई है।

I. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.20 उद्देश्यः इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित

जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु वित्तीय सहायता के रुप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2005–06 से शुरु की गई है।

8.21 कवरेज : इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान कवर किए गए हैं। अध्येतावृत्ति की अवधि निम्नानुसार है : –

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम– फिल	2 साल	2 साल	शून्य
पीएच– डी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल
एम. फिल+पीएचडी	5 साल	2 साल	शेष 3 साल

8.22 वित्तपोषण पद्धति : जेआरएफ एवं एसआरएफ के लिए अध्येतावृत्ति दर, समय–समय पर यथा संशोधित यूजीसी अध्येतावृत्तियों के समान होगी। ये मौजूदा दरें नीचे दी गई हैं:

विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए अध्येतावृत्ति	रुपये 25,000/– प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) रुपये 28,000/– प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में अध्येतावृत्ति	रुपये 25,000/– प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जेआरएफ) रुपये 28,000/– प्रतिमाह शेष अवधि के लिए (एसआरएफ)
मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिक व्यय	रुपये 10,000/– प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रुपये 20,500/– प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	रुपये 12,000/– प्रतिवर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रुपये 25,000/– प्रतिवर्ष शेष अवधि के लिए
विभागीय सहायता (सभी विषय)	अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए मेजबान संस्थान को रुपये 3000/– प्रतिवर्ष प्रति छात्र
अंगरक्षणध्वाचक सहायता (सभी विषय)	शारीरिक एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में रुपये 2,000/– प्रतिमाह की दर से

8.23 मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को 750 अध्येतावृत्तियां दी जाएंगी ।
- अध्येतावृत्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
- अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी जैसे उच्चतर अध्ययनों हेतु अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।
- स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंकों के संबंध में अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने से पूर्व कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

2017–18 के दौरान ब.अ. 120.00 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 31 दिसम्बर, 2017 तक 64.86 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

II अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए (उच्च श्रेणी शिक्षा) योजना

8.24 उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजातीय छात्रों को संस्थानों की चुनिंदा सूची में से किसी एक में, जिसमें छात्रवृत्ति योजना संचालित होगी, डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है द्य यह योजना 2007–08 में शुरु की गई

है।

8.25 : कवरेज : उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थाओं की सूची 2015–16 के बाद संशोधित की गई है तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति की मिश्रित योजना के तहत प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में 158 मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। प्रत्येक वर्ष कुल नई छात्रवृत्तियां वित्तीय वर्ष 2015–16 से 1000 हैं। उच्च श्रेणी संस्थानों के लिए संस्थान–वार तथा विषय–वार स्तरों की संख्या में कोई सीमा नहीं होगी।

8.26 मुख्य विशेषताएं :

(i) वर्ष 2017–18 से अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पारिवारिक आय सभी स्रोतों से 6.00 लाख रु. प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी/सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के संबंध में पूरा ट्यूशन शुल्क और अन्य अप्रतिदेय राशियों को शामिल करते हुए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, निजी क्षेत्र के संस्थानों में प्रति छात्र 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सीमा होगी।

(iii) इस छात्रवृत्ति में (क) आजीविका व्यय प्रतिमाह 2200/– रु. प्रति छात्र, वास्तविक व्यय के अधीन, (ख) पुस्तकें और स्टेशनरी प्रति वर्ष 3000/– रु. प्रति छात्र और (ग) सहायक वस्तुओं सहित नवीनतम कंप्यूटर प्रणाली की लागत के रुप में पूरे पाठ्यक्रम के दौरान एक बार 45000/– रुपये की सीमा तक सहायता प्रदान की जाएंगी।

(iv) योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत–प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित होगी तथा निधियां संबंधित संस्था को सीधे निर्मुक्त की जाएंगी।

8.27 आवंटन : वर्ष 2017–18 के दौरान (अध्येतावृत्ति योजना के सहित) 120.00 करोड़ रु. के बजट आवंटन की तुलना में 31.12.2017 तक 64.86 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

8.28 कार्य निष्पादन : 31.12.2017 तक 100 संस्थानों में 1055 विद्यार्थियों को उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

कक्षा 9वीं तथा 10वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

8.29 उद्देश्य :

योजना के उद्देश्य हैं– (i) कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के माता–पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की घटना, विशेष रुप से शिक्षा के प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर, को कम किया जा सके, तथा (ii) कक्षा 9 तथा 10 के पूर्व मैट्रिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की सहभागिता में सुधार हो ताकि वे बेहतर निष्पादन करें और शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर उन्हें बेहतर प्रगति करने के मौके प्राप्त हो सकें।

8.30 कवरेज : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित की जाती हैं जिन्हें इस योजना के तहत उनकी प्रतिबद्ध देयता के अलावा व्यय के लिए भारत सरकार से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

8.31 मुख्य विशेषताएं –

- यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे विशेष वर्ग के राज्यों जहां निधियन अनुपात 90:10 है, के अलावा केन्द्र और अन्य सभी राज्यों के बीच निधियन अनुपात 75:25 है।
- छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययनों के लिए ही उपलबध हैं।
- राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जिससे आवेदन वास्तव में संबंधित है, छात्रवृत्तियां प्रदान

करता है।

- इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकपूर्व की कक्षा IX तथा X में अनुसूचित जनजाति के बच्चों की सहभागिता में सुधार करना है ताकि वे बेहतर निष्पादन करें और उन्हें शिक्षा में मैट्रिकोत्तर स्तर पर प्रगति के बेहतर मौके प्राप्त हो सकें।

8.32 पात्रता –

- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
- उसके माता–पिता ध्अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए जो संशोधन के अधीन है।
- वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि पोषित किसी अन्य मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति को प्राप्त न कर रहा हो।
- वह सरकारी स्कूल या सरकार या केन्द्रीय ध्राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित, पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए।
- किसी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में दोबारा पढ़ता है तो उसे दूसरे (उत्तरवर्ती) वर्ष के लिए उस कक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी।

8.33 लाभ :

- छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा छात्रों के लिए 150 / – रु. प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासियों के लिए 350 / – रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है, जो संशोधन के अधीन है।
- पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा छात्र के लिए 750 / – रु. वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000 / – रु. वार्षिक की दर से किया जाता है।
- अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थी जो मान्यता प्राप्त निजी गैर–सहायताप्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, अपनी विकलांगता के आधार पर 160 / – रु. से 240 / – रु. के बीच की दर पर मासिक भत्तों के लिए पात्र हैं ।
- छात्रवृत्तियों का भुगतान अकादमिक वर्ष में 10 माह की अवधि के लिए किया जाता है।
- प्रदत्त छात्रवृत्तियां अच्छे आचरण तथा उपस्थिति में नियमितता के अधीन जारी रहेगी। कक्षा IX में उत्तीर्ण होने के उपरांत कक्षा X के लिए इनका नवीनीकरण किया जायेगा।

8.34 आबंटन : वर्ष 2017–18 के दौरान 265.00 करोड़ रु. के बजट आबंटन की तुलना में 31.12.2017 तक 220.92 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी।

8.35 कार्य निष्पादन : 31.12.2017 तक राज्य–वार निर्मुक्त निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक–8ख** में दी गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण (वीटीसी)

8.36 : इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न परम्परागत / आधुनिक व्यवसायों में लगे जनजातीय युवाओं की प्रतिभा का उन्नयन करना है जो उनकी शैक्षिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृत्ति और बाजार संभाव्यता पर निर्भर है, और जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिलाने अथवा उन्हें स्व–नियोजित बनने में समर्थ बनाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना को एनजीओ निधि पोषण से बाहर कर दिया गया है एवं इसे टीएसएस को एससीए की योजना के तहत शामिल किया जाएगा।

अध्याय 9

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना

9.1 अनुसूचित जनजातियों में कुछ जनजातीय समूह हैं जिनमें घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि–पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी और वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ये समूह हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से हैं, क्योंकि वे संख्या में बहुत कम हैं, उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कोई महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त नहीं किया है तथा वे सामान्यत खराब अवसंरचना एवं प्रशासनिक समर्थन वाले सुदूर क्षेत्रों में निवास करते हैं। 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई तथा उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की राज्य–वार सूची **अनुलग्नक–9क** में दी गई है।

पीवीटीजी के विकास की योजना

9.2 उनके अत्यधिक पिछड़ेपन तथा कमजोर होने के कारण उनके संरक्षण तथा विकास, एवं उनकी आबादी के घटते रुझान को रोकने के लिए प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है। अतः पीवीटीजी के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित तथा राज्य प्लान योजनाओं से पर्याप्त निधियां आवंटित करने की आवश्यकता है। वर्ष 1998–99 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अनन्य विकास के लिए 100% केन्द्रीय क्षेत्र की एक अलग योजना आरंभ की गई थी। ज्ञान और प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर दिनांक 1.4.2015 से योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है।

कार्यक्षेत्र

9.3 इस योजना में केवल 75 चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शामिल किए गए हैं। यह योजना अत्यंत लचीली है तथा यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें वे अपने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की विकास गतिविधि जैसे आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्रोतों की संस्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत कोई अन्य नवाचारी कार्यकलाप हैं। इस योजना के अंतर्गत निधियां उन मदोंध्कार्यकलापों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की उत्तरजीविता, सुरक्षा और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनके लिए राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना द्वारा अथवा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत निधियों के उपयोग को अभिशासित करने वाले दिशा–निर्देशों द्वारा विशेष रूप से प्रबंध नहीं किया जाता है। निधियों और कार्यकरणों के तालमेल का सामान्य सिद्धांत भी लागू होता है।

योजना का कार्यान्वयन

9.4 संरक्षण–सह–विकास योजनाएं (सीसीडी) राज्य सरकारों और संघ शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा उनके द्वारा किए गए बेसलाइन या अन्य सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिवास विकास दृष्टिकोण

अपनाकर पांच वर्षों के लिए तैयार की जानी हैं और मंत्रालय की परियोजना आंकलन समिति द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। राज्य सरकारोंध्संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह कहा गया है कि वे अपने राज्य में पाए गए सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए समानुपातिक रूप से वित्तीय संसाधन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। नवीन योजनाओं और प्रक्रियाविधियों के माध्यम से सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

संरक्षण–सह–विकास (सीसीडी)/वार्षिक योजनाओं की जांच और अनुमोदन

9.5 सचिव, जनजातीय कार्य की अध्यक्षता में मंत्रालय की एक परियोजना आकलन समिति (पीएसी) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं के प्रस्ताव की जांच करती है और उनके तहत संगत क्रियाकलापों के लिए निधियन को अनुमोदित करती है।

9.6 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान परियोजना आकलन समिति (पीएसी) द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर 17 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल को निधियां जारी की गई हैं।

9.7 राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुसूची और उन्हें जारी रखने तथा पूरा होने की समय–सीमा प्रस्तुत करें ताकि परियोजना की प्रगति की निगरानी कुशलता से की जा सके। उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त सुपुर्दगी तंत्र की व्यवस्था की जाती है और संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ गठित समिति के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है।

कार्यान्वयनकारी एजेंसी

9.8 इस योजना को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विभिन्न अभिकरणों जैसे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआइ) के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा तैयार संरक्षण–सह–विकास/वार्षिक योजनाओं के अनुरूप कार्यान्वित किया जाता है।

निधियन पद्धति

9.9 यह 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। निधियां सामान्यतः सीसीडी योजना में विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप एक किस्त में राज्यों को निर्मुक्त की जाती हैं।

निगरानी

9.10 योजना के कार्यान्वयन की निगरानी मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तथा/अथवा इस प्रयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर नियुक्त की जा सकने वाली स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की जानी अपेक्षित है। किसी भी समय प्रगति की निगरानी में सुधार के लिए प्रपत्र अथवा दिशा–निर्देश निर्धारित करने का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को निर्धारित प्रपत्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या का आंकलन करने हेतु उन्हें बेसलाइन सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है।

आवंटन

9.11 वर्ष 2017–18 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत किया गया वार्षिक आवंटन और इस संबंध में किया गया व्यय पिछले दो वर्षों के आवंटन और व्यय के ब्यौरों सहित **तालिका 9.1** में दिया गया है:–

तालिका 9.1 : वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 के दौरान आवंटन एवं निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2015-16	217.35	217.35	213.54
2016-17	200.00	340.00	340.21
2017-18	270.00	210.00	190.59
			(31.12.2017 तक)

* 01.01.2018 से 31.03.2018 के दौरान अनुमानित/प्रत्याशित व्यय 19.41 करोड़ रुपए है।

वर्ष के दौरान निष्पादन

9.12 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 17 राज्यों को 190.59 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों और वर्ष 2017–18 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक–9ख** में दिया गया है।

अध्याय 10

अनुसंधान, सूचना और जनसंचार

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन

10.1 जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा टीआरआई स्थापित हैं और प्रशासनिक रूप से समर्थन प्राप्त हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित वित्तीय मानकों और चिह्नित उपायों के साथ "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन" योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के आधारभूत उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान तथा प्रलेखन कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ करना है। यह परिकल्पना की जाती है कि टीआरआई को साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधानों, जनजातीय लोगों तथा जनजातीय कार्य से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों की क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार व जागरूकता के विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु बुद्धिजीवी के रूप में कम या अधिक ज्ञान तथा अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक टीआरआई द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति **अनुलग्नक–10** में दी गई है।

योजना के कवरेज

10.2 वर्तमान में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्रों जो **आकृति 10.1** में नक्शे में दर्शाए गए हैं, में टीआरआई कार्य करते हैं।

आकृति 10.1 : भारत में जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

10.3 दिसंबर, 2017 में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार "टीआरआई को समर्थन" की योजना के तहत किए जाने वाले कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:–

10.3.1 अवसंरचना निर्माण

क. टीआरआई/राष्ट्रीय टीआरआई के लिए आधुनिक भवन।

ख. दैनिक रख–रखाव जैसे, गृह–व्यवस्था, दिन–प्रतिदिन का रख–रखाव, उपयोग बिल आदि को छोड़कर विद्यमान टीआरआई भवन की मरम्मत/विस्तार/उन्नयन।

ग. वास्तविक संग्रहालयों सहित जनजातीय संग्रहालय/स्मारक स्थापित करने के लिए समर्थन।

घ. डिजिटल कोष सहित पुस्तकालय स्थापित करने के लिए समर्थन।

ङ. टीआरआई भवन में सम्मेलन कक्ष, प्रशिक्षण/संसाधन केन्द्र, प्रशिक्षण छात्रावास।

च. टीआरआई/संग्रहालय परिसर में अथवा राज्य में अन्य स्थानों पर जनजातीय खाद्य कैफे, कारीगर, कॉर्नर, जनजातीय कला तथा कारीगरी का प्रर्दशनी –सह–बिक्री केन्द्र, स्मारक स्थापित करना।

10.3.2 अनुसंधान तथा प्रलेखन (श्रव्य/दृश्य/वास्तविक (वीआर)/विस्तृत वास्तविकता (एआर) तथा नई प्रौद्योगिकी सहित)

(क) जनजातीय कल्याण उपाय

(ख) सफलता की कहानियां

(ग) जनजातीय प्रोफाइल

(घ) जनजातीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, कला तथा कारीगिरी, परम्परागत चिकित्सा प्रक्रियाएं, जनजातीय कथाएं तथा कहानियां जनजातीय पाक कला तथा अन्य विशेष लक्षण

(ङ) विभिन्न सरकारी उपायों की निगरानी तथा मूल्यांकन

(च) स्थानीय जनजाती भाषाओं में प्रवेशिकाओं का विकास तथा मुद्रण।

(छ) जनजातीय कला, परम्परा तथा संस्कृति से संबंधित कोई अन्य पहलू।

10.3.3 प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

(क) वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 सहित अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय अधिकारों के संबंध में कानून/संवैधानिक प्रावधान, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन अधिनियम आदि अधिनियमित किए हैं।

(ख) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध में कार्यकरणों तथा जनजातीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण।

(ग) कारीगरों की क्षमता का निर्माण, कला तथा शिल्प, धातु शिल्प, चित्रकारी, नृत्य/ड्रामा, वस्त्र, हस्तशिल्प के साथ–साथ कला, शिल्प तथा डिजाइन आदि के लिए मूल्यवर्धन।

(घ) विभिन्न जनजातीय संबंधित मुद्दों पर संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं कराना।

(ड.) बुद्धिजीवी संबंधी कार्यकलाप।

10.3.4 राज्यों में कई जनजातीय उत्सव/यात्राएं आदि मनाई गई और अधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिए जिनका प्रचार किया जा सकता है। इस योजना के तहत अनुपूरक समर्थन प्राप्त करने के लिए टीआरआई ऐसे उत्सवों/त्यौहारों को प्रस्तावित कर सकता है।

10.3.5 "जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान" आयोजित करनारू जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्यध्देश के अन्य भागों के लिए यात्राओं का आदान–प्रदान करेगा। सैर करने वाले समूह में विभिन्न जनजातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। जिनमें महिलाओं तथा अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इसके उद्देश्य में संस्कृति तथा परम्पराओं का वृहद परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना। अन्य क्षेत्रों के सामाजिक– आर्थिक विकास/सर्वोत्तम प्रक्रिया के बारे में जानना तथा यह देखना कि टीआरआई का और अधिक दक्षता के साथ कैसे प्रबंध किया जा सकता है तथा यह देखना कि मूल संस्कृति आदि खोए बिना कैसे सामाजिक–आर्थिक विकास किया जा सकता है, शामिल होना चाहिए।

10.3.6 नवीन परियोजनाएं/पहलें/कार्यकलाप जो जनजातीय लोगों तथा जनजातीय बहुल क्षेत्रों की सहायता

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर, 2017 को गुजरात में राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय की आधारशिला रखते हुए।

कर सकते हैं।

"जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन" योजना के तहत निधियन

10.4 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों में आवश्यकताओं की कोई एकरूपता नहीं है। कुछ टीआरआई के अपने स्वयं के भवन हैं, कुछ अन्य किराए के भवनों में चल रहे हैं। इसी प्रकार कुछ टीआरआई में पुस्तकालय, संग्रहालय आदि हैं। दूसरी तरफ कुछ अन्य में ये नहीं हैं। अतः राज्यों को निधियों के आवंटन हेतु कठोर मानक निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, इस योजना के तहत निधियन सर्वोच्च समिति के अनुमोदन के साथ आवश्यकता आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता होगी। टीआरआई बजटीय आवश्यकता के साथ वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। कुछ प्रमुख राज्यों में टीआरआई की अवसंरचना की स्थिति **तालिका 10.1** में दी गई है:

तालिका 10.1

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वयं के भवन	प्रशिक्षण केन्द्र	पुस्तकालय	संग्रहालय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नहीं	नहीं	हां	हां
2	आंध्र प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	असम	हां	हां	हां	हां
4	छत्तीसगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	गुजरात	नहीं	हां	हां	हां
6	हिमाचल प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	झारखंड	हां	हां	हां	हां

जारी.........

8	कर्नाटक	नहीं	नहीं	हां	नहीं
9	केरल	हां	हां	हां	हां
10	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां
11	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	हां
12	मणिपुर	नहीं	हां	हां	हां
13	ओडिशा	हां	हां	हां	हां
14	राजस्थान	हां	हां	हां	हां
15	तमिलनाडु	हां	हां	हां	हां
16	तेलंगाना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	त्रिपुरा	नहीं	नहीं	हां	हां
18	उत्तर प्रदेश	नहीं	नहीं	हां	उपलब्ध नहीं
19	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां	हां
	कुल	**9**	**11**	**15**	**13**

सर्वोच्च स्तरीय समिति

10.5 सर्वोच्च स्तरीय समिति टीआरआई द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत वार्षिक योजना का अनुमोदन करेगी तथा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। सर्वोच्च समिति द्वारा अनुमोदित कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी। सर्वोच्च समिति का गठन निम्नानुसार है:

1	सचिव (जनजातीय कार्य)	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाती घटक के प्रभारी	सदस्य
4	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य
6	संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
7	संयुक्त सचिव, कौशल विकास मंत्रालय	सदस्य
8	सलाहकार, नीति आयोग	सदस्य
9	प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त (प्रभारी), (संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के) जनजातीय विकास विभाग	सदस्य
10	निदेशक, राज्य टीआरआई	सदस्य
11	निदेशक/उप–सचिव/अवर सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) को सहायता अनुदान

10.6 अनुसंधान संस्थान और संगठन देश के जनजातीय समुदायों के मध्य अल्पकालिक अनुसंधान और विस्तार कार्य करने के लिए मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करते रहे हैं। इस अनुसंधान अध्ययनों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को देश की जनजातियों के विकास के लिए दीर्घकालीन और नीति आधारित अनुसंधान अध्ययनों के लिए 'उत्कृष्ट केन्द्रों' के रूप में चुना है और मान्यता प्रदान की है ताकि इन्हें इन अध्ययनों में शामिल किया जा सके:

क. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

ख. बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान प्रतिष्ठान, पुणे।

ग. भाषा अनुसंधान और प्रलेखन केन्द्र, वड़ोदरा।

घ. विश्व–भारती शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल।

ड. सामाजिक विज्ञान विद्यालय, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

च. मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा।

10.6.1 जनजातीय समुदायों पर गुणवत्तापरक, कार्योन्मुखी और नीति आधारित अनुसंधान करने की सांस्थानिक संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इन्हें सुदृढ़ करने के लिए इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सभी भारतीय या अंतर–राज्य प्रकृति की परियोजनाओं को समर्थन

10.7 इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए गैर–सरकारी संगठनों/ संस्थानों/विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन,

ii. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकासोन्मुख कार्यक्रमों में सहायक कार्यशालाओं/संगोष्ठियों तथा जनजातीय लोगों और उनके क्षेत्रों में संबंधित ज्ञान एवं अनुभव का प्रचार–प्रसार, एवं

iii. जनजातीय विकास से संबंधित साहित्य का प्रकाशन।

10.8 अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता (स्वीकृत राशि के 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दो किस्तों में) अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। परियोजनाओं/ प्रस्तावों की छंटनी की जाती है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा चयन किया जाता है। आरएसी की संरचना निम्नानुसार है।

1	सचिव (जनजातीय कार्य)	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
3	संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजाती घटक के प्रभारी	सदस्य
4	संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
5	संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य

10.9 कार्यशाला/सेमिनार के लिए विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं/गैर–सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पद्धति पर अनुदान दिए जाते हैं:

संगोष्ठी/कार्यशाला की अवधि	धनराशि (रुपए में)
एक दिन के लिए	50,000/–
दो दिन के लिए	75,000/–
तीन दिनों के लिए (विशेष मामलों में जहां क्षेत्रीय दौरा आवश्यक है)	1,00,000/–

10.10 अलिखित जनजातीय लोक कथाओं सहित जनजातीय विकास पर अच्छी पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए प्रमुख लेखकों/रचयिताओं/विद्वानों को बढ़ावा देने हेतु, मंत्रालय प्रधिमानतः उस संस्थान को अनुदान प्रदान करता है, जिससे ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं। एक परियोजना/पुस्तक के प्रकाशन के लिए अधिकतम 30,000/– रुपए की सहायता दी जाती है।

उत्सव, प्रचार और विज्ञापन

10.11 योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के अन्य विज्ञापन संबंधी व्यय के वहन के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर सूचना का प्रसार भी करता है।

10.12 ट्राइफेड के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 16 नवम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2017 तक एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आयोजित किया। महोत्सव का आरम्भ महान आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी तथा लोकनायक बिरसा मुंडा की 142वीं जयंती पर दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को प्रिंट तथा सोशल (सामाजिक) मीडिया में एक विज्ञापन के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए किया गया। आदि महोत्सव का उद्घाटन दिनांक 16.11.2017 को भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खानपान तथा व्यापार की भावना का उत्सव, आदि महोत्सव का आयोजन लाखों दिल्ली वासियों के साथ 15 दिनों तक सफलतापूर्वक किया गया था। इस उत्सव ने जनजातीय शिलपकारों के अति सुंदर शिल्प कौशल को प्रदर्शित किया। इसमें सुंदर साड़ियां, वस्त्र सामग्रियां, आभूषण, बांस एवं बेंत के उत्पाद, चित्रकला तथा अन्य सैकड़ों वस्तुएं शामिल हैं। महोत्सव में 27 राज्यों से लगभग 800 शिल्पकारों तथा कलाकारों ने भाग लिया और उनके लिए स्थापित 200 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचा तथा अपने शिल्प एवं कौशल को प्रदर्शित किया। रोजाना जनजातीय नृत्यों तथा लोक संगीतों का मंच कार्यक्रम आयोजित किया गया जो प्रत्येक शाम को एक बड़ा आकर्षण का केन्द्र था। 25 राज्यों से 85 जनजातीय शेफ ने आदिवासी व्यंजनों जैसे तेंलगाना से बंजारा बिरयानी, ओडिशा से खोदिया रोटी और मुर्गा तथा पूर्वोत्तर, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य राज्यों की शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य सामग्री को प्रदर्शित किया था। दिल्ली के लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। पखवाड़े के दौरान जनजातीय शिल्पकारों ने 1.60 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की, जो इस कार्यक्रम के लिए एक कीर्तिमान है। ट्राइफेड ने अपने शोरुम के माध्यम से बेचने के लिए शिल्पकारों से 2.50 करोड़ रुपए की वस्तुएं खरीदी हैं। महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों की कुल बिक्री 4.10 करोड़ रुपए थी। यह जनजातीय शिल्पकारों के लिए एक अत्यंत खुशी की बात है।

10.12.1 इस उत्सव को एक साथ चार स्थानों पर एक ही समय पर निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

क्र.सं.	स्थान	राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव , 2017 की अवधि
1	दिल्ली हाट, आईएनए	15 दिनों के लिए 16 से 30 नवम्बर, 2017 तक
2	दिल्ली हाट, जनकपुरी	4 दिनों के लिए 16 से 19 नवम्बर, 2017 तक
3	सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस	2 दिनों के लिए 16 एवं 17 नवम्बर, 2017 तक
4	स्टेट एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग	4 दिनों के लिए 16 से 19 नवम्बर, 2017 तक

10.13 वर्ष 2017–18 के लिए योजना के तहत बजट आवंटन 12.04 करोड था। संशोधित अनुमान स्तर पर 6.32 करोड़ रुपए की राशि के बराबर बजट को कम करना प्रस्तावित है। दिनांक 31.12.2017 तक 0.41 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है तथा जनवरी से मार्च, 2018 की अवधि के लिए अनुमानित/प्रस्तावित आंकडा 5.00 करोड़ रुपए है।

अध्याय 11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

संगठन के बारे में:

11.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) केवल अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गई एक शीर्ष संस्था है। यह निगम जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था तथा इसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका प्रबंधन केन्द्रीय सरकार, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) के प्रतिनिधियों तथा अनुसूचित जनजातियों इत्यादि के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। निगम ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर अनुसूचित जनजाति के आर्थिक उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।

मिशनः

11.2 सतत आधार पर अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास।

उद्देश्यः

11.3 एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना ताकि स्व–रोजगार का सृजन किया जा सके तथा उनकी आय को बढ़ाया जा सके।
- संस्थागत और रोजगार के दौरान प्रशिक्षण दोनों उपलब्ध कराकर अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयुक्त उनके कौशल और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना।
- मौजूदा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों और जनजातियों के आर्थिक विकास में लगे अन्य विकास अभिकरणों को और अधिक प्रभावी बनाना।
- राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की परियोजना निर्माण, एनएसटीएफडीसी समर्थित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना।
- इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए एनएसटीएफडीसी सहायित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

कार्य

11.4 एनएसटीएफडीसी के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं–

- अनुसूचित जनजातियों में एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- कौशल विकास और लाभार्थियों तथा एससीए के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता

करना।

- एससीए के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु अन्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

अंश पूंजी

11.5: दिनांक 31.12.2017 तक निगम की अधिकृत अंश पूंजी 750 करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी 599.11 करोड़ रुपये है।

पात्रता मानदण्ड

11.6 एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदण्ड हैः–

क. व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह

- सभी आवेदकों को अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदनकर्ताओ की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुने (डीपीएल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में यह सीमा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 98,000/– रुपए प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,20,000/– रुपए प्रति वर्ष है, जो पूर्व के योजना आयोग (अब नीति आयोग) के मानदण्डों पर आधारित है।

ख. सहकारी समितियाँः कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए तथा आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता के बदलाव के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी के ऋण की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

टिप्पणः मंत्रालय ने अपने दिनांक 09.10.2017 के पत्र के माध्यम से गरीबी रेखा से दुगनी (डीपीएल) से अधिक तथा 6.00 लाख रुपए वार्षिक तक आय वाली अनुसूचित जनजातियों को अलग–अलग ऋण देने के लिए अपना अनुमोदन दिया, जो वाणिज्यिक बैंक दरों से 2 प्रतिशत कम है।

योजनाएं

11.7 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा विपणन समर्थन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों के ब्यौरे इस प्रकार हैंः–

क. आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत योजनाएंः

- मियादी ऋण योजनाः एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई 25.00 लाख रुपए तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता योजना की लागत के 90 प्रतिशत तक दी जाती है तथा शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक के अंशदान/सीमान्त धनराशि के रूप में पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** यह योजना केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी 1 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम के लिए 90 प्रतिशत तक ऋण प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 4 प्रतिशत वार्षिक की उच्च रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
- **लघु ऋण योजनाः** यह योजना अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों हेतु एक खास योजना है। इस योजना के तहत निगम प्रति सदस्य 50,000/–रु. और प्रति स्व–सहायता समूह को 5.00 लाख रु. प्रदान करता है।

- **आदिवासी शिक्षा ऋण योजनाः** यह शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में पीएचडी सहित प्रौद्योगिकी और पेशेवर शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत निगम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 5.00 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान तथा नौकरी प्राप्त होने के एक वर्ष या छह माह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, विद्यार्थी द्वारा कोई ब्याज देय नहीं है।
- **जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजनाः** इस योजना का उद्देश्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों जिन्हें वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि के अधिकार दिए गए हैं, के लिए जागरुकता पैदा करना, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देना, एनएसटीएफडीसी की रियायती वित्तीय सहायता देना, बाजार के साथ संपर्क इत्यादि में सहायता देना है। इस योजना के तहत एनएसटीएफडीसी लाभार्थियों द्वारा देय 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रदान करता है।

ख. विपणन समर्थन सहायता

निगम लघु वन उत्पाद और अन्य जनजातीय उत्पादों (एमएफपी) की खरीद तथा विपणन में लगी एजेंसियों की कार्यकारी पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एनएसटीएफडीसी की उपरोक्त योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के मानदण्ड

क्र. सं.	सहायता का प्रकार	प्रति इकाई लागत	एनएसटीएफडीसी का अंश	प्रतिवर्ष देय ब्याज	
				एससीए द्वारा	लाभार्थियों द्वारा
1.	सावधि ऋण योजना	25.00 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	3%	6%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए तक)	
				5%	8%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 5.00 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक)	
				7%	10%
				(एनएसटीएफडीसी के शेयर के रूप में प्रति इकाई 10.00 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक)	
2.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	1 लाख रुपए	इकाई लागत का 90%	2%	4%
3.	लघु ऋण योजना	प्रति सदस्य 50,000 रू. तथा प्रति एसएचजी 5 लाख रुपए	100%	3%	6% (एसएचजी द्वारा देय)
4.	आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई)	5 लाख रुपए	ऋण राशि का 90%	3%	6%
5.	जनजातीय वन निवासी सशक्तिकरण योजना	1 लाख रू	ऋण राशि का 90%	3%	6%
6.	स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए योजना	25 लाख रू.	इकाई लागत का 90%	सावधि ऋण योजना के लिए लागू ब्याज दर के अनुसार	

ग. अनुदान के रूप में एनएसटीएफडीसी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

- **कौशल तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए:** स्वरोजगार/रोजगार हेतु अवसर पैदा करने के लिए पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल तथा उद्यमशीलता के विकास हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नई पहल:

11.8 ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू): एनएसटीएफडीसी ने ट्राइफेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार एनएसटीएफडीसी आय सृजनकारी योजनाओं के तहत जनजातीय कारीगरों को रियायती वित्तीय सहायता देगा तथा इन कारीगरों के उत्पादों/उपज का विपणन ट्राइफेड द्वारा किया जाएगा।

निगम का कार्य निष्पादन

11.9 निगम का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है–

क. संस्वीकृतियाँ: एनएसटीएफडीसी ने वर्ष के दौरान 240 करोड़ रुपए की संस्वीकृति का लक्ष्य रखा है। दिनांक 31.12.2017 तक निगम ने आय सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए 158.40 करोड़ रुपए के अपने भाग को 13,793 लाभार्थियों के आर्थिक विकास के लिए आय सृजनकारी गतिविधियों के तहत 167 योजनाओं को स्वीकृत किया। इसके आगे, यह अनुमानित है कि 81.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्त की जाएगी।

ख. संवितरण: वर्ष 2017–18 के लिए संवितरण लक्ष्य 236 करोड़ रुपए है। 31.12.2017 तक निगम ने 9605 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते हुए स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 78.92 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सावधि ऋण के तहत 73.22 करोड़ रुपए के संवितरण में यह शामिल है। आगे, यह अनुमानित है कि 162.78 करोड़ रुपए का संवितरण वित्तीय वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के दौरान प्राप्त किया जाएगा।

ग. वसूली: 31.12.2017 तक संचयी वसूली 87.59 प्रतिशत है।

वर्ष 2017–18 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.10 निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए लक्ष्यों/मानदण्डों का निर्धारण किया है। इससे निगम के कार्य–निष्पादन में सुधार होने की संभावना है तथा लक्षित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय ने भी समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों/मानदण्डों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। वर्ष के दौरान लाभार्थियों के कवरेज का आंतरिक लक्ष्य 89,000 है। लक्ष्य का विभाजन **अनुलग्नक–11** में दिया गया है।

अध्याय 12

जनजातीय उत्पाद के लिए विपणन सहायता

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृखंला का विकास

12.1 लघु वन उत्पाद एकत्र करने वाले, जोकि प्राथमिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के प्राथमिक सदस्य हैं, की सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में 2013–14 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा लघु वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास प्रारंभ की गई है।

12.2 यह योजना उनके एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि में उनके प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था करती है। यह लागत में कमी के साथ बिक्री प्रक्रियाओं में से उन्हें राजस्व का हिस्सा दिलाने की भी व्यवस्था करती है। इसका लक्ष्य प्रक्रिया की निरन्तरता के लिए अन्य मुद्दों का भी समाधान करना है।

12.3 यह योजना चयनित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना करती है। पूर्व नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण व विपणन प्रचालन पदनामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके साथ–साथ ही अन्य मध्यम व दीर्घकालिक मुद्दों जैसे निरंतर संग्रह, मूल्य वृद्धि, अवसंरचना विकास, लघु वन उत्पादों का ज्ञान आधारित विस्तार, बाजार आसूचना विकास तथा ग्राम सभाध्पंचायत के मोल भाव की ताकत को सुदृढ़ करने का समाधान भी करेगा।

12.4 आरंभ में, योजना पांचवी अनुसूची के तहत आने वाले राज्यों में कार्यान्वित की गई थी तथा दस एमएफपी मदें शामिल की गई थी। अक्तूबर, 2016 में, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए तंत्र एवं लघु वन उत्पाद हेतु मूल्य श्रृंखला का विकास' को योजना के दिशा–निर्देशों, विभिन्न हितधारियों और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के साथ चर्चा उपरांत संशोधित किया गया था, तथा 10 एमएफपी वस्तुओं के एमएसपी को संशोधित करते समय, उसे इसकी शुरूआत से एमएफपी योजना का अंग बनाया गया था, चौदह और एमएफपी मदें जोड़ी गई थीं। परिणामस्वरूप, एमएफपी के लिए आगामी विस्तृत अध्ययन कराया गया तथा एमएसपी मूल्य प्रकोष्ठ की सिफारिशों पर, मूलरूप से विद्यमान 10 मदों का एमएसपी 21 नवंबर, 2017 को संशोधित किया गया है तथा अतिरिक्त सूची से एक मद को हटाया गया है इसके परिणामस्वरूप, पांच एमएफपी मदों नामतरू साल बीज, साल के पत्ते, चिरौंजी की फली, रंगिनी लाख और कुसमी लाख का एमएसपी बढ़ाया गया है।

जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन :

12.5 वित्तीय वर्ष 2014–15 से "जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन" शुरू किया गया है। इस योजना का दायरा इस प्रकार है:–

(i) विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों को उत्पादन,

उत्पाद विकास की सम्पूर्ण श्रृंखला, पारम्परिक विरासत के आरक्षण, जनजातीय लोगों के वन और कृषि दोनों उत्पाद हेतु सहायता, उपर्युक्त क्रियाकलाप करने के लिए संस्थानों को सहायता, बेहतर अवसंरचना के प्रावधान, डिजाइन के विकास, जो एजेंसियां उत्पाद खरीद रही हैं उनके और मूल्यों के बारे में सूचना का प्रसार, निंरतर विपणन एवं इसके द्वारा औचित्यपूर्ण मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सहयोग के लिए व्यापक समर्थन देना,

(ii) ग्राम पंचायतों और ग्रामसभा के साथ सूचना की साझेदारी, तथा

(iii) बाजार में मूल्य वृद्धि के लिए कौशल उन्नयन, उपयोगी उत्पादों का विकास।

12.6 योजना का उद्देश्य विपणन समर्थन और क्रिया कलापों का विकास जिन पर वे अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थान बनाना है । इनको विशिष्ट उपायों द्वारा प्राप्त किया जाना है जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप, (ii) जनजातीय कारीगरों, शिल्पकारों, लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों आदि का प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, (iii) अनुसंधान एवं विकासध्बौद्धिक संपदा अधिकार क्रियाकलाप एवं (iv) आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास। योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान जारी की गई राशि के राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–12** में दिए गए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड)

12.7 प्रस्तावना:

i. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड) एक बहु राज्य सहकारी समिति है। इसे बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 1984 (अब बहु राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002) के तहत 1987 में स्थापित किया गया था।

ii. ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। क्षमता निर्माता के रूप में यह अनुसूचित जनजाति के कारीगरों एवं लघु वन उत्पाद (एमएफपी) एकत्र करने वालों को प्रशिक्षण देता है।

iii. ट्राइफेड की प्राधिकृत इक्विटी/शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31.03.2017 को ट्राइफेड की भुगतान की गई शेयर पूंजी 100.55 करोड़ रुपये थी। 31.03. 2017 को ट्राइफेड के 29 सदस्य (शेयर धारक) थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने इक्विटी शेयर पूंजी में 99.75 करोड़ रुपये निवेश किए हैं और वह ट्राइफेड का सबसे बड़ा शेयर धारक है।

12.8 गतिविधियां:

ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गतिविधियों तथा योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

I. मंत्रालय निम्नलिखित चार प्रमुख गतिविधियों के लिए "जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत समर्थन" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ट्राइफेड को सहायता अनुदान प्रदान करता है:

(i) खुदरा विपणन विकास गतिविधि

(ii) एमएफपी विपणन विकास गतिविधि

(iii) अजजा कारीगरों एवं एमएफपी संग्रहकर्ताओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन तथा क्षमता निर्माण, तथा

(iv) अनुसंधान एवं विकास / आईपीआर गतिविधि

II. ट्राइफेड "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास " योजना को भी कार्यान्वित करता है।

वर्ष 2016–17 के लिए 39.00 करोड़ रुपये का सहायता

अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2017–18 के लिए बजट आवंटन 39.00 करोड़ रुपये है।

जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत समर्थन

12.9 ट्राइफेड सम्पूर्ण देश भर में "ट्राइब्स इंडिया" के नाम से खुदरा दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 31.12.2017 तक ट्राइफेड ने लगभग 1220 लाख रुपये का व्यापार किया है। विपणन विकास गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- ट्राइफेड ने 31 स्वयं की 'ट्राइब्स इंडिया' दुकानों तथा पारेषण आधार पर 37 दुकानों तथा 16 फ्रैंचाइजी दुकानों की श्रृंखला स्थापित किया है।
- ट्राइफेड ने अप्रैल से दिसम्बर, 2017 के दौरान 30 से अधिक प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लिया ।
- दिनांक 31.12.2017 तक ट्राइफेड ने जनजातीय शिल्प, संस्कृति, भोजन तथा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, भोपाल एवं जयपुर में तीन "ट्राइब्स इंडिया आदिमहोत्सव" का आयोजन किया। ट्राइफेड ने जनजातीय चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए भी चंडीगढ़ में एक आदिचित्र महोत्सव का आयोजन किया।
- ट्राइफेड ने दिनांक 31.12.2017 तक 846.96 लाख रुपये मूल्य के जनजातीय उत्पादों को खरीदा।
- ट्राइफेड के पास अपने पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ता के रूप में 1213 व्यक्तिगत/एसएचजी/ सहकारिता/ एनजीओ/राज्य सरकारें/संगठन आदि हैं जो 69247 जनजातीय परिवारों के साथ जुड़े हैं।

"न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र एवं एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" योजना का कार्यान्वयन

12.10 वर्ष 2013–14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी योजना) आरंभ की गई जो जनजातीय लोगों को उचित मूल्य प्रदान करने की दिशा में पहला कदम था। आरंभ में, इस योजना में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। बाद में इसे सभी राज्यों में तथा 24 एमएफपी के लिए विस्तारित किया गया। योजना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी (एसएलए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसएलए को परिक्रामी (रिवोल्विंग) निधि प्रदान करता है। यदि कोई हानि हो, तो उसे केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। वर्तमान में, योजना में 23 एमएफपी शामिल हैं तथा यह सभी राज्य में लागू है। 31.12.2017 के अनुसार स्थिति **तालिका 12.1** में दी गई है।

तालिक 12.1: 2017–18 के दौरान स्थिति (31 दिसंबर, 2017 तक):

क्र.सं.	राज्य	वस्तु	मात्रा मैट्रिक टन में	मूल्य (लाख रुपये में)
1	ओडिशा	साल के बीज	1055.44	105.54
		हरीतिका	17.25	1.38
		कुल	**1072.69**	**106.92**
2	छत्तीसगढ़	साल के बीज	12582.41	1268.24
		हरीतिका	309.71	24.78
		बीज के साथ चिरौंजी फली	13.61	8.17
		महुआ के बीज	85.04	17.01
		रंगिनी लाख	13.73	13.73
		कुसुमी लाख	2.03	3.05
		कुल	**13006.53**	**1334.98**
3	गुजरात	कुसुमी लाख	0.223	0.33
		शहद	24.55	22.32
		महुआ के बीज	99.01	19.80
		बहेड़ा	0.55	0.082
		मधु नाशनी	0.03	0.01
		कुल	**124.36**	**42.54**
4	महाराष्ट्र	गोंद कराया	1.36	1.46
		करंज के बीज	2.73	0.49
		हरीतिका	17.58	1.41
		महुआ के बीज	4.36	0.87
		बहेड़ा	51.63	7.75
		पुआद के बीज	0.04	0.00
		बायल (सूखा और बिना छाल के	0.17	0..02
		पलास के फूल	0.09	0.01
		इमली बीज सहित	0.07	0.01
		कुल	**78.03**	**12.02**
5	आंध्र प्रदेश	गोंद कराया	0.59	0.64
		करंज के बीज	11.45	2.02
		बिना बीज के इमली	8.79	4.40
		महुआ बीज	20.98	4.20
		योग	**41.81**	**11.26**
		कुल योग	**14333.12**	**1512.53**

राष्ट्रीय कार्यक्रम

12.11 जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से दिनांक 25.09.2017 को ट्राइफेड द्वारा "लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) – टेकिंग इट टू नेक्स्ट लेवल (इसे अगले स्तर पर ले जाते हुए)" के मुद्दे पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य, विभिन्न संघ, एनजीओ, और कॉरपोरेट क्षेत्र आदि से कुल 179 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। माननीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने कार्यशाला का उद्घाटन किया, जहां दोनों राज्य मंत्री भी विशिष्ट अतिथि थे।

इस राष्ट्रीय कार्यशाला के पीछे मुख्य उद्देश्य योजना के बारे में राज्यों को जागरूक करना तथा उन्हें योजना के अंतर्गत भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना था ताकि योजना का कार्यक्षेत्र अधिक संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्य सरकारें भाग लें, एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार किया गया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर किए गए। व्यक्तिगत दौरों,

पत्राचारों, तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों और अन्य कार्मिकों द्वारा किए गए दौरों के माध्यम से सभी राज्यों के साथ कठोरता से मामले का अनुपालन किया गया था। परिणामस्वरूप, 14 राज्य सरकारों ने योजना के तहत भाग लेने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और अन्य 4 राज्यों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने नोडल विभाग और राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियां घोषित की । इन राज्यों के अलावा, अन्य 3 राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं। यह आशा है कि योजना में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या पूर्व में 7 से बढ़कर अब 20 हो जाएगी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 21/11/2017 की अधिसूचना के माध्यम से सभी राज्यों में लागू 23 एमएफपी के लिए नयूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। योजना में संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं:–

क. चार एमएफपी के लिए एमएसपी में संशोधन

i. साल के बीज 10 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 12 रुपये प्रति कि.ग्रा.

ii. साल के पत्ते 21 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 24 रुपये प्रति कि.ग्रा.

iii. बीज सहित चिरौंजी की फली 60 रुपये प्रति कि.ग्रा. से 93 रुपये प्रति कि.ग्रा.

iv. क. लाख रागिनी 100 रुपये/कि.ग्रा. से 130 रुपये प्रति कि.ग्रा.

ख. लाख कुसुमी 150 रुपयेधकि.ग्रा. से 167 रुपये प्रति कि.ग्रा.

ख. पलाश फूल को एमएसपी सूची से हटाना – दिनांक 31.10.2016 क आदेश के भाग के रूप में शामिल पलाश फूल को योजना के तहत शामिल एमएफपी से हटाया गया है।

ग. दिनांक 31.10.2016 के पत्र के माध्यम से घोषित अन्य सभी एमएफपी के लिए एमएसपी वही है।

12.13 योजना के तहत शामिल सभी एमएफपी के लिए घोषित एमएसपी **तालिका 12.2** में दी गई है।

तालिका 12.2

क्र.सं.	एमएफपी मद	मूल्य प्रतिग्राम
01.	इमली (बीज सहित)	18/-
02.	शहद	150/-
03.	गोंद कराया	108/-
04.	करंज के बीज	18/-
05.	साल के बीज	12/-
06.	महुआ के बीज	20/-
07.	साल की पत्तियां	24/-
08.	बीज के साथ चिरौंजी की फली	93/-
09.	हरीतिका	8/-
10.	लाख	
(क)	रंगिनी	130/-
(ख)	कुसुमी	167/-
11	कुसुम के बीज	10/-
12	नीम के बीज	12/-
13	पुआद के बीज	8/-
14	बहेड़ा	15/-
15	पहाड़ी झाडू घास	10/-
16	शिकाकाई	30/-
17	गुग्गल (तरल)	700/-
18	बायल (सूखा और छाल रहित)	15/-
19	नागरमोथा	25/-
20	शतावरी (सूखा)	40/-
21	मधुनाशनी	35/-
22	कालमेघ	15/-
23	इमली (बीज रहित)	40/-

12.14 योजना के तहत खरीद स्वसहायता समूहों को साथ लेते हुए पदनामित राज्य स्तरीय संगठनों द्वारा की जानी है। ग्रामीण विकास, सहकारी तथा वन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्वसहायता समूह विद्यमान हैं। उन्हें हाट बाजार स्तर पर खरीद के लिए पंजीकृत और नियुक्त किया जाएगा। एमएफपी संग्रहण को ग्राम और हाट स्तर पर अपने साथियों से खरीद करने वाले प्रशिक्षित स्वसहायता समूहों के साथ, समुदाय आधारित योजना में परिवर्तित किए जाने का

प्रस्ताव है। वास्तव में ऐसे स्वसहायता समूह खरीद स्थानों पर वृहत स्तर पर मानव संसाधन के लिए आवश्यक कामगार प्रदान करते हैं। यह जन–शक्ति कार्यान्वयनकारी एजेंसी के लिए बहुत किफायती होती है तथा उनकी जनशक्ति संबंधी बाधाओं की समस्या का हल करती है। खरीद और राज्यों को जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों की बाधाओं के प्रबंधन में सहायता करने के अलावा, यह सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम में योजना को और समृद्ध बनाएगी।

12.15 **(i)** योजना मूल्य संवर्धन पर बल देती है। दो स्तरीय मूल्य संवर्धन इस योजना के तहत जनजातीय लोगों के जीविकोपार्जन, आय बढ़ाने के लिए आधारशिला साबित होगा। एसएचजी के सदस्य राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसी के निर्देश और पर्यवेक्षण में सफाई करने, सुखाने और घर के स्तर पर प्रसंस्करण जैसे प्राथमिक मूल्य संवर्धन का कार्य करेंगे। प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद स्टॉक इन एसएचजी द्वारा राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के भंडार गृह भेजा जाएगा। इसके पश्चात् कार्यान्वयनकारी एजेंसी उचित समय पर विक्रय के लिए उत्पाद का भंडारण कर सकते हैं, अथवा नीलामी प्रक्रिया या मंडी में विक्रय के आधार पर इसको बेच सकते हैं एमएफपी के उच्चत्तर मूल्य संवर्धन के लिए, बड़े कॉरपोरेट सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड के तहत शामिल किये जाएंगे। ये निजी उद्यमियों द्वारा प्रबंधित परिष्कृत वृहद मूल्य संवर्धन की धुरी होंगे। यह पीपीपी मॉडल प्रसंस्करण के साथ–साथ उत्पादों के विपणन में निजी उद्यमिता कौशल के उपयोग पर आधारित होगा एवं केन्द्र/राज्य सरकार अवसंरचना के सृजन तथा सुनियोजित वैज्ञानिक तरीके से मूल्य संवर्धन के लिए सक्षम वातावरण तैयार करने के संबंध में समर्थन करेगी। इस कदम से योजना के तहत प्रति इकाई विक्रय बढ़ाने और घाटा कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ii) समर्थन और प्रचार भी वृहद पैमाने पर किए जाने प्रस्तावित हैं। पंचायती राज मंत्रालय से भी पंचायतों के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस योजना की विषय–वस्तुओं को शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान तैयार किए गए हैं। जांच और निगरानी प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने के साथ ही इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव के अधीन तथा जिला स्तर पर जिलाधीश के अधीन बहु–विभागीय निगरानी समितियां स्थापित की गई हैं। उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से कठोर अनुपालन की योजना बनाई गई है ताकि ये समितियां नियमित रूप से बैठकें करें तथा उनके द्वारा दिए गए सुझाव/प्रतिपुष्टियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

(iii) समझौता ज्ञापन के तहत एमएफपी प्रशिक्षण क्रियाकलाप तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यः वर्ष के दौरान ट्राइफेड ने दोनों योजनाओं के तहत 10,630 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है। इसे और अधिक प्रभावी बनाने और बाजार से सम्पर्क सृजित करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की समीक्षा की गई है। नए दृष्टिकोण के तहत स्वसहायता समूहों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित होगा और लघु वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा आजीविका/एनआरएलएम/ट्राइफेड के साथ उनके सम्पर्क के लिए निविष्टयां प्रदान की जाएंगी। राज्य स्तरीय एजेंसियां भी ट्राइफेड के साथ इसी प्रकार के प्रशिक्षण शुरू कर सकती हैं। योजना के अनुसार, प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत ट्राइफेड के साथ लगाया जाएगा जो वस्तुओं का मूल्य संवर्धन करेंगे तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (टीडीसीसी) को मूल्य संवर्धित एमएफपी की आपूर्ति करेंगे।

अनुसंधान और विकास

12.16 एमएफपी के विपणन विकास के अधिदेश के साथ ट्राइफेड विचार करता है कि जनजातीय लोगों को बेहतर

आय प्रदान करने के लिए एमएफपी से प्रति इकाई प्राप्तियां बढ़ाना आवश्यक है। विकासशील प्रौद्योगिकी, उपकरण, उत्पाद, प्रसंस्करण आदि के माध्यम से एमएफपी के मूल्य संवर्धन संबंधी अनुसंधान और उनका अधिकतम उपयोग जनजातीय लोगों को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करता है अतः इससे उनका सशक्तिकरण होता है। ट्राइफेड एमएफपी के मूल्य संवर्धन के संबंध में आईआईटी, सीएफटीआरआई, आईआईसीटी, बीआईटी आदि जैसे ख्याति प्राप्त संस्थानोंध्विश्वविद्यालयों को ऐसे अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं के लिए प्रायोजित करता है।

12.17 पूर्ण और जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है:

i. **मूल्य संवर्धित साल खाद/जैव–उर्वरक का वैधीकरण और उन्नयन:** मूल्य संवर्धित साल खाद एमिटी विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्तर पर साल डॉक (डीओसी) से विकसित किया गया था। अनुसंधान परिणाम का वाणिज्यीकरण प्रक्रियाधीन है।

ii. **महुआ फूल से महुआ अमरूद मिश्रित पोषक पेय पदार्थ (आईआईटी दिल्ली):** महुआ और अमरूद मिश्रित पोषक पेय की प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है। विकसित पेय का प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण प्रक्रियाधीन है।

iii. **सात सोलर/जैव ईंधन वाले मिश्रित ड्रायर का निर्माण और प्रतिस्थापन:** ड्रायर की डिजाइन, खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर सीएसआईआर के संगठन द्वारा विकसित की गई है। राज्य एजेंसियों/एनजीओ के सहयोग से 4 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड तथा महाराष्ट्र में से 3 स्थिर और 4 सचल ड्रायर का प्रतिस्थापन प्रगति पर है।

iv. **बीआईटी, मेसरा के माध्यम से कम लागत की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए करंज तेल से प्रसाधन सामग्री का विकास:** करंज के तेल का प्रसंस्करण करते हुए परियोजना में, कोल्ड क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, तरल साबुन तथा दाढ़ी बनाने की क्रीम विकसित की गई है। ऊपर उल्लिखित सौन्दर्य उत्पादों के आविष्कार के लिए पेटेंट दायर किया गया है। अनुसंधान खोजों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है तथा इसके वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

v. **भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद के माध्यम से साल के तेल से जैव मोमबत्ती का विकास:** इस परियेाजना में हाइड्रोजनकृत साल के तेल से जैव–कैंडल विकसित की गयी है जिसकी अच्छी बाजार सम्भावना है। विकसित उत्पाद का पेटेंट पंजीकरण और प्रदर्शन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

vi. **वृक्षजनित तेल के बीजों के लिए बहुउद्देशीय छीलने के यंत्र (डीकार्टिकेटर) का विकास:** यह केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (सीआईएई), भोपाल के सहयोग से प्रक्रिया में है। विकसित डीकार्टिकेटर 85 से 90 प्रतिशत डीकार्टिकेटिंग स्तर का समायोजन करते हुए मूंगफली, अरंडी के बीज, महुआ के बीज और करंज के बीज के प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है। मशीन की जांच के पश्चात इसका वाणिजयिक उत्पादन आरंभ किया जाएगा।

vii. **मधुका लोंगिफोलिया (महुआ) , पोंगामिया ग्लाब्रा (करंज) और ओसिमम ग्रेटिसिमम (वन तुलसी) के रस पर आधारित मच्छर मारने की दवा और लार्वा मारने की दवा के सूत्र का अध्ययन– भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी**

संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबादः करंज और महुआ का सत्व निकाला गया तथा मच्छरों के समूह पर प्रयोग किया गया और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। मच्छर मारने की दवा का निर्माण/तैयारी प्रक्रियाधीन है।

viii. **टमाटर के अचल जीवन को बढ़ाने के लिए गोंद कराया से खाने योग्य परत का विकास– श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एसआरआईआईआर), दिल्लीः** विकसित परत टमाटर के अचल जीवन को बढ़ाने वाली पाई गई। अन्य विभिन्न किस्मों के विकसित/परत वाले टमाटरों के अचल जीवन का अध्ययन पूरा हुआ है तथा पुष्टि की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ix **हरीतिका (टर्मिनेलिया चेबुला) का प्रयोग करते हुए बालों के रंग के अलग–अलग प्रकारों का विकास– बीआईटी, मेसराः** हरीतिका और अन्य जड़ी–बूटियों से शुरूआत के सूत्र तैयार किए गए थे और अब तक परिणाम संतोषजनक प्राप्त हुए हैं।

x. **महुआ के फूल के रस, आंवला के साथ इमली का प्रयोग करते हुए मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों का विकास– आईआईटी दिल्लीः** सर्व किए जाने के लिए तैयार (आरटीएस) पेय पदार्थ तथा अन्य पेय उत्पाद जैसे कैंडी, आचार और चटनी इमली और महुआ के सांद्रण को मिलाकर तैयार की गई है। इमली–महुआ की कैंडी, चटनी और आचार जैसे उत्पादों को उन्नत बनाने का कार्य प्रगति पर है।

xi. **साल (सोरिया रोबस्टा) के पत्तों के तत्व का प्रयोग करते हुए संक्षारकरोधी विशेषता वाले गैर–चिकनाई और सफाई हेतु सूत्र का विकास– श्री राम ओद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एसआरआईआई आर), दिल्लीः** साल के पत्तों की संक्षारकरोधी विशेषता पर प्रारंभिक प्रयोग सकारात्मक पाया गया था। साल के पत्तों में पाया जाने वाला सैपोनिन इस विशेषता के लिए उत्तरदायी है। साल के पत्तों के सत्व से विकसित सफाई करने और चिकनाई हटाने के सूत्रों की पुष्टि की प्रक्रिया एक ऑटोमोबाइल कम्पनी के साथ प्रगति पर है।

xii **टिश्यू कल्चर (उत्तक संवर्धन) के माध्यम से चिरौंजी (बूचेनैनिया लंजन) की बड़े पैमाने पर वृद्धि – टेरी, दिल्लीः** परियोजना का उद्देश्य चयनित किस्मों से उत्तक संवर्धन के माध्यम से वनस्पतिक संवृद्धि के साथ बड़े पैमाने पर वृद्धि करना है। चयनित किस्मों से उत्तक संवर्धन के माध्यम से पौधों का विकास पूरा हो गया है तथा कारखाने का विकास प्रगति पर है।

अध्याय 13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के बारे में

13.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिए गए विभिन्न सुरक्षापायों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1950 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1978 में एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1992 में ये दो संगठन सांविधिक बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए थे। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं, समस्याएं तथा उनके अपेक्षित समाधान, अनुसूचित जातियों की समस्याओं से कहीं अधिक भिन्न थे, अतः जनजातीय विकास के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के सुरक्षोपायों के लिए स्वतंत्र मशीनरी का होना आवश्यक समझा गया। तद्नुसार, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338क का अंतर्निवेश करके दिनांक 19 फरवरी, 2004 को एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की स्थापना की गई थी।

13.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं।

कार्यालय की अवधि

13.3 आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केन्द्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जबकि आयोग के अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में अपने पद पर बने रहते हैं।

कार्य एवं कर्तव्य

13.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य तथा शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) तथा (8) में दिए गए हैं। एनसीएसटी (अन्य कार्यों का निर्धारण) नियमावली, 2005 के अनुसार आयोग को अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण, विकास तथा उन्नति के संबंध में कुछ अन्य कार्य भी निपटाने होंगे जो निम्नानुसार हैं:

(क) उपाय जो वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व का अधिकार दिए जाने के लिए आवश्यक हैं।

(ख) कानून के अनुसार, खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि के संबंध में जनजातीय समुदायों को सुरक्षा अधिकार देने के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ग) जनजातियों के विकास और अधिक व्यवहार्य आजीविका रणनीतियों के लिए किए जाने वाले उपाय।

(घ) विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ड.) जनजातीय लोगों का भूमि के अन्य हस्तान्तरण रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनके मामले में पहले ही हस्तान्तरण हो चुका है।

(च) वनों के संरक्षण और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजातीय समुदायों को शामिल करने एवं अधिकतम सहयोग प्रदान करने हेतु किए जाने वाले उपाय।

(छ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,

1996 (1996 का 40) के उपबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

(ज) जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती को धीरे–धीरे कम करना और अन्ततः समाप्त करना जिसके कारण उनकी अधिकारिता निरंतर कम होती है और भूमि तथा पर्यावरण का क्षय होता है, के लिए किए जाने वाले उपाय।

13.5 आयोग के मुख्य कर्त्तव्य अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच–पड़ताल करना और उनकी निगरानी करना है तथा ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है; और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों से वंचित करने और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करते समय अथवा किसी मामले, विशेषकर निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जांच–पड़ताल करते समय सिविल न्यायालय के वाद की जांच करने के सभी अधिकार निहित हैं, अर्थात–

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन भेज कर उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ दिलाकर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से आयोग के किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी प्रति की आवश्यकता;

(ङ.) गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला, जिसे राष्ट्रपति नियमानुसार निर्धारित करें।

13.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने से संबंधित सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

आयोग तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान

13.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची एवं शिलांग में स्थित हैं। इन कार्यालयों के पते और क्षेत्राधिकार **अनुलग्नक–13** में दिए गए हैं।

आयोग की वार्षिक रिपोर्टे

13.8 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5(घ) के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय करने संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक तौर पर और आयोग जब भी उचित समझे, अन्य समय पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) के अनुसार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखना अपेक्षित है और इसके साथ केन्द्रीय सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन भी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों, भी बताने होंगे। एनसीएसटी द्वारा इसके सृजन से लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की स्थिति और उन पर की गई कार्रवाई निम्नानुसार है :

तालिका 13.1

रिपोर्ट	वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख	संसद में रखने की तारीखें
पहला	2004-05 एवं 2005-06	08.08.2006	30.08.2012 एवं 31.08.2012
दूसरा	2006-07	03.09.2008	26.04.2013 एवं 02.05.2013
तीसरा	2007-08	29.03.2010	08.08.2016 एवं10.08.2016
चौथा	2008-09	27.08.2010	08.08.2016 एवं 10.08.2016
पांचवा	2009-10	13.07.2011	08.08.2016 एवं 10.08.2016
विशेष	2012	18.06.2012	12.12.2013 एवं 13.12.2013
छठां	2010-11	25.10.2013	10.4.2017 एवं 9.3.2017
सांतवा	2011-12	20.02.2015	10.4.2017 एवं 29.3.2017
आठवां	2012-13	16.11.2015	10.4.2017 एवं 29.3.2017
नवां	2013-14	24.05.2016	संबधित मंत्रालयों से मांगी जा रही निविष्टयों के आधार पर कृत कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात इन वार्षिक रिपोर्टों को शीघ्र ही संसद के पटल पर रखा जायेगा।
दसवां	2014-15	31.05.2016	
ग्यारहवां	2015-16	28.10.2016	

अध्याय 14

स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

14.1 यह स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास का काम केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता है। स्वैच्छिक अथवा गैर–सरकारी संगठनों के स्थानीय आधार और उनकी सेवा भावना के साथ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है। वे यह सुनिश्चित करने में सरकारी प्रयासों के पूरक होते हैं कि उन प्रयासों के लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचें। कुछ मामलों में, स्वैच्छिक संगठन सरकारी योजनाओं को ज्यादा कुशलता से क्रियान्वित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

14.2 बहुत से स्वैच्छिक संगठनों ने जनजातियों के उत्थान में सराहनीय कार्य किया है और अब भी उनके प्रयास जारी हैं। तथापि, कुछ अरसे से वित्तीय सहायता के लिए मंत्रालय के पास पहुंचने वाले गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि केवल खरे और प्रतिबद्ध संगठन ही सरकार के भागीदार के रूप में विकासात्मक क्रियाकलाप करें।

14.3 गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का चयन पारदर्शी तरीके से राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों की भागीदारी से किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2005–06 में गैर–सरकारी संगठनों के प्रस्तावों की प्राप्ति, पहचान, संवीक्षा एवं स्वीकृति के लिए एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया विकसित की है और वर्ष 2008–09 के दौरान प्रासंगिक योजनाओं में संशोधन द्वारा प्रणाली को और सुदृढ़ किया है। इस प्रक्रिया के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने राज्य के प्रधान सचिव/सचिव जनजातीय/सामाजिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित अन्य सरकारी और गैर–सरकारी सदस्यों को मिलाकर "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन देने के लिए राज्य समिति" का गठन किया है। यह बहु–विषयक राज्य स्तरीय समिति गैर–सरकारी संगठनों के नए प्रस्तावों के साथ–साथ चालू प्रस्तावों की जांच करती है और प्राथमिकता के आधार पर कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में केवल सर्वाधिक प्रभावी परियोजनाओं की सिफारिश करती है। इसके अलावा, केवल उन गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से अनुदान जारी किये जा रहे हैं जो अपनी एनजीओ दर्पण की विशिष्ट पहचान (आईडी) पर 03 पदधारितों के अद्यतन पैन/आधार ब्यौरों के साथ नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पर पंजीकृत हैं।

राज्य स्तरीय समितियों का गठन

14.4 प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को प्रधान सचिव/सचिव, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग (राज्य सामाजिक कल्याण विभाग जैसा भी मामला हो) की अध्यक्षता में बहुविषयक राज्य समिति का गठन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास विभाग, या उसके प्रतिनिधि;

ii. सचिव, राज्य कृषि विभाग, या उसके प्रतिनिधि;

iii. सचिव, राज्य स्वास्थ्य विभाग, या उसके प्रतिनिधि;

iv. अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ/राज्य में कार्यरत ख्याति प्राप्त गैर–सरकारी संगठन;

v आयुक्त/निदेशक, जनजातीय कल्याण विभाग या निदेशक, जनजातीय अनुसंधान संस्थानः सदस्य सचिव।

राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका

14.5 राज्य स्तरीय समितियों की भूमिका निम्नानुसार है:

i. प्रत्येक वित्त वर्ष में राज्य समिति की बैठकों का एक बार या अधिकतम दो बार आयोजन किया जाना चाहिए,

ii. क्षेत्रीय कार्यकरणों द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्टों तथा निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकरी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों की जांच,

iii. प्रस्तावों की जांच करते समय, राज्य समितियां निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखेंगी:

- सिफारिश की गई परियोजनाएं सही ढंग से संचालित की जाती हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- सहायक आंकड़ों के प्रभाव का आकलन करने के बाद चालू परियोजनाओं को जारी रखने का औचित्य दिया जाता है।
- संभावित अवधि जब तक परियोजना जारी रहेगी या निधियों की आवश्यकता होगी;
- आम तौर पर सामान्य जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा अधिक साक्षरता स्तर वाले जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की जाती है। इसी प्रकार, अच्छे अस्पतालों वाले क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों की सिफारिश नहीं की जाती है।
- कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों में महिला सेवा स्टाफ, वार्डन एवं पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए।
- जहाँ कहीं भी संभव हो, निगरानी इत्यादि के लिए पंचायती राज संस्थाओं से संबंध स्थापित करना।
- प्रत्येक वर्ष, बजटीय अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को हटाने के प्रयास किए जाते हैं, जिनका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है; तथा चल रही ऐसी परियोजनाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी परियोजनाओं का संचालन कर सकती हैं, उन्हें भी बंद करने के प्रयास किए जाते हैं;
- ऐसी नई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो पहले से चल रही हैं तथा कम सेवा वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने का रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं;
- नई परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को शुरू करते समय उनके प्रभाव का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम बैंचमार्क डाटा उपलब्ध होना चाहिए या उसे एकत्रित किया जाना चाहिए।
- राज्य समितियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण करके इसके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए परियोजना की निधियन आवश्यकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

स्थापित स्वैच्छिक अभिकरण (ईवीए)

14.6 मंत्रालय द्वारा यह प्रयास भी किया गया था कि वह अखिल भारतीय स्वरूप के स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को चिन्हित करें जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में अपनी निःस्वार्थ सेवा और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं तथा उनकी परियोजनाओं की स्वीकृति और वार्षिक अनुदानों की निर्मुक्ति से संबंधित कुछ निबंधन और शर्तों में ढील देने के लिए उन्हें अलग श्रेणी में रखें। तद्नुसार मंत्रालय ने कुछ ऐसे संगठनों को "स्थापित स्वैच्छिक अभिकरणों (ईवीए)" के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। ये संगठन निम्नानुसार हैं:

1. रामकृष्ण मिशन और इसके संबद्ध संगठन।
2. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम तथा इससे सम्बद्ध संगठन।
3. भारत सेवाश्रम संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
4. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
5. सेवा भारती और इसके सम्बद्ध संगठन।
6. विद्या भारती तथा इसके सम्बद्ध संगठन।
7. स्वामी विवेकानंद युवा आंदोलन, कर्नाटक।

8. दीन दयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली।.
9. सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुणे, महाराष्ट्र।
10. राष्ट्रीय सेवा समिति, आन्ध्र प्रदेश।
11. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र, कर्नाटक।
12. अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
13. डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी, नई दिल्ली।
14. विनोबा निकेतन, केरल।

स्वैच्छिक क्षेत्र की योजनाएं

14.7 वर्तमान में मंत्रालय की तीन योजनाएं चल रही हैं जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए खुली हैं। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
2. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

14.8 "अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" योजना 1953–54 में आरंभ की गई थी तथा यह योजना जारी है। संशोधित योजना 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी है। आवेदन प्रपत्रों इत्यादि सहित योजना के दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

उद्देश्य

14.9 इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि– बागवानी, उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से कम सेवा वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरना और सरकार की कल्याण योजनाओं की पहुंच को बढ़ाना तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करना है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास अथवा आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली किसी अन्य नई गतिविधि पर भी स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से विचार किया जा सकता है।

प्रक्रिया एवं वित्तपोषण

14.10 यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

संशोधित योजना में निर्धारित परियोजनाओं की श्रेणियों के लिए पात्र गैर–सरकारी संगठनों/स्वायत्त सोसाइटियों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहु–अनुशासनीय राज्य स्तर की समिति द्वारा विधिवत सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन के आधार पर दिए जाते हैं। संशोधित योजना में निर्धारित समय– अनुसूची के अनुसार आवेदन तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आमतौर पर सरकार द्वारा 90% तक निधियां दी जाती हैं। शेष 10% स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। तथापि, इस योजना के तहत सहायता की सीमा उन परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत है जिनका क्रियान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसी विशिष्ट वर्ग की परियोजना हेतु स्वैच्छिक संगठन/गैर– सरकारी संगठन को अनुदान सरकार द्वारा उस विशिष्ट वर्ग की परियोजना के लिए निर्धारित तथा समय–समय पर संशोधित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित है। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017, के नियम 230 से 234 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तथा अनुदान संशोधित योजना के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

14.11 गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में उन्हें अलग लेखा रखने की जरूरत है और ये लेखे सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखाओं की चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक रूप से लेखा–परीक्षा भी कराने की आवश्यकता है और सा.वि.नि.2017 के तहत (जीएफआर 12–ग) के निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ खातों की लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

14.12 जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर सामान्यतया प्रतिवर्ष अनुदान निर्मुक्त

किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

14.13 गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

योजना का निष्पादन

14.14 वर्ष 2017–18 के दौरान योजना के तहत मंत्रालय द्वारा वार्षिक आवंटन एवं किये गये व्यय के ब्यौरे तथा विगत 2 वर्षों में किए गए आवंटन तथा व्यय के साथ **तालिका 14.1** में दिये गये हैं:

तालिका 14.1: वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान निधियों का आवंटन तथा निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय
	ब.अ.	ब.अ.	
2014-15	76.50	80.00	82.32
2015-16	77.00	75.65	75.05
2016-17	120.00	120.00	81.22
			(31.12.2016 तक)

दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 के दौरान अनुमानित व्यय 35.23 करोड़ रु है

* बजट में निम्नलिखित योजनाओं के निधियन शामिल हैं:–

i. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

ii. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

iii. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

मंत्रालय वर्तमान में जारी परियोजनाओं के प्रतिपूर्ति मामलों पर विचार कर रहा है अर्थात् ऐसी परियोजनाएं जहां एनजीओ / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पूर्व में व्यय किए जाते थे और अब एनजीओ / स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा–परीक्षा विवरण के आधार पर प्रतिपूर्ति की जा रही है। 2011–12 से किसी नई परियोजनाओं पर विचार नहीं किया गया है।

14.15 संशोधित योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की कई श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिन पर अनुदान के लिए विचार किया जा सकता है। श्रेणियों की सूची निम्नलिखित है:

1. आवासीय विद्यालय
2. गैर–आवासीय विद्यालय
3. छात्रावास
4. सचल औषधालय
5. दस बिस्तरों वाले अस्पताल
6. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र
7. पुस्तकालय
8. सचल पुस्तकालय सह दृश्य–श्रव्य (एवी) इकाई
9. जनजातीय प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्रामीण रात्रि विद्यालय
10. बालवाड़ी/क्रैच केन्द्र
11. स्वास्थ्य बचाव एवं स्वच्छता कार्यक्रम
12. पेय जल कार्यक्रम
13. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में प्रशिक्षण
14. रोजगारक्षम कौशलों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र
15. वृद्ध आश्रम
16. जागरूकता के प्रसार के लिए स्कूल के बच्चों को शामिल करना
17. सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कोई अन्य अभिनव परियोजना

परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के ब्यौरे

आवासीय विद्यालय

14.16 आवासीय विद्यालय परियोजना की एक लोकप्रिय श्रेणी है, जिसका उद्देश्य उन गरीब जनजातीय बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है, जो अपने आस–पास स्कूल न होने की वजह से और अपने घर से दूर शिक्षा पाने और रहने की लागत वहन नहीं कर पाने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा आवासीय स्कूल ऐसी जगहों, गांवों या कस्बों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल नहीं हैं तथा जो राज्य और जिले के अन्य भागों से अच्छी तरह जुड़े नहीं हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को रहने और खाने की निरूशुल्क

सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सा सहायता और अन्य प्रासंगिक प्रभार की लागत भी योजना से पूरी की जाती है। अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों जैसे वार्डन, एकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक स्टाफ को मानदेय का भुगतान भी सहायता अनुदान से किया जाता है। 'आवासीय विद्यालय' परियोजना कार्यान्वित करने वाले संगठन, परियोजना को स्वयं के भवन में या किराए पर भवन लेकर चला सकते हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में कमरे तथा शौचालय/स्नानघर की सुविधाएं हों। रख–रखाव प्रभार अथवा भवन के किराए का भुगतान अनुदान सहायता से किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी संख्या इन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रही है।

14.17 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 20 राज्यों में 83 आवासीय विद्यालयों को निधिपोषित किया गया जिनसे 12,576 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

गैर–आवासीय विद्यालय

14.18 यह भी अत्यधिक लोकप्रिय श्रेणी की परियोजनाओं में से एक है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। वर्दी, पुस्तकों, लेखन सामग्री, चिकित्सीय सहायता और अन्य अनुषंगिक खर्चों को भी योजना से पूरा किया जाता है। अध्यापक और अन्य कर्मचारियों जैसे अकाउंटेंट, डॉक्टर और अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सहायता अनुदान से मानदेय दिया जाता है। "गैर–आवासीय विद्यालय" परियोजनाओं का संचालन करने वाले संगठन इसका संचालन अपने स्वयं के भवन या किराए के भवन में कर सकते हैं जिनमें पर्याप्त संख्या में कमरे और शौचालय सुविधाएं हों। इन परियोजनाओं से अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

14.19 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 8 राज्य में संचालित 35 गैर–आवासीय विद्यालय को निधिपोषित किया गया जिनसे 9,235 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

छात्रावास

14.20 इस परियोजना का लक्ष्य ऐसे जनजातीय छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करना है जिन्होंने अपनी प्राथमिक या मिडिल शिक्षा अपने गांव के पास के स्कूलों से पूरी की ली है लेकिन वे शहरों में रहन–सहन की उच्च लागत की वजह से बाहर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और उनके अपने गांवों के नजदीक महाविद्यालय की सुविधाएं नहीं है। छात्रावास उन शहरों और नगरी में चलाए जाते हैं, जहां शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

14.21 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 13 राज्यों में 49 छात्रावासों को निधिपोषित किया गया है जिनसे 4,409 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है।

सचल औषधालय

14.22 सचल औषधालयों/क्लीनिकों के जरिए अलग–थलग गांवों/कस्बों में रहने वाले जनजातीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु संगठन को इस परियोजना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वैन/जीप और उपस्करों की खरीद की लागत को वहन करने के अलावा डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों तथा दवाइयों के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए योजना वार्षिक रूप से सहायता अनुदान प्रदान करती है।

14.23 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 14 राज्यों में 51 सचल औषधालयों को निधिपोषित किया गया था जिनसे 4,95,057 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को फायदा पहुंचा।

दस अथवा उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल

14.24 इस परियोजना को चलाने के पीछे विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को जनजातीय क्षेत्रों में, जहां अब तक सरकार की ऐसी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां दस अथवा उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल चलाने के लिए सहायता देना है। इन छोटे अस्पतालों में ज्यादातर बाह्य रोगियों का इलाज किया जाता है लेकिन वहां अन्तरंग रोगियों के इलाज की सुविधाएं भी हैं। फर्नीचर, उपस्कर, अस्पताल उपकरणों, एम्बुलेंस, एक जेनरेटर सेट की खरीद तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों को मानदेय प्रदान करने के लिए आवर्ती खर्चों तथा दवाइयों की खरीद, भवन किराया प्रभार इत्यादि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

14.25 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 8 राज्यों में 22 अस्पतालों को निधि पोषित किया गया है,

जिनसे 4,79,693 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

14.26 इस परियोजना का विशिष्ट उद्देश्य स्वैच्छिक एजेंसियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों (न्यूनतम 30 प्रशिक्षणार्थी) के संचालन/रख–रखाव के लिए सहायता करना है। इस परियोजना का लक्ष्य कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग आदि का ज्ञान बढ़ाना और उन्हें सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने की क्षमता प्रदान करना है। इन केन्द्रों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि संगठन अपने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्यायन विभाग (डीओईएसीसी) द्वारा मान्यता दिलवाएं और मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

14.27 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान 6 राज्यों में 9 कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र को निधिपोषित किया गया है जिससे 270 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

14.28 पिछले दो वर्षों के दौरान अलग–अलग परियोजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान किए गए स्वैच्छिक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों/ स्वायत्तशासी समितियों की सूची **अनुलग्नक–14क (i)** में दी गई है।

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना

14.29 कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लडकियों हेतु लिंग–विशिष्ट योजना की शुरूआत वर्ष 1993–94 में की गई थी। इस योजना को वर्ष 2008–09 में संशोधित किया गया है जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। आवेदन–प्रपत्र सहित इस योजना के दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं। अब इस योजना को अब अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत मिलाया किया जा रहा है।

उद्देश्य

14.30 इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यक परिवेश पैदा करके विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) द्वारा आबाद क्षेत्रों में चिह्नित जिलों अथवा ब्लॉकों में सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता अन्तर को भरना है। योजना नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए अ.ज.जा. की लड़कियों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां भी 5 कि.मी. की दूरी के भीतर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय एवं छात्रावास दोनों की सुविधा प्रदान की जाती है। सामाजिक–आर्थिक विकास मे प्रभावी रूप से भाग लेने हेतु समर्थ बनाने तथा लाभ प्राप्त करने के लिए जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार करना अति आवश्यक है।

कवरेज

14.31: योजना की कवरेज निम्नानुसार है–

क) यह योजना, संशोधित योजना में यथा निर्दिष्ट 54 चिह्नित जिलों को कवर करती है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है।

ख) उपर्युक्त 54 चिह्नित जिलों के अलावा जिले में कोई अन्य जनजातीय ब्लॉक जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से कम है को भी शामिल किया गया है।

ग) इसके अतिरिक्त, इस योजना मे ब्लॉक स्तर से नीचे के क्षेत्रों (उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों) को भी शामिल किया जाता है जहां अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) रहते हैं।

घ) उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

कार्यान्वयनकारी एजेंसी

14.32 इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों (वीओ)/गैर–सरकरी संगठनों (एनजीओ) और स्वायत्तशासी सोसाइटियों/राज्य सरकार के

संस्थानों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा गठित बहु–विषयक "स्वैच्छिक प्रयासों को समर्थन हेतु राज्य समिति (एससीएसवीई)" भी इस योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों की परियोजनाओं की पहचान तथा संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

प्रक्रिया एवं निधियन प्रतिमान

14.33 योजना के तहत प्रक्रिया एवं प्रतिमान निम्नानुसार हैं:

क) यह लिंग विशिष्ट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है तथा मंत्रालय इसके लिए 100 प्रतिशत निधियां प्रदान करता है। निधियां संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुविषयक राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर (निर्धारित प्रपत्र में) आवेदन करने वाले पात्र गैर–सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में निर्धारित समय–अनुसूची के अनुसार आवेदन–पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान, योजना के तहत निर्धारित वित्तीय मानदण्डों के अनुसार सीमित हैं। अनुदानों की संस्वीकृति समय–समय पर संशोधित, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम (5) 230 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अनुदानों की निुर्मक्ति योजना के साथ संलग्न निबंधन एवं शर्तों के अनुसार की जाती है।

ख) गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में उन्हें अलग लेखा रखने की जरूरत है और ये लेखे सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होते हैं। गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लेखों की चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक रूप से लेखा–परीक्षा भी कराने की आवश्यकता है और सा.वि.नि. 2017 के तहत (जीएफआर 12–ग) के निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदानों के उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ खातों की लेखा–परीक्षा विवरण की प्रतियों का पूरा सेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग) जिला समाहर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षण एवं राज्य समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर–सरकारी संगठनों के संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर सामान्यतया प्रतिवर्ष अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा दिनांक सहित इसे जिला कलेक्टर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

घ) गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों की निगरानी मंत्रालय या राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारियों के निरीक्षण के अतिरिक्त वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

मुख्य विशेषताएं

14.34 जनजातीय लड़कियों में साक्षरता को सुधारने हेतु केन्द्रीयकृत रूप में हस्तक्षेप करने के लिए निम्नलिखित उपाय/कार्रवाइयां की गई हैं:

(क) ब्लॉक स्तर पर मिडिल/माध्यमिक स्कूलों में तथा पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित रहने के लिए जनजातीय लड़कियों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना।

(ख) यदि आवश्यक हो तो, प्राथमिक स्कूल की 100 लड़कियों के लिए तथा मिडिल एवं उच्च विद्यालय की 150 लड़कियों के लिए चरणबद्ध ढंग से क्रमशः पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर केवल छात्रावास सुविधाएं, न कि स्कूल की स्थापना की जा सकती है। अप्रतिरोध्य परिस्थितियों में, शामिल की जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। छात्रावास एक या अधिक स्थानों पर हो सकते हैं किन्तु, विद्यालय से इनकी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. तथा मैदानी भू–भाग में 2 कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) अपवाद–स्वरूप मामलों में, जहां सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत संचालित नियमित स्कूल पांच कि.मी. के दायरे में नहीं है, वहां छात्रावास के साथ ही स्कूली सुविधाएं प्रदान करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) जहां कहीं भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीएस) परिचालन में हैं, वहां इस योजना के तहत 5 कि.मी. के दायरे में कोई छात्रावास नहीं

खोला जाएगा।

(ड.) संशोधन पूर्व, योजना के तहत पहले से ही स्थापित वे शैक्षिक परिसर, जो संशोधित योजना के 54 नव चिह्नित कम साक्षरता वाले जिलों में आते हैं या जनजातीय ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं तथा 'कवरेज' शीर्ष के तहत वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हैं एवं जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें निर्बाध रूप में जारी रखा गया है।

(च) कोचिंग/विशेष ट्यूशन के लिए प्राथमिक स्तर की छात्राओं के लिए 100/– रुपए प्रति माह तथा मिडिल और माध्यमिक स्तर की छात्राओं के लिए 200/– रुपये प्रति माह की दर से नकद वजीफा प्रदान किया जाता है।

(छ) उनकी दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर (कक्षा V तक) 100/– रुपये प्रति माह की दर से तथा मिडिल एवं माध्यमिक स्तरों पर (कक्षा VI से XII तक) 200/– रुपये प्रति माह की दर से नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

योजना का कार्य निष्पादन

14.35 वर्ष 2014–15 के दौरान किया गया आवंटन तथा व्यय **तालिका 14.2** में दिया गया है:

तालिका 14.2

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बी.अ.	सं.अ.	व्यय
2014-15	40.00	35.00	35.00
वर्ष 2015–16 से इस योजना के तहत बजट आवंटन "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" शीर्ष के तहत मिला दिया गया है।			

14.36 वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान, 107 शैक्षिक परिसरों के लिए 27.61 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं, जिसमें 8 राज्यों की 23,140 अनुसूचित जनजाति की लाभार्थी लड़कियों को शामिल किया गया। स्वैच्छिक संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों की स्वयत्तशासी सोसाइटियों की सूची जिन्हें इस योजना के तहत वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई **अनुलग्नक–14ख (i)** में दी गई है।

"स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना के तहत अनुदानों का क्षेत्र–वार संवितरण और वर्ष 2016–17 में निधिपोषित एनजीओ की क्षेत्र–वार संख्या क्रमशः **ग्राफ 14.1** और **ग्राफ 14.2** में दी गई है।

ग्राफ 14.1: स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत अनुदानों का क्षेत्र–वार संवितरण

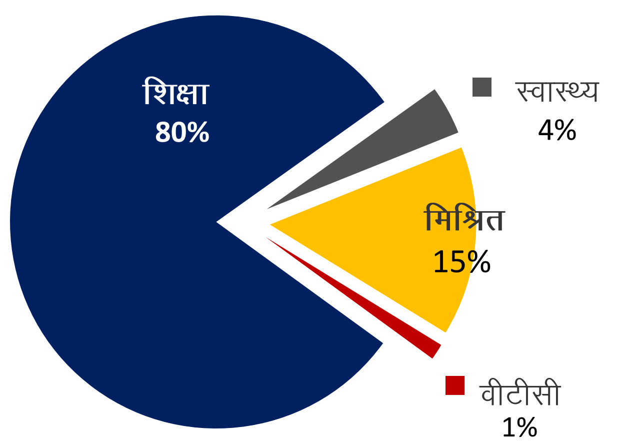

ग्राफ 14.2 : 2016–17 में वित्तपोषित एनजीओ की क्षेत्र–वार संख्या

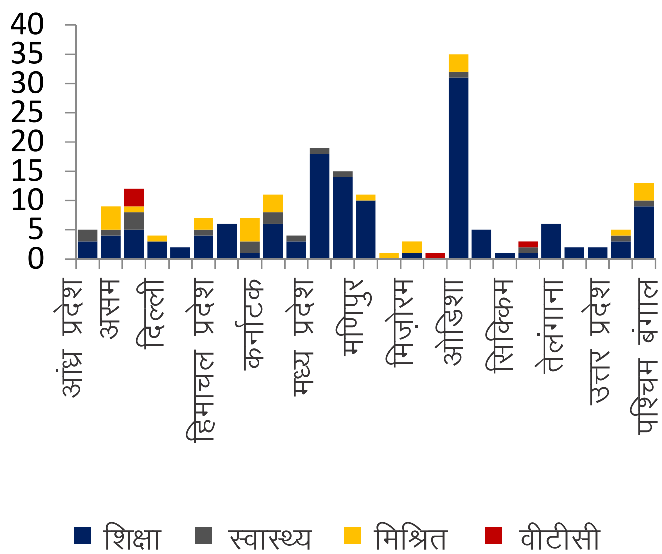

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना (वीटीसी)

14.37 इस योजना को जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जा रहा है।

एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रेकिंग प्रणाली

14.38, एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और ट्रेकिंग प्रणाली एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे विकसित और कार्यान्वित किया गया है जिसके माध्यम से गैर–सरकारी संगठन सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए एनजीओ प्रभाग की योजना के तहत अपने आवेदन जमा करते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव की सिफारिश करते हैं। वर्ष 2017–18 और उसके बाद के वर्षों के लिए कोई भी प्रस्ताव भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किए जाएंगे तथा इसके बाद से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर ही कार्य किया जाएगा।

निधियन पद्धति में परिवर्तन

14.39 दिनांक 19.09.2017 के परिपत्र के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, अन्य बातों के साथ–साथ, सूचित किया गया है कि एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को केवल 5 वर्षों के लिए पूर्ण निधियन दिया जाएगा, उसके उपरांत 6ठें वर्ष के लिए (5वें वार्षिक अनुदान का) 70 प्रतिशत तक और उसके बाद 7वें वर्ष के लिंए (5वें वार्षिक अनुदान का) 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। तत्पश्चात् मंत्रालय से निधियन बन्द कर दिया जाएगा। वर्तमान में मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एनजीओ/स्वैच्छिक संगठन को परियोजना कार्यान्वयन की अवधि/समय को ध्यान में रखे बगैर वर्ष 2017–18 से 70 प्रतिशत और 50 प्रतिशत निधियन (अर्थात् निधियन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना) दिया जाएगा।

14.40 सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त संगठनोंध्राज्य सोसाइटियों को वर्ष 2018–19 और उसके बाद से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत निधि पोषित नहीं किया जाएगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के तहत योजनाओं और टीएसएस को एससीए की योजना के अंतर्गत निधि पोषित किया जाएगा।

अध्याय 15

पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान

पूर्वोत्तर राज्यों में मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

15.1 भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए अपने बजट आबंटन में से कम से कम 10% का निर्धारण करना आवश्यक है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए निधियां आबंटित कर रहा है। सामान्यतया कुल बजट आबंटन के 10% से अधिक की धनराशि प्रदान की जाती है।

15.2 मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। मंत्रालय "गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान" की योजनाओं के तहत 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण', 'व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र' तथा 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास' के लिए भी सीधे अनुदान देता है। 'जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में तथा 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत' राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों को छोड़कर सभी योजनाओं के तहत अनुदान राज्य सरकारों से नए प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्मुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान और जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव परियोजना आकलन समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात जारी की जाती है। मंत्रालय ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करने के लिए पर्याप्त ध्यान दे रहा है और मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इन योजनाओं के अंतर्गत बजट आबंटन का कम से कम 10% का प्रवाह सुनिश्चित किया है।

15.3 वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियों के योजना–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–15** में दिये गये हैं।

अध्याय 16

जेंडर सम्बंधी मामले

संवैधानिक तथा कानूनी ढांचा

16.1 संविधान में न केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गयी है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद–भाव के उपाय अपनाने के लिए भी शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी पात्रताओं के सुरक्षोपायों के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन (1993) के अनुसार पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय करने के कार्य में उनकी भागीदारी को ठोस आधार प्रदान करता है।

मंत्रालय की पहलें

16.2 किसी भी देश के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए समस्त विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसीलिए, विशेष रुप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई महिलाओं का सामान्यतः दर्जा बढ़ाना न केवल नैतिक दृष्टि से अनिवार्य है अपितु रणनीतिक दृष्टि से भी आवयश्क है।

16.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में चिंतित है जो एक समूह के रुप में अपने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन व सापेक्षिक अलगाव के कारण वंचित समूह के रुप में पीड़ित हैं। तदनुसार, मंत्रालय की प्रमुख नीतियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं व पुरुषों दोनों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हैं। तथापि, अनुसूचित जनजातियों में महिलाएं और अधिक प्रतिकूल स्थिति से पीड़ित हैं। इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते समय कि महिलाएं योजनाओं से समान रुप से लाभ प्राप्त करें, उसके पास कुछ विशेष योजनाएं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए हैं।

16.4 मंत्रालय में दिसम्बर, 2016 में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ पुनर्गठित किया गया है जो विभिन्न जेंडर उत्तरदायी बजट कार्यों के कार्यान्वयन की तुलना में मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार से देखता है कि वह जेंडर असतंलुन का समाधान कर सके, जेंडर समानता और विकास को बढ़ावा दे और यह सुनिश्चित करे कि मंत्रालय के बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधन तदनुसार आवंटित किये जाएं और उनका प्रबंध किया जाए।

16.5 जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान जनजातीय विकास के लिए राज्य योजना निधियों और प्रयासों के लिए अतिरिक्त योगदान है। इस अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेटों, कलस्टरों विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों और बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। टीएसपी को एससीए में 23 राज्य शामिल हैं। यह लिंग निरपेक्ष कार्यक्रम है और महिला तथा पुरुष दोनों लाभार्थियों के लिए लाभकारी है। टीएसपी को एससीए के उद्देश्य निम्नानुसार है:

- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाकर मानव संसाधन का विकास।
- आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना / राज्य योजनाओं

के तहत अधिकांशतः शामिल) सहित जनजातीय क्षेत्रों/बस्तियों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना।

- गरीबी और बेरोजगारी में महत्वपूर्ण कमी, उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन और आय सृजन के सुअवसर।
- सुअवसरों का लाभ उठाने के लिए क्षमता में वृद्धि, अधिकारों और पात्रताओं की प्राप्ति तथा अन्य क्षेत्रों के समान सुधरी हुई सुविधाएं, और शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा।
- महिला लाभार्थियों के लिए प्रमुख स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित कार्यकलापों / परियोजना पर ध्यान देना है।

वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 के लिए लाभार्थियों के लिंग विसमूहित आंकड़े :–

योजना का नाम	2016-17		2017-18	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
जनजातीय उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए)	1299183	556793	1123704	481588

16.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए हैं। निधियां, जनजातीय क्षेत्रों को देश के शेष हिस्सों के समान बनाने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाएं करने हेतु राज्य सरकारों को दी जाती हैं। दिशानिर्देश विशेष रुप से यह परिकल्पना करते हैं कि महिलाओं को प्रभावित करने वाली चिंताए/मुद्दे जो महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं आयोजना से कार्यान्वयन के स्तर तक, महिलाओं की भागीदारी सहित, परियोजनाओं/योजनाओं को तैयार करने में मुख्य स्थान पर होने चाहिएं। परियोजना मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान भी राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये गये हैं कि कुल लाभार्थियों में से कम–से–कम एक–तिहाई लाभार्थी महिलाएं/लड़कियां होनी चाहिए।

16.7 कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे जरुरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति दिनांक 01.07.2012 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अलावा मंत्रालय से 100% केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं। छात्रवृत्तियों का भुगतान वर्ष में 10 माह की अवधि हेतु दिवा–छात्र के लिए 150/– रु प्रतिमाह की दर से तथा छात्रावासी के लिए 350/– रु. प्रतिमाह की दर से किया जाता है। पुस्तकों तथा तदर्थ अनुदान का भुगतान दिवा–छात्र के लिए 750/– रुपये वार्षिक की दर से तथा छात्रावासी के लिए 1000/– रुपये वार्षिक की दर से किया जाता है। छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के उन पात्र छात्रों तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रु. है।

16.8 अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं तथा बालकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जा रहे माध्यमिकोत्तर/मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को (1) अधिकतम वार्षिक आय सीमा; (2) पाठ्यक्रमों के समूहों में संशोधन; तथा (3) अनुरक्षण और अन्य भत्तों की दर में परिवर्तन के साथ 01.07.2010 से संशोधित किया गया है।

16.9 'अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति' की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को एमफिल तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए अध्येतावृत्तियों के रुप में उच्चतर शिक्षा अर्जित करने हेतु

प्रोत्साहित किया जाता है। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल करती है। कुल 750 स्लॉट्स में से अन्य बातों के साथ–साथ 30% स्लॉट्स महिला अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं। चयनित अभ्यार्थियों को एमफिल के लिए प्रति माह 25,000/– रुपये तथा पीएचडी के लिए प्रतिमाह 28,000/– रुपये की दर से अध्येतावृत्ति राशि तथा अन्य स्वीकार्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

16.10 राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी तथा डॉक्टरोत्तर की पढ़ाई करने के लिए चयनित अभ्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले कुल 20 अवार्ड में से 6 अवार्ड (30%) लड़कियों के लिए चिह्नित है। तथापि, चिह्नित स्लॉट्स खाली रह जाने के मामले में ये स्लॉट्स लड़कों को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। माता–पिता/परिवार की सभी स्रोतों से आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित अभ्यार्थी जिन्होंने विदेश के विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है, उन्हें वार्षिक रखरखाव भत्ता, वार्षिक आकस्मिकता भत्ता तथा अन्य भत्ते विदेश में स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।

16.11 अनुसूचित जनजातियों के बीच महिला साक्षरता कम होना, एक विशेष चिंता की बात होने के कारण 1993–94 में 'जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना' की लिंग विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई। जिसे वर्ष 2008–09 में संशोधित किया गया था तथा इसका नया नाम 'कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण' रखा गया था। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी हुई। योजना का क्रियान्वयन न्यूनतम साक्षरता वाले 54 चिन्हित जिलों में किया जा रहा है जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% या इसके अंशों से कम है। 54 चिन्हित जिलों के अलावा जिले में कोई अन्य ब्लॉक जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% या अधिक है तथा अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से या इसके अंशों से कम है, को भी शामिल किया गया है। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह द्वारा आबाद क्षेत्रों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तर के अंतर को पाटना है, ऐसा चिन्हित जिलों या ब्लॉकों, विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा कमजोर जनजातीय समूहों द्वारा आबाद क्षेत्रों में जनजातीय लड़कियों के 100% दाखिले को सुसाध्य बनाकर तथा प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा के लिए अपेक्षित माहौल बनाकर बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप–आउट) वालों की संख्या में कमी लाकर किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संगठनों /गैर–सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की स्वायत्तशासी सोसाइटी / सस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। यह योजना विद्यालयों में नियमित रुप से उपस्थित रहने के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने पर बल देती है और जहां पांच कि.मी. की दूरी के अंदर विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहां विद्यालय और छात्रावास सुविधाओं, दोनों पर विचार किया जाएगा। संशोधित योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनाओं का तालमेल करने की परिकल्पना करती है। यह प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ–साथ मिडिल / माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है तथा अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करती है। संशोधित योजना औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन करने पर भी ध्यान देती है।

16.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत, 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम', अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एक शीर्ष संस्थान है। इस निगम ने जनजातीय महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' (एएमएसवाई) शीर्षक के तहत विशेष योजना प्रारम्भ की है द्य योजना के तहत, निगम 1,00,000 रुपये तक की इकाई लागत तक वाली योजनाओं के लिए 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष 4% की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है। एएमएसवाई के तहत, वर्ष के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2017 तक 588 महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास

के लिए 4.53 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम अन्य आय सृजनकारी योजनाओं के तहत महिला लाभार्थियों के लिए अपनी वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

16.13 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को समर्थन' की योजना के तहत देश के अलग–अलग भागों में जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान–प्रदान आयोजित करने के लिए सहायता दी जाती है। यात्रा समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

16.14 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा को (धारा 2छ) इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ''ग्राम सभा जिसमें गांव के सभी व्यस्क सदस्य शामिल होंगे और ऐसे राज्यों के मामले में जहां कोई पंचायत, पाड़ा, टोला तथा अन्य परम्परागत ग्राम संस्थान और चयनित ग्राम समितियां जिनमें महिलाओं की पूर्ण और अबाधित भागीदारी के साथ नहीं है।'' इसके अतिरिक्त धारा 4(4) उपबंधित करती है कि उप–धारा(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे, किन्तु अन्य हस्तान्तरणीय नहीं होंगे और विवाहित लोगों के मामले में पति–पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रुप से पंजीकृत होंगे और एक मुखिया वाले परिवार के मामले में एकल प्रमुख के नाम में पंजीकृत होंगे और सीधे वारिस की अनुपस्थिति में पैतृक अधिकार अगले सगे संबंधी को हस्तांतरित हो जाएंगे। "धारा 6(8) के अनुसार भी ''उप मण्डल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति में राज्य सरकारों के राजस्व, वन तथा जनजातीय कार्य विभागों के अधिकारी और समुचित स्तर पर पंचायती राज्य संस्थान के तीन सदस्य जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें से दो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे और कम से कम एक महिला होगी जैसा कि विहित किया गया है। ''इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति और अन्य परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियमावली, 2012 प्रावधान करती है कि (नियम 3(1) के तहत) ग्राम संभाएं ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित की जाएंगी और इसकी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों से ही वन अधिकार समिति के सदस्यों के रुप में कम से कम दस व्यक्ति और अधिक से अधिक पन्द्रह व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, जिसमें दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे बशर्ते कि ऐसे सदस्यों से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं हों। यह आगे भी उपबंधित करता है कि जहां कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं, वहां कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

16.15 प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से प्रत्येक वर्ष दो जनजातीय लोगों को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र एक महिला तथा एक पुरुष भेजे।

16.16 वर्ष 2016–17 के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियां **अनुलग्नक –16** पर दी गई हैं।

अध्याय 17

दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

17.1 अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए किए गए योजना–वार प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना

17.2 इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए पाठक भत्ता;

(ख) ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनके लिए यातायात भत्ते का प्रावधान।

(ग) निचले अंगों की गंभीर विकलांगता वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मार्गरक्षक भत्ता।

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को विशेष वेतन।

(ड.) मानसिक रूप से मंद अथवा मानसिक रोगी विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों का विवरण **अनुलग्नक–17** में दिया गया है।

कक्षा 9 तथा 10 में अध्ययनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

17.3 सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए "विद्यार्थी उन्मुख घटक" के तहत रुपये 3,000/– प्रति वर्ष की दर से सहायता मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा' (आईईडीएसएस) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पहले ही दी जा रही है। तथापि, गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईईडीएसएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। अतः निजी गैर–सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजातियों के विकलांग विद्यार्थी इस योजना के तहत अतिरिक्त भत्तों हेतु पात्र होंगे:

(क) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक पाठक भत्ता,

(ख) ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी, जो शैक्षणिक परिसर के अंदर छात्रावास में नहीं रहते हैं, उनके लिए मासिक यातायात भत्ते का प्रावधान;

(ग) निचले अंगों की गंभीर, विलांगता (80 प्रतिशत या अधिक की विकलांगता) वाले दैनिक विद्यार्थी के लिए मासिक मार्गरक्षक भत्ता,

(घ) किसी शैक्षणिक संस्था के छात्रावास में रह रहे गंभीर रूप से अस्थि विकलांग विद्यार्थी को सहायता देने के इच्छुक छात्रावास के किसी कर्मचारी को मासिक सहायक भत्ता स्वीकार्य है।

(ड.) मानसिक रूप से मंद अथवा रोगी विद्यार्थियों को मासिक कोचिंग के लिए भत्ता। उपर्युक्त प्रावधानों के ब्यौरे **अनुलग्नक–17** में दिये गये हैं।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

17.4 शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के मामलों में रुपए 2000/– प्रतिमाह की दर से अंगरक्षक/वाचक सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों की योजना तथा जनजातीय उप–योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना

17.5 योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति के विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रावासों के कुछ कमरे/ब्लॉक अवरोधमुक्त तथा रैम्प इत्यादि जैसी सुविधाओं के साथ निर्मित किए जाएं।

गैर–सरकारी संगठन की योजनाएं

17.6 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि स्वैच्छिक/गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की योजना तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत निधियां प्राप्त कर रहे गैर–सरकारी संगठनों को सलाह दें कि वे विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 के अनुसार आवासीय विद्यालयों/गैर–आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, 10 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सामुदायिक केन्द्रों जैसे भवनों आदि में "अवरोध मुक्त वातावरण" जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायें।

अध्याय 18

जन शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

जन शिकायत

18.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) में 10 जून, 2016 से ही एक स्वतंत्र जन शिकायत प्रभाग कार्य कर रहा है। दिनांक 13.12.2017 से मंत्रालय में शिकायत निदेशक के रूप में श्री लालसंगलूर, आर्थिक सलाहकार को नियुक्त किया गया है। निदेशक, शिकायत के संपर्क ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

18.2 प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक पीजी पोर्टल विकसित किया है ताकि कहीं से भी और किसी भी समय शिकायतें/आपत्तियां दर्ज करा सकें और सरकारी विभाग निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायत निवारण के लिए कार्रवाई करने में भी सक्षम हों। इसके दो इंटरफेस हैं:– (क) नागरिकों के लिए जन शिकायत दर्ज करना और निगरानी प्रणाली, तथा (ख) मंत्रालयों, विभागों/संगठनों के लिए केन्द्रीकृत जन शिकायत और निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)। सीपीजीआरएएमएस वेब आधारित एकल खिड़की प्रणाली है जो: (i) नागरिकों को अपनी शिकायत करने के लिए, और (ii) निवारण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकारी विभागों में नोडल जन शिकायत अधिकारी तक ऑनलाइन पहुंच उपलब्ध कराती है।

18.3 यह मंत्रालय अभ्यावेदन/शिकायतें डाक के साथ ही साथ सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त करता है। अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाता है। अन्य संगठनों से संबंधित शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित की जाती हैं। कृत कार्रवाई के विषय में याचिकाकर्ताओं को भी सूचित किया जाता है। प्राप्त शिकायत याचिकाओं की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से निगरानी की जाती है। सचिव, जनजातीय कार्य द्वारा बुलाई गई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शिकायतों के निपटान की स्थिति की समीक्षा भी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31 दिसंबर, 2017 तक) सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:–

वर्ष	अग्रेषित शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान शिकायतों की संख्या	कुल प्राप्तियां	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले
2014-2015	18	491	509	447
2015-2016	62	777	839	718
2016-2017	121	801	922	901
2017-2018 (31/12/2017 तक)	21	688	709	513

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

18. 4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ। जैसा कि अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में बताया गया है, मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी नियमावली तैयार करके उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 5(1)

और (2) की शर्तों के अनुसार मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को निर्दिष्ट कर दिया गया है। संबंधित अनुदेशों को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मंत्रालय में संसद एवं समन्वय अनुभाग को मंत्रालयों से संबंधित आवेदकों द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत किए गए अनुरोधों को प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है। प्राप्त शुल्क सहित रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात मंत्रालय में संबंधित सीपीआईओ को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदनों को अग्रेषित किया जाता है।

18.5 मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–18** में दिए गए हैं। श्री रुपक चौधरी, उप–सचिव को मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सीपीआईओ (समन्वय) के रूप में पदनामित किया गया है। अधिसूचनाएं (संशोधनानुसार) मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर डाल दी गई हैं।

18.6 इस प्रकार की अधिसूचनाएं / नियम पुस्तिकाएं (i) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भी प्रकाशित की हैं और उन्हें अपने–अपने संगठनों की वेबसाइट पर डाल दिया है तथा इन्हें मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ दिया गया है।

18.7 सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 01.04.2017 से 31.12.2017 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके दिए गए उत्तरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलें

18.8 संबंधित निदेशक / उप–सचिव / अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे संबंधित विषयों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनयम, 2005 के तहत दिनांक 30.08.2017 से अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। प्राप्त सभी अपीलों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है और अधिनियम के तहत निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटाया जाता है।

01.04.2017 से 31.12.2017 के दौरान आरटीआई की स्थिति

	प्राप्त	निपटाए गए	शेष
ऑनलाइन	484	466	18
ऑफलाइन	482	473	9
कुल	966	939	27

अध्याय 19

विभागीय लेखा परीक्षण

संगठनः

19.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव मुख्य लेखा अधिकारी हैं। वे अपने इस उत्तरदायित्व को वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से निभाती हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख होते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), लेखाओं के समेकन, आवंटित बजट के संबंध में व्यय की निगरानी विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों इत्यादि के अलावा सहायता अनुदान सहित विभिन्न प्रकार के बिलों की पूर्व जांच का कार्य निष्पादित करता है। प्रधान लेखा–अधिकारी कम्प्यूटरीकृत मासिक लेखों, लेखों के विनियोजन, केन्द्रीय लेनदेन के विवरण, संघ वित्त लेखाओं, अन्य संबंधित कार्यों यथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान, पीएओ को चेकबुक की आपूर्ति/प्रापण, प्राप्ति बजट तैयार करने, महालेखा नियंत्रक के साथ समन्वयन का कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय स्टेट बैंक, शास्त्री भवन, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अधिकृत बैंक है।

व्यय की निर्मुक्ति तथा निगरानी

19.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय में भुगतान जारी करने एवं व्यय की निगरानी का कार्यान्वयन वेतन एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय, मासिक लेखे प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से महालेखा नियंत्रक, खान मार्किट, नई दिल्ली को प्रस्तुत करता है।

लेखा और भुगतान कार्य का कम्प्यूटरीकरण

19.3 पूर्व में वेतन तथा लेखा कार्यालय पूर्व–जांच, संकलन सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन जैसे कॉम्पैक्ट के सभी मॉड्यूल उपयोग करता था। 01 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी गैर–योजना भुगतान के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन तंत्र (पीएफएमएस) के आरंभ के साथ, पूर्व में उपयोग किए जाने वाले कॉम्पैक्ट के अधिकतर मॉड्यूल बंद कर दिए गए हैं। केवल पेंशन के मामले कॉम्पैक्ट के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। सरकारी ई–भुगतान गेटवे जीईपीजी के माध्यम से ई–भुगतान का तंत्र भी परिवर्तित कर दिया गया है तथा सभी भुगतान पीएफएमएस की साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। कॉम्पैक्ट के माध्यम से पास किए गए बिलों को वेब फाइल निर्मित करते हुए पीएफएमएस पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकृत बैंक ई–परामर्श डाउनलोड करते हैं तथा आरटीजीएस/एनईएफटी आदि के द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करते हैं। अब चेक जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ई–लेखा

19.4. दैनिक आधार पर ई–लेखा में कॉम्पैक्ट डाटा अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है। पीएफएमएस स्वतः ही आंकड़े अद्यतन कर देता है तथा मंत्रालय एवं अन्य प्रतिभागियों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट की निगरानी में सक्षम बनाने के लिए एवं पीएओ के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ई–लेखा में आंकड़े देता है।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

19.5 पूर्व में केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के रूप में ज्ञात सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार से राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निधियों के प्रवाह अथवा उनसे जिलों तथा उपमंडल और व्यय बिन्दुओं तक राशियों के प्रवाह पर विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करने के विचार से आरंभ किया गया है। तदनुसार, इस उद्देश्य के लिए विकसित विशिष्ट सॉफ्टवेयर अर्थात सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इस मंत्रालय की सभी योजना स्कीमों का नियोजन इस संगठन द्वारा किया गया है। इस संबंध में

विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग–अलग संगठनों/निकायों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति की स्थिति को देखा जा सकता है। इसे विभाग द्वारा भी अत्यंत उपयोगी पाया गया है। विगत योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसी के बैंक खातों में अप्रयुक्त निधियों/अनुदानों को देखने के लिए इस प्रणाली में नई उपयोगिता प्रदान की गई है।

19.6 विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप इस उद्देश्य के लिए पीएफएमएस में अतिरिक्त प्रविधि प्रदान की गयी है।

19.7 राज्यों को निर्मुक्तियों के स्कैन किए गए स्वीकृति आदेशों को अपलोड करने तथा अंतःसरकारी लेखा सलाह (आईजीएए) के ऑनलाइन सृजन के लिए नया तरीका प्रदान किया गया है तथा इसे ऑनलाइन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाता है जो राज्य सरकारों के लिए तत्काल ऋण सुनिश्चित करता है। अब 01 अक्तूबर, 2015 से इस प्रणाली को गैर–योजना भुगतान के लिए कार्यान्वित किया गया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस):

19.8 नई पेंशन योजना की शुरूआत उन सभी कर्मचारियों के लिए की गई, जिनकी नियुक्ति 1.1.2004 के बाद हुई है। इस योजना के तहत वेतन (ग्रेड वेतन+मंहगाई भत्ते) का 10 प्रतिशत सभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन से लेकर तथा उसके बराबर के हिस्से के सरकार के अंशदान को सम्मिलित रूप से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास उसके ट्रस्टी बैंक के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना इस मंत्रालय में चालू है।

उपयोग प्रमाण–पत्र:

19.9 मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित समुचित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एवं उपयोग प्रमाण–पत्र की प्रभावी निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया है। इस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री के दो स्तर हैं। प्रथम स्तर सहायता अनुदान को देख रहे आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति एवं बिलों के ब्यौरे डालने के लिए है। द्वितीय स्तर वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए है जो बिलों को सत्यापित करता है और अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार करता है। यह कार्यक्रम विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें सृजित करता है, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं।

आंतरिक लेखा–परीक्षा:

19.10 प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा इकाई, जो अनुवर्ती लेखा–परीक्षा आयोजित करती है, अलग–अलग योजनाओं के आकलन, निगरानी तथा मूल्यांकन में भी शामिल है। अब आंतरिक लेखा–परीक्षा निम्नलिखित पर ध्यान देती है:

- ➢ सामान्यतः आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता एवं प्रभाव के आकलन तथा विशेषतः वित्तीय प्रणाली की मजबूती तथा वित्तीय एवं लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता; जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी (जो परिणाम बजट में हैं, उनके सहित);
- ➢ धन का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता तथा सेवा सुपुर्दगी तंत्र की प्रभावोत्पादकता का महत्वपूर्ण आंकलन; और
- ➢ कार्य प्रणाली सुधार को सुसाध्य बनाने हेतु एक प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

19.11 रिकार्ड के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में बकाया सी एडं एजी पैराओं की संख्या निम्नांकित सारणी में दी गई है:

1	01.04.2016 तक बकाया पैराओं की संख्या	01
2	वर्ष 2017–18 के दौरान जोड़े गए पैराओं की संख्या	01
3	31.12.2017 तक बकाया पैराओं की संख्या	02

19.12 जनजातीय कार्य मंत्रालय के सम्बंध में लोक लेखा समिति (पीएसी) सम्बंधी कृत कार्रवाई टिप्पण की स्थिति **अनुलग्नक –19** में दी गई है।

अध्याय 20

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक/ग्राहक चार्टर

पता	शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110 001
वेबसाइट	www.tribal.nic.in

परिदृश्य:

सामान्य जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मानव विकास सूचकांकों (एचडीआई) में अंतर को कम करना और समाप्त करना तथा जनजातीय लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

मिशन:

जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित के माध्यम से जनजातीय लोगों के विकास तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है:

1. वैधानिक एवं कार्यकारी उपायों का प्रतिपादन करना एवं उनका संवर्धन करना,
2. लक्षित क्षेत्र एवं जनसंख्या उपागमों के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तरों के उन्नयन को सरल बनाना, तथा
3. सामाजिक–आर्थिक एवं आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी।

मुख्य सेवाएं/कार्य संपादन

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
1	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी को एससीए) के तहत राज्य सरकारों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता और अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान क) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास, ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गरीबी का उन्मूलन तथा उद्यमशीलता का विकास! ग) अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	20	श्री गोपाल साधावानी निदेशक	sadhwani.gopal@nic.in	23070508	1. राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1) आवंटित राशि के अधीन तथा योजना दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों से प्रस्ताव	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
			श्री पी.के. साहू, अवर सचिव (अनुच्छेद 275 (1))	pk.sahoo@nic.in	9654147663 (23073709)	3 पीएसी बैठक का आयोजन 4 मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						5 I/II किस्त की स्वीकृति/निर्मुक्ति का मुद्दा (जैसे लागू हो)	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3. विगत वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों के लिए व्यय रिपोर्टें जहां उपयोग प्रमाण पत्र देय नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
2	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवासों तथा आवासीय विद्यालयों के रुप में शौक्षिक सुविधाएं,	15	श्री गोपाल साधावानी निदेशक	sadhwani.gopal@nic.in	23070508	1. राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						2. I/II किश्तों की की संस्वीकृति/ निमुर्क्ति जारी करना (जैसा लागू तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						3. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा एवं अनुमोदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						4. राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति	1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 3. छात्रवासों तथा आश्रम विद्यालयों के लिए सरकारी भूमि की उपलब्धता, पीडब्ल्यूडी निर्माण दरों की अनुसूची, सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना/घटक के संबंध में प्रमाणीकरण की भी आवश्यकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृतियां		श्री एम.दिलिप कुमार, उपसचिव	mdilipkumar.edu@nic.in	23073706		1. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट			

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
3	विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त वित्तीय सहायता	15	श्री एम.दिलिप कुमार, उपसचिव	mdilipkumar .edu@nic.in	23073706	I/II किश्तों की निर्मुक्ति/संस्वीकृत जारी करना (जैसा लागू हो)	1. विगत वर्षो में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र/निधि हस्तांतरण प्रमाण पत्र 2. वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय लोगों से सबंधित मुद्दों पर जनजातीय त्यौहार सहित अनुसंधान, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता	10	श्री गोपाल साधावानी निदेशक	sadhwani. gopal@nic. in	23070508	1. अखबारों में विज्ञापन तथा मंत्रालय की वेब साइट के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित करना	i) निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव। ii) राज्य सरकार की संस्तुति। iii) लेखा का लेखा परीक्षित विवरण ii तथा अंतिम किश्त के लिए)। iv) निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र। v) प्रबंधन समिति की सूची vi) कर्मचारियों की सूची, vii) पंजीकरण प्रमाण–पत्र viii) अग्रिम जमानत बांड, ix) नियम एवं शर्तों की स्वीकृति। x) बैंक अधिकृत पत्र,	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता		श्री गोपाल साधावानी निदेशक	sadhwani. gopal@nic. in	23070508	1. राज्य सरकारों से वार्षिक कार्य योजनाएं आमंत्रित करना 2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति 3. मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा छटनी एवं अनुमोदन 4. संस्वीकृति जारी करना, I/II किश्तों की निर्मुक्ति (जैसे लागू हो)				

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
5	निमनलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्तिः– क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को सहायता। ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	5	श्री रूपक चौधरी उप-सचिव	r.choudhary @nic.in	9968304079 (23387444)	1. राज्य सरकार के माध्यम से ट्राइफेड/एसटीडीसीसी द्वारा प्रस्तावों की प्रस्तुति 2. मंत्रालय और आईएफडी में सक्षम पदाधिकारी की संवीक्षा व अनुमोदन 3. I/II किश्त संस्वीकृति/ जारी करना (जैसा लागू हो)	क. ट्राइफेड 1. प्रस्ताव 2. वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन रिपोर्ट 3. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र ख. एसटीडीसीसी 1. स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकारों के प्रस्ताव/ सिफारिश 2. विगत वर्षों में की गई निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र 3. विगत वर्षों के अनुदान की वास्तविक प्रगति रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीतिगत दस्तावेज/ मामले, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी तथा ईएफसी ज्ञापन के संबंध में इन्पुट/ टिप्पणियां प्रदान करना	10	सभी			1. संबंधित मंत्रालय/ विभाग तक अपने विचार संप्रेषित करना 2. संगत साहित्य से मंत्रणा करते हुए गहराई से अध्ययन तथा जनजातीय लोगों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपने विचार तैयार करना 3. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों से नीतिगत दस्तावेजों, विधान संबंधी प्रस्ताव, मंत्रिमंडल टिप्पणी, ईएफसी ज्ञापन आदि की प्राप्ति		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10				1. संगत साहित्य का सदर्भ लेकर गहरा अध्ययन, अपने मत का निरूपण और विश्लेषण 2. बैठकों में अपने विचार व्यक्त करना 3. विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग के कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदलों, शासन परिषदों से कार्यसूची मदों की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/ सेवा प्रदाताओं की शिकायतों/ पीड़ाओं का निवारण तथा निपटान	10	सुश्री शायला टाइटस, उप-सचिव	s.titus@nic.in	26182428	1. जांच एवं आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई 2. शिकायत की प्राप्ति 3. आवेदक को उत्तर	1. लागू नहीं 2. समर्थनकारी दस्तावेज/ आदेश 3. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य संपादन	भार %	जिम्मेदार व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल फोन नं.	प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	राशि
9	आवासीय/ गैर अवासीय/ स्वास्थ्य / व्यवसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों / एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना।	5	श्री गोपाल साधावानी निदेशक	sadhwani.gopal@nic.in	23070508	1. राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से एनजीओ द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 2. प्रस्तावों की छटनी तथा पात्र मामलों में अनुदानों की निर्मुक्ति	1. आवेदन पत्र 2. राज्य सरकार की संस्तुति 3. जिलाधीश द्वारा प्रमाणित निरीक्षण रिपोर्ट 4. बजट अनुमान 5. लेखाओं का लेखा परीक्षित विवरण 6. निर्धारित प्रपत्र में पिछले अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र 7. प्रबंधन समिति की सूची 8. कर्मचारियों की सूची 9. लाभार्थियों की सूची 10. वार्षिक रिपोर्ट 11. पंजीकरण प्रमाण पत्र, नियम एवं उपनियम (नवीनीकरण प्रस्ताव के मामले में जमा करने की आवश्यकता नहीं 12. अद्यतन किराया करार/ किराया आंकलन प्रमाण पत्र 13. पूर्व में स्योरिटी बांड 14. नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति 15. अधिकृत पत्र 16. परियोजना के लिए पासबुक के बैंक लेन-देन की प्रति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानक

क्र.सं.	सेवाएं/ समव्यवहार	भार	सफलता सूचकांक	सेवा मानक	इकाई	डाटा स्रोत
1	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी का कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास (ख) लक्षित अनुसूचित जनजाति आबादी की गरीबी का उन्मूलन और उद्यमशीलता विकास (ग) अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास (घ) जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाना (ड.) संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	20.0	समय	40	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
2	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों के रूप में शैक्षिक सुविधाएं, (ख) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
3	अनुसूचित जनजातियों में विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति	15.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
4	राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- (क) जनजातीय संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना, (ख) जनजातीय त्यौहार, दौरों का आदान-प्रदान	10.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
5	निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति:- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ और राज्य स्तरीय निगमों को समर्थन	5.0	समय	45	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
6	अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न केन्द्रीय लाइन मंत्रालयों/ विभागों के नीति संबंधी दस्तावेजों/मामलों/विधायी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल टिप्पणियों और ईएफसी ज्ञापन पर सूचना/ टिप्पणी प्रस्तुत करना	10.0	समय	25	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
7	विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा नीति आयोग में गठित विभिन्न कार्यकारी समूहों, विशेषज्ञ समूहों, कार्यदल तथा शासन परिषदों की बैठकों में सुझावों/नीति अंतर्निवेशों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना	10.0	समय	लागू नहीं	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
8	मंत्रालय के कर्मचारियों/सेवा आपूर्तिकर्ता की शिकायतों/पीड़ाओं का समाधान व निपटान	10.0	समय	30	दिन	मंत्रालय रिकार्ड
9	आवासीय/ गैर आवासीय/ आश्रम स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनार के लिए संस्थानों व एनजीओ को वित्तीय सहायता जारी करना	5.0	समय	90	दिन	मंत्रालय रिकार्ड

शिकायत निवारण तंत्र

यूआरएल वेबसाइट http://pgportal.gov.in/ को शुरू करने के लिए

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हैल्पलाइन नं.	ईमेल	मोबाइल नं.
1	श्री लालसंगलूर, आर्थिक सलाहकार	011-26714413	lal.sanglur@nic.in	
2	श्री एस.एस.माइती, उप–महाप्रबंधाक, ट्राइफेड	011-26512378	ssmaititrifed@gmail.com	
3	श्री अनिल पी. रावेन, उप–महाप्रबंधक, एनएसटीएफडीसी	011-26712530	raven.oraon-cmd@gmail.com	9873081698

हितधारकों / ग्राहकों की सूची

क्र. सं.	हितधारक / ग्राहक
1	अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित केन्द्रीय/ राज्य मंत्रालय/ विभाग
2	केन्द्रीय/ राज्य सरकार के निकाय
3	संस्थान (यूजीसी/ शैक्षिक संस्थान)
4	ट्राइफेड
5	एनएसटीएफडीसी
6	एसटीडीसी
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)
8	गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)
10	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
11	नागरिक

उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केंद्र और अधीनस्थ संगठनों की जिम्मेदारी	लैंड लाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	पता
1	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड)	011-26569064 011-26968247	trifed@rediffmail.com		एनसीयूआई बिल्डिंग, दूसरा तल, 3-इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110066
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	011-26712519, 26712562, 26712583	nstfd@bol.net.in		एनबीसीसी टावर, 5वां तल, हॉल, नं. 1, भीकाजीकामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं

क्र. सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतक प्रत्याशाएं
1	वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पूर्ण आवेदन (सभी दृष्टियों से) (अपेक्षित दस्तावेज www.tribal.gov.in पर उपलब्ध है)
2	प्रस्तावों का समय पर व पहले प्रस्तुतीकरण
3	निर्धारित अवधि में निधियों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना
4	किसी नीति/विधान/ योजनात्मक हस्तक्षेप के गुण-दोषों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पर्याप्त समय/ नोटिस देना

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय: संगठनात्मक संरचना

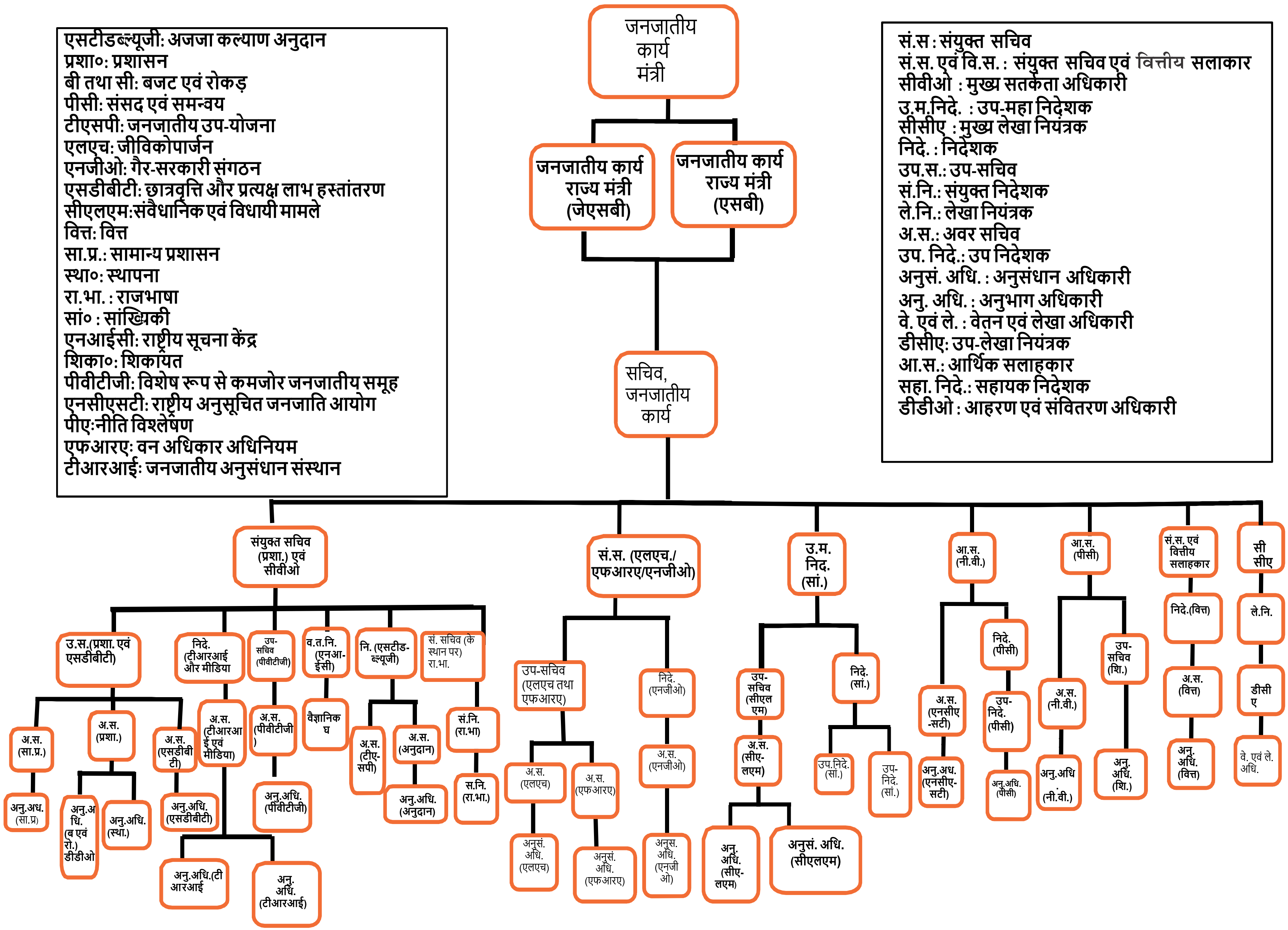

अनुलग्नक–2

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम
1	जनजातीय उप-योजना (टीएसएस) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)
2	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान
3	अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावास की योजना
4	जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों की योजना
5	कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
6	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस)
7	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी)
8	अजजा के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति
	I. अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति
	II. अजजा के विद्यार्थियों के लिए (उच्च स्तरीय शिक्षा) छात्रवृत्ति योजना
9	विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति
10	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)
11	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान
12	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता
13	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना
14	जनजातीय उत्सव, अनुसंधान , सूचना एवं जन-शिक्षा

अनुलग्नक –3क

जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट आवंटन/संशोधित आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपए में)

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2015-16 (पूर्वोत्तर सहित)			2016-17 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
क	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं							
2225	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कोचिंग एवं संबद्ध योजना सहित अ.ज.जा. के लिए एनजीओ को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार	77.00	75.65	75.05	**120.00**	**120.00**	**120.00**
2225	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	जनजातीय उत्पाद/उपज का बाजार विकास	**50.00**	**40.00**	**30.26**	**49.00**	**49.00**	**49.00**
3601	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम				**4.59**			
	2225 तथा 3601 का कुल		**50.00**	**40.00**	**34.85**	**49.00**	**49.00**	**49.00**
2225	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	217.35	217.35	1.59	200.00	340.00	340.21
3601					211.95			
	2225 तथा 3601 का कुल		**217.35**	**217.35**	**213.54**	**200.00**	**340.00**	**340.21**
4225	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	70.00	63.33	63.33	70.00	60.00	60.00
4225	राज्य जनजातीय विकास वित्त निगम							
	4225 का कुल		**70.00**	**63.33**	**63.33**	**70.00**	**60.00**	**60.00**
2225	अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति	अजजा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति योजना	**50.00**	**48.81**	**46.84**	**50.00**	**80.00**	**79.98**
2225	विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	**1.00**	**0.72**	**0.39**	**1.00**	**0.39**	**0.39**
2225	न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी के लिए एमएसपी)	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास	307.00	143.00	10.67	158.00	3.00	2.00
3601					107.02			
	2225 तथा 3601 का कुल		**307.00**	**143.00**	**117.69**	**158.00**	**3.00**	**2.00**
2225	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम	जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम	**2.00**	**1.00**	**1.34**	**0.39**	**0.01**	**0**
	क का कुल (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)		**774.35**	**589.86**	**553.03**	**648.39**	**652.40**	**651.58**

मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम/उप-योजनाएं	योजना	2015-16 (पूर्वोत्तर सहित)			2016-17 (पूर्वोत्तर सहित)		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं**							
2225	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा पुस्तक बैंक की योजना				**अजजा के लिए अंब्रेला योजना के साथ विलय किया गया**		
	2225 का कुल							
3601	अजजा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति/पुस्तक बैंक							
	3601 का कुल							
	2225 तथा 3601 का कुल							
2225	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति						
3601	अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति							
	कुल							
2225	बालक और बालिका छात्रावास							
3601	बालक और बालिका छात्रावास							
	2225 का कुल							
3601	व्यवसायिक प्रशिक्षण							
	3601 का कुल							
	2225 तथा 3601 का कुल							
2225	आश्रम विद्यालय	आश्रम विद्यालयों की स्थापना						
3601								
		3601 का कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0	0	0
2225	घरेलु यात्रा व्यय	अजजा के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना (प्रशासनिक व्यय)						
	विदेश यात्रा व्यय							
	कार्यालय व्यय							
	पेशेवर सेवाएं							
	अन्य प्रभार							
		2225 का कुल						
2225		अजजा के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना	1154.84	1210.64	1173.33	1454.22	1659.84	1659.30
3601								
		2225 तथा **3601** का कुल	**1154.84**	**1210.64**	**1173.33**	**1454.22**	**1659.84**	**1659.30**

2225	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	अनुसंधान सूचना तथा जनशिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	38.70	21.20	19.37	21.00	17.00	15.11
2225	सूचना एवं संचार मीडिया							
2225	राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार							
2225	उत्कृष्टता केन्द्र							
2225	अजजा के लिए अखिल भारतीय अथवा अंतर्राज्यीय प्रकृति की समर्थनकारी परियोजना							
2225	जनजातीय उत्सव का आयोजन					17.39	6.39	4.69
2225	जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान							
		2225 का कुल	**38.70**	**21.20**	**19.37**	**38.39**	**23.39**	**19.80**
3601	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण							
		2225 तथा 3601 का कुल	**38.70**	**21.20**	**19.37**	**38.39**	**23.39**	**19.80**
2225	निगरानी एवं मूल्यांकन	निगरानी एवं मूल्यांकन	4.50	2.25	1.90	8.00	2.00	1.39
		2225 का कुल	**4.50**	**2.25**	**1.90**	**8.00**	**2.00**	**1.39**
2251	सूचना प्रौद्योगिकी	मंत्रालय	2.80	1.00	0.00	0	0	0
2225		एनसीएसटी				0	0	0
3601	वनबंधु कल्याण योजना		200.00	200.00	200.00	1.00	1.00	1.00
		3601 कुल का	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
	ख का कुल (केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं)		**1400.84**	**1435.09**	**1394.60**			
मुख्य शीर्ष	**कार्यक्रम/उप-योजनाएं**	**योजना**	**2015-16 (पूर्वोत्तर सहित)**			**2016-17 (पूर्वोत्तर सहित)**		
			ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
ग	**विशेष केन्द्रीय सहायता**							
3601	जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		1250.00	1132.17	1132.17	1250.00	1200.00	1195.03
3601 तथा 2225	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना		1367.00	1392.78	1392.46	1400.00	1260.00	1265.86
	ग का कुल (विशेष केन्द्रीय सहायता)		**2617.00**	**2524.95**	**2524.64**	**2650.00**	**2460.00**	**2460.89**
	क, ख तथा ग का कुल योग		**4792.19**	**4550.00**	**4472.27**	**4800.00**	**4798.63**	**4793.96**

ब.अ.: बजट अनुमान, सं.अ.:संशोधित अनुमान

अनुलग्नक-3 ख

वर्ष 2017-18 के लिए बजट आवंटन (योजना) तथा 31.12.2017 तक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	ब.अ. 2017-18	31.12.17 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
क	**ब्लॉक अनुदान**					
1	**संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत योजना**	**प्रशासनिक व्यय**	2225	घरेलु यात्रा व्यय	0	0
				विदेश यात्रा व्यय	0	0
				कार्यालय व्यय	1.50	0.21
				पेशेवर सेवाएं	0.25	0
				अन्य प्रभार	0.25	0
				कुल	**2.00**	**0.21**
		अनुदान	**3601**	सामान्य	257.60	297.88
				पूंजी	1030.40	961.80
				कुल	**1288.00**	**1259.68**
			2552	सामान्य	42.00	0
				पूंजी	168.00	0
				कुल	**210.00**	**0**
				योजना का कुल	**1500.00**	**1259.89**
2	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के दुसरे परन्तुक के खण्ड (क) के तहत असम सरकार को अनुदान		3601	**सामान्य**	**0.01**	**0.00**
क	**कुल (ब्लॉक अनुदान)**				**1500.01**	**1259.89**
ख	**केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं**					
(i)	**केन्द्रीय छात्रवृत्ति**					
1	अजजा बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति		2225	छात्रवृत्ति	120.00	64.86
				पूंजी	0	0
				योजना का कुल	**120.00**	**64.86**
2	विदेश में अध्ययन के लिए अजजा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति		2225	सामान्य	0	0
				छात्रवृत्ति	1.00	0.70
				योजना का कुल	**1.00**	**0.70**
	कुल केन्द्रीय छात्रवृत्ति				**121.00**	**65.56**
(ii)	**जनजातीय संस्थान**					
1	राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को समर्थन		4225	निवेश	60.00	30.00
				पूंजी	0	0
				योजना का कुल	**60.00**	**30.00**
2	जनजातीय उत्पाद/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन		2225	सामान्य	11.20	5.00
				पूंजी	0	0
				कुल	**11.20**	**5.00**
				वेतन	27.90	14.50
			3601	सामान्य	10.00	2.01
				कुल	**10.00**	**16.51**
				योजना का कुल	**49.00**	**21.51**

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजना के ब्यौरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत ब्यौरे	ब.अ. 2017-18	31.12.17 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
3	जनजातीय स्मारक सहित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता		2225	सामान्य	1.00	0
			2552	सामान्य	3.00	0
			3601	सामान्य	75.00	44.41
			3602	सामान्य	1.00	0
				योजना का कुल	**80.00**	**44.41**
	जनजातीय संस्थानों का कुल				**189.00**	**95.92**
ख	**केंद्रीय क्षेत्र का कुल**				**310.00**	**161.48**
©	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं**					
	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम					
(i)	**जनजातीय शिक्षा**	**मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति**	2225	कार्यालय व्यय	1.00	0
			3601	सामान्य	229.00	220.85
			2552	सामान्य	35.00	0
			2225	कुल	**265.00**	**220.85**
		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2225	कार्यालय व्यय	2.00	0
			3601	सामान्य	1200.07	935.27
			2552	सामान्य	145.00	0
				कुल	**1347.07**	**935.27**
		आश्रम विद्यालय	2225	कार्यालय व्यय		
			3601	सामान्य	3.00	0
				पूंजी	6.00	6.00
			2552	पूंजी	1.00	0
				कुल	**10.00**	**6.00**
		बालिका एवं बालक छात्रावास	2225	कार्यालय व्यय	2.00	0
			3601	सामान्य	7.00	7.00
				पूंजी	0	0
			2552	पूंजी	1.00	0
				कुल	**10.00**	**7.00**
		व्यावसायिक प्रशिक्षण	**3601**	सामान्य	2.00	0
			2552	सामान्य	1.00	0
				कुल	**3.00**	**0**
	जनजातीय शिक्षा का कुल				**1635.07**	**1169.12**
क्र.सं.	**योजना का नाम**	**उप-योजना के ब्यौरे**	**मुख्य शीर्ष**	**विस्तृत ब्यौरे**	**ब.अ. 2017-18**	**31.12.17 तक* व्यय**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
(ii)	**वन बंधु कल्याण योजना**	अजजा के कल्याणार्थ	2225	सामान्य	115.00	64.70

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजना के ब्यौरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत ब्यौरे	ब.अ. 2017-18	31.12.17 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
		कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2552	सामान्य	5.00	0
				योजना का कुल	**120.00**	**64.70**
		लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	2225	सामान्य	10.00	0
				पूंजी	15.00	0
				कुल	**25.00**	**0**
			3601	सामान्य	20.00	0
				पूंजी	55.00	0
				योजना का कुल	**100.00**	**0**
		विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	2552	सामान्य	25.00	0
				पूंजी	0	0
				कुल	**25.00**	**0**
			3601	सामान्य	147.00	114.76
				पूंजी	98.00	75.84
				कुल	245.00	190.60
				योजना का कुल	**270.00**	**190.60**
		जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम (ईएपी)		घरेलु यात्रा	0	0
				विदेश यात्रा व्यय	0	0
				कार्यालय व्यय	0	0
				प्रकाशन	0	0
			2225	अन्य प्रशासनिक व्यय	0	0
				पेशेवर सेवाएं	0.01	0
				अन्य प्रभार	0	0
				योजना का कुल	**0.01**	**0**
		जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जनशिक्षा	2225	विज्ञापन एवं प्रचार	1.00	0.10
				सामान्य	1.00	0.30
				अन्य प्रभार	10.04	0.08
				योजना का कुल	**12.04**	**0.48**
		निगरानी तथा मूल्यांकन	2225	सामान्य	2.00	0.00
				अन्य प्रभागर (मंत्रालय)	1.00	0.99
				अन्य प्रभार (एनसीएसटी)	0	0
				योजना का कुल	**3.00**	**0.99**
		वन बंधु कल्याण योजना		सामान्य	0.01	0
			3601	पूंजी	0	0
				योजना का कुल	**0.01**	**0**
	अंब्रेला (वीकेवाई) का कुल				**505.06**	**256.77**

क्र.सं.	योजना का नाम	उप-योजना के ब्यौरे	मुख्य शीर्ष	विस्तृत ब्यौरे	ब.अ. 2017-18	31.12.17 तक* व्यय
1	2	3	4	5	6	7
(iii)	जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता	**प्रशासनिक व्यय**	2225	घरेलु यात्रा व्यय	0	0
				विदेश यात्रा व्यय	0	0
				कार्यालय व्यय	2.00	1.29
				पेशेवर सेवाएं	0	0
				अन्य प्रभार	0	0
				कुल	**2.00**	**1.29**
		अनुदान	3601	सामान्य	**249.60**	254.25
				पूंजी	998.40	869.48
				कुल	**1248.00**	**1123.73**
			2552	सामान्य	80.00	0.00
				पूंजी	20.00	0.00
				कुल	**100.00**	**0.00**
		2225 और 3601 का कुल			**1350.00**	**1125.02**
	"अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम" का कुल				**3490.13**	**2550.91**
कुल योग					**5300.14**	**3972.28**

ब.अ. : बजट अनुमान, सं.अ. : संशोधित अनुमान

अनुलग्नक–4क

लिंग तथा निवास के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जनसंख्याः जनगणना 2011

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
	भारत	**टीआरयू**	**104545716**	**52547215**	**51998501**
		कुल	**94083844**	**47263733**	**46820111**
		ग्रामीण	**10461872**	**5283482**	**5178390**
1	जम्मू एवं कश्मीर	शहरी	1493299	776257	717042
		कुल	1406833	730075	676758
		ग्रामीण	86466	46182	40284
2	हिमाचल प्रदेश	शहरी	392126	196118	196008
		कुल	374392	186896	187496
		ग्रामीण	17734	9222	8512
3	उत्तराखण्ड	शहरी	291903	148669	143234
		कुल	264819	134691	130128
		ग्रामीण	27084	13978	13106
4	राजस्थान	शहरी	9238534	4742943	4495591
		कुल	8693123	4454816	4238307
		ग्रामीण	545411	288127	257284
5	उत्तर प्रदेश	शहरी	1134273	581083	553190
		कुल	1031076	526315	504761
		ग्रामीण	103197	54768	48429
6	बिहार	शहरी	1336573	682516	654057
		कुल	1270851	648535	622316
		ग्रामीण	65722	33981	31741
7	सिक्किम	शहरी	206360	105261	101099
		कुल	167146	86059	81087
		ग्रामीण	39214	19202	20012
8	अरुणाचल प्रदेश	शहरी	951821	468390	483431
		कुल	789846	390625	399221
		ग्रामीण	161975	77765	84210
9	नागलैंड	शहरी	1710973	866027	844946
		कुल	1306838	665351	641487
		ग्रामीण	404135	200676	203459
10	मणिपुर	शहरी	1167422	588279	579143
		कुल	1055808	533856	521952
		ग्रामीण	111614	54423	57191
11	मिजोरम	शहरी	1036115	516294	519821
		कुल	507467	257987	249480
		ग्रामीण	528648	258307	270341
12	त्रिपुरा	शहरी	1166813	588327	578486
		कुल	1117566	563908	553658
		ग्रामीण	49247	24419	24828
13	मेघालय	शहरी	2555861	1269728	1286133
		कुल	2136891	1070557	1066334
		ग्रामीण	418970	199171	219799
14	असम	शहरी	3884371	1957005	1927366
		कुल	3665405	1847326	1818079
		ग्रामीण	218966	109679	109287
15	पश्चिम बंगाल	शहरी	5296953	2649974	2646979
		कुल	4855115	2428057	2427058
		ग्रामीण	441838	221917	219921
16	झारखण्ड	शहरी	8645042	4315407	4329635
		कुल	7868150	3928323	3939827
		ग्रामीण	776892	387084	389808

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	टीआरयू	व्यक्ति	पुरूष	महिला
17	ओडिशा	कुल	9590756	4727732	4863024
		ग्रामीण	8994967	4428522	4566445
		शहरी	595789	299210	296579
18	छत्तीसगढ़	कुल	7822902	3873191	3949711
		ग्रामीण	7231082	3577134	3653948
		शहरी	591820	296057	295763
19	मध्यप्रदेश	कुल	15316784	7719404	7597380
		ग्रामीण	14276874	7187769	7089105
		शहरी	1039910	531635	508275
20	गुजरात	कुल	8917174	4501389	4415785
		ग्रामीण	8021848	4042691	3979157
		शहरी	895326	458698	436628
21	दमन एवं दीव	कुल	15363	7771	7592
		ग्रामीण	7617	3843	3774
		शहरी	7746	3928	3818
22	दादर एवं नगर हवेली	कुल	178564	88844	89720
		ग्रामीण	150944	75049	75895
		शहरी	27620	13795	13825
23	महाराष्ट्र	कुल	10510213	5315025	5195188
		ग्रामीण	9006077	4540456	4465621
		शहरी	1504136	774569	729567
24	तेलंगाना	कुल	3286928	1659963	1626965
		ग्रामीण	2939027	1482516	1456511
		शहरी	347901	177447	170454
25	आंध्र प्रदेश	कुल	2631145	1309399	1321746
		ग्रामीण	2293102	1138376	1154726
		शहरी	338043	171023	167020
26	कर्नाटक	कुल	4248987	2134754	2114233
		ग्रामीण	3429791	1723762	1706029
		शहरी	819196	410992	408204
27	गोवा	कुल	149275	72948	76327
		ग्रामीण	87639	43263	44376
		शहरी	61636	29685	31951
28	लक्षद्वीप	कुल	61120	30515	30605
		ग्रामीण	13463	6752	6711
		शहरी	47657	23763	23894
29	केरल	कुल	484839	238203	246636
		ग्रामीण	433092	213208	219884
		शहरी	51747	24995	26752
30	तमिलनाडु	कुल	794697	401068	393629
		ग्रामीण	660280	333178	327102
		शहरी	134417	67890	66527
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीव समूह	कुल	28530	14731	13799
		ग्रामीण	26715	13837	12878
		शहरी	1815	894	921

स्रोत: भारत के महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पणी : 2011 में पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

अनुलग्नक–4ख

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार कुल जनसंख्या, अ.ज.जा. की जनसंख्या, भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत तथा कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की तुलना में राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत

क्र.सं.	भारत/राज्य	कुल जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	भारत/राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में भारत/राज्य में अ.ज.जा. का %	भारत में कुल अ.ज.जा. की जनसंख्या की तुलना में राज्य में अ.ज.जा. का %
	भारत	1,21,08,54,977	10,45,45,716	8.6	-
1	आंध्र प्रदेश	4,93,86,799	26,31,145	5.3	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	9,51,821	68.8	0.9
3	असम	3,12,05,576	38,84,371	12.4	3.7
4	बिहार	10,40,99,452	13,36,573	1.3	1.3
5	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	78,22,902	30.6	7.5
6	गोवा	14,58,545	1,49,275	10.2	0.1
7	गुजरात	6,04,39,692	89,17,174	14.8	8.5
8	हरियाणा	2,53,51,462	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
9	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	3,92,126	5.7	0.4
10	जम्मू एवं कश्मीर	1,25,41,302	14,93,299	11.9	1.4
11	झारखण्ड	3,29,88,134	86,45,042	26.2	8.3
12	कर्नाटक	6,10,95,297	42,48,987	7.0	4.1
13	केरल	3,34,06,061	4,84,839	1.5	0.5
14	मध्य प्रदेश	7,26,26,809	1,53,16,784	21.1	14.7
15	महाराष्ट्र	11,23,74,333	1,05,10,213	9.4	10.1
16	मणिपुर	28,55,794	11,67,422	40.9	1.1
17	मेघालय	29,66,889	25,55,861	86.1	2.4
18	मिजोरम	10,97,206	10,36,115	94.4	1.0
19	नागालैंड	19,78,502	17,10,973	86.5	1.6
20	ओडिशा	4,19,74,218	95,90,756	22.8	9.2
21	पंजाब	2,77,43,338	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
22	राजस्थान	6,85,48,437	92,38,534	13.5	8.8
23	सिक्किम	6,10,577	2,06,360	33.8	0.2
24	तमिलनाडु	7,21,47,030	7,94,697	1.1	0.8
25	तेलंगाना	35193978	3286928	9.3	3.1
26	त्रिपुरा	36,73,917	11,66,813	31.8	1.1
27	उत्तराखण्ड	1,00,86,292	2,91,903	2.9	0.3
28	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	11,34,273	0.6	1.1
29	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	52,96,953	5.8	5.1
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	3,80,581	28,530	7.5	0.0
31	चंडीगढ़	10,55,450	एनएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं
32	दादर एवं नगर हवेली	3,43,709	1,78,564	52.0	0.2
33	दमन एवं दीव.	2,43,247	15,363	6.3	0.0
34	दिल्ली	1,67,87,941	NST	NA	NA
35	लक्षद्वीप	64,473	61,120	94.8	0.1
36	पुदुचेरी	12,47,953	NST	NA	NA

स्रोत : जनगणना, 2011 भारत के महापंजीयक का कार्यालय

एनएसटीः कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है (2011 के अनुसार)

अनुलग्नक–4ग

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की लिंग संरचना

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लिंग अनुपात 2001			लिंग अनुपात 2011		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
भारत	978	981	944	990	991	980
जम्मू एवं कश्मीर	910	916	799	924	927	872
हिमाचल प्रदेश	996	1002	809	999	1003	923
उत्तराखण्ड	950	956	867	963	966	938
राजस्थान	944	950	851	948	951	893
उत्तर प्रदेश	934	945	850	952	959	884
बिहार	929	934	839	958	960	934
सिक्किम	957	950	1024	960	942	1042
अरुणाचल प्रदेश	1003	1000	1020	1032	1022	1083
नागालैंड	943	942	946	976	964	1014
मणिपुर	980	977	1040	984	978	1051
मिजोरम	984	959	1012	1007	967	1047
त्रिपुरा	970	971	921	983	982	1017
मेघालय	1000	987	1072	1013	996	1104
असम	972	974	929	985	984	996
पश्चिम बंगाल	982	984	950	999	1000	991
झारखण्ड	987	989	965	1003	1003	1007
ओडिशा	1003	1006	948	1029	1031	991
छत्तीसगढ़	1013	1017	941	1020	1021	999
मध्य प्रदेश	975	979	912	984	986	956
गुजरात	974	978	926	981	984	952
दमन एवं दीव	947	952	928	977	982	972
दादर एवं नगर हवेली	1028	1032	973	1010	1011	1002
महाराष्ट्र	973	979	931	977	984	942
तेलंगाना	962	965	922	980	982	961
आंध्र प्रदेश	983	986	957	1009	1014	977
कर्नाटक	972	975	960	990	990	993
गोवा	893	827	928	1046	1026	1076
लक्षद्वीप	1003	1001	1006	1003	994	1006
केरल	1021	1020	1053	1035	1031	1070
तमिलनाडु	980	977	997	981	982	980
अंडमान निकोबार दीप समूह	948	954	796	937	931	1030

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4घ

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा अ.ज.जा. की जनसंख्या की साक्षरता दरें तथा अंतर : जनसंख्या 2011

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति			पुरुष			महिला		
		सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर	सभी	अ.ज.जा.	अंतर
	भारत	**73**	**59**	**14.0**	**80.9**	**68.5**	**12.4**	**64.6**	**49.4**	**15.2**
1	जम्मू एवं कश्मीर	67.2	50.6	16.6	76.8	60.6	16.2	56.4	39.7	16.7
2	हिमाचल प्रदेश	82.8	73.6	9.2	89.5	83.2	6.3	75.9	64.2	11.7
3	उत्तराखण्ड	78.8	73.9	4.9	87.4	83.6	3.8	70	63.9	6.1
4	राजस्थान	66.1	52.8	13.3	79.2	67.6	11.6	52.1	37.3	14.8
5	उत्तर प्रदेश	67.7	55.7	12.0	77.3	67.1	10.2	57.2	43.7	13.5
6	बिहार	61.8	51.1	10.7	71.2	61.3	9.9	51.5	40.4	11.1
7	सिक्किम	81.4	79.7	1.7	86.6	85	1.6	75.6	74.3	1.3
8	अरुणाचल प्रदेश	65.4	64.6	0.8	72.6	71.5	1.1	57.7	58	-0.3
9	नागालैंड	79.6	80	-0.4	82.8	83.1	-0.3	76.1	76.9	-0.8
10	मणिपुर	76.9	72.6	4.3	83.6	77.3	6.3	70.3	67.8	2.5
11	मिजोरम	91.3	91.5	-0.2	93.3	93.6	-0.3	89.3	89.5	-0.2
12	त्रिपुरा	87.2	79.1	8.1	91.5	86.4	5.1	82.7	71.6	11.1
13	मेघालय	74.4	74.5	-0.1	76	75.5	0.5	72.9	73.5	-0.6
14	असम	72.2	72.1	0.1	77.8	79	-1.2	66.3	65.1	1.2
15	पश्चिम बंगाल	76.3	57.9	18.4	81.7	68.2	13.5	70.5	47.7	22.8
16	झारखण्ड	66.4	57.1	9.3	76.8	68.2	8.6	55.4	46.2	9.2
17	ओडिशा	72.9	52.2	20.7	81.6	63.7	17.9	64	41.2	22.8
18	छत्तीसगढ़	70.3	59.1	11.2	80.3	69.7	10.6	60.2	48.8	11.4
19	मध्य प्रदेश	69.3	50.6	18.7	78.7	59.6	19.1	59.2	41.5	17.7
20	गुजरात	78	62.5	15.5	85.8	71.7	14.1	69.7	53.2	16.5
21	दमन एवं दीव	87.1	78.8	8.3	91.5	86.2	5.3	79.5	71.2	8.3
22	दादर एवं नगर हवेली	76.2	61.9	14.3	85.2	73.6	11.6	64.3	50.3	14
23	महाराष्ट्र	82.3	65.7	16.6	88.4	74.3	14.1	75.9	57	18.9
24	तेलंगाना	66.5	49.5	17.0	75	59.5	15.5	57.9	39.4	18.5
25	आंध्र प्रदेश	67.4	48.8	18.6	74.8	56.9	17.9	60	40.9	19.1
26	कर्नाटक	75.4	62.1	13.3	82.5	71.1	11.4	68.1	53	15.1
27	गोवा	88.7	79.1	9.6	92.6	87.2	5.4	84.7	71.5	13.2
28	लक्षद्वीप	91.8	91.7	0.1	95.6	95.7	-0.1	87.9	87.8	0.1
29	केरल	94	75.8	18.2	96.1	80.8	15.3	92.1	71.1	21
30	तमिलनाडु	80.1	54.3	25.8	86.8	61.8	25	73.4	46.8	26.6
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	86.6	75.6	11.0	90.3	80.9	9.4	82.4	69.9	12.5

स्रोतः भारत के महापंजीयक का कार्यालय

टिप्पणी : 2011 में पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं।

अनुलग्नक–4ड़

15 वर्ष और इससे ऊपर के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक तथा इससे ऊपर का शैक्षिक स्तर

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर	कुल स्नातक तथा इससे ऊपर की प्रतिशतता (कॉलम 3)							
			तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातक डिग्री	तकनीकी डिग्री के अलावा स्नातकोत्तर डिग्री	तकनीकी डिग्री या डिग्री के समतुल्य डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री					
					इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक	चिकित्सा	कृषि	पशु चिकित्सा विज्ञान	शिक्षण	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	भारत	**1763879**	**64.08**	**18.28**	**5.92**	**1.94**	**0.36**	**0.11**	**9.27**	**0.04**
1	जम्मू एवं कश्मीर	19320	55.01	22.51	7.16	3.98	0.61	0.45	10.09	0.20
2	हिमाचल प्रदेश	16983	57.57	27.58	4.57	1.74	0.18	0.11	8.20	0.05
3	उत्तराखण्ड	18868	61.74	28.87	4.43	1.35	0.20	0.01	3.40	0.00
4	राजस्थान	199280	52.83	22.17	3.14	1.20	0.11	0.06	20.49	0.01
5	उत्तर प्रदेश	18275	71.22	19.62	3.64	1.00	0.20	0.01	4.31	0.00
6	बिहार	12772	83.34	9.02	4.60	1.43	0.05	0.10	1.46	0.01
7	सिक्किम	9401	71.71	16.93	5.94	2.60	0.55	0.20	2.01	0.06
8	अरुणाचल प्रदेश	33331	70.94	13.40	8.99	3.32	1.03	0.36	1.94	0.02
9	नागालैंड	75326	75.44	15.18	4.25	2.22	0.68	0.28	1.92	0.03
10	मणिपुर	60186	82.04	12.68	2.62	1.61	0.15	0.04	0.85	0.01
11	मिजोरम	45681	70.62	16.57	5.51	2.43	0.48	0.38	4.01	0.02
12	त्रिपुरा	12074	72.58	15.83	5.47	3.35	0.80	0.15	1.81	0.02
13	मेघालय	63897	73.85	13.05	5.59	2.47	0.61	0.28	4.13	0.03
14	असम	74746	83.24	9.80	3.93	1.66	0.19	0.18	0.98	0.02
15	पश्चिम बंगाल	62032	79.85	13.50	3.00	1.03	0.12	0.04	2.44	0.01
16	झारखण्ड	144262	79.58	12.76	2.62	0.95	0.13	0.06	3.90	0.01
17	ओडिशा	64859	71.23	9.64	14.56	1.24	0.14	0.06	3.13	0.00
18	छत्तीसगढ़	109384	54.98	37.76	4.09	1.39	0.38	0.05	1.35	0.01
19	मध्य प्रदेश	121374	59.30	32.64	4.72	1.41	0.37	0.05	1.51	0.00
20	गुजरात	133702	56.13	19.54	5.11	3.11	0.38	0.05	15.55	0.13
21	दमन एवं दीव	170	63.53	14.71	7.06	3.53	0.00	0.00	11.18	0.00
22	दादर एवं नगर हवेली	2232	38.22	12.90	4.57	4.17	0.00	0.00	40.10	0.04
23	महाराष्ट्र	185590	55.83	15.81	5.78	2.33	0.87	0.09	19.28	0.01
24	आंध्र प्रदेश	63124	57.36	13.61	10.52	2.75	0.27	0.14	15.11	0.24
25	तेलंगाना	83954	56.08	14.55	13.17	2.89	0.17	0.11	12.88	0.15
26	कर्नाटक	102014	57.84	12.29	10.82	1.95	0.30	0.09	16.68	0.03
27	गोवा	3990	77.57	8.47	6.24	3.48	0.18	0.00	4.06	0.00
28	लक्षद्वीप	1986	44.66	21.70	8.61	5.09	1.71	0.45	17.12	0.65
29	केरल	10675	62.49	17.80	8.51	4.14	0.36	0.24	6.41	0.06
30	तमिलनाडु	13970	49.20	20.76	20.08	2.66	0.46	0.19	6.63	0.03
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	421	46.32	17.10	3.33	5.23	0.00	0.71	27.32	0.00

* शिक्षण – जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी), बीएड, एमएड आदि
स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4च

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना (एससी, पीएचसी तथा सीएचसी) की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या	(31 मार्च, 2015 तक)								
			उप केन्द्र			पी.एच.सी.			सी.एच.सी.		
			आर	पी	एस	आर	पी	एस	आर	पी	एस
1	आंध्र प्रदेश	2293102	764	804	**	114	155	**	28	19	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	789846	263	312	**	39	143	**	9	63	**
3	असम	3665405	1221	1283	**	183	283	**	45	31	14
4	बिहार+	1270851	423	23	400	63	6	57	15	0	15
5	छत्तीसगढ़	7231082	2410	2804	**	361	392	**	90	80	10
6	गोवा	87639	29	66	**	4	8	**	1	1	0
7	गुजरात	8021848	2673	2775	**	401	406	**	100	92	8
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	374392	124	104	20	18	43	**	4	8	**
10	जम्मू एवं कश्मीर	1406833	468	307	161	70	48	22	17	11	6
11	झारखण्ड	7868150	2622	2465	157	393	165	228	98	104	**
12	कर्नाटक	3429791	1143	321	822	171	64	107	42	7	35
13	केरल	433092	144	831	**	21	137	**	5	12	**
14	मध्य प्रदेश	14276874	4758	2952	1806	713	332	381	178	104	74
15	महाराष्ट्र	9006077	3002	2057	945	450	315	135	112	67	45
16	मणिपुर	791126	263	226	37	39	45	**	9	7	2
17	मेघालय#	2136891	712	436	276	106	109	**	26	27	**
18	मिजोरम#	507467	169	370	**	25	57	**	6	9	**
19	नागालैंड#	1306838	435	396	39	65	126	**	16	21	**
20	ओडिशा	8994967	2998	2689	309	449	425	24	112	132	**
21	पंजाब*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	8693123	2897	1658	1239	434	209	225	108	65	43
23	सिक्किम	167146	55	48	7	8	12	**	2	0	2
24	तमिलनाडु	660280	220	564	**	33	65	**	8	20	**
25	तेलंगाना	2939027	979	698	281	146	93	53	36	23	13
26	त्रिपुरा	1117566	372	512	**	55	47	8	13	8	5
27	उत्तराखण्ड	264819	88	187	**	13	24	**	3	9	**
28	उत्तर प्रदेश	1031076	343	NA	NA	51	NA	NA	12	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल	4855115	1618	3206	**	242	300	**	60	104	**
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	26715	8	41	**	1	4	**	0	1	**
31	चंडीगढ़*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नगर हवेली#	150944	50	46	4	7	7	0	1	0	1
33	दमन एवं दीव	7617	2	5	**	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप#(2)	13463	4	14	**	0	4	**	0	3	**
36	पुदुचेरी*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	**93819162**	**31273**	**28200**	**6503**	**4690**	**4024**	**1240**	**1172**	**1028**	**273**

स्रोतः ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियांः जनगणना 2011 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित नियमों का प्रयोग करते हुए आवश्यकता की गणना की गई द्य कुछ राज्यों में विद्यमान अधिशेष को अनदेखा करते हुए कमियों के राज्य–वार आंकड़ो को जोड़ते हुए अखिल भारतीय कमी तैयार की गई।

आररू आवश्यकय पीरू तैनातय एसः कमी, ''रू अधिशेष, 'रू राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं हैय

रुरूराज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है

2 जनसंख्या 80,000 के मानक (सीएचसी) से कम है।

^^ वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं।

अनुलग्नक–4छ

जनजातीय क्षेत्रों में उप–केन्द्रों तथा पीएचसी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/एएनएम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2017)				
		अपेक्षित [1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस.पी)	कमी (आर.पी)
1	आंध्र प्रदेश	959	8396	6257	2139	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	455	NA	481	NA	**
3	असम	1566	NA	1217	NA	349
4	बिहार @	29	24	24	0	5
5	छत्तीसगढ़	3196	3354	3993	**	**
6	गोवा	74	82	82	0	**
7	गुजरात	3181	3181	2455	726	726
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	147	115	92	23	55
10	जम्मू एवं कश्मीर+	355	250	796	**	**
11	झारखण्ड++	2630	2493	3915	**	**
12	कर्नाटक	385	321	242	79	143
13	केरल	968	970	970	0	**
14	मध्य प्रदेश	3284	4844	5333	**	**
15	महाराष्ट्र	2372	4532	4871	**	**
16	मणिपुर	271	560	446	114	**
17	मेघालय #	545	1118	1075	43	**
18	मिजोरम #	427	405	640	**	**
19	नागालैंड #	522	539	569	**	**
20	ओडिशा	3114	3089	3193	**	**
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	1867	4023	2791	1232	**
23	सिक्किम * * *	60	83	95	**	**
24	तमिलनाडु	629	629	517	112	112
25	तेलंगाना	791	1158	1158	0	**
26	त्रिपुरा	559	0	266	**	293
27	उत्तराखण्ड	211	178	178	0	33
28	उत्तर प्रदेश	NA	NA	NA	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल$	3506	2576	2506	70	1000
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	45	87	96	**	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	53	36	70	**	**
33	दमन एवं दीव	5	5	5	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	18	47	51	**	**
36	पुद्दुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**32224**	**43095**	**44384**	**4538**	**2716**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां: #राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है। / वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

+वर्ष 2012 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

++वर्ष 2016 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

***वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

$ वर्ष 2013 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

* वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

** अधिशेष

[1]एक प्रति उप केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, *:राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां कोई अलग जनजातीय क्षेत्र/जनसंख्या नहीं है।

अनुलग्नक–4ज

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्सिंग स्टॉफ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2017)				
		अपेक्षित [1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस.पी)	कमी (आर.पी)
1	आंध्र प्रदेश	288	385	276	109	12
2	अरुणाचल प्रदेश#	584	NA	498	NA	86
3	असम	500	NA	671	NA	**
4	बिहार @	6	0	0	0	6
5	छत्तीसगढ़	952	1416	882	534	70
6	गोवा	15	53	57	**	**
7	गुजरात	1050	1549	1163	386	**
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	99	58	23	35	76
10	जम्मू एवं कश्मीर.	125	NA	190	NA	**
11	झारखण्ड.	893	368	394	**	499
12	कर्नाटक	113	144	55	89	58
13	केरल	221	223	245	**	**
14	मध्य प्रदेश	1060	800	694	106	366
15	महाराष्ट्र	784	684	457	227	327
16	मणिपुर	94	142	132	10	**
17	मेघालय #-$	298	413	610	**	**
18	मिजोरम #	120	570	212	358	**
19	नागालैंड #	273	175	387	**	**
20	ओडिशा	1349	318	615	**	734
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	664	1260	1182	78	**
23	सिक्किम	12	NA	14	**	**
24	तमिलनाडु	205	425	345	80	**
25	तेलंगाना	254	257	191	66	63
26	त्रिपुरा	103	0	341	**	**
27	उत्तराखण्ड	87	27	39	**	48
28	उत्तर प्रदेश	NA	NA	NA	NA	NA
29	पश्चिम बंगाल# #	1028	334	239	95	789
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	11	33	33	0	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	4	62	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	25	54	54	0	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**11220**	**9692**	**10061**	**2173**	**3134**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां : ## वर्ष 2013 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

$ वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

~ वर्ष 2016 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है

*: राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में कोई अलग जनजातीय क्षेत्र / जनसंख्या नहीं है

[1]एक प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 7 प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

@ वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

^ वर्ष 2016 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

अनुलग्नक–4झ

जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में नर्सिंग स्टॉफ

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(31 मार्च, 2017 तक)				
		अपेक्षित [1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस.पी)	कमी (आर.पी)
1	आंध्र प्रदेश	155	280	259	21	**
2	अरुणाचल प्रदेश#	143	लागू नहीं	122	लागू नहीं	21
3	असम$	283	लागू नहीं	233	लागू नहीं	50
4	बिहार^^	6	1	1	0	5
5	छत्तीसगढ़	392	409	157	252	235
6	गोवा	8	29	28	1	**
7	गुजरात	406	782	347	435	59
8	हरियाणा *	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	43	62	50	12	**
10	जम्मू एवं कश्मीर+	48	38	70	**	**
11	झारखण्ड	165	290	177	113	**
12	कर्नाटक	64	64	38	26	26
13	केरल	137	227	229	**	**
14	मध्य प्रदेश	332	332	208	124	124
15	महाराष्ट्र	315	370	354	16	**
16	मणिपुर	45	130	73	57	**
17	मेघालय #^	109	128	112	16	**
18	मिजोरम #^	57	152	56	96	1
19	नागालैंड #	126	108	122	**	4
20	ओडिशा	425	425	335	90	90
21	पंजाब *	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	209	438	376	62	**
23	सिक्किम ##	12	20	12	8	0
24	तमिलनाडु	65	132	86	46	**
25	तेलंगाना	93	211	196	15	**
26	त्रिपुरा	47	0	97	**	**
27	उत्तराखण्ड	24	10	12	**	12
28	उत्तर प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	पश्चिम बंगाल ~	300	909	765	144	**
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	4	9	5	4	**
31	चंडीगढ़ *	0	0	0	0	0
32	दादर एवं नागर हवेली #	7	1	15	**	**
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
34	दिल्ली *	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप #	4	8	8	0	**
36	पुदुचेरी *	0	0	0	0	0
	कुल	**4024**	**5565**	**4543**	**1538**	**627**

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2017, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

टिप्पणियां: #राज्य प्रमुख रुप से जनजातीय क्षेत्र है द्य

+ वर्ष 2012 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

~ वर्ष 2013 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

** अधिशेष.

वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

* वर्ष 2010 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

^$ वर्ष 2016 के लिए आंकड़े दोहराए गए हैं

वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत आंकड़े दोहराए गए हैं

[1]प्रति एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[2]एलोपैथिक चिकित्सक

अनुलग्नक–4ञ

अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशतता तथा प्रकाश का उनका मुख्य स्रोत

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		प्रकाश का मुख्य स्त्रोत					
			बिजली		मिट्टी का तेल		सौर ऊर्जा	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
भारत	**2,33,74,527**	**24,67,40,228**	**51.7**	**67.2**	**45.6**	**31.4**	**1.1**	**0.4**
जम्मू एवं कश्मीर	262,419	2,015,088	59.7	85.1	23.7	9.7	3.8	1.0
हिमाचल प्रदेश	92,017	1,476,581	94.5	96.8	4.1	2.8	0.9	0.1
उत्तराखण्ड	63,322	1,997,068	83.7	87.0	13.6	11.1	1.9	1.2
राजस्थान	1,836,014	12,581,303	39.7	67.0	57.7	30.9	0.9	0.6
उत्तर प्रदेश	512,649	32,924,266	36.7	36.8	60.8	61.9	1.1	0.5
बिहार	423,568	18,940,629	11.5	16.4	86.9	82.4	0.7	0.6
सिक्किम	46,013	128,131	91.5	92.5	7.4	6.5	0.4	0.2
अरुणाचल प्रदेश	172,913	261,614	66.2	65.7	12.3	18.5	4.0	2.9
नागालैंड	349,022	399,965	81.2	81.6	15.9	15.6	0.3	0.3
मणिपुर	2,19,179	5,54,713	62.5	68.3	28.5	25.1	4.0	1.9
मिजोरम	211,626	221,077	84.3	84.2	13.4	13.5	1.4	1.3
त्रिपुरा	259,322	842,781	46.9	68.4	48.6	29.1	3.8	1.9
मेघालय	456,683	538,299	59.2	60.9	38.6	37.0	0.8	0.8
असम	887,226	6,367,295	28.0	37.0	69.3	61.8	2.1	0.8
पश्चिम बंगाल	1,273,423	20,067,299	31.7	54.5	66.2	43.5	1.1	1.2
झारखण्ड	1,718,359	6,181,607	29.3	45.8	68.9	53.1	1.4	0.7
ओडिशा	2,240,142	9,661,085	15.6	43.0	82.3	55.3	0.6	0.4
छत्तीसगढ़	1,747,575	5,622,850	56.8	75.3	40.1	23.2	2.2	0.9
मध्य प्रदेश	3,213,683	14,967,597	54.0	67.1	44.6	32.1	0.6	0.3
गुजरात	1,837,844	12,181,718	80.0	90.4	17.6	8.1	0.4	0.1
दमन एवं दीव	3,334	60,381	96.6	99.1	2.5	0.8	0.0	0.0
दादर एवं नागर हवेली	33,367	73,063	90.8	95.2	8.4	4.4	0.1	0.0
महाराष्ट्र	2,445,645	23,830,580	59.8	83.9	36.2	14.5	1.2	0.2
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	73.1	92.1	25.3	7.1	0.4	0.2
तेलंगाना	840723	8420662	86	92.3	12.1	6.6	0.4	0.3
कर्नाटक	936,995	13,179,911	83.6	90.6	15.0	8.6	0.4	0.2
गोवा	33,662	322,813	93.8	96.9	4.8	2.4	0.3	0.2
लक्षद्वीप	10,028	10,703	99.7	99.7	0.2	0.2	0.0	0.0
केरल	136,006	7,716,370	62.8	94.4	34.5	5.2	2.2	0.2
तमिलनाडु	384,713	18,493,003	84.4	93.4	13.6	5.9	0.7	0.1
अंडमान निकोबार दीप समूह	7,743	93,376	94.0	86.1	3.8	12.9	0.1	0.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4ट

मकान के अंदर शौचालय तथा स्नानघर की सुविधा वाले परिवारों की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों की कुल संख्या		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		मनुष्य द्वारा मैला ढोना		मकान के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों की संख्या		खुले में शौच करना	
	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी	अ.ज.जा.	सभी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारत	**23374527**	**2467,40,228**	**22.70**	**46.90**	**0.10**	**0.30**	**77.30**	**53.10**	**74.60**	**49.80**
जम्मू एवं कश्मीर	262419	20,15,088	26.70	51.20	5.20	8.90	73.30	48.80	71.10	46.10
हिमाचल प्रदेश	92017	14,76,581	62.00	69.10	0.20	0.00	38.00	30.90	36.70	29.70
उत्तराखण्ड	63322	19,97,068	46.10	65.80	0.10	0.20	53.90	34.20	51.50	33.10
राजस्थान	1836014	125,81,303	7.90	35.00	0.00	0.00	92.10	65.00	91.70	64.30
उत्तर प्रदेश	512649	329,24,266	35.50	35.60	0.50	1.00	64.50	64.40	62.30	63.00
बिहार	423568	189,40,629	13.70	23.10	0.10	0.10	86.30	76.90	85.00	75.80
सिक्किम	46013	1,28,131	85.90	87.20	-	0.00	14.10	12.80	12.80	11.30
अरुणाचल प्रदेश	172913	2,61,614	58.40	62.00	0.40	0.40	41.60	38.00	38.80	34.80
नागालैंड	349022	3,99,965	74.80	76.50	0.20	0.20	25.20	23.50	17.80	16.50
मणिपुर	219179	5,54,713	78.40	87.00	1.00	2.00	21.60	13.00	19.20	10.70
मिजोरम	211626	2,21,077	91.90	91.90	0.10	0.10	8.10	8.10	6.60	6.60
त्रिपुरा	259322	8,42,781	63.70	86.00	0.20	0.10	36.30	14.00	30.30	11.50
मेघालय	456683	5,38,299	61.00	62.90	0.40	0.40	39.00	37.10	36.20	34.30
असम	887226	63,67,295	43.30	64.90	0.20	0.30	56.70	35.10	54.00	33.20
पश्चिम बंगाल	1273423	200,67,299	24.40	58.80	0.30	0.60	75.60	41.20	73.20	38.60
झारखण्ड	1718359	61,81,607	8.30	22.00	0.00	0.00	91.70	78.00	90.80	77.00
ओडिशा	2240142	96,61,085	7.10	22.00	0.10	0.30	92.90	78.00	91.60	76.60
छत्तीसगढ़	1747575	56,22,850	14.80	24.60	0.00	0.00	85.20	75.40	84.60	74.00
मध्य प्रदेश	3213683	149,67,597	8.50	28.80	0.00	0.00	91.50	71.20	90.90	70.00
गुजरात	1837844	121,81,718	24.30	57.30	0.00	0.00	75.70	42.70	73.50	40.40
दमन एवं दीव	3334	60,381	36.90	78.20	-	0.00	63.10	21.80	54.10	10.50
महाराष्ट्र	33367	73,063	16.90	54.70	0.20	0.20	83.10	45.30	80.80	40.00
दादर एवं नागर हवेली	2445645	238,30,580	30.10	53.10	0.00	0.00	69.90	46.90	59.70	34.00
आंध्र प्रदेश	719312	12603872	19.10	47.70	0.20	0.10	80.90	52.30	78.10	49.00
तेलंगाना	840723	8420662	19.90	52.40	0.40	0.30	80.10	47.60	78.00	46.40
कर्नाटक	936995	131,79,911	28.70	51.20	0.00	0.10	71.30	48.80	66.90	45.00
गोवा	33662	3,22,813	59.90	79.70	-	0.00	40.10	20.30	36.30	16.40
लक्षद्वीप	10028	10,703	98.30	97.80	-	0.00	1.70	2.20	1.50	1.80
केरल	136006	77,16,370	71.40	95.20	0.00	0.00	28.60	4.80	25.70	3.80
तमिलनाडु	384713	184,93,003	34.70	48.30	0.10	0.10	65.30	51.70	60.30	45.70
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7743	93,376	88.20	70.10	-	0.00	11.80	29.90	11.50	27.50

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4ठ

जनगणना के अनुसार मकानों की दशा के आधार पर परिवारों की प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सभी				अनुसूचित जनजाति			
		कुल आवास (संख्या लाख में)	अच्छे मकान (%)	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा की प्रतिशतता	मकान में अलग रसोई की प्रतिशतता	कुल मकान (संख्या लाख में)	कुल आवास (संख्या लाख में)	मकान के अंदर शौचालय की सुविधा की %	मकान में अलग रसोई की %
	भारत	**2467.40**	**53.1**	**46.9**	**61.3**	**233.75**	**40.6**	**22.6**	**53.7**
1	जम्मू एवं कश्मीर	20.15	54.1	51.2	85.7	2.62	32.8	26.7	73.6
2	हिमाचल प्रदेश	14.77	72.4	69.1	88.2	0.92	68.4	62.0	85.4
3	उत्तराखण्ड	19.97	66.8	65.8	70.1	0.63	58.2	46.1	74.3
4	राजस्थान	125.81	51.0	35.0	50.8	18.36	31.3	7.9	22.1
5	उत्तर प्रदेश	329.24	42.8	35.6	40.7	5.13	40.6	35.5	43.0
6	बिहार	189.41	36.1	23.1	33.5	4.24	30.6	13.7	34.4
7	सिक्किम	1.28	56.5	87.2	90.2	0.46	54.7	85.9	91.7
8	अरुणाचल प्रदेश	2.62	51.8	62.0	89.2	1.73	54.5	58.4	89.4
9	नागालैंड	4.00	52.4	76.5	96.0	3.49	52.9	74.8	96.8
10	मणिपुर	5.07	54.1	89.3	93.3	2.19	39.2	78.4	88.3
11	मिजोरम	2.21	62.3	91.9	83.8	2.12	62.4	91.9	83.7
12	त्रिपुरा	8.43	54.2	86.0	85.9	2.59	52.7	63.7	75.9
13	मेघालय	5.38	48.1	62.9	90.7	4.57	47.8	61.0	91.2
14	असम	63.67	32.8	64.9	88.3	8.87	32.4	43.3	89.4
15	पश्चिम बंगाल	200.67	40.9	58.8	60.9	12.73	27.5	24.4	48.2
16	झारखण्ड	61.82	43.4	22.0	39.4	17.18	36.6	8.3	34.5
17	ओडिशा	96.61	29.5	22.0	62.9	22.40	19.1	7.1	59.6
18	छत्तीसगढ़	56.23	46.6	24.6	56.1	17.48	43.1	14.8	54.9
19	मध्य प्रदेश	149.68	52.3	28.8	46.8	32.14	38.8	8.5	36.6
20	गुजरात	121.82	67.3	57.3	72.3	18.38	51.2	24.3	65.0
21	दमन एवं दीव	0.60	68.1	78.2	65.9	0.03	57.4	36.9	83.0
22	दादर एवं नागर हवेली	0.73	66.7	54.7	84.4	0.33	54.4	16.9	84.8
23	महाराष्ट्र	238.31	64.1	53.1	72.7	24.46	48.0	30.1	60.4
24	आंध्र प्रदेश	126.04	71.1	47.7	55.6	7.19	57.7	40.3	19.1
25	तेलंगाना	84.21	67.8	52.4	52.2	8.41	58.0	35.7	19.9
26	कर्नाटक	131.80	60.1	51.2	89.3	9.37	50.0	28.7	82.8
27	गोवा	3.23	76.1	79.7	92.9	0.34	68.6	59.9	90.2
28	लक्षद्वीप	0.11	78.7	97.8	95.5	0.10	78.9	98.3	96.6
29	केरल	77.16	66.3	95.2	96.7	1.36	38.4	71.4	89.6
30	तमिलनाडु	184.93	70.2	48.3	76.5	3.85	59.8	34.7	64.3
31	अंडमान निकोबार दीप समूह	0.93	66.5	70.1	94.1	0.08	86.5	88.2	97.9

स्रोत रू जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4ङ

पेयजल के मुख्य स्रोत की अवस्थिति के अनुसार परिवार

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	परिवारों (सभी) की कुल संख्या % में			अ.ज.जा. के परिवार (%)		
	पेयजल के मुख्य स्त्रोत की अवस्थिति के अनुसार					
	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर	मकान के अंदर	मकान के निकट	दूर
भारत	**46.6**	**35.8**	**17.6**	**19.7**	**46.7**	**33.6**
अंडमान निकोबार दीप समूह	60.6	27.0	12.4	61.0	15.7	23.3
आंध्र प्रदेश	43.2	37.3	19.5	21.0	45.7	33.4
अरुणाचल प्रदेश	41.1	37.4	21.6	36.5	40.4	23.1
असम	54.8	26.7	18.5	47.3	28.9	23.8
बिहार	50.1	37.9	12.0	40.9	41.4	17.7
चंडीगढ़	86.1	11.6	2.2	0.0	0.0	0.0
छत्तीसगढ़	19.0	54.5	26.5	9.1	57.7	33.2
दादर एवं नागर हवेली	52.6	36.4	10.9	28.7	50.2	21.0
दमन एवं दीव	76.4	22.1	1.5	57.6	36.9	5.5
गोवा	79.7	15.5	4.8	58.7	28.9	12.4
गुजरात	64.0	23.5	12.4	28.8	46.4	24.8
हरियाणा	66.5	21.4	12.1	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	55.5	35.0	9.5	48.9	41.2	9.9
जम्मू एवं कश्मीर	48.2	28.7	23.1	15.3	39.2	45.5
झारखण्ड	23.2	44.9	31.9	8.3	49.4	42.3
कर्नाटक	44.5	37.3	18.2	27.2	45.6	27.2
केरल	77.7	14.1	8.2	44.3	30.4	25.4
लक्षद्वीप	83.7	14.3	2.0	83.9	14.2	1.9
मध्य प्रदेश	23.9	45.6	30.5	8.4	50.1	41.5
महाराष्ट्र	59.4	27.5	13.1	33.9	43.3	22.8
मणिपुर	16.1	46.2	37.8	13.3	52.9	33.8
मेघालय	24.1	43.2	32.7	18.8	46.2	35.0
मिजोरम	31.2	46.7	22.2	30.6	47.0	22.4
नागालैंड	29.3	42.4	28.3	26.1	44.1	29.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	78.4	15.4	6.2	0.0	0.0	0.0
ओडिशा	22.4	42.2	35.4	6.2	49.2	44.6
पुदुचेरी	77.4	21.5	1.1	0.0	0.0	0.0
पंजाब	85.9	10.0	4.1	0.0	0.0	0.0
राजस्थान	35.0	39.0	25.9	11.0	47.5	41.5
सिक्किम	52.6	29.7	17.7	48.8	31.7	19.5
तमिलनाडु	34.9	58.1	7.0	21.1	65.9	13.0
त्रिपुरा	37.1	30.5	32.4	14.2	32.2	53.6
उत्तर प्रदेश	51.9	36.0	12.1	43.0	38.8	18.2
उत्तराखण्ड	58.3	26.6	15.2	55.8	31.1	13.1
पश्चिम बंगाल	38.6	34.7	26.6	18.6	44.3	37.1

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

अनुलग्नक–4ढ

ग्रामीण. शहरी क्षेत्रों में सामान्य सिद्धांत एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 12 महीनों के लिए उपलब्ध, वास्तविक रुप से कार्य करने वाले 15 वर्ष तथा इससे अधिक के अनुसूचित जनजाति के कामगारों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र–वार प्रतिशतता वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र /अखिल भारत	12 महीनों तक काम करने वाले	6–11 महीनों तक काम करने वाले	1–5 महीनों तक काम करने वाले	जिन्हें काम नहीं मिला
1	अंडमान निकोबार दीप समूह	61.3	7.7	3.8	27.2
2	आंध्र प्रदेश	34.6	60.1	0.3	5
3	अरुणाचल प्रदेश	44.6	45.5	3.8	6.1
4	असम	60.0	31.7	3.4	4.9
5	बिहार	35.0	58.0	1.2	5.9
6	छत्तीसगढ़	22.7	76.4	0.5	0.3
7	दादर एवं नागर हवेली	89.5	7.5	-	3.0
8	दमन एवं दीव	97.3	-	-	2.7
9	गोवा	80.8	3.7	0.8	14.7
10	गुजरात	67.7	31.3	0.2	0.8
11	हिमाचल प्रदेश	81.1	17.9	-	1.0
12	जम्मू एवं कश्मीर	46.4	47.9	0.8	4.8
13	झारखण्ड	38.6	50.9	7.8	2.7
14	कर्नाटक	65.5	32.7	-	1.8
15	केरल	41.6	40.4	0.4	17.6
16	लक्षद्वीप	68.3	14.4	12.8	4.5
17	मध्य प्रदेश	33.2	62.3	0.9	3.6
18	महाराष्ट्र	53.5	45.5	0.2	0.7
19	मणिपुर	27.9	68.9	0.5	2.6
20	मेघालय	59.3	34.5	0.7	5.5
21	मिजोरम	57.4	38.9	1.5	2.1
22	नागालैंड	63.6	26.2	2.8	7.4
23	ओडिशा	35.0	61.5	1.1	2.4
24	राजस्थान	54.7	35.3	7.0	3.1
25	सिक्किम	56.0	27.5	0.8	15.8
26	तमिलनाडु	77.6	20.1	-	2.3
27	तेलंगाना	57.0	42.3	-	0.7
28	त्रिपुरा	37.4	39.8	13.3	9.6
29	उत्तर प्रदेश	62.1	33.1	1.8	2.9
30	उत्तराखण्ड	46.5	44.4	-	9.0
31	पश्चिम बंगाल	36.1	59.7	1.3	2.9
	अखिल भारत	**46.0**	**49.4**	**1.9**	**2.7**

स्रोतः वार्षिक रोजगार दृबेरोजगार सर्वेक्षण 2015–16, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अनुलग्नक–4ण

अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के विरुद्ध अपराध/अत्याचार – 2014–2016

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2014	2015	2016	अखिल भारत कुल की तुलना में राज्य शेयर का प्रतिशत (2016)	घटना पर आधारित रैंक/शेयर % (2016)	अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या # (लाख में)	कुल संज्ञेय अपराधों की दर	अपराध दर पर आधारित रैंक (2016)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1	आंध्र प्रदेश	390	362	405	6.2	4	26.3	15.4	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0.0	24	9.5	0.1	24
3	असम	1	0	1	0.0	25	38.8	0.0	25
4	बिहार	77	5	25	0.4	13	13.4	1.9	15
5	छत्तीसगढ़	475	373	402	6.1	6	78.2	5.1	10
6	गोवा	6	8	11	0.2	15	1.5	7.4	8
7	गुजरात	223	248	281	4.3	9	89.2	3.2	13
8	हरियाणा	0	0	0	0.0	-	0.0	0.0	-
9	हिमाचल प्रदेश	3	6	2	0.0	20	3.9	0.5	20
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0.0	-	14.9	0.0	-
11	झारखण्ड	402	266	280	4.3	10	86.5	3.2	12
12	कर्नाटक	397	386	374	5.7	8	42.5	8.8	7
13	केरल	120	165	182	2.8	11	4.8	37.5	1
14	मध्य प्रदेश	1577	1358	182 3	27.8	1	153.2	11.9	5
15	महाराष्ट्र	443	482	403	6.1	5	105.1	3.8	11
16	मणिपुर	1	0	1	0.0	26	9.0	0.1	23
17	मेघालय	1	0	0	0.0	-	25.6	0.0	-
18	मिजोरम	1	0	0	0.0	-	10.4	0.0	-
19	नागालैंड	0	0	0	0.0	-	17.1	0.0	-
20	ओडिशा	533	691	681	10.4	3	95.9	7.1	9
21	पंजाब	0	0	2	0.0	21	0.0	0.0	-
22	राजस्थान	1681	1409	119 5	18.2	2	92.4	12.9	4
23	सिक्किम	1	0	0	0.0	-	2.1	0.0	-
24	तमिलनाडु	18	25	19	0.3	14	7.9	2.4	14
25	तेलंगाना	333	386	375	5.7	7	32.9	11.4	6
26	त्रिपुरा	0	3	3	0.0	18	11.7	0.3	22
27	उत्तर प्रदेश	24	6	4	0.1	17	11.3	0.4	21
28	उत्तराखण्ड	1	6	3	0.0	19	2.9	1.0	19
29	पश्चिम बंगाल	107	84	83	1.3	12	53.0	1.6	17
	कुल राज्य	**6815**	**6270**	**6556**	**99.8**		**1040.0**	**6.3**	
संघ राज्यक्षेत्र :									
30	अंडमान निकोबार दीप समूह	6	3	6	0.1	16	0.3	21.0	2
31	चंडीगढ़	0	0	0	0.0	-	0.0	0.0	-
32	दादर एवं नागर हवेली	3	3	2	0.0	22	1.8	1.1	18
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0.0	-	0.2	0.0	-

Continue...

34	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	2	0	2	0.0	23	0.0	0.0	-
35	लक्षद्वीप	0	0	1	0.0	27	0.6	1.6	16
36	पुदुचेरी	1	0	1	0.0	28	0.0	0.0	-
	कुल संघ राज्यक्षेत्र	**12**	**6**	**12**	**0.2**		**2.8**	**4.2**	
	कुल (अखिल भारत)	**6827**	**6276**	**6568**	**100.0**		**1042.8**	**6.3**	

स्रोतः भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

टिप्पणी : i) # जनगणना 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक जनसंख्या (आरजीआई)।

ii) जिला जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के समायोजित आंकड़े जो आंध प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य का भाग है।

iii) अपराध दर (कॉलम 10) के साथ–साथ घटना (कॉलम 7) के आधार पर रैंक। दोनों पर परस्पर विचार किया जाना चाहिए।

iv) जहां आंकड़े '0' है उन राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए कोई रैंक नहीं है।

v) अत्याचार का तात्पर्य गैर–अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराध से है द्य केवल आईपीसी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम को छोड़कर) के तहत मामलों को बाहर रखा गया है क्योंकि ये मामले अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध के रुप में संदर्भित हैं।

अनुलग्नक–4त

अनुसूचित जनातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार) – 2016

क्र.सं. अपराध शीर्ष	पिछले वर्ष से लंबित जांच–पड़ताल वाले मामले	वर्ष के दौरान दर्ज मामला	जांच पड़ताल के लिए कुल मामले (कॉलम 3+4)	सरकार द्वारा वापस लिए गए मामले	अन्य पुलिस थाना/मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित मामले	केन्द्रीय दंड संहिता की धारा 157 (1) (ख) के तहत जांच ना होने वाले मामले	अंतिम रिपोर्ट: सत्य मगर अपर्याप्त साक्ष्य	अंतिम रिपोर्ट: असत्य	अंतिम रिपोर्ट: तथ्यों की गल्ती
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के सम्बंध में (संयोजन के साथ) अजा/अजजा अत्याचारों का निवारण अधिनियम									
1.1 हत्या	45	139	184	0	0	0	1	8	2
1.2 हत्या करने का प्रयास	31	93	124	0	0	0	1	7	0
1.3 गम्भीर चोट	99	144	243	0	0	0	3	3	2
1.3.1 चोट (आईपीसी की धारा 325 तथा 326)	99	144	243	0	0	0	3	3	2
1.3.2 एसिड हमला ध्एसिड हमला करने का प्रयास	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर आक्रमण	179	835	1014	0	0	1	4	43	5
1.4.1 यौन उत्पीड़न	56	294	350	0	0	1	1	7	3
1.4.2 रोधन के इरादे से महिलाओं पर हमला	16	50	66	0	0	0	0	3	0
1.4.3 ताकझांक	0	7	7	0	0	0	0	0	0
1.4.4 धोखाधड़ी	5	38	43	0	0	0	0	2	0
1.4.5 अन्य यौन उत्पीड़न	102	446	548	0	0	0	3	31	2
1.5 महिलाओं की विनम्रता का अपमान	7	31	38	0	1	0	1	2	0
1.6 अपहरण और हरण	58	163	221	1	0	0	5	11	9
1.6.1 अपहरण और हरण	11	60	71	1	0	0	1	2	1
1.6.2 हत्या के उद्देश्य से अपहरण एवं हरण	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1.6.3 फिरोती के लिए अपहरण	0	2	2	0	0	0	0	0	0
1.6.4 विभाग के लिए मजबूर करने के लिए महिलाओं का अपहरण और हरण	24	51	75	0	0	0	3	3	4
1.6.5 अन्य अपहरण	23	49	72	0	0	0	1	6	4
1.7 बलात्कार	298	974	1272	0	0	0	2	42	4
1.8 बलात्कार करने का प्रयास	11	13	24	0	0	0	0	3	0
1.9 दंगा	55	143	198	0	0	0	3	12	1
1.10 लूटपाट	4	10	14	0	0	0	0	0	0
1.11 डकैती	5	6	11	0	0	0	0	0	0
1.12 आगजनी	12	13	25	0	0	0	0	0	1
1.13 अन्य आईपीसी अपराध	1137	3156	4293	2	5	0	44	672	101
2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का रोकथाम) अधिनियम	**584**	**844**	**1428**	**1**	**3**	**0**	**55**	**109**	**25**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का रोकथाम) अधिनियम का कुल (1+2)	**2525**	**6564**	**9089**	**4**	**9**	**1**	**119**	**912**	**150**
3 नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955	**3**	**4**	**7**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध कुल अपराध/अत्याचार (1+2+3)	**2528**	**6568**	**9096**	**4**	**9**	**1**	**120**	**912**	**151**

जारी.....

अनुसूचित जनातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान (अपराध शीर्ष–वार)–2016

क्र.सं. अपराध शीर्ष	अंतिम रिर्पोट		मामले जिनमें अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं	पुलिस द्वारा कुल मामलों का निपटान (कॉलम) 7+8+13+1+4)	वर्ष के अंत में जांच पड़ताल के लिए लंबित मामले (कॉलम 5 कॉलम 6+15)	अभियोग पत्र दर (कॉलम 16 (कॉलम 5) 100	लंबित प्रतिशतता (कॉलम 16 (कॉलम 5) 100
	संज्ञेय	कुल (कॉलम 9+कॉलम 10+कॉलम 11+कॉलम 12)					
	12	13	14	15	16	17	18
1 भारतीय दंड संहिता की धाराओं के सम्बंध में (संयोजन के साथ) अजा/अजजा अत्याचारों का निवारण अधिनियम							
1.1 हत्या	0	11	125	136	48	91.9	26.1
1.2 हत्या करने का प्रयास	0	8	82	90	34	91.1	27.4
1.3 गम्भीर चोट	2	10	139	149	94	93.3	38.7
1.3.1 चोट (आईपीसी की धारा 325 तथा 326)	2	10	139	149	94	93.3	38.7
1.3.2 एसिड हमला ध्एसिड हमला करने का प्रयास	0	0	0	0	0	0.0	0.0
1.4 विनम्रता को अपमानित करने के इरादे से महिलाओं पर आक्रमण	1	53	779	833	181	93.5	17.9
1.4.1 यौन उत्पीड़न	0	11	298	310	40	96.1	11.4
1.4.2 रोधन के इरादे से महिलाओं पर हमला	0	3	48	51	15	94.1	22.7
1.4.3 ताकझांक	0	0	6	6	1	100.0	14.3
1.4.4 धोखाधड़ी	0	2	32	34	9	94.1	20.9
1.4.5 अन्य यौन उत्पीड़न	1	37	395	432	116	91.4	21.2
1.5 महिलाओं की विनम्रता का अपमान	0	3	24	28	10	85.7	26.3
1.6 अपहरण और हरण	0	25	128	153	67	83.7	30.8
1.6.1 अपहरण और हरण	0	4	40	44	26	90.9	38.0
1.6.2 हत्या के उद्देश्य से अपहरण एवं हरण	0	0	0	0	1	-	100.0
1.6.3 फिरोती के लिए अपहरण	0	0	1	1	1	100.0	50.0
1.6.4 विभाग के लिए मजबूर करने के लिए महिलाओं का अपहरण और हरण	0	10	42	52	23	80.8	30.7
1.6.5 अन्य अपहरण	0	11	45	56	16	80.4	22.2
1.7 बलात्कार	0	48	917	965	307	95.0	24.1
1.8 बलात्कार करने का प्रयास	0	3	13	16	8	81.3	33.3
1.9 दंगा	4	20	102	122	76	83.6	38.4
1.10 लूटपाट	0	0	8	8	6	100.0	42.9
1.11 डकैती	1	1	9	10	1	90.0	9.1
1.12 आगजनी	0	1	13	14	11	92.9	44.0
1.13 अन्य आईपीसी अपराध	5	822	2306	3133	1158	73.6	27.0
2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का रोकथाम) अधिनियम	**7**	**196**	**627**	**826**	**601**	**75.9**	**42.2**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का रोकथाम) अधिनियम का कुल (1+2)	**20**	**1201**	**5272**	**6483**	**2602**	**81.3**	**28.7**
3 नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 1955	**0**	**2**	**5**	**7**	**0**	**71.4**	**0.0**
अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध कुल अपराध/अत्याचार (1+2+3)	**20**	**1203**	**5277**	**6490**	**2602**	**81.3**	**28.6**

टिप्पणः एसिड हमले एवं एसिड हमले के प्रयास के तहत कोई मामले दर्ज नहीं हुए।

स्रोतः भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक–4थ

मानव तस्करी से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार मामले (आईपीसी) –2016

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दर्ज मामले	संज्ञेय अपराधों की दर (आईपीसी)++
1	आंध्र प्रदेश	239	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0.2
3	असम	91	0.3
4	बिहार	43	0
5	छत्तीसगढ़	68	0.3
6	गोवा	40	2
7	गुजरात	548	0.9
8	हरियाणा	51	0.2
9	हिमाचल प्रदेश	8	0.1
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0
11	झारखण्ड	109	0.3
12	कर्नाटक	404	0.6
13	केरल	21	0.1
14	मध्य प्रदेश	51	0.1
15	महाराष्ट्र	517	0.4
16	मणिपुर	3	0.1
17	मेघालय	7	0.3
18	मिजोरम	2	0.2
19	नागालैंड	0	0
20	ओडिशा	84	0.2
21	पंजाब	13	0
22	राजस्थान	1422	1.9
23	सिक्किम	1	0.2
24	तमिलनाडु	434	0.6
25	तेलंगाना	229	0.6
26	त्रिपुरा	0	0
27	उत्तर प्रदेश	79	0
28	उत्तराखण्ड	12	0.1
29	पश्चिम बंगाल	3579	3.8
कुल राज्य		**8057**	**0.6**
संघ राज्यक्षेत्र :			
30	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	1	0.2
31	चंडीगढ़	1	0.1
32	दादर एवं नागर हवेली	0	0
33	दमन एवं दीव	7	2.1
34	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	66	0.3
35	लक्षद्वीप	0	0
36	पुदुचेरी	0	0
कुल संघ राज्यक्षेत्र		**75**	**0.3**
कुल (अखिल भारत)		**8132**	**0.6**

टिप्पण : i) ++प्रति 1 लाख जनसंख्या पर दर्ज मामलों से संबंधित दर
ii). आईपीसी की धारा 370, 370 क के तहत दर्ज मामलों के अलावा मामलों में आईपीसी की धारा 363क, 366क, 3668, 367, 372 तथा 373 के मामले भी शामिल हैं।
स्रोतः भारत में अपराध, 2016, एनसीआरबी, गृह मंत्रालय

अनुलग्नक–4द

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% & < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
अंडमान एवं निकोबारद्वीप समूह (1) **कुल 0.24**	(1) निकोबार 0.24 (64.3%) **0.24**	---	----
आंध्र प्रदेश (1–एलडब्ल्यूई) **कुल 6.19**	---	---	(1) विशाखापट्नम 6.19 (14.4%) **6.19**
अरुणाचल प्रदेश (16) **कुल 9.50**	(1) कुरुंग कुमेय 0.91 (98.6%) (2) अपर सुबांसिरि 0.78 (93.9%) (3) पूर्वी कमेंग 0.72 (92.0%) (4) तिराप 0.98 (87.9%) (5) लोअर सुबांसिरि 0.73 (87.8%) (6) पश्चिमी सियांग 0.93 (82.6%) (7) अपर सियांग 0.28 (80.6%) (8) अजांव 0.16 (77.7%) (9) दिबांग घाटी 0.06 (71.2%) (10) पूर्वी सियांग 0.70 (70.5%) (11) तवांग 0.35 (69.7%) (12) पापुम परे 1.17 (66.4%) (13) पश्चिमी कमेंग 0.46 (55.2%) **8.23**	(1) लोअर दिबांग घाटी 0.26 (48.0%) (2) चांगलांग 0.54 (36.3%) (3) लोहित 0.47 (32.5%) **1.27**	----
असम (7) **कुल 20.73**	(1) दीमा हसाव 1.52 (70.9%) (2) कारबी आंगलोंग 5.39 (56.3%) **6.91**	(1) बक्सा 3.26 (47.4%) (2) चिरांग 1.79 (37.1%) (3) बक्सा 3.31 (34.8%) (4) उदलगड़ी 2.67 (32.1%) (5) कोकराझार 2.79 (31.4%) **13.82**	
बिहार (6 एलडब्ल्यूई) **कुल 1.81**	----	----	(1) जमुई 0.79 (4.5%) (2) बांका 0.9 (4.4%), (3) मुज्जफरपुर 0.06 (0.12%) (4) नवादा 0.02 (0.09%) (5) गया 0.03 (0.07%) (6) औरंगाबाद 0.01 (0.04%) **1.81**

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% & < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ (11 + 8 एलडब्ल्यूई) **कुल 65.72**	(1) सुकमा (एल) 2.09 (83.5%) (2) बिजापुर (एल) 2.04 (80.0%) (3) नारायणपुर (एल) 1.08 (77.4%) (4) दंतेवाडा (एल) 2.01 (71.1%) (5) कौंडागांव (एल) 4.11 (71.0%) (6) बलरामपुर 4.59 (62.8%) (7) बस्तर (एल) 5.21 (62.4%) (8) जशपुर 5.30 (62.3%) (9) सरगुजा 4.82 (57.4%) (10) कांकेर (एल) 4.15 (55.4%) **35.4**	(1) कोरिया 3.04 (46.2%) (2) सुरजपुर 3.60 (45.6%) (3) कोरबा 4.94 (40.9%) (4) गरियाबाद 2.16 (36.1%) (5) रायगढ़ 5.06 (33.8%) (6) बलोद 2.59 (31.4%) (7) महासमुंद 2.80 (27.1%) (8) राजनंदगांव (एल) 4.05(26.4%) (9) धमतरी 2.08 (26.0%) **30.32**	----
दादर एवं नागर हवेली (1) **कुल 1.79**	(1) दादर एवं नागर हवेली 1.79 (52.0%) **1.79**	----	----
गुजरात (10) **कुल 65.7**	(1) डांगस 2.16 (94.7%) (2) तापी 6.79 (84.2%) (3) नर्मदा 4.81 (81.6%) (4) छोटा उदयपुर 8.57 (79.9%) (5) दाहोद 15.81 (74.3%) (6) वलसाड 9.03 (52.9%) **47.17**	(1) नवसारी 6.40 (48.1%) (2) भरूच 4.88 (31.5%) (3) महिसागर 2.85 (31.2%) (4) पंचमहल 4.40 (25.5%) **18.53**	----
हिमाचल प्रदेश (3) **कुल 2.11**	(1) लाहुल तथा स्पिति 0.26 (81.4%) (2) किन्नौर 0.49 (58.0%) **0.75**	(1) चम्बा 1.36 (26.1%) **1.36**	----
जम्मू एवं कश्मीर (5) **कुल 7.15**	(1) कारगिल 1.22 (86.9%) (2) लेह (लद्दाक) 0.96 (71.8%) **2.18**	(1) पुंछ 1.76 (36.9%) (2) रजौरी 2.33 (36.2%) (3) रियासी 0.88 (28.1%) **4.97**	----
झारखण्ड (4 + 16 एलईडब्ल्यू)	(1) खुंटी (एल) 3.90 (73.3%) (2) सिमडेगा (एल) 4.24 (70.8%) (3) गुमला (एल) 7.07 (68.9%) (4) पश्चिमी सिंह भूमि (एल) 10.11 (67.3%) (5) लोहारदगा (एल) 2.63 (56.9%) **27.95**	(1) लातेहर (एल) 3.31 (45.5%) (2) दुमका (एल) 5.71 (43.2%) (3) पाकुर 3.79 (42.1%) (4) रांची (एल) 10.42 (35.8%) (5) सरायकेला खरसांवा (एल) 3.75 (35.2%) (6) जामतारा 2.40 (30.4%) (7) पूर्व सिंह भूमि (एल) 6.54 (28.5%) (8) साहिबगंज 3.08 (26.8%)	(1) रामगढ़ 2.01 (21.2%) (2) गढ़वा 2.06 (15.6%) (3) बोकारो 2.56 (12.4%) (4) गिरिडीह 2.38 (9.7%) (5) पलामु 1.81 (9.3%) (6) हजारीबाग 1.22 (7.02%) (7) छतरा 0.46 (4.4%) **12.5**

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% & < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल 79.45		39	
लक्ष्यद्वीप (1) कुल 0.61	(1) लक्ष्यद्वीप 0.61 (94.8%) 0.61	----	----
मध्य प्रदेश (19) कुल 105.72	(1) अलीराजपुर 6.49 (89.0%) (2) झाबुआ 8.92 (87.0%) (3) बरवानी 9.62 (69.4%) (4) डिंडोरी 4.56 (64.7%) (5) मांडला 6.11 (57.9%) (6) धार 12.23 (55.9%) 47.93	(1) अनुपपुर 3.59 (47.9%) (2) उमरिया 3.01 (46.6%) (3) शहडौल 4.76 (44.7%) (4) बेतुल 6.67 (42.3%) (5) खरगांव (पश्चिम निमार) 7.30 (39.0%) (6) सियोनी 5.20 (37.7%) (7) छिंदवाड़ा 7.70 (36.8%) (8) खंडवा (पूर्वी निमार) 4.59 (35.1%) (9) सिंसरौली 3.84 (32.6%) (10) बुरहानपुर 2.30 (30.4%) (11) रतलाम 4.10 (28.2%) (12) हरदा 1.60 28.0%) (13) सिधि 3.13 (27.8%) 57.79	
महाराष्ट्र (4 + 1 एलडब्ल्यूई) कुल 48.86	(1) नन्दुरबार 11.42 (69.3%) 11.42	(1) गढ़चिरोली (एल) 4.15 (38.7%) (2) पालघर 11.18 (37.4%) (3) धुले 6.47 (31.6%) (4) नासिक 15.64 (25.6%) 37.44	----
मणिपुर (5) कुल 11.11	(1) तामेंगलोंग 1.35 (95.7%) (2) उखरुल 1.74 (94.4%) (3) चुराचांदपुर 2.55 (92.9%) (4) चांदेल 1.28 (89.0%) (5) सेनापति 4.19 (87.5%) 11.11	----	-----
मेघालय (7) कुल 25.55	(1) पश्चिमी खासी हिल 3.75 (97.8%) (2) पूर्वी गारों हिल्स 3.05 (96.0%) (3) जैन्तिया हिल्स 3.76 (95.2%) (4) दक्षिणी गारो हिल्स 1.34 (94.3%) (5) रिभोई 2.30 (88.9%) (6) पूर्वी खासी हिल्स 6.61 (80.1%) (7) पश्चिमी गारो हिल्स 4.74 (73.7%) 25.55	----	-----
मिजोरम (8)	(1) चंफाई 1.23 (98.2%) (2) शेरिछप 0.63 (96.8%) (3) सैहा 0.55 (96.6%) (4) लवांगत्लाई 1.12 (95.3%)		

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% & < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	**1**	**2**	**3**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
    कुल 10.37	(5) लुंगलेई 1.54 (95.1%) (6) ममित 0.82 (95.0%) (7) आइजोल 3.74 (93.3%) (8) कोलासिब 0.74 (87.7%) **10.37**	----	----
नागालैंड (11) **कुल 17.11**	(1) त्वेनसांग 1.91 (97.1%) (2) जुन्हेबोटा 1.37 (97.0%) (3) किफिरे 0.71 (96.5%) (4) लोंगलोंग 0.49 (96.3%) (5) फेक 1.57 (96.2%) (6) मोन 2.38 (95.2%) (7) वोखा 1.57 (94.2%) (8) मोकेक्चुंग 1.78 (91.7%) (9) पेरेन 0.84 (88.5%) (10) कोहिमा 2.25 (83.9%) (11) दीमापुर 2.24 (59.1%) **17.11**	-----	-----
ओडिशा (12+2 एलडब्ल्यूई) **कुल 76.41**	(1) मयूरभंज 14.80 (58.7%) (2) मलकानगिरी (एल) 3.55 (57.8%) (3) रायगढ़ 5.42 (56.0%) (4) नबरंगपुर 6.81 (55.8%) (5) गजापटी 3.14 (54.3%) (6) कंधमल 3.93 (53.6%) (7) सुंदरगढ़ 10.62 (50.8%) (8) कोरापुट (एल) 6.98 (50.6%) **55.25**	(1) केंदुजहर 8.19 (45.5%) (2) देवगढ़ 1.10 (35.3%) (3) संबलपुर 3.55 (34.1%) (4) नौपाडा 2.06 (33.8%) (5) झारसुगुडा 1.77 (30.5%) (6) कालाहांडी 4.49 (28.5%) **21.16**	--
राजस्थान (6) **कुल 51.56**	(1) बांसवाड़ा 13.73 (76.4%) (2) डुंगरपुर 9.83 (70.8%) (3) प्राप्तगढ़ 5.50 (63.4%) **29.06**	(1) उदयपुर 15.25 (49.7%) (2) सिरोही 2.92 (28.2%) (3) दौसा 4.33 (26.5%) **22.5**	----
सिक्किम (4) **कुल 2.06**	(1) उत्तरी जिला 0.29 (65.7%) **0.29**	(1) पश्चिमी जिला 0.58 (42.4%) (2) दक्षिणी जिला 0.41 (28.2%) (3) पूर्वी जिला 0.78 (27.7%) **1.77**	----
तेलंगाना (1+ एलडब्ल्यूई) **कुल 6.57**	---	(1) खम्माम (एल) 6.57 (25.2%) **6.57**	----

अनुसूचित जनजाति के प्राथमिकता वाले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार जिले

(जनसंख्या लाख में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	≥ 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	≥ 25% & < 50% अ.ज.जा., एलडब्ल्यूई प्रभावित (एल)	< 25% अ.ज.जा. वाले एलडब्ल्यूई जिले
प्राथमिकता	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)
त्रिपुरा (5) कुल **8.10**	(1) धलाई 2.11 (55.7%) **2.11**	(1) गोमती 1.89 (42.7%) (2) खोवाई 1.40 (42.6%) (3) दक्षिणी त्रिपुरा 1.53 (35.5%) (4) उत्तीय त्रिपुरा 1.17 (28.1%) **5.99**	----
पश्चिम बंगल (2) कुल **6.33**	----	(1) दार्जिलिंग 2.51 (28.7%) (2) अलीपुरद्वार 3.82 (26.8%) **6.33**	----
कुल: 177 **(142 + LWE 35)**	**(80 + LWE 14)**	**(62 + LWE 7)**	**14 LWE**
कुल 630.75	**341.43**	**268.82**	**20.5**

एलडब्लूई : वामपंथी उग्रवादी (प्रभावित जिले)

अनुलग्नक–4ध

अनुसूचित जनजाति के लिए प्राथमिकता वाले उप-जिलों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र तथा जिला-वार सूची

क्र.सं.			राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
				कुल	अ.ज.जा.	
1			**आंध्र प्रदेश**			
	1		**पूर्वी गोदावरी**	51.54	2.13	4.14
		1	अड्डातिगाला	0.37	0.25	66.23
		2	देवीपटनम	0.28	0.16	58.18
		3	गंगावरम	0.26	0.17	67.24
		4	मरेडुमिल्ली	0.20	0.18	93.29
		5	राजावोम्मांगी	0.40	0.23	57.57
		6	राजपचोडावरम	0.39	0.31	79.30
		7	वाई. रामावरम	0.29	0.26	91.60
	2		**श्रीककुलम**	**27.03**	**1.66**	**6.15**
		8	सीथाम्पेटा	0.56	0.51	90.87
	3		**विशाखापट्टनम**	42.91	6.19	14.42
		9	अनंतागिरि	0.49	0.44	90.15
		10	अरकू घाटी	0.57	0.52	91.53
		11	चिंतापाल्ली	0.72	0.65	90.32
		12	दुमब्रिगुडा	0.49	0.46	94.80
		13	जी. मदुगुला	0.54	0.50	92.74
		14	गुडेमकोथा वीधि	0.63	0.57	89.84
		15	हुकुमपेटा	0.52	0.50	95.93
		16	कोय्युरु	0.51	0.41	81.39
		17	मुनचिंगी पुट्टु	0.47	0.45	93.93
		18	पडेरू	0.59	0.49	82.56
		19	पेडाबयालु	0.52	0.50	96.24
	4		**विजियानगरम**	23.44	2.36	10.05
		20	गुम्मालाक्शमिपुरम	0.50	0.43	86.69
		21	कुरूपम	0.48	0.35	71.98
	5		**पश्चिमी गोदवारी**	39.37	1.09	2.77
		22	बुट्टागगुडेम	0.53	0.34	64.58
2			**बिहार**			
	6		**कैमुर (भभुआ)**	16.26	0.58	3.57
		23	अधौरा	0.57	0.30	51.98

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
3		**छत्तीसगढ़**			
7		**कोरिया**	6.59	3.04	46.18
	24	भरतपुर	0.89	0.58	64.89
	25	सोनहत	0.48	0.28	57.54
8		**सरगुजा**	23.60	13.01	55.11
	26	रामानुजगंज	1.68	0.85	50.57
	27	बलरामपुर	1.10	0.66	60.02
	28	वाडरफनगर	1.61	0.95	58.97
	29	प्रतापपुर	1.51	0.93	61.93
	30	सामरी (कुसमी)	1.10	0.82	74.15
	31	शंकरगढ़	0.72	0.53	73.27
	32	औडगी	0.88	0.53	61.04
	33	प्रेमनगर	0.65	0.39	60.15
	34	उदयपुर	0.79	0.51	64.21
	35	राजपुर	1.09	0.78	71.94
	36	लुंडरा	1.20	0.81	67.78
	37	सीतापुर	0.96	0.68	70.74
	38	बतौली	0.70	0.55	77.67
	39	मैनपाट	0.77	0.58	76.17
9		**जशपुर**	8.52	5.30	62.28
	40	बगीचा	1.72	1.21	70.58
	41	कनसाबेल	0.77	0.48	62.36
	42	जशपुर	0.96	0.55	57.05
	43	मनोरा	0.61	0.49	80.30
	44	फरसाबाहर	1.08	0.65	59.57
	45	पथालगांव	1.92	1.21	63.28
10		**रायगढ़**	14.94	5.06	33.84
	46	उदयपुर (धर्मजयगढ़)	2.07	1.37	66.13
	47	लैलुन्गा	1.31	0.83	63.49
	48	घरघोडा	0.79	0.47	58.82
11		**कोरबा**	12.07	4.94	40.90
	49	पोउंडी-उपरोडा	1.89	1.38	72.94
	50	पाली	1.99	1.05	52.87
12		**बिलासपुर**	26.64	4.98	18.71
	51	पेंड्रा रोड गोरेल्ला	1.34	0.77	57.27
	52	मरवाही	1.17	0.69	59.45
	53	पेंड्रा	0.85	0.46	53.60
13		**राजनंदगावं**	15.37	4.05	26.36
	54	मोहला	0.87	0.61	70.06
	55	मानपुर	0.89	0.66	74.39

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
14		**दुर्ग**	33.44	3.97	11.88
	56	डोंडी	1.55	0.80	51.66
15		**रायपुर**	40.64	4.76	11.72
	57	बिंद्रानवगंढ़ (गारियाबंद)	0.95	0.53	56.11
	58	मैनपुर	1.24	0.64	51.74
16		**धमतरी**	8.00	2.08	25.96
	59	नगरी	1.80	1.10	61.33
17		**उत्तर बस्तर कांकेर**	7.49	4.15	55.38
	60	भानुप्रतापपुर	0.95	0.60	63.09
	61	दुर्गकोंडल	0.64	0.49	76.60
	62	कांकेर	1.24	0.62	50.10
	63	नरहरपुर	1.10	0.73	66.04
	64	अतंगढ़	0.78	0.60	77.07
18		**बस्तर**	14.13	9.32	65.93
	65	केसकाल	0.93	0.66	71.18
	66	बडे राजपुर	0.86	0.66	76.61
	67	कोंडगांव	2.02	1.31	64.89
	68	मकड़ी	1.00	0.77	77.72
	69	फारसगांव	0.99	0.71	71.72
	70	लाहांडीगुडा	0.76	0.56	74.16
	71	बस्तानर	0.48	0.44	92.11
	72	बस्तर	1.64	1.07	65.46
	73	बकावंड	1.50	0.95	63.60
	74	तोकापल	0.78	0.56	72.72
	75	डरभा	0.79	0.66	82.87
19		**नारायणपुर**	1.40	1.08	77.36
	76	नारायणपुर	1.05	0.75	71.65
	77	ओरछा	0.35	0.33	94.49
20		**दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा**	5.34	4.10	76.88
	78	दंतेवाड़ा	0.94	0.61	64.23
	79	गिदम	0.81	0.56	69.03
	80	कटेकल्याण	0.43	0.40	92.21
	81	कुआकोंडा	0.65	0.45	69.41
	82	कोंटा	1.06	0.95	90.38
	83	छिन्दगढ़	0.80	0.66	82.24
	84	सुकमा	0.65	0.48	73.72
21		**बीजापुर**	2.55	2.04	80.00
	85	भोपालपट्टनम	0.49	0.36	73.08
	86	उसुर	0.56	0.50	89.22
	87	बीजापुर	0.66	0.49	73.09
	88	भाईरामगढ़	0.84	0.70	83.45

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
4		गुजरात			
22		**बनास कंठा**	31.21	2.84	9.11
	89	अमीरगढ़	1.32	0.77	58.53
	90	दंता	2.25	1.27	56.36
23		**साबर कंठा**	24.29	5.42	22.32
	91	खेदब्रह्मा	2.93	2.21	75.38
	92	विजयनगर	1.04	0.82	78.45
	93	भीलोडा	2.39	1.38	57.57
24		**पंचमहल**	23.91	7.22	30.18
	94	कडाना	1.30	1.01	78.20
	95	संतरामपुर	2.66	2.13	80.32
25		**दाहोद**	21.27	15.81	74.32
	96	फतेपुरा	2.38	2.23	93.45
	97	झालोद	4.73	4.27	90.13
	98	लिम्खेडा	3.06	1.93	63.07
	99	दाहोद	4.81	3.72	77.34
	100	गर्बाडा	1.99	1.89	94.83
	101	धनपुर	1.80	1.28	71.07
26		**वडोदरा**	41.66	11.50	27.60
	102	जेतपुर पवी	2.61	2.18	83.33
	103	छोटा उदयपुर	2.41	2.12	87.62
	104	कावंत	2.10	1.96	93.51
	105	नासवाडी	1.55	1.36	87.72
27		**नर्मदा**	5.90	4.81	81.55
	106	तिलकवाड़ा	0.64	0.35	55.42
	107	नंडोड	2.41	1.77	73.29
	108	डेडीपाडा	1.74	1.68	96.41
	109	सगबारा	1.11	1.01	91.19
28		**भरूच**	15.51	4.88	31.48
	110	झगडिया	1.85	1.27	68.68
	111	वालिया	1.45	1.14	78.25
29		**डांग**	2.28	2.16	94.65
	112	डांग	2.28	2.16	94.65
30		**नवसारी**	13.30	6.40	48.11
	113	चिखली	3.10	2.20	71.05
	114	बंस्दा	2.31	2.09	90.59
31		**वलसाडा**	17.06	9.03	52.93
	115	धरमपुर	2.16	1.98	91.92

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	116	कपराडा	2.59	2.49	96.20
32		**सूरत**	60.81	8.57	14.09
	117	उमरपाडा	0.84	0.81	96.73
	118	मांडवी	1.96	1.51	77.07
	119	महुवा	1.45	1.18	81.21
33		**तापी**	8.07	6.79	84.18
	120	निजार	1.30	1.05	80.82
	121	यूच्छल	0.88	0.87	98.05
	122	सोनगढ़	2.30	1.95	84.91
	123	व्यारा	2.68	2.28	84.84
	124	वलोड	0.91	0.65	71.63
5		**झारखंड**			
34		**गढ़वा**	13.23	2.06	15.56
	125	चिनिया	0.39	0.19	50.05
	126	भंडारिया	0.66	0.40	60.00
35		**गोड्डा**	13.14	2.79	21.26
	127	बोअरीजोर	1.38	0.77	55.62
	128	सुन्दरपहाड़ी	0.65	0.50	76.58
36		**साहिबगंज**	11.51	3.08	26.80
	129	मांड्रो	0.76	0.41	54.42
	130	बोरियो	0.98	0.60	61.05
	131	बरहैत	1.30	0.70	53.93
	132	तलझारी	0.76	0.42	55.48
	133	पथना	0.82	0.47	57.22
37		**पाकुर**	9.00	3.79	42.10
	134	लिट्टीपाड़ा	1.06	0.76	72.23
	135	अमरपाड़ा	0.65	0.54	82.13
	136	पकुरिया	1.09	0.70	64.18
38		**लोहरडगा**	4.62	2.63	56.89
	137	किसको	0.55	0.34	61.06
	138	पेशरार	0.31	0.26	82.56
	139	कैरो	0.38	0.24	62.28
	140	सेन्हा	0.70	0.43	62.34
	141	भांद्रा	0.57	0.37	63.93
39		**पूर्वी सिंहभूम**	22.94	6.54	28.51
	142	पोटका	2.00	1.05	52.45
	143	दुमरिया	0.62	0.45	71.88
	144	धालभूमगढ़	0.62	0.34	54.38
	145	गुरबंधा	0.43	0.29	66.59

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
40		**लातेहार**	7.27	3.31	45.54
	146	बारवाडीह	0.99	0.51	51.35
	147	महुआदानर	0.75	0.59	78.68
	148	गारू	0.30	0.24	79.93
41		**दुमका**	13.21	5.71	43.22
	149	गोपीकंदार	0.42	0.36	84.58
	150	काथीकुंड	0.71	0.45	63.54
	151	शिकारीपाड़ा	1.31	0.80	60.49
	152	मसालिया	1.25	0.73	58.58
42		**रांची**	29.14	10.42	35.76
	153	अंगारा	1.13	0.62	55.05
	154	नामकुम	1.46	0.87	59.98
	155	नगरी	0.76	0.38	50.14
	156	मंदार	1.29	0.77	59.99
	157	चानहु	1.08	0.58	53.59
	158	बेरो	1.13	0.70	61.86
	159	लापुंग	0.63	0.47	74.22
43		**खूंटी**	5.32	3.90	73.25
	160	कर्रा	1.09	0.81	74.19
	161	तोरपा	0.93	0.68	73.16
	162	रनिया	0.39	0.27	69.46
	163	मुरहु	0.85	0.68	79.19
	164	खूंटी	1.24	0.82	65.79
	165	ईरकी (तामर II)	0.81	0.64	79.17
44		**गुमला**	10.25	7.07	68.94
	166	बिसुनपुर	0.62	0.56	89.94
	167	घाघरा	1.14	0.89	77.63
	168	सिसाई	1.17	0.75	64.37
	169	वेरनो	0.85	0.62	73.83
	170	कामदारा	0.64	0.45	70.61
	171	बासिया	0.81	0.52	63.96
	172	गुमला	2.14	1.22	57.25
	173	चैनपुर	0.57	0.46	81.85
	174	डुमरी	0.49	0.40	82.20
	175	अल्बर्ट एक्का (जरी)	0.31	0.24	76.74
	176	रैंदीह	0.71	0.46	64.72
	177	पालकोट	0.81	0.49	60.11
45		**सिमडेगा**	6.00	4.24	70.78
	178	सिमडेगा	1.15	0.69	60.10
	179	पकर तानर	0.38	0.26	68.29
	180	कुरदेग	0.48	0.35	72.33
	181	केरसाई	0.39	0.32	80.33
	182	बोलबा	0.31	0.22	72.87

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	183	येथाइतनगर	0.87	0.70	80.53
	184	कोलेबिरा	0.71	0.45	62.55
	185	जलडेगा	0.64	0.53	82.92
	186	बान्सजोर	0.26	0.22	85.58
	187	बानो	0.80	0.51	63.16
46		**पश्चिमी सिंहभूम**	15.02	10.11	67.31
	188	सोनुआ	0.78	0.48	61.21
	189	गुदरी	0.38	0.35	91.01
	190	बंदगांव	0.87	0.70	79.97
	191	खुंतपानी	0.83	0.69	83.47
	192	गोईलकेरा	0.74	0.63	85.39
	193	आनंदपुर	0.44	0.31	68.81
	194	मनोहरपुर	0.90	0.61	67.37
	195	नोआमुंडी	1.13	0.66	58.14
	196	टोंटो	0.60	0.48	80.82
	197	हाट गमहारिया	0.67	0.50	73.91
	198	चाईबासा	1.56	0.87	55.73
	199	तंतनगर	0.64	0.49	76.37
	200	मंझारी	0.68	0.53	76.75
	201	झिंकपानी	0.54	0.32	59.80
	202	जगन्नाथपुर	0.99	0.59	59.62
	203	कुमारदुंगी	0.55	0.42	75.75
	204	मझगांव	0.73	0.53	73.28
47		**सरायकेला–खरसावां**	10.65	3.75	35.18
	205	कुचाई	0.64	0.50	78.00
	206	गोविंदपुर (राजनगर)	1.37	0.72	52.69
6		**मध्य प्रदेश**			
48		**शिवपुर**	6.88	1.61	23.47
	207	काराहाल	1.08	0.69	63.87
49		**उमरिया**	6.45	3.01	46.64
	208	पाली	1.08	0.64	59.02
	209	नोवरोजाबाद	0.78	0.43	54.20
50		**रतलाम**	14.55	4.10	28.17
	210	सैलाना	1.35	1.10	81.77
	211	बाजना	0.80	0.76	95.22
	212	रावती	0.84	0.78	92.47
51		**देवास**	15.64	2.73	17.44
	213	बागली	1.95	1.01	51.99
52		**धार**	21.86	12.23	55.94

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	214	सरदारपुर	2.97	1.81	60.99
	215	गंधवानी	1.56	1.42	90.74
	216	कुकशी	3.22	2.31	71.62
	217	दही	1.14	0.96	84.45
	218	मानावर	3.08	1.94	62.96
53		**खरगोन (पश्चिम निमाड़)**	18.73	7.30	38.98
	219	सेगांव	0.83	0.64	76.24
	220	भगवानपुरा	1.93	1.68	87.13
	221	झिरानया	2.02	1.62	80.23
54		**बड़वानी**	13.86	9.62	69.42
	222	बड़वानी	2.11	1.24	58.76
	223	पाटी	1.62	1.36	84.01
	224	राजपुर	2.13	1.51	70.96
	225	पनसेमाल	1.58	1.10	69.80
	226	निवाली	1.13	0.98	87.42
	227	सेंधवा	2.31	1.64	70.82
	228	वारला	1.29	1.12	87.39
55		**बेतुल**	15.75	6.67	42.34
	229	भैंसदेही	2.89	2.07	71.62
	230	चिचोली	0.87	0.56	64.50
	231	शाहपुर	1.13	0.75	66.40
56		**हरदा**	5.70	1.60	27.99
	232	रेहतगांव	0.96	0.50	51.58
57		**जबलपुर**	24.63	3.75	15.23
	233	कुंदम	1.23	0.87	70.60
58		**डिण्डोरी**	7.05	4.56	64.69
	234	शाहपुरा	2.17	1.46	67.19
	235	डिण्डोरी	4.87	3.10	63.58
59		**मंडला**	10.55	6.11	57.88
	236	निवास	1.25	0.89	71.66
	237	नारायणगंज	1.09	0.79	72.77
	238	घुघारी	1.73	1.21	69.78
	239	बिछिया	2.58	1.61	62.17
60		**छिंदवाड़ा**	20.91	7.70	36.82
	240	तामिया	1.14	0.89	78.33
	241	हर्राई	1.35	1.03	76.38
	242	जमाई	2.41	1.21	50.35
	243	बिछुआ	0.88	0.49	55.79
61		**सिवनी**	13.79	5.20	37.69
	244	घनसौर	1.43	0.87	61.12

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	245	धनोरा	0.85	0.49	57.90
62		**बालाघाट**	17.02	3.83	22.51
	246	बैहर	2.84	1.59	55.74
	247	पारसवाड़ा	1.08	0.56	52.29
63		**शहडोल**	10.66	4.76	44.65
	248	जैतपुर	1.62	1.00	61.77
64		**अनूपपुर**	7.49	3.59	47.85
	249	पुष्पारंगढ़	2.30	1.77	76.84
65		**सीधी**	11.27	3.13	27.80
	250	कुसमी	0.81	0.50	61.40
66		**झाबुआ**	10.25	8.92	87.00
	251	थांदला	1.82	1.63	89.49
	252	पेटलावाड	2.33	1.86	79.71
	253	मेघनगर	1.72	1.55	89.93
	254	झाबुआ	3.23	2.87	88.67
	255	रानापुर	1.15	1.02	88.76
67		**अलीराजपुर**	7.29	6.49	88.98
	256	भावरा	0.91	0.83	91.22
	257	जोबट	1.91	1.74	90.96
	258	अलीराजपुर	4.46	3.91	87.67
68		**खंडवा (पूर्वी निमाड़)**	13.10	4.59	35.05
	259	खालवा	2.23	1.54	69.17
69		**बुरहानपुर**	7.58	2.30	30.36
	260	खकनार	1.33	0.86	64.47
	261	नेपानगर	1.91	1.14	59.89
7		**महाराष्ट्र**			
70		**नंदुरबार**	16.48	11.42	69.28
	262	अकलकुआ	2.46	2.10	85.25
	263	अकरानी	1.96	1.88	95.94
	264	तालोड	1.60	1.24	77.44
	265	सहादे	4.08	2.21	54.20
	266	नवापुर	2.72	2.33	85.52
71		**धुले**	20.51	6.47	31.56
	267	सकरी	4.65	2.48	53.34
72		**अमरावती**	28.88	4.04	13.99
	268	धरनी	1.85	1.42	77.00

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	269	चिकलदारा	1.19	0.93	78.32
73		**गढ़चिरौली**	10.73	4.15	38.71
	270	कुरखेदा	0.86	0.47	54.40
	271	कोरची	0.43	0.31	73.19
	272	धनोरा	0.83	0.59	71.04
	273	ऐटापल्ली	0.82	0.67	81.50
	274	भामरगढ़	0.36	0.29	81.10
74		**नासिक**	61.07	15.64	25.62
	275	सुरगाना	1.76	1.70	96.51
	276	कालवन	2.08	1.44	68.95
	277	डिंडोरी	3.16	1.75	55.57
	278	पींट	1.20	1.16	96.44
	279	त्रिम्बकेश्वर	1.68	1.35	80.20
75		**थाने**	110.60	15.42	13.95
	280	तालासारी	1.55	1.40	90.61
	281	दहानु	4.02	2.78	69.11
	282	विक्रमगढ़	1.38	1.26	91.82
	283	ज्वाहर	1.40	1.28	91.64
	284	मोखदा	0.83	0.77	92.08
	285	वाडा	1.78	1.02	57.02
8		**ओडिशा**			
76		**झारसुगुडा**	5.80	1.77	30.50
	286	लैकेरा	0.99	0.51	51.40
77		**संबलपुर**	10.41	3.55	34.12
	287	गोविंदपुर	0.59	0.37	62.67
	288	माहुलपल्ली	0.77	0.46	59.93
	289	जामनकिरा	0.59	0.33	56.42
	290	जुजोमुरा	0.57	0.32	55.61
78		**सुन्दरगढ़**	20.93	10.62	50.75
	291	लेफ्रीपाड़ा	0.71	0.40	56.12
	292	धारुआडीही	0.35	0.20	56.91
	293	सुन्दरगढ़	0.74	0.46	61.84
	294	किंजरकेला	0.57	0.40	70.22
	295	तालसारा	0.80	0.55	68.40
	296	बारगांव	0.78	0.51	66.02
	297	कुत्रा	0.66	0.51	76.10
	298	राजगंगापुर	1.66	1.04	62.46
	299	राइबोगा	0.43	0.35	80.55
	300	बिरमित्रपुर	0.97	0.60	61.55
	301	हातीबाड़ी	0.62	0.40	65.31
	302	बिसरा	0.98	0.58	59.20

क्र.सं.	राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
		कुल	अ.ज.जा.	
303	ब्राह्मणी तरंग	0.58	0.45	78.58
304	लठीकटा	0.25	0.14	56.23
305	चंदीपोष	0.22	0.18	81.17
306	कमरपोष बलंग	0.43	0.33	76.09
307	कोइदा	0.41	0.27	65.93
308	लाहुनीपारा	0.78	0.48	62.05
309	गुरुदिया	0.35	0.30	84.39
310	टिकायतपल्ली	0.24	0.19	82.37
311	महुआपाडा	0.19	0.15	80.07
79	**केंदुझर**	18.02	8.19	45.45
312	रूगुडी	0.17	0.11	68.53
313	बामेवारी	0.56	0.35	61.97
314	बरिया	0.74	0.38	50.91
315	तुरूमुंगा	0.69	0.34	50.04
316	पाटाना	1.05	0.59	56.62
317	केंदुझर सदर	1.57	0.89	56.84
318	नयाकोट	0.46	0.35	75.49
319	कंजीपानी	0.22	0.19	87.30
320	तेलकोई	0.96	0.50	51.76
321	पंडापारा	0.63	0.40	63.39
322	घाटगांव	1.07	0.66	61.66
323	हरिचंदनपुर	0.81	0.41	51.17
324	दैतारी	0.28	0.20	72.26
80	**मयूरभंज**	25.20	14.80	58.72
325	तिरिंग	1.01	0.71	71.07
326	जमदा	0.49	0.39	78.99
327	गुरुमहिशानी	0.48	0.36	74.80
328	झारपोखरिया	1.00	0.58	57.63
329	बिसोई	0.74	0.51	69.42
330	राईरंगपुर	0.82	0.50	61.20
331	बदामपहाड	0.64	0.43	67.97
332	जशीपुर	1.21	0.83	68.29
333	ररूआन	0.78	0.47	60.36
334	घागरबेडा	0.29	0.14	50.08
335	करजिंया	1.14	0.69	60.12
336	ठाकुरमुंडा	0.58	0.42	72.39
337	बरीपदा सदर	0.87	0.62	70.76
338	कोलियाना	0.83	0.55	66.88
339	बंगिरीपोशी	1.05	0.73	69.77
340	चंदुआ	0.63	0.37	58.69
341	रसगोविंदपुर	0.97	0.53	54.61
342	बारशाही	1.33	0.70	52.68
343	खूंटा	1.24	0.82	66.33
344	उदला	1.10	0.76	69.31
345	कपटीपडा	0.76	0.39	50.81
346	शारता	0.77	0.62	80.36
347	माहुलदिहा	0.47	0.37	78.06

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
81		**बलेश्वर**	23.21	2.76	11.88
	348	बरहमपुर	0.58	0.39	67.27
82		**जाजापुर**	18.27	1.51	8.29
	349	कालियापानी	0.39	0.22	56.13
83		**धेनकानल**	11.93	1.62	13.59
	350	कनकदाहाद	0.61	0.35	56.96
84		**गंजम**	35.29	1.19	3.37
	351	रामागिरी	0.13	0.11	87.47
85		**गजपति**	5.78	3.14	54.29
	352	अदवा	0.59	0.35	58.34
	353	मोहाना	0.74	0.44	58.76
	354	आर. उदयगिरी	0.86	0.63	73.38
	355	सेरांगो	0.78	0.61	78.67
	356	रायगढ़ा	0.46	0.35	76.78
	357	गड़ाबंद	0.29	0.19	65.09
	358	रामगिरी	0.30	0.26	85.09
86		**कंधमाल**	7.33	3.93	53.58
	359	गोछापाड़ा	0.36	0.22	62.39
	360	फुलावानी	0.42	0.24	57.23
	361	जी.उदयगिरी	0.49	0.26	52.70
	362	टिकाबली	0.49	0.26	53.50
	363	सारंगागढ़	0.35	0.20	57.40
	364	फिरिंगिया	0.54	0.30	55.39
	365	बलीगुडा	0.97	0.51	52.28
	366	तुमुडिबंधा	0.29	0.16	56.51
	367	बेलाघर	0.20	0.13	66.29
	368	कोटागढ़	0.48	0.28	59.47
	369	ब्राह्मणीगांव	0.37	0.19	52.18
	370	दारिंगबाडी	0.64	0.43	67.42
	371	रैकिया	0.53	0.30	56.14
87		**कालाहांडी**	15.77	4.49	28.50
	372	थुआमुल रामपुर	0.78	0.45	58.18
88		**रायगढ़ा**	9.68	5.42	55.99
	373	चंदरपुर	0.29	0.21	71.75
	374	विष्मकटक	0.88	0.56	63.81
	375	कल्याणसिंगपुर	0.66	0.43	65.12
	376	काशीपुर	0.71	0.41	58.76
	377	टिकिरी	0.35	0.24	67.42
	378	दौरागुडा	0.19	0.11	54.03
	379	शेशखल	0.48	0.39	80.91
	380	गुनूपुर	1.15	0.61	53.52

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	381	गुदरी	0.66	0.40	60.78
	382	पदमापुर	0.45	0.23	50.58
	383	पुत्तासिंग	0.39	0.34	86.81
89		**नवरंगपुर**	12.21	6.81	55.79
	384	राइघर	1.34	0.86	64.59
	385	कुनडेरी	0.50	0.34	68.63
	386	उमरकोट	2.06	1.12	54.40
	387	झरीगन	0.83	0.51	62.03
	388	दाबुगन	1.55	1.00	64.20
	389	पपराहांडी	1.00	0.55	54.91
	390	कोर्डिंगा	1.06	0.64	60.08
	391	कोसागुमुडा	0.93	0.58	62.04
	392	तेंदुलीखूंटी	0.70	0.35	50.14
90		**कोरापुट**	13.80	6.98	50.56
	393	कोटपाड	1.21	0.69	56.95
	394	बोरीगुमा	0.98	0.52	52.80
	395	दसमंतापुर	0.51	0.32	62.78
	396	लक्ष्मीपुर	0.40	0.30	74.39
	397	नरायणपटना	0.44	0.37	84.39
	398	बंधुगांव	0.59	0.47	79.80
	399	ककीरीगुमा	0.25	0.16	63.79
	400	कुंडुरा	0.57	0.30	52.93
	401	बोइपड़ीगुडा	1.25	0.72	57.68
	402	पदुआ	0.55	0.28	52.08
	403	पोटांगी	0.88	0.55	62.32
91		**मलकानगिरी**	6.13	3.55	57.83
	404	मलकानगिरी	1.78	1.03	57.90
	405	मथिली	0.84	0.59	69.54
	406	मुडुलीपडा	0.30	0.21	70.51
	407	चित्रकोंडा	0.34	0.23	68.02
	408	पापरमेटला	0.15	0.14	88.75
	409	जोदांबा	0.15	0.11	77.42
	410	ओरकेल	0.75	0.40	53.26
	411	पोडिया	0.28	0.19	65.53
9		राजस्थान			
92		**सिरोही**	10.36	2.92	28.22
	412	आबू रोड	2.24	1.14	50.96
93		**डूंगरपुर**	13.89	9.83	70.82
	413	डूंगरपुर	4.95	3.85	77.71
	414	असपुर	2.24	1.19	53.11
	415	सागवारा	3.43	2.03	59.22
	416	सिमलवारा	3.26	2.76	84.78

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
94		**बांसवाड़ा**	17.97	13.73	76.38
	417	घटोल	2.87	2.31	80.57
	418	गढ़ी	2.99	1.73	57.93
	419	बांसवाड़ा	4.59	3.07	66.94
	420	बागीडोरा	3.74	3.19	85.32
	421	कुशलगढ़	3.79	3.43	90.36
95		**उदयपुर**	30.68	15.25	49.71
	422	कोटरा	2.31	2.21	95.82
	423	झडोल	2.49	1.89	75.78
	424	लसादिया	0.91	0.80	88.17
	425	सालुम्बार	2.48	1.32	53.34
	426	सरदा	2.31	1.47	63.65
	427	रिषभदेव	1.73	1.46	84.18
	428	खेरवारा	2.07	1.51	73.26
96		**प्रतापगढ़**	8.68	5.50	63.42
	429	धरियावढ़	1.90	1.50	78.74
	430	पीपलखूंट	1.54	1.44	93.33
	431	अरनोड	1.41	0.95	67.32
10		**तमिलनाडु**			
97		**सालेम**	34.82	1.19	3.43
	432	येरकौड	0.42	0.28	67.16
11		**तेलंगाना**			
98		**आदिलाबाद**	27.41	4.96	18.09
	433	इंदरवैली	0.48	0.27	57.25
	434	नरनूर	0.49	0.33	67.14
	435	जयनूर	0.31	0.19	59.55
	436	उतनूर	0.63	0.33	51.98
	437	सिरपुर	0.26	0.22	85.30
	438	तिरयानी	0.26	0.19	73.62
99		**वारंगल**	35.13	5.31	15.11
	439	तडवैयी	0.23	0.12	51.91
	440	कोथागुडा	0.40	0.24	61.64
	441	गुदुर	0.56	0.32	57.30
100		**खम्माम**	27.97	7.66	27.37
	442	चेरला	0.43	0.24	55.62
	443	दुक्मुगुडेम	0.47	0.33	69.48
	444	कुनावरम	0.26	0.16	60.53
	445	चिंतुर	0.41	0.31	76.71
	446	वारारामचंद्रपुरम	0.26	0.16	62.94
	447	वेलैरपड्ड	0.23	0.14	62.23

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
	448	टेकुलापल्ली	0.48	0.37	77.54
	449	गुंडाला	0.28	0.22	77.54
	450	बैयाराम	0.43	0.21	50.16
	451	गरला	0.37	0.19	51.56
	452	सिंगरैनी	0.55	0.34	61.10
	453	जुलुरपाड	0.33	0.17	51.77
	454	मुलकालापल्ली	0.35	0.21	61.55
12		पश्चिमी बंगाल			
101		**पुरूलिया**	29.30	5.41	18.45
	455	बुंदवान	0.95	0.49	51.86
पहाड़ी राज्य					
1		हिमाचल प्रदेश			
102		**चम्बा**	5.19	1.36	26.10
	456	पांगी	0.19	0.17	90.18
	457	होली	0.14	0.11	77.61
	458	भरमौर	0.25	0.21	84.66
103		**लाहौल एवं स्पीति**	0.32	0.26	81.44
	459	स्पीति	0.12	0.11	84.64
104		**किन्नौर**	0.84	0.49	57.95
	460	कालपा	0.19	0.11	57.96
	461	निचर	0.28	0.14	50.33
2		जम्मू एवं कश्मीर			
105		**लेह (लद्दाख)**	1.33	0.96	71.81
	462	लेह	0.94	0.63	66.85
	463	नुबरा	0.22	0.16	73.35
	464	खलसी	0.17	0.17	97.05
106		**कारगिल**	1.41	1.22	86.89
	465	कारगिल	0.86	0.72	83.49
	466	संकु	0.41	0.36	89.96
	467	झांसकर	0.14	0.14	99.16
107		**राजौरी**	6.42	2.33	36.24
	468	बुढाल	1.23	0.70	56.95
108		**बांदीपुर**	3.92	0.75	19.22
	469	गुरेज	0.38	0.31	81.84

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
3		उत्तराखंड			
109		**देहरादून**	16.97	1.12	6.58
	470	चकराता	0.50	0.25	50.21
	471	तियुनी	0.34	0.20	57.68
	472	कालसी	0.47	0.27	58.03
पूर्वोत्तर राज्य					
1		अरूणाचल प्रदेश			
110		**तवांग**	0.50	0.35	69.65
	473	तवांग सर्कल	0.19	0.10	54.24
111		**पश्चिमी कामेंग**	0.84	0.46	55.25
	474	दिरांग	0.18	0.14	74.28
112		**पूर्वी कामेंग**	0.79	0.72	92.01
	475	सेवा	0.29	0.25	86.05
113		**पापुम पारे**	1.77	1.17	66.38
	476	ईटानगर	0.65	0.39	59.27
	477	नहरलागुर	0.49	0.29	59.38
114		**अपर सुबांसिरी**	0.83	0.78	93.86
	478	तलिहा	0.13	0.13	98.14
	479	दपोरिजो	0.20	0.16	82.33
115		**पशचिम सियांग**	1.12	0.93	82.64
	480	आलो	0.35	0.25	70.73
116		**पूर्वी सियांग**	0.99	0.70	70.53
	481	पासीघाट	0.36	0.19	52.94
	482	खोंसा	0.26	0.20	76.83
	483	लोंगडिंग	0.17	0.16	93.76
	484	पंगचाओ	0.12	0.12	99.19
	485	वाक्का	0.11	0.11	99.04
117		**लोअर सुबांसिरी**	0.83	0.73	87.81
	486	जिरो (सदर)	0.23	0.18	78.00
	487	पुराना जिरो	0.20	0.18	92.72
118		**कुरुंग कुमे**	0.92	0.91	98.58
	488	संग्राम	0.11	0.11	98.86

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
2		असम			
119		**गोलपाड़ा**	10.08	2.32	22.97
	489	धुधनाई	0.81	0.54	66.30
120		**धेमजी**	6.86	3.26	47.45
	490	जोनाई	1.70	1.16	68.21
121		**कार्बी आंगलोंग**	9.56	5.39	56.33
	491	धोनका	2.95	1.94	65.52
	492	फुलोनी	2.80	1.49	53.25
	493	सिलोनीजन	0.91	0.57	62.35
122		**दिमा हसाओ**	2.14	1.52	70.92
	494	उमरांगसो	0.50	0.32	64.95
	495	हफलोंग	0.77	0.49	64.19
	496	माहुर	0.34	0.29	85.52
	497	मबोंग	0.54	0.41	76.91
123		**कामरूप**	15.18	1.82	12.00
	498	बोको	1.12	0.71	63.18
124		**बक्सा**	9.50	3.31	34.84
	499	सरूपूटा (पीटी)	0.55	0.30	53.86
	500	जलाह (पीटी)	0.82	0.43	52.84
125		**उदलगुड़ी**	8.32	2.67	32.15
	501	खोइराबाड़ी (पीटी)	0.81	0.43	52.68
3		मणिपुर			
126		**सेनापती**	4.79	4.19	87.49
	502	सदर हिल पश्चिम	0.72	0.46	63.73
	503	सैतु–गंफाझोल	0.59	0.48	81.80
	504	सदर हिल पूर्वी	0.63	0.61	96.05
	505	माओ–मारम	1.63	1.45	88.67
	506	पाओमाता	0.54	0.53	98.28
	507	पुरूल	0.68	0.67	98.10
127		**तामेंगलोंग**	1.41	1.35	95.72
	508	तामेंगलोंग पश्चिम	0.28	0.27	96.05
	509	तामेंगलोंग उत्तर	0.28	0.27	96.58
	510	तामेंगलोंग	0.48	0.47	97.58
	511	नुंगबा	0.37	0.34	92.35

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
128		**चुराचांदपुर**	2.74	2.55	92.94
	512	तिपैमुख	0.29	0.27	94.53
	513	थानलोन	0.18	0.18	98.34
	514	चुराचांदपुर उत्तर	0.31	0.29	95.52
	515	चुराचांदपुर	1.74	1.59	91.33
	516	सिंगंगट	0.22	0.21	95.50
129		**उखरूल**	1.84	1.74	94.35
	517	उखरूल उत्तर	0.31	0.30	96.15
	518	उखरूल मध्य	1.07	1.00	92.90
	519	कामजोंग-चसाद	0.17	0.16	93.25
	520	फंग्यार-फैसट	0.17	0.16	98.04
	521	उखरूल दक्षिण	0.12	0.12	99.05
130		**चंदेल**	1.44	1.28	88.97
	522	माची	0.20	0.19	97.26
	523	तेंगनौपाल	0.39	0.30	77.00
	524	चंदेल	0.32	0.30	92.75
	525	चकपिकारोंग	0.53	0.49	92.44
4		**मेघालय**			
131		**पश्चिम गारो पहाड़ियां**	6.43	4.74	73.69
	526	दादेंगगिरी	0.42	0.40	97.01
	527	टिकरीकिला	0.58	0.53	90.31
	528	रौंग्राम	1.34	1.07	79.99
	529	बेतासिंग	0.72	0.66	91.23
	530	झिकझैक	0.75	0.50	66.84
	531	गमबेगरे	0.34	0.32	96.83
	532	दालु	0.54	0.47	87.08
132		**पूर्वी गारो पहाड़ियां**	3.18	3.05	95.99
	533	रेसुबेलपाड़ा	1.05	1.01	96.40
	534	दंबो रोंगजेंग	0.53	0.51	97.06
	535	खरकुट्टा	0.51	0.50	97.90
	536	संगसक	0.53	0.51	96.46
	537	समंदा	0.56	0.52	92.07
133		**दक्षिण गारो पहाड़ियां**	1.42	1.34	94.31
	538	चोकपोट	0.40	0.39	96.58
	539	गासुवापाड़ा	0.28	0.27	95.15
	540	बाघमारा	0.51	0.46	91.78
	541	रोंगारा	0.23	0.22	94.85

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
134		**पश्चिमी खासी पहाड़ियां**	3.83	3.75	97.82
	542	मावशइनरूट	0.74	0.73	98.12
	543	नोंगस्टोइन	0.82	0.81	98.89
	544	मावथाड्रेसन	0.49	0.48	98.46
	545	मैरांग	0.82	0.82	98.86
	546	रानीकौर	0.41	0.38	91.41
	547	मावकिरवट	0.54	0.54	98.48
135		**रिभोई**	2.59	2.30	88.89
	548	उमलिंग	0.87	0.75	86.70
	549	जिरांग	0.31	0.30	97.65
	550	उम्सनिंग	1.41	1.24	88.32
136		**पूर्वी खासी पहाड़ियां**	8.26	6.61	80.05
	551	मावफ्लांग	0.71	0.71	99.48
	552	माइलियम	4.43	2.94	66.39
	553	मावरंगनेंग	0.67	0.66	98.61
	554	मावकाइनरे	0.45	0.44	99.31
	555	खतरसनोंग लैतकरोह	0.34	0.33	99.73
	556	मावसैनरम	0.54	0.50	92.79
	557	शेला भोलागंज	0.54	0.45	82.41
	558	पैइनुरसला	0.58	0.57	98.66
137		**जैयंतिया हिल्स**	3.95	3.76	95.19
	559	थाडलास्केइन	1.38	1.30	94.55
	560	लस्केइन	0.90	0.87	96.28
	561	अम्लारेम	0.44	0.40	92.32
	562	ख्लीरियाट	0.86	0.82	95.11
	563	सैपुंग	0.37	0.37	98.43
5		**मिजोरम**			
138		**मामित**	0.86	0.82	95.04
	564	जालनुयाम	0.47	0.44	93.11
	565	पश्चिम फाइलेंग	0.21	0.21	97.36
	566	रियेक	0.18	0.17	97.36
139		**कोलासिव**	0.84	0.74	87.68
	567	'एन' थिंगडौल	0.20	0.19	94.85
	568	बिलखौबथ्रिर	0.58	0.50	84.65
140		**आईजोल**	4.00	3.74	93.31
	569	तालांगनुयाम (भाग)	3.12	2.87	92.07
	570	डारलान	0.26	0.25	97.85
	571	फुलेन	0.13	0.13	98.67
	572	एवोंक	0.17	0.17	98.03
	573	थिंगसुलथ्लिया (भाग)	0.32	0.31	96.98

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
141		**चम्फाई**	1.26	1.23	98.19
	574	नगोपा	0.19	0.18	97.14
	575	खौजाल	0.36	0.35	98.48
	576	चम्फाई	0.43	0.42	98.15
	577	खौवंग	0.22	0.22	98.56
142		**सेरछिप**	0.65	0.63	96.85
	578	सरछिप	0.44	0.42	95.95
	579	पूर्वी लुंगडर (भाग)	0.15	0.15	98.82
143		**लुंगलई**	1.61	1.54	95.11
	580	पश्चिम बुंधमुन	0.19	0.19	98.76
	581	लुंगसेन	0.39	0.38	96.90
	582	लुंगलई	0.77	0.71	92.09
	583	नाथियाल	0.26	0.26	98.76
144		**लोंगत्लाई**	1.18	1.12	95.30
	584	चौंगते	0.45	0.44	98.17
	585	लौंगत्लाई	0.39	0.35	89.66
	586	'एस' बुंग्लांग	0.17	0.17	96.82
	587	संगाउ	0.17	0.17	99.01
145		**सैहा**	0.57	0.55	96.59
	588	तुईपांग	0.21	0.21	98.69
	589	सैहा	0.36	0.34	95.34
6		**नागालैंड**			
146		**मोन**	2.50	2.38	95.21
	590	टिजिट	0.22	0.19	84.10
	591	मोन सदर	0.48	0.46	95.53
	592	वाकचिंग	0.13	0.13	98.24
	593	अबोइ	0.14	0.14	95.48
	594	लोंगसेन	0.20	0.20	99.35
	595	फोमंचिंग	0.13	0.12	99.45
	596	चेन	0.19	0.18	98.36
	597	अंगजांगीयांग	0.20	0.20	98.87
	598	मोपोंग	0.15	0.15	99.09
	599	तोबू	0.17	0.17	99.03
	600	मोंयाक्षु	0.23	0.23	99.10
147		**मोकोकचुयांग**	1.95	1.78	91.68
	601	एलोंगकिमा	0.12	0.12	98.03
	602	तुली	0.23	0.21	88.54
	603	चांगतोंगया	0.17	0.17	96.45
	604	चुचुयिमलांग	0.18	0.18	98.35
	605	कुबुलांग	0.13	0.12	98.30
	606	मगकोलेम्बा	0.13	0.11	84.96
	607	ओंगपोंगलोंग	0.84	0.76	90.79

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप–जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
148		**जुनहेबोतो**	1.41	1.37	97.02
	608	सुरहोतो	0.14	0.14	98.03
	609	ओघुनोतो	0.18	0.18	98.95
	610	जुनेहेबोतो सदर	0.36	0.34	93.47
	611	सताखा	0.15	0.14	95.23
149		**वोखा**	1.66	1.57	94.16
	612	एतेपियांग	0.16	0.16	99.35
	613	भंडारी	0.17	0.16	93.89
	614	सुंगरो	0.13	0.13	99.48
	615	वोखा सदर	0.58	0.55	93.75
	616	इंगलान	0.13	0.12	96.29
	617	चुकीतोंग	0.10	0.10	99.61
150		**दिमापुर**	3.79	2.24	59.13
	618	कुहोबोतो	0.13	0.10	81.58
	619	चुमुकेडिया	1.25	0.90	71.51
	620	धनसीरीपर	0.17	0.14	79.56
	621	मेदजिफेमा	0.24	0.18	76.55
151		**फेक**	1.63	1.57	96.16
	622	सेकरूजु	0.11	0.11	99.25
	623	फेक सदर	0.27	0.25	90.32
	624	मेलुरी	0.14	0.13	94.73
	625	चोजुवा	0.15	0.15	98.46
	626	चेथेवा	0.17	0.17	98.68
	627	फुतसेरो	0.31	0.30	95.26
	628	चिजामी	0.10	0.10	98.76
152		**तुवेगसांग**	1.97	1.91	97.11
	629	नोकसेन	0.14	0.14	99.24
	630	चारे	0.11	0.11	98.09
	631	लोंखिम	0.17	0.17	98.84
	632	तुवेंगसांग सदर	0.48	0.44	92.90
	633	सोतोकु	0.11	0.11	99.22
	634	नोकलाक	0.20	0.19	98.44
	635	पानसो	0.11	0.11	99.64
	636	शमातोर	0.13	0.13	99.03
	637	तोंनोकन्यु	0.19	0.18	94.63
153		**लोंगलेंग**	0.50	0.49	96.30
	638	लोंगलेंग	0.23	0.22	96.07
154		**किफिर**	0.74	0.71	96.52
	639	किफिर सदर	0.22	0.21	93.77
	640	पुंगरो	0.14	0.14	97.65

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
155		**कोहिमा**	2.68	2.25	83.86
	641	सेमेन्यु	0.51	0.51	98.79
	642	चिफोवोजोयु	0.20	0.17	88.32
	643	केजोचा	0.16	0.14	86.15
	644	जखामा	0.34	0.31	90.40
	645	कोहिमा सदर	1.17	0.87	74.39
	646	सेचु-जुवजा	0.17	0.13	75.95
156		**पेरेन**	0.95	0.84	88.47
	647	जालुकी	0.28	0.21	72.46
	648	अथिवुंग	0.14	0.13	93.61
	649	तेनिंग	0.26	0.26	99.06
7		त्रिपुरा			
157		**पश्चिम त्रिपुरा**	17.26	4.32	25.03
	650	हेजामारा	0.36	0.33	93.54
	651	पदमाविल	0.36	0.33	92.82
	652	तुलाशिखर	0.43	0.33	76.16
	653	मुंगीयाकुमी	0.29	0.28	95.68
	654	मंडाई	0.45	0.41	92.20
	655	जम्पुईजाला	0.46	0.43	94.66
158		**दक्षिण त्रिपुरा**	8.76	3.45	39.36
	656	किला	0.41	0.39	96.07
	657	अमरपुर	0.57	0.32	56.66
	658	ओंपी	0.39	0.33	84.75
	659	करबुक	0.45	0.36	79.24
	660	रुपईछारी	0.48	0.40	82.74
159		**धलाई**	3.78	2.11	55.68
	661	मनु	0.84	0.58	68.64
	662	अंबासा	0.55	0.40	72.52
	663	छमानु	0.34	0.29	85.85
	664	दंबुरनगर	0.59	0.48	81.02
160		**उत्तर त्रिपुरा**	6.94	1.79	25.86
	665	दंबछारा	0.28	0.23	81.89
	666	पेंचरथाल	0.43	0.26	59.20
	667	दसदा	1.02	0.69	67.35
	668	जम्पुई हिल्स	0.12	0.11	92.53

क्र.सं.		राज्य / जिला / उप-जिला	जनसंख्या लाख में		अ.ज.जा. प्रतिशित
			कुल	अ.ज.जा.	
8		**सिक्किम**			
161		**उत्तरी जिला**	0.44	0.29	65.70
	669	मंगन	0.34	0.24	71.96
संघ राज्यक्षेत्र					
1		**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**			
162		**निकोबार**	0.37	0.24	64.28
	670	कार निकोबार	0.18	0.15	84.23
2		**दादर और नगर हवेली**			
163		**दादर और नगर हवेली**	3.44	1.79	51.95
	671	दादर और नगर हवेली	3.44	1.79	51.95
3		**लक्षद्वीप**			
164		**लक्षद्वीप**	0.64	0.61	94.80
	672	एंड्रॉट	0.11	0.11	97.83

टिप्पणी:

(1) स्रोत: जनगणना 2011

(2) 10,000 से अधिक तथा 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले, प्राथमिकता वाले उप-जिले।

अनुलग्नक–4न

अनुसूचित जनजाति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रमुख समुदाय : जनगणना 2011

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
1	**आंध्र प्रदेश**		
	1. येनादिस ...	5.34	20.3 %
	2. येरूकुलस ..., कोरचा	3.75	14.3 %
	3. सुगालिस, लम्बादिस, बंजारा	3.62	13.7 %
	4. कोन्डा धोरस, कुबी	2.11	8.0 %
	5. सवारस ...	1.38	5.2 %
	6. बगता	1.33	5.0 %
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**17.51**	**66.6 %**
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	8.05	30.6 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.74	2.8 %
	कुल :	**26.31**	**100 %**
2	**बिहार**		
	1. संथाल	4.06	30.4 %
	2. गोंड	2.57	19.2 %
	3. थारू	1.60	12.0 %
	4. उरांव ...	1.44	10.8 %
	5. खारवार	1.26	9.4 %
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**10.93**	**81.8 %**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.27	9.5 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.17	8.8 %
	कुल :	**13.37**	**100 %**

क्र.सं. 1	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय 2	अ.ज.जा. जनसंख्या 3 (लाख)	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या 4 (%)
3	**छत्तीसगढ़**		
	1. गोंड ..., अराख ..., अगारिया, असुर, भटोला, भीम्मा, भूटा/भूटी ..., भार, मारिया ..., धुरू, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गायकी, गट्टा ..., कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, माना, मान्नेवर, मोघिया, मोंघिया, मूडिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	42.98	54.9 %
	2. कवर ..., कनवर, चेरवा, राठिया, तंवर, चत्री	8.87	11.3 %
	3. ओरांव, ढांका, धनगढ़	7.49	9.6 %
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**59.35**	**75.9 %**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	18.56	23.7 %
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.32	0.4 %
	कुल :	**78.23**	**100 %**
4	**गोवा**		
	1. गवडा	1.07	71.5 %
	2. वेलिप	0.32	21.5 %
	अ.ज.जा. (2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**1.39**	**92.9 %**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.06	3.7 %
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.05	3.4 %
	कुल :	**1.49**	**100 %**
5	**गुजरात**		
	1. भील ..., भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा ...	42.16	47.3 %
	2. धूबला, तालविया, हालपटी	6.43	7.2 %
	3. राठवा	6.42	7.2 %
	4. धोडिया, धोडी	6.36	7.1 %
	5. नायकदा, नायका ...	4.60	5.2 %
	अ.ज.जा. (5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**65.97**	**74.0 %**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	21.10	23.7 %
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	2.11	2.4 %
	कुल :	**89.17**	**100 %**
6	**हिमाचल प्रदेश**		
	1. गद्दी	1.78	45.4 %
	2. गुज्जर	0.93	23.6 %
	3. कनौरा, किन्नरा	0.51	13.0 %
	4. भोत ...	0.27	6.9 %
	अ.ज.जा. (4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**3.49**	**89.0 %**
	चिह्नित (6) अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.33	8.3 %
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.11	2.7 %
	कुल :	**3.92**	**100 %**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
7	जम्मू और कश्मीर		
	1. गुज्जर	9.81	65.7 %
	2. बकरवाल	1.13	7.6 %
	3. बोत, बोतो	0.91	6.1 %
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**11.85**	**79.4** %
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.96	13.1 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.12	7.5 %
	कुल :	**14.93**	**100 %**
8	झारखंड		
	1. संथाल	27.55	31.9 %
	2. ओरांव ...	17.17	19.9 %
	3. मुंडा, पतर	12.29	14.2 %
	4. हो	9.28	10.7 %
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**66.29**	**76.7** %
	चिह्नित (28) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	18.42	21.3 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	2.0 %
	कुल :	**86.45**	**100 %**
9	कर्नाटक		
	1. नायकडा, नयका ..., बेदा, बेदार और वाल्मीकि	32.96	77.6 %
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**32.96**	**77.6** %
	चिह्नित (49) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.41	15.1 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.12	7.3 %
	कुल :	**42.49**	**100 %**
10	केरल		
	1. पनियान	0.88	18.2 %
	2. कुरिच्चान ...	0.35	7.3 %
	3. मलाई अरायान ...	0.33	6.9 %
	4. माविलान	0.31	6.4 %
	5. कुरुमांस ...	0.25	5.1 %
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.12**	**43.8** %
	चिह्नित (31) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.10	43.4 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.62	12.9 %
	कुल :	**4.85**	**100 %**
11	मध्य प्रदेश		
	1. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया	59.94	39.1 %
	2. गोंड ..., अरख... , अगरिया, असुर, मारिया ..., भटोला, भिम्मा, भूटा/भूटी...., भार, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार... , माना, मान्नेवर, मोघिया ..., मूडिया ..., नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया, थोटिया, दरोई	50.93	33.3 %
	3. कोल	11.68	7.6 %
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**122.55**	**80.0** %
	चिह्नित (40) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	27.98	18.3 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.64	1.7 %
	कुल :	**153.17**	**100 %**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
12	**महाराष्ट्र**		
	1. भील ..., डुंगरी गरासिया, भागालिया, भिलाला, पावरा, वसावा ...	25.89	24.6 %
	2. गोंड ..., अराख... , अगरिया, असुर, मारिया ..., भटोला, भिम्मा, भूटा/भूटी.... भर, धुरु, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैता, कान्द्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार... , माना, मान्नेवर, मोघिया ..., मूडिया, नगारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरेका, थाटिया ...,	16.18	15.4 %
	3. कोली ...	14.60	13.9 %
	4. वर्ली	7.96	7.6 %
	5. कोकना, कोकनी, कुकना	6.87	6.5 %
	6. ठाकुर ...	5.68	5.4 %
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**77.18**	**73.4 %**
	चिह्नित (39) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	26.17	24.9 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.76	1.7 %
	कुल :	**105.10**	**100 %**
13	**ओडिशा**		
	1. खोंड / कंधा..., कुई	16.27	17.0 %
	2. संथाल	8.95	9.3 %
	3. गोंड ...	8.89	9.3 %
	4. कोल्हा	6.25	6.5 %
	5. मुंडा ...	5.59	5.8 %
	6. साओरा / सावर ..., सहारा ...	5.35	5.6 %
	7. शबार, लोधा	5.16	5.4 %
	अ.ज.जा.(7) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**56.46**	**58.9 %**
	चिह्नित (55) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	38.19	39.8 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.26	1.3 %
	कुल :	**95.91**	**100 %**
14	**राजस्थान**		
	1. मीना	43.46	47.0 %
	2. भील ..., डुंगरी गरासिया, भागालिया, भिलाला, पावरा, वसावा ...	42.00	45.5 %
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	85.56	92.5 %
	चिह्नित (9) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.25	6.9 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.58	0.6 %
	कुल :	**92.39**	**100 %**
15	**सिक्किम**		
	1. भूटिया ...	0.70	33.7 %
	2. लिम्बू	0.54	26.0 %
	3. लेप्चा	0.43	20.8 %
	4. तमांग	0.38	18.3 %
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.04**	**98.8 %**
	अन्य **अ.ज.जा.**(< 5% जनसंख्या)	0.02	1.2 %
	कुल :	2.06	100 %

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
16	**तमिलनाडु**		
	1. मलयाली	3.58	45.0 %
	2. इरुलार *	1.90	23.9 %
	3. कट्टूनायकन *	0.47	5.9 %
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.94**	**74.8** %
	चिह्नित (33) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	18.3 %
	अन्य **अ.ज.जा.**(< 5% जनसंख्या)	0.55	6.9 %
	कुल :	**7.95**	**100 %**
17	**तेलंगाना**		
	1. सुगालीज, लंबाडीज, बंजारा	20.46	62.3 %
	2. कोया ..., राजह	4.86	14.8 %
	3. गोंड ..., कोइतुर	2.98	9.1 %
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	28.30	86.1 %
	चिह्नित (29) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	**2.96**	**9.0** %
	अन्य **अ.ज.जा.**(< 5% जनसंख्या)	1.61	4.9 %
	कुल :	**32.87**	**100 %**
18	**उत्तर प्रदेश**		
	1. गोंड ..., धुरिया, नायक, ओझा, पथारी	5.69	50.2 %
	2. खरवार ...	1.61	14.2 %
	3. थारु	1.05	9.3 %
	4. सहरिया	0.71	6.2 %
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.06**	**79.8** %
	चिह्नित (11) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.46	12.9 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.83	7.3 %
	कुल :	**11.34**	**100 %**
19	**उत्तराखंड**		
	1. थारु	0.91	31.3 %
	2. जानसारी	0.89	30.4 %
	3. बुक्सा *	0.54	18.5 %
	4. भोटिया	0.39	13.4 %
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**2.73**	**93.6** %
	चिह्नित (1) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	0.2 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.18	6.2 %
	कुल :	**2.92**	**100 %**
20	**पश्चिम बंगाल**		
	1. संथाल	25.12	47.4 %
	2. ओरांव	6.44	12.1 %
	3. भूमिज	3.76	7.1 %
	4. मुंडा	3.66	6.9 %
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**38.99**	**73.6** %
	चिह्नित (36) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	11.57	21.8 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	2.41	4.6 %
	कुल :	**52.97**	**100 %**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
	पूर्वोत्तर राज्य		
21	**अरुणाचल प्रदेश**		
	1. न्यईशी	2.50	26.2 %
	2. गलोंग	0.79	8.3 %
	3. अदी	0.68	7.1 %
	4. तगिन	0.63	6.6 %
	5. वांचो	0.57	6.0 %
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**5.17**	**54.3 %**
	चिह्नित (99) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	4.32	45.4 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.03	0.3 %
	कुल :	**9.52**	**100 %**
22	**असम**		
	1. बोरो ...	13.62	35.1 %
	2. मिरि	6.80	17.5 %
	3. कार्बी	4.30	11.1 %
	4. राभा	2.96	7.6 %
	5. कचारी, सोनोवाल	2.53	6.5 %
	अ.ज.जा.(5) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**30.22**	**77.8 %**
	चिह्नित (24) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	6.83	17.6 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.79	4.6 %
	कुल :	**38.84**	**100 %**
23	**मणिपुर**		
	1. थाडोऊ	2.16	18.5 %
	2. थंगखुल	1.79	15.3 %
	3. पौमाई नागा	1.27	10.9 %
	4. काबुई	1.04	8.9 %
	5. आओ	0.93	8.0 %
	6. कच्चा नागा	0.66	5.7 %
	अ.ज.जा.(6) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**7.85**	**67.3 %**
	चिह्नित (27) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	3.61	31.0 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.21	1.8 %
	कुल :	**11.67**	**100 %**
24	**मेघालय**		
	1. खासी, जयंतिया, सैन्तेंग, प्नार, वार, भोइ, लिग्यंम	14.12	55.2 %
	2. गारो	8.21	32.1 %
	अ.ज.जा.(2) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**22.33**	**87.4 %**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.49	5.8 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.74	6.8 %
	कुल :	**25.56**	**100 %**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
25	**मिजोरम**		
	1. कोई मि जो (लुसाई) जनजातियां	7.35	70.9 %
	2. चकमा	0.97	9.4 %
	3. पावी	0.51	5.0 %
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**8.83**	**85.2 %**
	चिह्नित (12) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.45	14.0 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.07	0.7 %
	कुल :	**10.36**	**100 %**
26	**नागालैंड**		
	1. नागा	16.68	97.5 %
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**16.68**	**97.5 %**
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.34	2.0 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.09	0.5 %
	कुल :	**17.11**	**100 %**
27	**त्रिपुरा**		
	1. त्रिपुरा ...	5.92	50.8 %
	2. रियांग *	1.88	16.1 %
	3. जमातिया	0.83	7.1 %
	4. चकमा	0.80	6.8 %
	अ.ज.जा.(4) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**9.44**	**80.9 %**
	चिह्नित (15) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	1.75	15.0 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.48	4.1 %
	कुल :	**11.67**	**100 %**
	संघ राज्यक्षेत्र		
28	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**		
	1. निकोबारी	0.27	95.2 %
	अ.ज.जा.(1) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.27**	**95.2 %**
	चिह्नित (5) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.7 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.01	2.1 %
	कुल :	**0.29**	**100 %**
29	**दादर और नगर हवेली**		
	1. वर्ली	1.12	62.8 %
	2. कोकना	0.28	15.6 %
	3. धोडिया	0.24	13.6 %
	अ.ज.जा.(3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	1.64	91.9 %
	चिह्नित (4) अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.06	3.3 %
	अन्य अ.ज.जा.(< 5% जनसंख्या)	0.08	4.8 %
	कुल :	**1.79**	**100 %**

क्र.सं.	राज्य, अ.ज.जा.समुदाय	अ.ज.जा. जनसंख्या	राज्य की अ.ज.जा. जनसंख्या
1	2	3 (लाख)	4 (%)
30	दमन और द्वीव		
	1. दुबला (हालपाति)	0.11	72.2 %
	2. धोडिया	0.02	15.2 %
	3. वर्ली	0.01	9.0 %
	अ.ज.जा. (3) (≥ 5% प्रत्येक जनसंख्या)	**0.15**	**96.5 %**
	चिह्नित (2) अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.00	1.3 %
	अन्य अ.ज.जा. (< 5% जनसंख्या)	0.00	2.3 %
	कुल :	**0.15**	**100 %**
31	लक्षद्वीप		
	1. अ.ज.जा. (नीचे 2 के अलावा) (≥ 5% जनसंख्या)	0.61	99.99 %
	2. लक्कादीप, मिनीकॉय और अमीनी द्वीपों के निवासी	0.00 (4)	0.01 %
	कुल:	**0.61**	**100 %**

टिप्पण:

(1) 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। इनमें से ≥ 5% जनसंख्या वाले पीवीटीजी अलग से दर्शाएं गए हैं।

(2) जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चढ़ीगढ़ और पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में कोई अ.ज.जा.अधिसूचित नहीं है।

स्रोत : जनगणना 2011 के आंकडें, आरजीआई का कार्यालय

अनुलग्नक–4क

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने के आदेश/संशोधन

क्र.सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तिथि	राज्य/संघ राज्यों के नाम जिन पर लागू है (यथा संशोधित)
1.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 (सी.ओ.22)	06.9.1950	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, करेल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चित बंगाल।
2.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (सी.ओ.33)	20.9.1951	दमन व दीव, लक्षद्वीप
3.	आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953	14.9.1953	आंध्र प्रदेश
4.	अनुसूचित जातिय तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनयम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 63)	25.9.1956	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर, कोचिन, अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश
5.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956	29.10.1956	आंध्र पदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा लक्कादीव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह
6.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 के शुद्धिपत्र	28.1.1957	मध्य प्रदेश
7.	संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959 (सी.ओ.58)	31.3.1959	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
8.	बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 की संख्या 11)	25.4.1960	महाराष्ट्र तथा गुजरात
9.	संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 (सी.ओ.65)	30.6.1962	दादर व नगर हवेली
10.	संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967 (सी.ओ.78)	24.6.1967	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड
11.	संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968	12.1.1968	गोवा, दमन और दीव

12.	संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 (सी.ओ.88)	23.7.1970	नागालैण्ड
13.	हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	06.01.1971	हिमाचल प्रदेश
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनगर्ठन) आदेश, 1971	30.12.1971	असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश
15.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 की संख्या 108)	18.9.1976	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
16.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के शुद्धिपत्र	03.2.1977	महाराष्ट्र
17.	संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 (सी.ओ.111)	22.6.1978	सिक्किम
18.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 43)	09.12.1987	मेघालय
19.	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 (सी.ओ.142)	07.10.1989	जम्मू और कश्मीर
20.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 36)	20.8.1991	जम्मू और कश्मीर
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 की संख्या 39)	17.9.1991	कर्नाटक
22.	मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 28)	25.8.2000	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
23.	उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 29)	25.8.2000	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
24.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 की संख्या 30)	25.8.2000	बिहार
25.	संविधान (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,	03.6.2002	गुजरात

	2002 (2002 की संख्या 32)		
26.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 की संख्या 10)	07.1.2003	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा सिक्किम
27.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 47)	19.9.2003	असम
28.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,, 2006 (2006 की संख्या 48)	12.12.2006	बिहार
29.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 की संख्या 14)	01.4.2008	अरूणाचल प्रदेश
30.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 की संख्या 2)	07.1.2009	लक्षद्वीप
31.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 की संख्या 2)	08.1.2012	मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश
32.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 की संख्या 24)	31.5.2012	कर्नाटक
33.	संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 24)	18.9.2013	केरल तथा छत्तीसगढ़
34.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 की संख्या 6)	1.3.2014	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
35.	संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 2016	22.12.2016	पुदुचेरी

विशेष ध्यान दीजिए: हरियाणा तथा पंजाब राज्यों और चंडीगढ़ तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में किसी समुदाय को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–4ख

भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

आंध्र प्रदेश

1. अंध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गदाबास, बोडो गडाबा, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मारा
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध, कोडी, कोधु, देसाया कोंध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोंध, येनिती कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उड़िया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कामारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा, रश कोया, लिंगधारी कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया
19. कुलिया
20. मालिस
21. मन्ना धोरा
22. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
23. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
24. परधान
25. पोरजा, पारंगीपेरजा
26. रेड्डी धोरा
27. रोना, रेना
28. सवारस, कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस
29. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
30. वाल्मीकि (विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में)
31. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
32. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा येरूकुला, कुंचापुरी येरूकुला, उप्पु येरूकुला
33. नक्काला कुरविकरन
34. धुलिया, पैको, पुतिया (विशाखापट्टनम और विजयनगरम के जिलों में)

अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य में सभी जनजातियां:

1. अबोर
2. आका
3. अपतानी
4. न्यीशी
5. गालो
6. खम्पती
7. खोवा
8. मिशमी, इदु, तारोंन
9. मोम्बा
10. कोई भी नागा जनजातियां
11. शेरदुकपेन
12. सिंगफो
13. हरुसो
14. तागिन
15. खम्बा
16. आदि

असम

I. कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कचार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों में:

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हजोंग
5. हमार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लेंगंगम्
7. निम्नलिखित सहित कोई भी कूकी जनजाति: –
   (i) बिआत, बिएत
   (ii) चांगसान
   (iii) चोंगलाइ
   (iv) डुंगेल
   (v) गमाल्हू
   (vi) गंगते
   (vii) गुइते
   (viii) हन्नेंग
   (ix) हाओकिप, हाउपिट
   (x) हओलई
   (xi) हेंगना

(xii) होंगसुंग
(xiii) हरंखबाल, रंगखोल
(xiv) जोंगबी
(xv) खाओचुंग
(xvi) खावाथलांग, खोतालोंग
(xvii) खेलमा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेंगथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवुन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रियांग
(xxix) साइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांगनगेऊ
(xxxvi) उइबुह
(xxxvii) वाइफेइ
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुसाई) जनजाति
11. करबी
12. कोई भी नागा जनजाति
13 पावी
14. सिंथेग
15. लालुंग

II. असम राज्य में कारबी आंगलोंग तथा उत्तर कछार पहाड़ी के स्वायत्त जिलों को छोड़कर तथा बोडो भूमि टेरिटोरियल क्षेत्र जिले सहित:

1. कचार में बरमन
2. बोरो, बोरोकचारी
3. देओरी
4. होजाइ
5. कचारी, सोनवाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा
10. दीमासा
11. हजोंग
12. सिंगफो
13. खम्पती
14. गारो

बिहार

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बंजारा
4. बाथूड
5. बेदिया
6. हटा दिया है
7. बिनझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बारिक
12. गोंड
13. गोरइत
14. हो
15. करमाली
16. खारिया, धेलकी खारिया, दूध खारिया, हिल खारिया
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान, नगेशिया
20. कोरा, मुडी-कोरा
21. कोरवा
22. लोहारा, लोहरा
23. महली
24. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
25. मुंडा, पतार
26. ओरान, धानगर (ओरांव)
27. परहइया
28. सन्ताल
29. सउरिया पहारिया
30. सवर
31. कवार
32. कोल
33. थारू

छत्तीसगढ़

1. अगारिया
2. अंध
3. बैगा
4. भाइना
5. भारिया भूमिया, भूइंहार भूमिया, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भत्रा
7. भील, भीलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीयार
11. बीन्जबार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धंवर
15. गडाबा, गाडबा
16. गोंड, अराक, अराख, अगेरिया आसुर, अबुझ मारिया, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डान्डामी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड ग्वारी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोयतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मानेवर, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मूडिया, मूरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, गोंड, सोनझारी झरेका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वाद मारिया, दरोई
17. हल्बा, हल्बी

18. कमार
19. करकु
20. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
21. खैरवार, कोन्दार
22. खैरिया
23. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
24. कोल
25. कोलम
26. कोरकू, बोपची, मुआसी, नीहाल, नाहुल बोन्धी, बोन्देया
27. कोरवा, पहाड़ी कोरवा, कोड़ाकु
28. मांझी
29. मझवार
30. मवासी
31. मुण्डा
32. नागेसिया, नागासिया
33. ओरान, धानका, धनगड
34. पाओ
35. परधान, पाथरी, सरोती
36 पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फन्स परधी, शिकारी, टकान्कर, टकिया (i) बस्तर, दंतेवाडा, कांकेर, रायगढ़, जशपुरनगर, सरगुजा और कोरिया जिले और (ii) कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा जिले की कोरबा तहसील (iii) बिलासपुर, पंडेरा, कोटा, विलासपुर जिले की तख्तपुर तहसीलें (iv) दुर्ग जिले के दुर्ग पाटनगुंडेही, धांधा, बलोद, गुरुर और डोंडिल होड़ा तहसील (V) राजनंध गांव जिले के चौकी, मानपुर रेवेन्यू सर्किल इंस्पेक्टर (vi) महासमुंद जिले की महासमुंद, सरायपाली की बसना तहसील (Vii) बिंदरानावगढ़ राजीम और रायपुर जिले की देवभोग तहसील (viii) धमतरी जिले की धमतरी, कुरूद और सिहावा तहसील
37. परजा
38. सहारिया, सहारिया, सेहरिया, सोसिआ, सोर
39. साओन्ता, साउन्ता
40. साउर
41. सवर, सवरा
42. सोनर

गोवा

1. धोडिया
2. दुबला (हलपती)
3. नैकदा (तालविया)
4. सिद्दी (नायका)
5. वरली
6. कुन्बी
7. गडवा
8. वेलिप

गुजरात

1. बरदा
2. बवाचा, बमाचा
3. भारवाड (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चारन (एल्वा, बारदा और गिर के जंगलों में)
6. चौधरी (सूरत और वलसाड जिलों में)
7. चौधारा
8. धनका, तडवी, तेतारिया, वाल्वी
9. धोडिया, धोदी
10. दुबला, तलविया, हलपती
11. गामित, गामता, गावित, मावची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कतकारी, ढोर कथोडी, ढोर कतकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
14. कोकना, कोकनी, कुकना
15. हटा दिया गया
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
17. कुनबी (डांग जिले में)
18. नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
19. पधार
20. हटा दिया गया
21. परघी, अदवीचिंचर, फान्से पारघी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों के अतिरिक्त)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबारी (अलेच, बरदा और गिर के जंगलों में)
25. राठवा
26. सिद्दी, सिद्दी–बादशान (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. हटा दिया गया
28. वरली
29. विटोला, कोतवालिया, बरोडिया,
30. भील, भीलाला बरेला पटेलिया
31. तडवी भील, बावरा, वसावे,
32. पदवी

हिमाचल प्रदेश

1 भोत, बोध
2. गद्दी
3. गुज्जर
4. जाड, लाम्बा, खाम्पा
5. कनौर, किन्नरा
6. लाहुउला
7. पांगवाला
8. स्वांगला
9. बेटा, बेडा
10. डोम्बा, गारा, जोबा

जम्मू और कश्मीर

1. बालटी
2. बेदा
3. बोत, बोतो
4. ब्रोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
5. छ्यांगपा
6. गारा
7. मोन
8. पुरिगपा
9. गुज्जर
10. बकरवाल
11. गद्दी
12. सिप्पी

झारखण्ड

1. असुर, अगारिया
2. बैगा
3. बनजारा
4. बठूडी
5. बेदिया
6. बिंझिया
7. बिरहोर
8. बिरजिया
9. चेरो
10. चिक बराइक
11. गोंड
12. गोरइत
13. हो
14. करमाली
15. खारिया, धेलकी खारिया, दुध खारिया, हिल खारिया
16. खरवार
17. खोंड
18. किसान, नगेशिया
19. कोरा, मुडी–कोरा
20. कोरवा
21. लोहरा
22. महली
23. मल पहाडिया, कुमारभाग पहाडिया
24. मुंडा, पतार
25. उरांव, धांगर (ओरांव)
26. परहइया
27. सन्थाल
28. सौरिया पहाडिया
29. सवर
30. भूमिज
31. कवर
32. कोल

कर्नाटक

1. आदियान
2. बरदा
3. बवाचा, बामचा
4. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरसिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भागालिया भीलाला, पावरा, वसावा, वसावे
5. चेंचु, चेंचवार
6. चौधरा
7. दुबला, तालविया, हालपति
8. गामित, गामता, गावित, मावछी, पदवी, वालवी
9. गौड, नाइकपोड, राजगोंड
10. गौडालू
11. हक्किपिक्कि
12. हसलारू
13. इरूलर
14. इरूलिगा
15. जेनू कुरूबा
16. काडू कुरूबा
17. कम्मारा (दक्षिण कनारा जिला तथा मैसूर जिले के कोलेगल तालुका में)
18. कनियन, कन्यन (मैसूर जिले के कोलेगत तालुक में)
19. कथोडि, कतकारी, ढोर कथोडि, ढोर कतकारी, सोन कथोडि, सोन कतकारी
20. कट्टूनायकन
21. कोकना, कोकनी, कुकना
22. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
23. कोन्डा कापस
24. कोरगा
25. कोटा
26. कोया, भीने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलाकुडी
28. कुरूबा (कुर्ग जिले में)
29. कुरूमान
30. महा मलासर
31. मलाइकुडी
32. मलासर
33. मलायेकान्डी
34. मलेरू
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराती (दक्षिणी कनारा जिले में)

37. मेडा, मेडारा, मेदारी, गौरिया, बुरूद
38. नायकडा, नायक, चोल्लिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नाइक, नायक, बेडा, बेदार और वाल्मीकि
39. पल्लियन
40. पानियां
41. पारधी, अड्विचिन्चेर, फेन्स पारधी, हरंशिकारी
42. पटेलिया
43. राठवा
44. शोलगा
45. सोलिगारू
46. टोडा
47. वारली
48. वितोलिया, कोतवालिया बरोडिया
49. येरावा
50. सिद्दी (उत्तर कन्नड जिले में)

केरल

1. अदियान
2. अरान्दन, अरांदन
3. इरावल्लन
4. हिल पुलाया, माला पुलायन, कुरम्बा पुलायन, करवाझी पुलायन, पाम्बा पुलायन
5. इरूलर, इरूलान
6. कदार, वायनाड कदार
7. हटा दिया गया
8. कनिकरन, कनिक्कर
9. कट्टूनायकन
10. कोच्चुवेलन
11. हटा दिया गया
12. हटा दिया गया
13. कोरगा
14. हटा दिया गया
15. कुदिया, मेलाकुडि
16. कुरिच्छान, कुरिचियन
17. कुरूमान, मुल्लु कुरूमान, मुला कुरूमान, माला कुरूमान
18. कुरूम्बास, कुरुम्बार, कुरुम्बान
19. महा मालासर
20. मलाई आर्यन, माला आर्यन
21. मलाई पंडाराम
22. मलाई वेदान, मालावेदान
23. मालाकुरवन
24. मालासार
25. मालायन, नत्तु मालायन, कोंगा मलायन, (कसारगोडे, कन्नानोर, वायनाड और कोजीगोड जिलों को छोड़कर)
26. मालायरयार
27. मन्नान
28. मराति (कसार गौड जिले का होस दुर्ग और कसार गौड तालुका)
29. मुथुवन, मुदुगर, मुदुवन
30. पुलेयान, पल्लीयान, पल्लीयार, पल्लीयान
31. हटा दिया गया
32. हटा दिया गया
33. पानियान
34. उलादन, उलातन
35. उरली
36. माला वेत्तुवन (कसारगोड तथा कन्नुर जिलों में)
37. तेन कुरुम्बान, जेनु कुरुम्बान
38. थाचानदान, थाचानदान, मूपान
39. चोलानैकन
40. माविलन
41. करीमपलान
42. वेटा कुरुमान
43. माला पनिक्कर

मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. अंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया भूमिया, भूइन्हार भूमिआ, भूमिया, भारिया, पलिहा, पान्डो
6. भट्ट्रा
7. भील, भेलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील मीना
9. भून्जिया
10. बीअर, बीआर
11. बीन्जवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. डामोर, डामारिया
14. धंवर
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अराख, अर्रख, अगेरिया, अगारिया, असुर, बादी मारिया, बादा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोलियाभूटा, कोलियाभूटी, भर, बीसोनहोरन मारिया, छोटा मारिया, डन्डीमी मारिया, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरली, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गौरी, हिल मारिया, कन्दरा, कलंगा, खटोला, कोएतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कूचा मारिया, कुचकी मारिया, मडिया, मारिया, माना, मन्नेवार, मोघिया, मोगिया, मोंघिया, मुडिया, मुरिया, नगरची, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झरका, थाटिया, थोटिया, वादे मारिया, वदे मारिया, दरोई

17. हल्बा, हल्बी
18. कमार
19. कोरकु
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया तंवर, छत्री
21. (हटा दिया गया)
22. खैरवार, कोन्दार
23. खैरिया
24. कोन्ध, खोन्द, कन्ध
25. कोल
26. कोलम

27. कोरकु बोपची, मौआसी, निहाल, नहुल बोन्धी, बोन्देया
28. कोरवा, कोडाकू
29. माझी
30. मझवार
31. मवासी
32. हटा दिया गया
33. मुण्डा
34. नागेसिया, नागासिया
35. ओरान, धांका, धांगड
36. पानिका [(**i**) छतरपुर पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया सीधी तथा टीकमगढ़ जिले और (ii) दतिया जिले का सेवाड़ा और दतिया तहसील में]
37. पाओ
38. प्रधान, पठारी, सरोटी
39. हटा दिया गया
40. परधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता परधी, लंगोली परधी, फन्स परधी, शिकारी टकान्कर, हकिया [(**i**) छिन्दवाडा, मंडला, डिंडौरी तथा सिवनी जिलों में (**ii**) बालाघाट जिले में बैहर तहसील (iii) बेतुल जिले के बेतुल, शाहपुर और भैंसडेही तहसीलों में (iv) जवलपुर जिले के पटन तहसील और सिहोरा एवं मंझाली ब्लॉक (v) कटनी जिले के कटनी (भुरवाड़ा) तथा विजय राघोगढ़ तहसील तथा बहोरीबंधा तथा घेमरखेड़ा ब्लॉक (vi) होशंगाबाद जिले के होशंगबाद, बबाई, सोहागपुर, पिपरिया, बांकखेड़ी तहसील और किस्ला ब्लॉक (vii) नरसिंहपुर जिला, और (viii) खांडवा जिले के हरसुद तहसील में]
41. परजा
42. सहारिआ, सहारिया, सेहरिया, सेहरिया, सोसिया, सोर
43. साओन्ता, साउन्ता
44. साउर
45. सावर, सावरा
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. अंध
2. बेगा
3. बारदा
4. बावचा, बामचा
5. भाइना
6. भारिया, भूमिया, भूइंहार, भूमिया, पान्डो
7. भातरा
8. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भागालिया, भिलाला, पावरा, बसावा, वासावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. हटा दिया गया
13. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वि
14. धानवार
15. धोदिया
16. दुबला, तालाविया, हलपति
17. गामित, गमता, गवित, मावछी पाडवी
18. गोंड, राजगोंड, अरख, अर्रख, अगारिया, असुर, बादी मारिआ, बडा मारिआ, भटोला, भीम्मा, भूटा, कोइलाभूटा कोइलाभूटी, भार, बिशोनहोर्न मारिआ, छोटा मारिआ, दन्दमी मारिआ, धुरू, धुर्वा, धोबा, धुलिया, डोरला, गाइकी, गट्टा, गाट्टी, गैट्टा, गौंड़, गोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खटोला, कोइतार, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुछा मारिया, कुछकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मान्नेवार, मोघया, मोगिया, मोंघया, मूदिया, मुरिया, नागारची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझारी, झारेका थातिया, थोट्या, वाडे मारिया, वाडे मारिया
19. हलबा, हल्बी
20. कामर
21. कथोड़ी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कथकारी, सोन कथोडी, सोन कतकारी
22. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राथिया, तंवर, छत्री
23. खैरवार
24. खारिया
25. कोकना, कोकनी, कुकना
26. कोल
27. कोलम, मन्नेरवारलू
28. कोलीढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्डार
31. कोंध, खोंध, कन्ध

32. कोरकू, बोपची, मोउआसी, निहाल, नाहुल, बोन्धी, बोन्देया
33. कोया, भीने कोया, राजकोया
34. नागेसिया, नागासिया
35. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. ओरान, धानगर
37. परधान, पठारी, सरोती
38. पारधी, अडवीचिंचेर, फान्स परधी, फान्से परधी, लांगोली परधी, बहेलिया, बहेल्लिया छिट्टा परधी, शिकारी, ताकन्कार, ताकिया
39. पारजा
40. पटेलिया
41. पोमला
42. रथावा
43. सवार, सवारा
44. ठाकुर, ठाकर, का ठाकुर, का ठाकर, मा ठाकुर, मा ठाकर
45. हटा दिया गया
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बड़ोदिया

मणिपुर

1. अइमोल
2. अनाल
3. अनगामी
4. छिरू
5. छोथे
6. गांगते
7. हमार
8. काम्बुई, इन्पुई, रोंगमेई
9. कच्चा नागा, लेइंगमेई, जेमे
10. कोइराओ, थंगल
11. कोइरेंग
12. कोम
13. लामगांग
14. माओ
15. मारम
16. मारिंग
17. कोई भी मीजो (लुशई) जनजाति
18. मोनसांग
19. मोयोन
20. पाइटे
21. पुरूम
22. राल्टे
23. सीमा
24. सीमते
25. सुथे
26. तांगखुल
27. थाडोउ
28. वाइफुई
29. जोउ
30. पौमाई नागा
31. ताराव
32. खराम
33. कोई कुकी जनजाति.
34. माते

मेघालय

1. चकमा
2. दिमसा, कचारी
3. गारो
4. हाजोंग
5. हम्मार
6. खासी, जयंतिया, सइनतेग, प्रार, वार, भोइ, लइनगनगाम सहित
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः–
i. बिअते, बिएते
ii. चंगसान
iii. चोंगलोइ
iv. डोउन्गेल
v. गमाल्हू
vi. गंगत
vii. गुइते
viii. हान्नेंग
ix. हाओकिप, हाउपिट
x. हाओलाई
xi. हेंगन
xii. होनसुंघ
xiii. हरांगख्वाल, रंगखोल
xiv. जोंगबे
xv. खावचांग
xvi. खवथलांग, खोथलांग
xvii. खेल्मा
xviii. खोल्हू
xix. किपजेन
xx. कुकी
xxi. लेनथांग
xxii. ल्हांगम
xxiii. ल्होउजेम
xxiv. ल्होउवुन
xxv. लुपहेंग
xxvi. मांगजेल
xxvii. मिसाओ
xxviii. रिआंग
xxix. सइरहेम
xxx. सेलनाम
xxxi. सिंगसन
xxxii. सितल्होउ
xxxiii. सुक्ते
xxxiv. थाडो
xxxv. थागंनगेऊ
xxxvi. उइबुह
xxxvii. वाइफेई
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग
15. बोरो कचारिस
16. कोछ
17. राबा, रावा

मिजोरम

1. चकमा
2. दिमसा (कछारी
3. गारो
4. हांजोग
5. हम्मार
6. खासी और जयंतिया (खासी, स्येनतेंग या प्नार, वार, भोइ या ल्येनगनगाम सहित)
7. कोई भी कूकी जनजाति निम्न सहितः
(i) बिअते या बिएते
(ii) चंगसान
(iii) चोंगलोइ
(iv) डोउन्गेल
(v) गमाल्हू
(vi) गंगत
(vii) गुइते
(viii) हान्नेंग
(ix) हाओकिप या हाउपिट
(x) हाओलाई
(xi) हेंगना
(xii) होनसुंघ
(xiii) हरांगख्वाल या रंगखोल
(xiv) जोंगबे
(xv) खावचांग
(xvi) खवथलांग या खोथलांग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खोल्हू
(xix) किपजेन
(xx) कुकी
(xxi) लेनथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्होउजेम
(xxiv) ल्होउवुन
(xxv) लुपहेंग
(xxvi) मांगजेल
(xxvii) मिसाओ
(xxviii) रिआंग
(xxix) सइरहेम
(xxx) सेलनाम
(xxxi) सिंगसन
(xxxii) सितल्होउ
(xxxiii) सुक्ते
(xxxiv) थाडो
(xxxv) थागंनगेऊ
(xxxvi) उइबुह
(xxxvii) वाइफेई
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाले)
10. कोई भी मिजो (लुशई) जनजाति
11. मिकिर
12. कोई भी नागा जनजाति
13. पावी
14. स्येनतेंग.
15. पैते

नागालैंड

1. नागा
2. कुकी
3. कचारी
4. मिकिर
5. गारो

ओडिशा

1. बगता, भक्ता
2. बैगा
3. बनजारा, बनजारी
4. बाथूडी, बाथूरी
5. भोत्ताड़ा, धोताडा, भोतरा, भतरा, भत्तरा, भौतोरा, भतारा
6. भूइया, भूयान
7. भूमिया
8. भूमिज, तेली भूमिज, हल्दीपोखरिया भूमिज, हलदी पोखरिया भूमिजा, देसी भूमिज ,देसिया भूमिज, तमारिया भूमिज
9. भुजिया
10. बिन्झाल, बिंझवार
11. बिनझिआ, बिनझोआ
12. बिरहोर
13. बांडो पोराजा, बोंडा परोजा, बांडा परोजा
14. चेंचू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा
18. दिदायी, दिदाई परोजा, दिदाई
19. गडाबा, बोडो, गडाबा, गुतोब गडाबा, कापु गडाबा, ओलारा गडाबा, पेरंगा गडाबा, सानो गडाबा
20. गांडिया
21. घारा
22. गोंड, गोंडो, राजगोंड, मारिया गोंड, धुर गोंड
23. हो
24. होल्वा
25. जतापु
26. जुआंग
27. कंधा गौदा
28. कवर, कंवर
29. खारिया, खरियन, बेरगा खारिया, डेलकी खारिया, दुध खारिया, एरेंगा खारिया, मुंडा खारिया, ओरांव खारिया,खाडिया, पहाड़ी खारिया
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कंधा, नंगुली कंधा, सीथा कंधा, कोंध, कुई, बुदा कोंध, बुरा कंधा, देसिया कंधा, दुंगारिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गौड़, मुली कोंध,

मालुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड
32. किसान, नगेसर, नगेसिया
33. कोल
34. कोलाह लोहरस, कोल लोहरस
35. खोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोंडाडोरा
38. कोरा, खाइश, खयारा
39. कोरूआ
40. कोटिया
41. कोया, गुम्बा कोया, कोइतुर कोया, कमार कोया, मुसारा कोया
42. कुलिस
43. लोधा, नोध, नोधा, लोध
44. मादिया
45. महाली
46. मनकिदी
47. मनकिरदिया, मनकरिया, मनकिदी
48. मत्या, मातिया
49. मिरधास, कुदा, कोदा
50. मुंडा, मुंडा लोहारा, मुंडा महालिस, नागाबंशी मुंडा, उड़िया मुंडा
51. मुंडारी
52. ओमनत्य, ओमनत्यो, आमनत्य
53. ओरांव, धानगर, उरान
54. परेंगा
55. परोजा, पराजा, बोडो परोजा, बरोंग, झोदिया परोजा, चेलिया परोजा, झोदया परोजा, कोंडा परोजा, पराजा, पोंगा परोजा, सोदियापरोजा, सानो परोजा, सोलिया परोजा
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. संताल
59. साओरा, सावर, सौरा, सहारा, आरसी साओरा, बसेड साओरा, भीमा साओरा, भीम्मा साओरा, चुमुरा साओरा, जरा सावर, जादु साओरा, जती साओरा, जुआरी साओरा, कम्पू साओरा, केम्पा साओरा, कापो सओरा, किंदल साओरा, कंबी कंचेर साओरा, कलपितिया साओरा, किराट साओरा, लांजिया साओरा, लाम्बा लांजिया साओरा, लुआरा साओरा, लुआर साओरा, लारिया सावर, मलिया साओरा, मल्ला साओरा, उड़िया साओरा, राइका साओरा, सुद्दा साओरा, सारदा साओरा, तंकला साओरा, पटरो साओरा, वेसु साओरा
60. शबार, लोधा
61. सौंटी
62. थारूआ, थारूआ बिंदानी

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, ढोली भील, डुंगरभील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तादवी भील, भगालिया, भीलाला, पावरा, वासवा, वासावे
2. भील मीना
3. दामोर, दामारिया
4. धानका, तादवी, तेतरिया, वाल्वी
5. गारासिया (राजपूत गारासिया के अतिरिक्त)
6. कथोडि, काटकारी, ठोर कथोड़ि, ठोर काटकारी, सोन कठोडी, सोन काटकारी
7. कोकना, कोकनी, कुकना
8. कोली ढ़ोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलगा
9. मीना
10. नाइकदा, नायक, छोलीवाला नायक, कपाडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया।

सिक्किम

1. भूटिया (चुंबिपा, दोपथापा, दुकपा, कागेती, शेरपा, तिबेतन, तरोमोपा, योल्मो सहित)
2. लेप्चा
3. लिम्बू
4. तमांग

तमिलनाडु

1. आदियान
2. आरानादान
3. इरावल्लान
4. इरूलर
5. कादर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक के अलावा)
7. कनीकरन, कनीक्कर (कन्याकुमारी व तिरूनेलवेल्लि जिले के शेनकोट्टा और अम्बासमुद्रम तालुक में)
8. कनियन, कन्यान
9. कट्टूनायकन
10. कोचु वेलन
11. कोंडा कापस
12. कोंडारेड्डी
13. कोरगा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिला एवं तिरूनेलवेलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूम्बा (नीलगिरि जिले में)

18. कुरुमांस
19. महा मलासर
20. मलाई आर्यन
21. मलाई पण्डाराम
22. मलाई वेदन
23. मलाक्कुरावन
24. मालसर
25. मलयाली (धर्मपुरी, उत्तरीअरकोटपुदुकोट्टाई, सालेम, दक्षिणी अरकोट और तिरूचना पल्ली जिले में)
26. मलायेकान्डी
27. मन्नान
28. मुदुगार, मुदुवान
29. मुत्थुवान
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पनियान
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले वे तिरूनेलवलि जिले के शेनकोट्टा तालुक को छोड़ कर)
36.यूराली

तेलंगाना

1. अन्ध, साधु अन्ध
2. बगता
3. भील
4. चेंचू
5. गडाबास, बोडो गडाब, गुतोब गडाबा, कालायी गडाबा, परांगी गडाबा, कठेरा गडाबा, कापु गडाबा
6. गोंड, नाइकपोड़, राजगोंड, कोईतुर
7. गौडु (एजेन्सी क्षेत्रों में)
8. पहाड़ी रेड्डी
9. जातपुस
10. कम्मार
11. कट्टूनायकन
12. कोलम, कोलवर
13. कोन्डा धोरस, कुबी
14. कोन्डा कापुस
15. कोन्डारेड्डी
16. कोन्ध कोडी, कोधु, देसया कोन्ध, डोंगरिया कोन्ध, कुटीया कोन्ध, टिकिरिया कोन्ध, येनिती, कोन्ध, कुविंगा
17. कोटिया, बेन्थो उडिया, बारतिका, दुलिया, होल्वा, सनरोना, सिधोपाइको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओडी कोया, पट्टडी कोया, राजा रश कोया, लिन्गधारी, कोया (सामान्य), कोट्टू कोया, भीने कोया, राजकोया \
19. कुलिया
20. मन्ना धोरा
21. मुक्खा धोरा, नुका धोरा
22. नायक (एजेन्सी क्षेत्रों में)
23. परधान
24. पोरजा, पारंगीपेरजा
25. रेड्डी, धोरा
26. रोना, रेना
27. सवारस कपू सवारस, मालिया सवारस, खुट्टो सवारस
28. सुगालिस, लम्बादि, बंजारा
29. थोटी (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूब नगर, मेदक, नालगोंडा, निजामाबाद, वारंगल जिले में)
30. येनादिस, चेल्ला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी
31. येरूकुलस, कोरचा, डब्बा, येरूकुला, कुंछापुरी, येरन्कुला, उप्पू येरून्कुला
32. नक्काला, कुरविकरन

त्रिपुरा

1. भील
2. भूटिया
3. छइमल
4. चकमा
5. गारो
6. हालाम, बेंगशेल, डुब केइपंग, कलाई, कारबोंग, लेंगुई, मुस्सुम, रपिनी, सुकुचेप, थांगचेप
7. जमातिया
8. खासिया
9. कूकी, निम्न उप जन जातियों सहितः–
(i) बालते (ii) बेलालहुट
(iii) छाल्या (iv) फन
(v) हजांगो (vi) जांगतेइ
(vii) खोरेंग (viii) खेपफोंग
(ix) कुन्तेइ (x) लाइफांग
(xi) लेन्तई (xii) मिजेल
(xiii) नामते (xiv) पाइतु, पाइते (xv) रांगचांग (xvi) रांगखोले (xvii) थांगलुइया
10. लेप्चा
11. लुशाइ
12. माग
13. मुण्डा, कौर
14. नोआटिया, मुराशिंग
15. ओरांग
16. रियांग
17. संताल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, तिप्पेरा
19. उछाई
.

उत्तराखंड

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जोनसारी
4. राजी
5. थारू

उत्तर प्रदेश

1. भोतिया
2. बुक्सा
3. जन्नसारी
4. राजी
5. थरू
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पाथरी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ आजमगढ़, जोनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहारिया (ललितपुर जिले में)
9. परहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बइगा (सोनभद्र जिल में)
11. पंखा, पानी का (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में)
12. अगारिया (सोनभद्र जिले में)
13. पतारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुइन्या (सोनभद्र जिले में)

पश्चिम बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, बेदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्वती, योल्मो
6. विरहोर
7. बिरजिया
8. चकमा
9. छेरो
10. चिक बारिक
11. गारो
12. गोंड
13. गोरइत
14. हाजांग
15. हो
16. करमाली
17. खारवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लोघा, खेरिया, खारिया
24. लोहारा, लोहरा।
25. माघ
26. महाली
27. माहली
28. मल पहारिया
29. मेच
30. मरू
31. मंडु
32. नागेसिया
33. ओरान
34. परहाइया
35. राभा
36. संताल
37. सउरिया पहरिया
38. सवर
39. लिम्बू (सुब्बा)
40. तमांग

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1. अंडमानी, चारियार, चारी, कोरा, ताबो, बो, येरे, केडे, बी, बलवा, बोजीगियाब, जुवाई, कोल
2. जारवास
3. निकोबारी
4. ओंगे
5. सेंटाइनलीस
6. शोमपेन्स

दादर और नगर हवेली

1. धोडिया
2. दुबला हालपति सहित
3. कठोडी
4. कोकना
5. कोलघा सहित कोली धोर
6. नइकदा या नायक
7. वर्ली

दमन व दीव

संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः

1. धोडिया
2. दुबला (हलपति)
3. नइकडा (तालावी)
4. सिद्दी (नायका)
5. वर्ली।

लक्षद्वीपः

सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र मेः–

लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनिदिवी द्वीपों के निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे। "बशर्ते ऐसे बच्चे जो भारत की मुख्य भूमि पर किसी अन्य स्थान पर लक्षद्वीप के निवासियों के संतान के रूप में पैदा हुए हैं, को यदि वे स्थायी रूप से इन द्वीप समूहों में बस गए हैं, तो, इन द्वीप समूहों के पैदाइशी निवासी माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः– 'स्थायी रूप से बसने' शब्द का अर्थ वही होगा जैसा कि लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खण्ड 3 (I) (छ) में परिभाषित किया गया है।

पुद्दुचेरी

इरूलर (विल्ली और वेट्टईकरण सहित)

नोटः यदि उपर्युक्त सूची के समुदाय की वर्तनी में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो संबंधित मूल अधिसूचना अंतिम तथा अधिप्रमाणित होगी।

.

अनुलग्नक–4ग

अनुसूचित क्षेत्रों की राज्य-वार सूची

I. आन्ध्र प्रदेश* (तेलंगाना सहित)

1. महबूबनगर जिले के आचमपेट तालुका के 67 गांव निम्नानुसार हैं:

आचमपेट तालुका

(1) बालमोर	(27) अप्पापुर	(53) जगमरेड्डी पल्ली
(2) कोदनांगोल	(28) मालापुर	(54) पेदरा
(3) बनाल	(29) जलाल पेंटा	(55) वेंकेश्वरम
(4) बिलाकास	(30) पीमान पेंटा	(56) चितलाम कुंटा
(5) धारावरम	(31) रायलेट	(57) लाछमापुर
(6) अप्पाइपाली	(32) वेटोलापल्ली	(58) उदमेला
(7) रासुल छेरवु	(33) पातुर बयाल	(59) मारेड़
(8) पुलेछेलमा	(34) भावी पेंटा	(60) इप्पालापल्ली
(9) मारलापया	(35) नारदी पेंटा	(61) मड्डीमाडाग
(10) बुर्ज गुंडाल	(36) तपासी पेंटा	(62) अक्काराम
(11) अगारला पेन्टा	(37) चन्द्रगुप्ता	(63) अइनोल
(12) पुल्लाइपल्ली	(38) युल्लुकारतरेवु	(64) सिद्दापुर
(13) दुक्कान पेन्टा	(39) तिम्मारेड्डीपल्ली	(65) बमानपल्ली
(14) बिकिट पेन्टा	(40) सारलापल्ली	(66) गनपुरा
(15) कारकार पेन्टा	(41) ततिगुण्डाल	(67) मानेवारपल्ली
(16) बोरमाछेरन्वू	(42) इल्पामायेहेना	
(17) येमेलापाया	(43) कोमान पेंटा	
(18) इरलापेंटा	(44) कोल्लाम पेंटा	
(19) मुदारदीपेंटा	(45) मानानूर	
(20) तेरकालदारी	(46) माछाराम	
(21) वकारमामिदी पेंटा	(47) मलहामाम्डी	
(22) मेडीमानकल	(48) वेकेटेश्वरला बावी	
(23) पंडीबोर	(49) अमराबाद	
(24) संगरी गुण्डल	(50) तिरमालपुर	
(25) लिंगबोर	(51) उपनुटोला	
(26) रामपुर	(52) मघवनपल्ली	

2. आदिलाबाद जिले के आदिलाबाद तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

आदिलाबाद तालुका

(1) मलाइ बोरगोवा,	(25) काफर देनी,	(49) बोरगांव,
(2) अनकानपुर,	(26) रतनापुर,	(50) सयेद पुर,
(3) जामुलाधारी,	(27) कोसाइ,	(51) खारा,
(4) लोकारी,	(28) उमारी,	(52) लोहारा,
(5) वेंकेट,	(29) मदनपुर,	(53) मारीगांव,
(6) तान्तोली,	(30) अम्बूगांव,	(54) छिछदारी,
(7) सीतागोंटी,	(31) रूयेअडी,	(55) खानापुर,
(8) बुरनूर,	(32) सकानपुर,	(56) खण्डाल,
(9) नवगांव,	(33) दादगांव,	(57) तीपा,
(10) पीपलदारी,	(34) कसलापुर,	(58) हाती घोता,
(11) पारदी बुजुर्ग,	(35) डोरली,	(59) करोदखुर्द,
(12) यापाल गुदा,	(36) साहाजी,	(60) करोनी बुजुर्ग,
(13) छिनछूघाट,	(37) सांगवी,	(61) सिंगापुर,
(14) वानकोली,	(38) खोगदूर,	(62) बुरानपुर,
(15) कानपा,	(39) कोबाई,	(63) नागराला,
(16) अवसोदा बुरकी,	(40) पोनाला,	(64) बोदाद,
(17) मलकापुर,	(41) छापराला,	(65) छांदपेल्ली,
(18) जारी,	(42) मंगरोल,	(66) पीतगेन,
(19) पालसी बुजुर्ग,	(43) कोपा अरगूने,	(67) येकोरी,
(20) आरिल खुर्द,	(44) सोअनखास,	(68) सादारपुर,
(21) नन्दगांव,	(45) खिडकी,	(69) वारूर,
(22) वाघापुर,	(46) खासल खुर्द,	(70) रोहार,
(23) पालसीखुर्द,	(47) खासल बुजुर्ग,	(71) तकली,
(24) लिंगी,	(48) जामनी,	(72) रामखाम

3. आदिलाबाद जिले के किनवात तालुका के 72 गांव निम्नानुसार हैं:

किनवात तालुका

(1) अम्बारी,	(25) केरल,	(49) पटोड़ा,
(2) बोदरी,	(26) कोठारी,	(50) जवारला,
(3) चिकली,	(27) गोकुड़ा,	(51) पीपलगांव,
(4) कामताला,	(28) गोगरवुडी,	(52) कानकी सिंगोरा,
(5) घोती,	(29) मलकापुर,	(53) डोगरगांव,
(6) मांडवा,	(30) धोनोरा,	(54) पीपल सेंधा,
(7) मेरेगांव,	(31) रामपुर,	(55) जुरूर,
(8) मालबोर गांव,	(32) पातरी,	(56) मिनकी,
(9) पटोडा,	(33) परोधी,	(57) तुलसी,
(10) दहीगांव,	(34) बाओथ,	(58) माचौरड़ेर पारडी,
(11) दोमोन घारी,	(35) दरसांगी,	(59) मुरली,
(12) दरसांगी,	(36) नोरगांव,	(60) टाकरी,
(13) डिघरी,	(37) उनरसी,	(61) पारसा,
(14) सिंदगी,	(38) गोदी,	(62) वारसा,
(15) कनकवाड़ी,	(39) साउरखेर,	(63) उमरा,
(16) कोपरा,	(40) नायकवाड़ी,	(64) अष्ठता,
(17) मलाकवाडी,	(41) सरकानी,	(65) हिंगनी,
(18) निसपुर,	(42) वाझेरा,	(66) तिमारपुर,
(19) एन्डा,	(43) मारदाप,	(67) बाजरा,
(20) पीपलगांव,	(44) अंजेरखेर,	(68) बानोला,
(21) बलजा,	(45) गोण्डवारसा,	(69) पाटसोन्डा,
(22) वारोली,	(46) पलाइगुडा,	(70) धनोरा,
(23) अन्जी,	(47) करालगांव,	(71) साकुर
(24) भीमपुर सिरमेती,	(48) पाल्सी,	(72) डिगरी

4. आदिलाबाद जिले के बोथ तालुका के 46 गांव निम्नानुसार हैं:

बोथ तालुका

(1) हतनूर,	(17) कोरसेकाल,	(33) छिनछोली,
(2) बाकरी,	(18) पतनापुर,	(34) सिरछेलमा,
(3) पारधी,	(19) तेजापुर,	(35) मनकापुर,
(4) करतान्डा,	(20) गुरूज,	(36) नारसापुर,
(5) सेरलापाल्लि,	(21) खाहदीगुडी,	(37) धर्मपुर,
(6) नेरादी कोंन्डा,	(22) राजुरवाड़ी,	(38) हरकापुर,
(7) डालीगाओ,	(23) इसपुर,	(39) धामपुर,
(8) कुनताला,	(24) घानपुर,	(40) निगनी,
(9) वेंकटपुर,	(25) जतेरला,	(41) अजारवजार,
(10) हसनपुर,	(26) खान्तेगांव,	(42) चिन्तलबोरी,
(11) सुरदापुर,	(27) साउरी,	(43) चिंताकारवा,
(12) पोलमामदा,	(28) इछोरा,	(44) रामपुर,
(13) बाल्हनपुर,	(29) मुतनपुर,	(45) गंगापुर
(14) धर्मपुरी,	(30) गुडी हाटनूर,	(46) गयात्पल्ली
(15) गाकोड़ां,	(31) तालमेडी,	
(16) भोताई,	(32) गेरजाम,	

5. आदिलाबाद जिले के उतूर तालुका के सभी गांव।

6. आदिलाबाद जिले के असैफाबाद तालुका के 86 गांव निम्नानुसार है:

असैफाबाद तालुका

(1) राजमपेट,	(31) केरीनेरी,	(62) कन्दन मोओआर,
(2) गुंजाला,	(32) मुरकीनोनकी,	(63) जिओनेना,
(3) इंघानी,	(33) देवापुर,	(64) कुटेदा,
(4) समेला,	(34) छिन्ताकारा,	(65) तिलानी,
(5) तेजपुर,	(35) इहेरी,	(66) कानेपल्ली,
(6) कन्नारगांव,	(36) आरा,	(67) बोरवांउम तेलुन्डी,
(7) कन्टागुडा,	(37) दासनपुर,	(68) मौगीलोड़ीगुड़ा,
(8) शांकेपल्ली,	(38) कापरी,	(69) मोइड़ा-गुड़ी पेट,
(9) जामुलधारी,	(39) बेलगांव,	(70) चीन्नेदारी,
(10) गुडी,	(40) सिरसगांव,	(71) कोइटेलुण्ड़ी,
(11) छोरपल्ली,	(41) मोआर,	(72) मदुरा,
(12) सालेगुडा,	(42) बादाम,	(73) देवैगुड़ा,
(13) बादीगुडा,	(43) धामिरीगुडा,	(74) आरे गुडा,
(14) सवाती,	(44) दाल्लनपुर,	(75) गरडेपल्ली,
(15) ढाबा,	(45) छालवारडी,	(76) तकेपाली,
(16) छोपनगुडा,	(46) इहोरघाट,	(77) चोउतेपाली,
(17) नीमगांव,	(47) वाली झारी,	(78) राने कन्नेपल्ली,
(18) खिरदी,	(48) साकमगुंडी,	(79) सुंगापुरा,
(19) मेटापिपरी,	(49) आरा,	(80) राला सामकेपल्ली,
(20) साकरा,	(50) उप्पाल नवगांव,	(81) छोपरी,
(21) सांगी,	(51) अंकसोरपुर,	(82) दोदा अर्जुनी,
(22) देवुरपल्ली,	(52) चिराकुन्ता,	(83) सेरवाई,
(23) खोटरा-रिंगनघाट,	(53) इल्लिपिट्टा डोरली,	(84) रापल्ली,
(24) निशानी,	(54) मन्डरन्मेरा,	(85) टेकमाडवा
(25) कोटा परानडोली,	(55) दन्तान्पल्ली,	(86) मीता अर्जुनी
(26) मेसापुर,	(56) देवदुर्ग,	
(27) गोइगांव,	(57) तुनपाली,	
(28) धनोरा,	(58) धांगलेश्वर,	
(29) पारधा,	(59) पादिबान्दा,	
(30) सुरदापुर,	(60) तामरिन,	
	(61) मलगुण्डी,	

7. आदिलाबाद जिले के लक्षेतिपेत तालुका के 18 गांव निम्नानुसार हैं:

लक्षेतिपेट तालुका

(1) गुदाम,	(9) कौवाल,	(17) चिंतागुडा
(2) कासीपेत,	(10) तारापेत,	(18) मुत्तेमपल्ली
(3) दांडे पल्ली,	(11) देवपुर,	
(4) छेलमपेटा,	(12) गाथापल्ली,	
(5) राजमपेट,	(13) रोतपल्ली,	
(6) मुत्तीमपेट,	(14) माझडामारी,	
(7) वेंकटपुर,	(15) धर्मारोपेत,	
(8) राली,	(16) वेंकटपुर,	

8. आदिलाबाद जिले के राजुरा तालुका के 58 गांव।

राजुरा तालुका

(1) बेंडवी,	(25) धनोली,	(49) लकमापुर,
(2) छिनछोली,	(26) मारनगांडी,	(50) किरदी,
(3) गोइगांव,	(27) येल्लापुर,	(51) इनजापुर,
(4) हीरापुर,	(28) काटलबोरी,	(52) जमीनी,
(5) साकरी,	(29) इसपुर,	(53) हरगांव,
(6) बालापुर,	(30) देवती,	(54) छिकली,
(7) मनोली,	(31) पाण्डेरवानी,	(55) पाटन,
(8) अन्तारगांव,	(32) वानसारी,	(56) कोसुंडी,
(9) विरूर,	(33) पेरदा,	(57) कोतारा
(10) डोगरगांव,	(34) वारगांव,	(58) सोनोरली
(11) टिमबेरवाई,	(35) नोकारी,	
(12) सेरसी,	(36) मीरापुर,	
(13) बडोरा,	(37) पारधी,	
(14) व्मरजीरी,	(38) कुतोडा,	
(15) लाकारकोट,	(39) परसेवारा,	
(16) डरगांव,	(40) मंगलरा,	
(17) किरदी,	(41) कारकी,	
(18) सोंदो,	(42) नोकारी,	
(19) देवरा,	(43) मनोली,	
(20) खोरुना,	(44) सोनपुर,	
(21) कानारगांव,	(45) इनापुर,	
(22) छेनाई,	(46) मानगी,	
(23) कैरगांव,	(47) उपारवाई,	
(24) सामलहीरा,	(48) तुत्ता,	

9. आदिलाबाद जिले के सिरपुर तालुका के 27 गांव।

सिरपुर तालुका

(1) रालपेट,	(13) बालासागा,	(25) मोगुरदागर,
(2) किस्तामपेट,	(14) पारधी,	(26) विरदान्डी
(3) तकलपाल्ली,	(15) तुमरीहाती,	(27) छिलपुरदुबोर
(4) छाकलपल्ली,	(16) छिन्तालमानोपल्ली,	
(5) अनाराम,	(17) छिन्ताम,	
(6) भेटपल्ली,	(18) गुल्लातालोदी,	
(7) कोरसनी इसगांव,	(19) दामदा,	
(8) छिन्तागुडा,	(20) ढोरपल्ली,	
(9) अंकोरा,	(21) कनकी गारलापेट,	
(10) उसू रामपल्ली,	(22) गुदलाबोरी,	
(11) अरपल्ली,	(23) गुरूमपेट,	
(12) बोपालपट्टनम,	(24) लोमवेली,	

10. वारंगल जिले के मुलुग तालुका के 85 गांव।

मुलुग तालुका

(1) कन्नइगुडा,	(34) कामसेलिगुण्डम,	(68) बन्दाम,
(2) अंकनगुड्डा,	(35) आष्ठानागुडा,	(69) सेलपाक,
(3) राघवापट्टनम,	(36) येल्लापुर,	(70) कन्तलपल्ली,
(4) मेडारमोला,	(37) अल्लागुड़ा,	(71) सरवाई,
(5) कोएटला,	(38) नरसापुर,	(72) गंगागुडा,
(6) पारसा नागाराम,	(39) पुस्छापुर,	(73) तुपालकालगुदा,
(7) मुथापुर,	(40) भातुपल्लि,	(74) अकुलवारी,
(8) मोटलागुड्डा,	(41) लावनाल,	(75) घानपुर,
(9) वेंगलपुर,	(42) वाडुगुडा,	(76) शाहपल्ली,
(10) येलपाक,	(43) कोथूर,	(77) गागपल्ली,
(11) कानेबोएनपल्लि,	(44) पेगदापाल्लि,	(78) छिन्ना-विओपल्ली,
(12) मेदाराम,	(45) सारवापुर,	(79) वेंकटापुर,
(13) कोंडरेड,	(46) भुस्सापुर,	(80) नरसापुर,
(14) छिन्तागुडा,	(47) चेलवाई,	(81) अनवाराम,
(15) कोंडापारथी,	(48) रंगपुर,	(82) लिंगाल,
(16) येलसेथिपाल्लि,	(49) गोविन्दराओपेट,	(83) बालेपापल्ली,
(17) अल्लामरिघुनपुर,	(50) बालपाली,	(84) बंडल
(18) रामपुर,	(51) धुमपालागुडा,	(85) थूनमापुर
(19) माल्कपल्लि,	(52) केलापाली,	
(20) छेत्ताल,	(53) लखनवरम,	
(21) भूपतिपुर,	(54) परसा,	
(22) गंगाराम,	(55) गोनेपाली,	
(23) कन्नइगुडा,	(56) पडगापुर,	
(24) राजन्नापेट,	(57) नरलापुर,	
(25) भूताराम,	(58) कलवापाली,	
(26) अक्केला,	(59) उरातम,	
(27) सिरवारपुर,	(60) कोंडिया,	
(28) गंगाराम,	(61) मलयत,	
(29) भूपतिपुर,	(62) अचलपुर,	
(30) पुम्बापुर,	(63) डोल्डा,	
(31) रामपुर,	(64) कमाराम,	
(32) अंकामपाली,	(65) तादवी,	
(33) कामाराम,	(66) बुदीगुडा,	
	(67) बन्जी,	

11. वारंगल जिले के नरसामपेत तालुका के 72 गांव।

नरसामपेत तालुका

(1) वेबेल्ली,	(26) सतरेड्डीपल्ली,	(51) अमरोन्छा,
(2) पोलारा,	(27) कोनापूर,	(52) कामाराम,
(3) बाकाचिन्ताफाद,	(28) कोंदापुरम,	(53) छिन्टागुंडम,
(4) गांजाद,	(29) पोगुलापल्ली,	(54) निलावाच्छा,
(5) त्रिमागुल्डा,	(30) गोविन्दपुरम,	(55) कांगागिड्डा,
(6) गोपालपुर,	(31) माकदापल्ली,	(56) मडागुड्डेम,
(7) खिस्तापुर,	(32) पागुलदापल्ली, ,	(57) दालुरपेट,
(8) तातीनारी वेनपल्ली,	(33) मुराइगुडेम,	(58) कोठागुडेम,
(9) पत्तल भूपति,	(34) येलछागुडेम,	(59) कोटापल्ली,
(10) चन्देलपुर,	(35) तुम्मापुरम,	(60) दुर्गाराम,
(11) बत्तालपल्ली,	(36) जगांमवारतीगुडेम	(61) दूबागुडेम,
(12) अदवारमपेट,	(37) रंगामुडेम,	(62) रून्दावाराम,
(13) सात्यानगर,	(38) पेड्डापल्ली,	(63) नरसूगुडाम,
(14) दुल्ला,	(39) येर्रावरम,	(64) कोमातलागुडेम,
(15) मोथवाडा,	(40) कुन्दापल्ली,	(65) काटेरवम,
(16) मंगालावारपेत,	(41) नीलमपल्ली,	(66) सेमर राजपेट,
(17) कारलाई,	(42) दारावारिनापल्ली,	(67) मारेपल्ली,
(18) अरकालकुंत्ता,	(43) कारनेगुंड,	(68) गोआरूर,
(19) कोदसापेत,	(44) महादेवागुडेम,	(69) राधियापुर,
(20) गुडेरपल्ली,	(45) मारिगुडेम,	(70) गजलगुडेम,
(21) मसामी,	(46) जंगनपल्ली,	(71) राजवेपल्ली
(22) बत्तवारतीगुदेम,	(47) बवारगुडा,	(72) वोल्लिपल्ली
(23) ममीदीगुदम,	(48) ओआरवाक,	
(24) पंगोन्डा,	(49) गंगारामम,	
(25) रोतुराई,	(50) मुछेरला,	

12. वारांगल जिले के येल्लांडु तालुका के सभी गांव (येलान्डु, सिंगारेनी और सिरपुर गांव और कोठागुडा कस्बे को छोड़कर)

13. (i) वारंगल जिले के पालोंचा तालुका के सभी गांव (पलोंधा, बोरगामपद, अश्वाराओपेट, दाम्मापेट, कुकनूर और नेलीपाक गांव को छोड़ कर और (ii) पलोन्छा का समस्थान।

14. विशाखापट्टनम एजेन्सी क्षेत्र [1][एजेन्सी लक्षमीपुरम, छिद्दीकाडा, कोनकासिंगि, कुमारापुरम, कृष्णदेवीपेता, पिछी गान्थिकोथागुडेम, गोलूगोण्डापेटा, गुतुपुडी, गुम्मुडूकोन्डा, सराभूपालपटनम, वादुरुपालि, पेदाजाग्गामपेटा गांवों में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर]2 [विशाखापट्टनम जिले के, सारामूपति, अग्रहारम, रामचन्द्रनराजुपेटा, अग्रहारम और कोंडावातिपुड़ी अग्रहारम]

15. पूर्वी गोदावरी एजेंसी क्षेत्र [2][रामचन्द्रपुरम गांव में शामिल क्षेत्र को छोड़ कर पूर्वी गोदावरी जिले में इसके पुरूषोथपट्टनम कस्बे सहित]

16. पश्चिम गोदावरी जिले में पश्चिम गोदावरी एजेन्सी क्षेत्र।

* आंध्र प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.सं.26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश 1951 (सी.ओ.सं.30) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 (सी.ओ.सं.50).

[1]मद्रास अनुसूचित क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1951 द्वारा शामिल।
[2]आंध्र प्रदेश क्षेत्र (सेसर) आदेश, 1955 द्वारा शामिल।

II. गुजरात**

सूरत जिले के उच्छाल, व्यारा, महुवा, माण्डवी, निजार, सोनगाध वालोद, मांगरोल और बारदोली तालुका।
भरूच जिले के देदियापाड़ा, सागवारा, वालिया, नन्दोद और झगाडिया तालुका।
डांग्स जिला तथा तालुका।
वलसाड जिले के बांसदा, धर्मपुर, चिखाली, पारदी और उम्वेरगांव तालुका।
पंचमहल जिले के झालोड, दोहाद, संतरामपुर, लिमखेडा और देवगढ़ बारिया तालुका।
बडौदरा जिले में छोटाउदयपुर तथा नसवाडी तालुका और तिलकबाडा महल।
साबरकंठा जिले के खेडब्रहमा, भिलोडा और मेघराज तालुका और विजयनगर महल।
** गुजरात राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (संविधान आदेश संख्या 9) दिनांक 26.01.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और गुजरात राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश का रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (संविधान आदेश संख्या 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया।

III. हिमाचल प्रदेश***

लाहोल और स्पीति जिले
किन्नौर जिला
चम्बा जिले में पांगी तहसील और भरमोर उप-तहसील

*** अनुसूचित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (संविधान आदेश संख्या102) दिनांक 21.11.1975 द्वारा निर्दिष्ट

IV. महाराष्ट्र#

1. **थाणे जिले में निम्निलिखित:**
(क) धाहानु, तलसारी, मोखांदो, जवाहर, वडा और शहपुर तहसील
(ख) **(i)** पालघर तहसील के एक सौ चवालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:
पालघर तहसील

(1) तारापुर	(51) गिरनोली,	(101) गुण्डावे,
(2) कुदन	(52) बोरान्डे,	(102) सीतावली,
(3) दहसीर टर्फ तारापुर	(53) देवखोपे,	(103) वेहालोली,
(4) घिवाली	(54) सागवे,	(104) सवारे,
(5) वावे	(55) कोसबाद	(105) वराई,
(6) अक्कारपत्ती	(56) कोकानेर,	(106) जानसाई
(7) कुरगांव	(57) नागणारी	(107) खाइरे,
(8) पारनाली	(58) छारी खुर्द	(108) ढेकाले,
(9) वेनगानी	(59) बेलगांव	(109) गांजे,
(10) पठारवाली	(60) खुताल,	(110) जायेशेते,
(11) नेवले	(61) छिलहर,	(111) शेलवाडे,
(12) शिगांव	(62) भोपोली,	(112) वेमुर,
(13) गारगांव	(63) नीहे,	(113) अम्बादी,
(14) चिंचारे	(64) दामखाण्ड,	(114) नवाली,
(15) अकेगावान	(65) कोंधान,	(115) मोरावाली,
(16) नानीवाली	(66) आवनधान,	(116) वारखुन्ती,
(17) अंबेढे	(67) बेगारचीले,	(117) कामार,
(18) बरहानपुर	(68) शील,	(118) टोकराले,
(19) सलगांव,	(69) लोवारे,	(119) बन्डाते,
(20) खुताद,	(70) बंधान,	(120) जांजरोली,
(21) खानीवाड़े,	(71) नंद गांव टर्फ मानोर,	(121) छाडे,
(22) रावते,	(72) शील शेट,	(122) वसारे,
(23) अकोली,	(73) कताले,	(123) खादकोली,
(24) असेरी,	(74) अम्भान,	(124) सखारे,
(25) सोते,	(75) वासरोली	(125) रोथे,
(26) पस्थाल,	(76) खारशेट,	(126) लालथाने,
(27) बोइसार,	(77) मानोर,	(127) नवाजे,
(28) बोरसेती	(78) ताकवाल,	(128) तान्डुलवाडी,
(29) महागांव,	(79) सवारखण्ड,	(129) गिराले,
(30) किराते,	(80) नालशेट,	(130) पारगाव,
(31) वाडे,	(81) केव,	(131) नागवे टर्फ-मानोर,
(32) खाडवाने,	(82) वाकाडी,	(132) उम्बारपदा नानड़ाडे,
(33) मेंधवान	(83) मासवान,	(133) उचावाली,
(34) विलसेय,	(84) वान्डीवाली,	(134) सफाले,
(35) कोडगांव	(85) नेताली	(135) सोनावे,
(36) कारसूद	(86) साये,	(136) माकने कापसे,
(37) बेतेगांव,	(87) तेन,	(137) करवाले,
(38) वारगंदे	(88) कारालगांव,	(138) वाधिव सरावली,
(39) लालोंडे,	(89) गोवादे,	(139) पेनान्ड,

(40) घनेडे (41) काम्बलगांव (42) मान (43) घानेघर, (44) वाढ़े (45) छारी बुदर्ग (46) बिरवाडी (47) काल्लाले, (48) पाद्धे (49) पोले, (50) नानडोरे,	(90) तामसाइ, (91) दुरवेस, (92) धुकतान, (93) पोछादे, (94) होलाले, (95) खामलोली, (96) वाहदोली, (97) बोत, (98) इम्बूर इराम्बी, (99) दानिसारी टर्फ मानोनर, (100) कुडे,	(140) कान्डारवान, (141) दाहीवाले, (142) दारशेट, (143) नवगढ़ (घाटीम) (144) उम्बारपादा टर्फ-मानोर

(ii) वसाई (बसीन) तहसील के पैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

वसाई (बसीन) तहसील

(1) दाहीसार,	(16) उसगांव,	(31) अहोले,
(2) कोशिम्बे,	(17) मेधे,	(32) वालिव,
(3) तुलिंज,	(18) वादघर,	(33) सतिवाली,
(4) सकवार,	(19) भीनार,	(34) राजवली,
(5) छिमान,	(20) एम्बोडे,	(35) कोल्ही,
(6) हेडवडे,	(21) कालभोन,	(36) छिनछोती
(7) काशिदकोपर,	(22) अनदने,	(37) जुचंद्र,
(8) खानीवाडे,	(23) सायावान,	(38) बापने,
(9) भालीवाली,	(24) पारोल,	(39) देवदल,
(10) कावेहर,	(25) शिरवाल,	(40) कामन,
(11) शिरसाद	(26) माझीवाली,	(41) सरजामोरी
(12) मान्डवी	(27) कारांजोन,	(42) पोमन
(13) छानदीप,	(28) तिलहर,	(43) शिलोत्तर
(14) भातने,	(29) धानिव,	(44) ससुनवघर
(15) शिवनसाई	(30) पेल्हार,	(45) नागले

(iii) भिवांडी तहसील के बहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

भिवांडी तहसील

(1) भिवाली,	(25) वाघीवाले,	(49) बासे,
(2) गनेशपुर,	(26) देवचोले	(50) गांडोडे,
(3) वाडावाली वाजरेश्वरी,	(27) सागोआं,	(51) पहारे,
(4) अकोली,	(28) इकसाल,	(52) सेदगांव,
(5) सवारोली,	(29) चिन्चावाली-टर्फ-कुंडे,	(53) पच्छापुर,
(6) खातीवाली,	(30) डूधानी,	(54) गोंड्रवली,
(7) उसगांव,	(31) वापे	(55) जाम्भीवाली-टर्फ-कुंडे,
(8) घोटगांव,	(32) घदाने,	(56) असनोली-टर्फ-कुंडे,
(9) वाढ़े,	(33) कुंडे,	(57) शिरोले,
(10) वारेथ,	(34) घोतावाडे,	(58) दाभाद,
(11) चाने,	(35) माइंडे,	(59) महानडुल,
(12) असनोली-टर्फ-दुगद	(36) करमाले,	(60) शिरगांव,
(13) दुगद,	(37) कांडली बुदर्क,	(61) पिंपल सेठ भुसेठ,
(14) मनीवाली,	(38) केल्हे,	(62) खादकी खुर्द,
(15) वादवाली-टर्फ-दुगद,	(39) कांडली खुर्द,	(63) खादकी बुदरूक,
(16) मालबीडी,	(40) दीघाशी,	(64) चिम्बीपाडे,
(17) मोहिली,	(41) नेवादे,	(65) कूहे,
(18) नन्दीथान,	(42) अम्बादी,	(66) घामने,
(19) देपोली,	(43) दालोंड,	(67) लाखीवाली,
(20) सखरोली,	(44) जाम्भीवाली टर्फ-खाम्बाले,	(68) पालीवाली,
21) सूपेगांव,	(45) उम्बारखंड,	(69) पाये,
(22) पिलांजे खुर्द,	(46) आशिवाली,	(70) गाने,
(23) पिलांजे बुदुर्क,	(47) जिदके,	(71) दाहयाले,
(24) अलखीवाली	(48) खारीवाली	(72) फिरंगपाडा

(iv) मुरबाद तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मुरबाद तहसील

(1) कासगावं, (2) किसाल, (3) वाडावाली, (4) सखारे, (5) खुटालबोरगांव, (6) अम्बेल खुर्द, (7) सयाले, (8) इंदे, (9) खेडाले, (10) तलवाली-टर्फ-घोराट, (11) इकलाहारे, (12) चाफे-टर्फ-खेडुल, (13) पिम्पालघर, (14) देहगांव, (15) पारहे, (16) कांडली, (17) धासाई, (18) अल्यानी, (19) पालू, (20) देवघर, (21) माढ, (22) सोनावाले (23) वेलुक, (24) अलावे, (25) बरसुंगे, (26) मांडुस (27) खेड, (28) वनोटे, (29) शाई,	(30) शेलगांव, (31) शिरोशी, (32) तालेगांव (33) फंगाकोशी, (34) मेरडी, (35) वाल्हीवारे, (36) माल, (37) जडाई, (38) अम्बीवाली, (39) डिधेफाल, (40) दीवानपाडा, (41) कोचरे खुर्द, (42) कोचने बुद्रुक, (43) चोसाले, (44) खुटल बंगला, (45) नयाहाडी, (46) मोरोशी, (47) फंगुलगांवाहन, (48) सवरने, (49) थिताबी-टर्फ-वैशाखहरे, (50) कुदसेट, (51) फंगाने, (52) खपारी, (53) हेडावाली, (54) कारचोंडे, (55) जडघर (56) उडालदोहा, (57) महोरांडे,	(58) टोकवडे, (59) बालेगांव, (60) तलवाली (बडागांव), (61) वैशाखरे, (62) मनवाली-टर्फ-खेडुल, (63) पेनढारी, (64) उमरोली बुदर्क, (65) ओजीवाल, (66) मांदवत, (67) महाज, (68) पडाले, (69) कोलोशी, (70) जयगांव, (71) कलामबाद (भोंडीवाले), (72) खेवारे, (73) दुधानोली, (74) उमारोली खुर्द, (75) खोपीवाली, (76) मील्हे, (77) गोरखागड

2. नासिक जिले में निम्न:

(i) डिंडोरी तहसील के एक सौ छः गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

डिन्डोरी तहसील

(1) मोखनाल,
(2) भनवाड,
(3) डेहारे,
(4) कारंजली,
(5) गंडोले,
(6) पलासविहिर,
(7) वारे,
(8) वनजोले,
(9) अम्बाद,
(10) वनारे,
(11) तितवे,
(12) देवधान,
(13) नानाशी,
(14) चारोसे,
(15) देवघर,
(16) कौदासर,
(17) वनी खुर्द
(18) पिंपलगांव धूम
(19) जोरान,
(20) महाजे,
(21) सदराले,
(22) नालवाडी,
(23) ओजे,
(24) गोलशी,
(25) जलखेड,
(26) निगडोल,
(27) कोकानगांव बुर्दक,
(28) उम्ब्राले खुर्द,
(29) अम्बेगान,
(30) चाचादगांन,
(31) वाघाद,
(32) पोफलवाडे,
(33) धाउर,
(34) उम्बाले बुद्रुक,
(35) जम्बूतके,
(36) पिम्पराज,
(37) नालेगांव,
(38) विलवांडी,
(39) रासेगांव,
(40) कोचारगांव,
(41) तिलहोली,
(42) रावलगांव,
(43) देहेर वाडी,
(44) ढागुर,
(45) देवसाने,
(46) सरसाले,
(47) करांजखेड,
(48) पंगलवाडी,
(49) इकलाहारे,
(50) चउसाले,
(51) पिम्प्री अंचला,
(52) अहिवंतवाडी,
(53) गोलडारी,
(54) हास्ते,
(55) कोलहेरी,
(56) जिरवाडे,
(57) चामदारी,
(58) मालदुमाला,
(59) मंडाने,
(60) कोशिम्बे,
(61) पुनेगांव,
(62) पंडाने,
(63) अंबानेर,
(64) चंदीकपुर,
(65) भाटोडे,
(66) दाहिवी,
(67) मुलाने,
(68) कोकनगांव खुर्द,
(69) मालेगांव,
(70) पिम्परखेड,
(71) फोपासी,
(72) वानी कास्बे,
(73) संगमनेर,
(74) खेडले,
(75) मवाडी,
(76) करंजवान,
(77) डाहेगांव,
(78) वागलूड,
(79) कृष्णागांव,
(80) वारखेड,
(81) कदवामहालुंगी,
(82) गोंडेगांव,
(83) हतनोर,
(84) नीलवांडी,
(85) पिपंलगांव केतकी
(86) राजापुर,
(87) डिंडोरी,
(88) जोपुल,
(89) माडकी जाम्ब,
(90) पालखेड
(91) इन्दोर,
(92) कोरहते,
(93) चिंचखेड,
(94) टालेगांव डिंडोरी,
(95) अकराले,
(96) मोहाडी,
(97) पिम्पसालानारे,
(98) खाटवाड,
(99) रामसेज,
(100) अम्बे डिंडोरे,
(101) ढाकम्बे,
(102) जानोरी,
(103) मानोरी,
(104) शिवनाई,
(105) वारवांडी,
(106) जौलके डिंडोरी

(ii) इगतपुरी तहसील के तिरानवे गांव नीचे दर्शाए गए है तथा इगतपुरी शहरः

1	ढाडोशी,	38	कुरनोली,	76	उभाडे (वंजुलवाजी),
2	भीलमाल,	39	ढारनोली	77	मेगारे,
3	पाहिने,	40	वाकी,	78	बेलगांव तारहाले,
4	जारवाड खुर्द,	41	चिंचाले (खाइरे),	79	धामनगांव,
5	टाकेहर्षा,	42	ट्रिंगलवाडी,	80	देओले,
6	असवाली हर्षा,	43	अदवान,	81	खैरगांव,
7	समुन्दी,	44	अवालखेडे,	82	पिम्पलगांव मोरे,
8	खारोली,	45	पारदेरी,	83	धामनी,
9	कोजोली,	46	बलायदूरी,	84	अदसारे खुर्द,
10	अवहाते,	47	खम्बाला,	85	अदसारे बुद्रुक,
11	कुशेगांव,	48	टाके घोटी,	86	अहारवाड,
12	मेचन्द्रायची,	49	घोटी बुद्रुक,	87	ताकेड खुर्द,
13	अलवांड,	50	तालेगांव (1),	88	ताकेड बुद्रुक,
14	दापुरे,	51	गिरनार,	89	खेड,
15	मेत हुम्बाची,	52	तितोली,	90	वारसिंगवे,
16	जारवाड बुद्रुक,	53	बोरटम्भे,	91	सोनोशी,
17	महासुरली,	54	तालोशी,	92	मइदारा धानोशी,
18	शेवगेडांग,	55	नन्दगांव साडे,	93	वासाली
19	वानजोले,	56	पिंपरी सदरोद्दीन,		
20	देवगांव,	57	तालेघा,		
21	अहुरली,	58	कंचनगांव,		
22	नन्दादगांव,	59	शेनवाड बुद्रुक,		
23	वावी हर्षा,	60	फंगुलगांवन,		
24	नागोसली,	61	बोरली,		
25	ढारगांव,	62	मानवेधे,		
26	ओडंली,	63	भवाली खुर्द,		
27	सातुरली,	64	कालूस्ते,		
28	अवाली डुमला,	65	जामुन्डे,		
29	कारहाले,	66	गाहुन्डे,		
30	रायाम्बे,	67	भारवाज,		
31	टाकेडेगांव,	68	कारूंगवादी,		
32	मेटेलयाची,	69	निरपन,		
33	बितुरली,	70	मनजारगांव,		
34	वालविहिर,	71	अम्बेवाडी,		
35	भलवी बुद्रुक,	72	खाडकेड,		
36	पिंपलगांव भटाटा,	73	इन्दोर,		
37	कोपारगांव,	74	उम्बारकोन,		
		75	सोमाज घादगा,		

(iii) नासिक तहसील के सत्तर गांव नीचे दर्शाए गए है तथा एक शहर त्रिम्बकः

नासिक तहसीलः

1 साप्टे,	33 कालमुस्ते,	62 वसाली,
2 कोने,	34 तिम्बार्क (ग्रामीण),	63 दूदगांव,
3 खारवाल,	35 हर्षेवाडी,	64 महिरावनी,
4 वरासविहिर,	36 मेटंघेराकिला त्रिम्बाक,	65 तालेगांव अंजानेरी,
5 वघेरा,	37 मुलेगांव,	66 जाटगांव,
6 रोहिले,	38 लादाची,	67 सारूल,
7 नन्दगांव,	39 नाकवाडी,	68 पिंपलाड नासिक,
8 गोरथान,	40 वेले,	69 राजुबहुला,
9 हिरदी,	41 सादगांव,	70 दहीगांव
10 मालेगांव,	42 यादगांव,	
11 वेलुन्जे,	43 मनोली,	
12 गणेशगांव वघेरा,	44 ढोंडेगांव,	
13 पिम्परी त्रिम्बाक,	45 दारी,	
14 मेट कवारा,	46 गिरनाते,	
15 ब्राह्मणवाडे त्रिम्बाक,	47 दुगांव,	
16 तोरनानगान,	48 देओरगांव,	
17 धूमोदी,	49 नागलवाडी,	
18 बेसे,	50 ओजारखेडी,	
19 चकोरे,	51 चांदशी,	
20 अम्बोली,	52 गंगम्हौंगी,	
21 अम्बाई,	53 जलालपुर,	
22 शीरासगांव,	54 सावरगांव,	
23 तालवाडे त्रिम्बाक,	55 गोवरधान,	
24 पिम्पलाड त्रिम्बाक,	56 शिवनगांव,	
25 खामबाले,	57 पिंपलगांव गरुडेश्वर,	
26 सापगांव	58 राजेवाडी,	
27 काचुरली,	59 गंगावारहे,	
28 अंजनेरी,	60 गणेशगांव त्रिम्बाक,	
29 तालेगांव त्रिम्बाक,	61 गणेशगांव नाशिक,	
30 पेगलवाडी त्रिम्बाक,		
31 वाधोली,		
32 उभरांडे,		

(iv) बागलान तहसील के सत्तावन गांव नीचे दर्शाए गए हैः

बागलान तहसीलः

1 बोरहाते,	22 मोरने-दिगर,	43 मोरकुरे,
2 मोहलांगी,	23 बोरदइवत,	44 किकवारी खुर्द,
3 जैतपुर,	24 भीमखेत,	45 केलजार,
4 गोलवाड,	25 वाघम्बे,	46 ततानी,
5 हतनूर,	26 मनूर,	47 भीलडार,
6 मालीवाड,	27 सालहेर,	48 किकवारी बुर्दुक,
7 अम्बापुर,	28 कटारवेल,	49 जोरान,
8 जाड,	29 भीलवाड,	50 साकोड़े,
9 वीसापुर,	30 तुंगन,	51 करांजखेड,
10 शेवारे,	31 दसवेल,	52 डांग सौडाने,
11 खाराड़,	32 जाखोड,	53 निकबेल,
12 वाड डिगार,	33 मुंगासे,	54 बन्धाते,
13 देवथान,	34 भावाडे,	55 दाहिन्डुले,
14 कोंधाराबाद,	35 दसाने,	56 सरवार,
15 अंतापुर,	36 मालगांव खुर्द,	57 वाडीचौलहेर
16 रावर,	37 सालवान,	
17 जामोती,	38 पिसोर,	
18 अलिआबाद,	39 करसाने,	
19 अजांडे,	40 विथोड,	
20 मुलहेर,	41 पाठवेडीगर,	
21 बाबुलने,	42 तालवेडीगर,	

3. धूले जिले में निम्नः-

(i) सकरी तहसील के अस्सी गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

सकरी तहसील

1	चौपाले,	31	अमोडे,	61	वारदोली,
2	रोथोड,	32	किरवाड़े,	62	काकसाद,
3	जामखेल,	33	घोडाडे,	63	पानखेडे,
4	खूरूसवाडे,	34	सुरपान,	64	सामोडे,
5	सुतारे,	35	कोरडे,	65	महासदी,परगने,
6	धानेर,	36	वालव्हे,	66	पिम्पलनेर,
7	अमाले,	37	विटावे,		पिंपलनेर,
8	माचमाल,	38	कासबे छाडवेल,	67	चिकासे,
9	खांडवारे,	39	बसार,	68	जीरापुर,
10	रायकोट,	40	इसारडे,	69	कोकनागांव,
11	बुरूदके,	41	पेटाले,	70	शेवागे,
12	पानगांव,	42	पिंपलगांव,	71	धामानधार,
13	लागडवाल,	43	मोहाने,	72	विरखेल,
14	रायतेल,	44	तेम्भे, परगाने वारसे,	73	पारगांव,
15	ब्रहमणवेल,	45	शिरसोले,	74	मंडाने,
16	आमखेल,	46	उमारपीटा,	75	बालहाने,
17	जाम्बोरे,	47	मालगांव, परगान वारसे,	76	देशिरवाडे,
18	वारसस,	48	खारगांव,	77	काडयाल,
19	जामकी,	49	कालाम्बे,	78	ढोगाड्डिगार,
20	रूनमाली,	50	चोरवाड,	79	शेलबारी,
21	वसखेडी,	51	लाखाले,	80	डेगांव
22	डामकानी,	52	वारसे,		
23	सालटेक,	53	शेनवाड,		
24	दाहीवेल,	54	कुदाशी,		
25	भोनगांव,	55	मनजारी,		
26	बादगांव,	56	मापालगांव,		
27	मेनडाने,	57	डांगशिरवाडे,		
28	दापुर,	58	बोपखेल,		
29	रोहन,	59	शिव,		
30	जेबापुर,	60	खात्याल,		

(ii) नंदुरबार तहसील और नंदुरबार शहर के बयासी गांव नीचे दर्शाए गए है :

नंदुरबार तहसील

1	भंगाडे,	28	नारायणपुर,	56	चाकले,
2	मंगलूर,	29	घिरासगांव,	57	दहींडुले बुद्रुक,
3	वसलाई,	30	धेकवाड,	58	दहींडुले खुर्द,
4	अर्दितारा,	31	बिलाड़ी,	59	कथोरे दिगर,
5	धानोरा,	32	खैराले,	60	उमारदे खुर्द,
6	पावले,	33	खामगांव,	61	चौपाले,
7	कोठडे,	34	नागासार,	62	अखाराले,
8	उमज,	35	विरचक,	63	वादबारे,
9	कोथाली खुर्द,	36	टोकारटाले,	64	अखातवाड़े,
10	वदाजकान,	37	वाघाले,	65	हट्टी उर्फ इंडि,
11	निंबोन बुद्रुक,	38	ओजारदे,	66	पलाशी,
12	जालखे,	39	अस्हते,	67	घुली,
13	शिरवादे,	40	थानेपाडा,	68	राकसवाडे,
14	रनाले खुर्द,	41	अमरावे,	69	वाघोडे,
15	नटवाड,	42	पथराई,	70	पाटोंडे,
16	करांजवे,	43	धामदाई,	71	हाल-टर्फ-हवेली,
17	शेजवे,	44	वारुल,	72	खोडासगांव,
18	पिंपलोड-टर्फ-धानोर,	45	अदाच्छी,	73	शाहदे,
19	लोया,	46	लोंखेडे,	74	शिंदे,
20	वेलावाड,	47	कराजकुपे,	75	कोल्डे,
21	व्याहुर,	48	नालवे खुर्द,	76	भगसारी,
22	धुलवाड,	49	सुंदारदे,	77	धामदोड,
23	गुजर भवाली,	50	नालवे बुद्रुक,	78	सवाल्दे,
24	गुजर जम्बोली,	51	दुधाले,	79	कोरित,
25	कर्णखेडे,	52	नंदारखे,	80	सुजातपुर,
26	फुलसारे,	53	भाने,	81	तिशि,
27	उमरदे बुद्रुक	54	वसादारे,	82	धंधाने
		55	बावद,		

(iii) शाहदा तहसील के एक सौ इकतालीस, गांव नीचे दर्शाए गए है:

शाहदा तहसील

1	आकासपुर,	चिखाली बुद्रुक,	95	पिम्पारदे,
2	नवागांव (वन ग्राम),	करनखेडे,	96	असलोड,
3	वीरपुर,	नन्दारडे,	97	मंडाने,
4	दारा,	वैजाली,	98	अवागे,
5	भूटा,	वाघोडे,	99	तिखोरे,
6	कनसाइ (वन ग्राम),	परकाशे,	100	उन्तावाद,
7	नन्दया कुसुमवाडे (वन	धामलाड,	101	होल,
	ग्राम),	काथारेडे बुद्रुक,	102	मोहिडे-टर्फ-हवेली,
8	चिराडे,	काथारडे खुर्द,	103	जुनवाने,
9	नागजिरि (वन ग्राम),	कलसाडी,	104	लोनखेडे,
10	कुसुमवाडे,	धुरखेडे,	105	तेम्भाली,
11	नन्दया (वन ग्राम),	भाडे,	106	होलगुजारी,
12	पिम्परानी,	पिगाने,	107	आसुस,
13	रानीपुर (वन ग्राम),	गानोर,	108	बुपकारी,
14	फट्टेपुर,	अदगांव,	109	मलोनी,
15	लक्कडकोट (वन ग्राम),	खारागांव,	110	डोगंरगांव,
16	कोटबन्धानी (वन ग्राम),	कोचरारे,	111	कोथाल-टर्फ-शहादा,
17	पिम्पलोड,	बिलाडी-टर्फ-हवेली,	112	मटकुट,
18	कुड्डावाड,	बहिरपुर,	113	बोराले,
19	लाच्छोरे,	ब्राह्मणसपुर,	114	कामरावद,
20	कनाडी-टर्फ-हवेली,	सुल्तानपुर,	115	कहतुल,
21	शीरूद-टर्फ-हवेली,	रायखेड,	116	वादछिल,
22	अमोडे,	खेड दिगर,	117	लोंधारे,
23	अलखेड,	नावलपुर,	118	उधालोड,
24	पाडाल्डे बुद्रुक,	चांदसाइली,	119	निम्बोरे,
25	बुदिगावन,	गोदीपुर,	120	धांड़रे बुद्रुक,
26	उमारती,	पडालडे खुर्द,	121	चिरखान (वन ग्राम),
27	पिम्परी,	भागा पुर,	122	असलोड (नया) (वन

28 महासवाद,	72 जावखेडे,	123 ग्राम),
29 अनकवाडे,	73 सोनवाई-टर्फ-हवेली,	124 जैनघर,
30 सुलवाडे,	74 कवालीथ,	125 धांद्रे खुर्द (वन ग्राम),
31 तवलाई,	75 तुकी,	126 मनमोडया (वन ग्राम),
32 मुबारकपुर,	76 सावरखेडे,	127 दुतखेडे (वन ग्राम),
33 वेलवाड,	77 कारजोत,	128 भोंगारा (वन ग्राम),
34 कलमाडी-टर्फ-बोअरडी,	78 लोहारे,	129 वदाली,
35 वाडी,	79 गोगापुर,	130 कोंधावाल,
36 सोनावद-टर्फ-बोअरडी,	80 कुरांगी,	131 भुलाने (वन ग्राम),
37 थेंगचे,	81 तिधारे,	132 चांदसाइली (वन ग्राम),
38 जावाडे-टर्फ-बोअरडी,	82 दमाल्डे,	133 उभादगाड (वन ग्राम),
39 तारहाडी-टर्फ-बोअरडी,	83 कालामंड-टर्फ-हवेली,	134 काकरडे खुर्द,
40 वारघे,	84 चिखाली खुर्द,	135 खापरखेडे (वन ग्राम),
41 पारी,	85 भारेटेक,	136 मालगांव (वन ग्राम),
42 कोठाली-टर्फ-हवेली,	86 श्रीखेडे,	137 लंगादी भवानी (वन ग्राम),
43 औरंगपुर,	87 ओजारटे,	138 शहना (वन ग्राम),
	88 उखालशेम,	139 काकरडे बुद्रुक,
	89 वघारदे,	140 अम्भानपुर बुद्रुक,
	90 जाम,	141 काटघर,
	91 जवादे-टर्फ-हवेली,	142 निम्बारडी (वन ग्राम)
	92 तितारी,	
	93 होल मुबारकपुर (वन ग्राम),	
	94 वडगांव,	

(iv) शिरपुर तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैः-

शिरपुर तहसीलः

1	बोरपानी (वन ग्राम),	24	वसारदी,	46	पलासनेर,
2	मलकाटार (वन ग्राम),	25	नन्दारदे,	47	खाम्बले,
3	फत्तेपुर (वन ग्राम),	26	चान्दसे,	48	पानाखेड (वन ग्राम),
4	गधाडदेव (वन ग्राम),	27	वाडी बुद्रुक,	49	खेंरखुटी (वन ग्राम),
5	कोडिड (वन ग्राम),	28	वाडी खुर्द,	50	जोयादा (वन ग्राम),
6	गुरहाडपानी (वन ग्राम),	29	जालोड,	51	चिलारे (वन ग्राम),
7	भुदाकी (वन ग्राम),	30	अभानपुर खुर्द,	52	लकड्या हनुमान (वन ग्राम),
8	वाघपाडे (वन ग्राम),	31	तारहाड,	53	महादेव डोंडवाडे (वन ग्राम),
9	सइगारपाडा (वन ग्राम),	32	उखालवाडी,	54	मालापुर (वन ग्राम),
10	मंजरीबुरदी (वन ग्राम),	33	मुखेड,	55	रोहिणी,
11	चौंडी (वन ग्राम),	34	नीमजारी,	56	भोइती,
12	भुदाकी (वन ग्राम),	35	वरजाडी,	57	अम्बे,
13	चंदसुरया (वन ग्राम),	36	वाघबारदा,	58	खामखेडे परगने अम्बे,
14	बोरादी (नया) (वन ग्राम),	37	समरयामापद,	59	हिवारखेडे (वन ग्राम),
15	काकडमल (वन ग्राम),	38	लउकी,	60	हिगांव,
16	वाकवाड (वन ग्राम),	39	सूले (61),	61	वाडेल खुर्द,
17	उमरदा (वन ग्राम),	40	फत्तेपुर,	62	कालापानी (वन ग्राम)
18	डुराबड्या (वन ग्राम),	41	हेदाखेड़,		
19	मोहिडे (वन ग्राम),	42	अरूनपुरी बांध(अवानकीकृत),		
20	डोंडवाडा (वन ग्राम),	43	संगवी,		
21	तेम्भा (वन ग्राम),	44	हाटेड,		
22	खैरीखान (वन ग्राम),	45	जेन्दया अन्जन,		
23	बोअरडी,				

4. जलगांव जिले में निम्नलिखित:-

(क) (i) चोपड़ा तहसील के पच्चीस गांव नीचे दर्शाए गए हैः

चोपड़ा तहसील

1 मराठा (वन ग्राम),	11 बोराजन्ती (वन ग्राम),	21 बधावानी,
2 मूरढिडा (वन ग्राम),	12 मालापुर (वन ग्राम),	22 बधाई,
3 उमारती (वन ग्राम),	13 बोरामाली (वन ग्राम),	23 कनदाने,
4 सत्रसेन (वन ग्राम),	14 करजाने (वन ग्राम),	24 मोहराद,
5 कृष्णपुर (वन ग्राम),	15 मेलान (वन ग्राम),	25 असालवाडी (वन ग्राम)
6 अंगुरने,	16 विशनपुर (वन ग्राम),	
7 खारया पडव (वन ग्राम),	17 देवहारी (वन ग्राम),	
8 वैजापुर (राजस्व)	18 देवजिरि (वन ग्राम),	
9 मुलुयाउत्तर (वन ग्राम),	19 कुंडयापानी (वन ग्राम),	
10 वैजापुर (वन ग्राम)	20 इच्छापुर परगने अडवाड़	

(ii) यावल तहसील के तेरह गांव नीचे दर्शाए गए हैः

यावल तहसील

1 मानापुरी,	6 हरिपुरा (वन ग्राम),	11 जामन्या (वन ग्राम),
2 टोलाने,	7 वाघाजीरा (वन ग्राम),	12 गदरया (वन ग्राम),
3 खालकोट,	8 प्रसादे बुद्रुक,	13 उसमाली (वन ग्राम)
4 इचखेडे,	9 बोरखेड़े खुर्द,	
5 मलोद,	10 लांगदा अम्बा,	

(iii) रावेर तहसील के इक्कीस गांव नीचे दर्शाए गए हैः

रावेर तहसील

1 महुमांडली (वन ग्राम),	9 पाल,	17 कुसुम्बे खुर्द,
2 पिम्परकुंड (वन ग्राम),	10 मारव्हाल,	18 पिम्परी,
3 अन्धारमालि (वन ग्राम),	11 जिनसी,	19 मोहगांन बुद्रुक,
4 तड्या (वन ग्राम),	12 सहसरालिंग (वन ग्राम),	20 पडाले बुद्रुक,
5 निमड्या (वन ग्राम),	13 लालमाटी (वन ग्राम),	21 महुमांडली (पुराना) (विरान)
6 गारबारदी (वन ग्राम),	14 अवहोडे बुद्रुक,	
7 जानोरी,	15 लोहारे,	
8 चिनचाती,	16 कुसुम्भे बुद्रुक,	

5. अहमदनगर जिले में निम्नलिखितः-

(क) अकोले तहसील के चौरानवे गांव नीचे दर्शाए गए हैं:-

अकोले तहसील

1	तिरधे,	38	रानाड बुद्रुक,	75	लवाली कोतुल,
2	पडोशी,	39	रानाड खुर्द,	76	वाघदारी,
3	महाजुंगी,	40	मालेगांव,	77	शिलवांडी,
4	एकडारे,	41	कोहोन्डी,	78	कोहोने,
5	संगावी,	42	दिगम्बर,	79	लिवाली ओतुर,
6	केली रूमहानवाडी,	43	गुहिरे,	80	ताले,
7	बिताका,	44	कतालपुर,	81	कोथाले,
8	खिरवीरे,	45	रतनवाडी,	82	सोमलवाडी,
9	कोम्भालने,	46	मुतखेल,	83	विहिर,
10	तहकारी,	47	तेरूंगन,	84	शिंडा,
11	समशेरपुर,	48	राजुर,	85	अम्बित खिंड,
12	सावरगांव पाट,	49	विथे,	86	पालसुंडे,
13	मुथालने,	50	कोल्टेम्भे,	87	पिसेवाडी,
14	बारी,	51	केलुंगन,	88	फोपसांडी,
15	वारंघुसी,	52	जामगांव,	89	सातवाडी,
16	लाडागांव,	53	शिरपुंजे बुद्रुक,	90	केली ओतुर,
17	शेनित,	54	सवारकुटे,	91	केली कोतुल,
18	पाभुलवांडी,	55	कुमशेट,	92	खेतेवाडी,
19	बाभुलवांडी,	56	शिरपुंजे खुर्द,	93	इसारथाव,
20	अंबेवांगन,	57	घामनवन,	94	करांडी
21	देवगांव,	58	अम्बित,		
22	पेंडशेट,	59	बालथान,		
23	मानहेरे,	60	मानिक ओजार,		
24	शेलविहीरे,	61	पुरूचवाडी,		
25	पंजारे,	62	मवेशी,		
26	चिनचोंडी,	63	शिसवाद,		
27	वाकी,	64	वापजुलसेत,		
28	तितावी,	65	गोंडोशी,		
29	पिंपरकाने,	66	खादकी,		
30	उदादावाने,	67	साकिरवाडी,		
31	कोदानी,	68	पचनाई,		
32	घाटघर,	69	चिंचवाने,		
33	सिगनवाडी राजुर,	70	पदालने,		
34	मुरशेट,	71	शेलाद,		
35	शेंडी,	72	पिम्परी,		
36	समराड,	73	घोटी,		
37	भंडारडारा,	74	पैथान,		

6. पुणे जिले में निम्नलिखितः-

(i) **अम्बेगांव तहसील के छप्पन गांव नीचे दर्शाए गए हैं:**

अम्बेगांव तहसील

1	डोन,	22	सवारली,	45	गोहे बुद्रुक,
2	पिम्परागाने,	23	मेघोली,	46	निगाडाल,
3	अघाने,	24	वाचपे,	47	गोह खुर्द,
4	अहूपे,	25	साकेरी,	48	अपाती,
5	तिरपाड,	26	पिम्परी,	49	गंगापुर खुर्द,
6	नहावेद,	27	अम्बेगांव,	50	अमोंडी,
7	असाने,	28	जाम्भोरी,	51	कनासे,
8	मलीन,	29	कालम्बाई,	52	गंगापुर बुद्रुक,
9	नानावाडे,	30	कोन्ढावाल,	53	सिनोली,
10	अमाडे,	31	फुलवाडे,	54	पिम्पालगाव-टर्फ-घोडा,
11	वरसावने,	32	फलोडे,	55	साल,
12	कोंढारे,	33	कोलटावाडे,	56	ढाकले
13	आदिवारे,	34	तेरूनगांव,		
14	बोरघर,	35	दिम्भे बुद्रुक,		
15	पाटन,	36	महालुंगे-टर्फ-घोडा,		
16	कुसीरे खुर्द,	37	राजपुर,		
17	पंचाल बुद्रुक,	38	चिखाली,		
18	कुसीरे बुद्रुक,	39	राजेवाडी,		
19	दिगाद,	40	सूपघर,		
20	पंचाल खुर्द,	41	तालेघर,		
21	महिलुंगे-टर्फ-अम्बेगांव,	42	मापोली,		
		43	डिम्भे खुर्द,		
		44	पोखारी,		

(i) जुन्नार तहसील के पैंसठ गांव नीचे दर्शाए गए हैंः-

जुन्नार तहसील

1	चिल्हेवाडी,	35	वेवादी,
2	अम्बेहवहन,	36	तेजुर,
3	जामभूलशी,	37	फंगलघावन,
4	खिरेश्वर,	38	चावन्द,
5	माथालाने,	39	पुर,
6	कोल्हेवाडी,	40	खानगांव,
7	कोपारे,	41	मानकेश्वार,
8	मंडावे,	42	सुराले,
9	सिंगनोरे,	43	अम्बोली,
10	आलू,	44	शिरोली-टर्फ-कुकादनेर,
11	खूबी,	45	वानेवाडी,
12	पिम्पालगांव जोगा,	46	अपटाले,
13	कारंजाले,	47	कोली,
14	माध,	48	शिवाली,
15	पांगरी-टर्फ-माध,	49	उतचिल,
16	कोलवाडी,	50	बोटा,
17	परगांव-टर्फ-मोध,	51	धालेवाडी-टर्फ-मिनहर,
18	तालेरान,	52	भिवाडे बुद्रुक,
19	सीतेवाडी,	53	इंगालून,
20	वटखाले,	54	भिवाडे खुर्द,
21	निमगिर,	55	घंगालडारे,
22	अनजानवाले,	56	सोनावाले,
23	हदसर,	57	ताम्बे,
24	देवाले,	58	हिवारे-टर्फ-मिनहेर,
25	खाइरे,	59	हतविज,
26	घाटघर,	60	अम्बे,
27	जलवांडी,	61	पिंपरवाडी,
28	हिरदी,	62	सुकालवधे,
29	उनदेखादक,	63	गोदरे,
30	राजुर,	64	खामगांव,
31	खाटकाले,	65	सोमतवाडी
32	मणिकडोह,		
33	खाड कुम्बे,		
34	उरसान,		

7. नान्देड़ जिले में निम्नलिखित:-

किनवत तहसील के निम्नलिखित एक सौ बावन गांव व किनवत कस्बा, जो नीचे उल्लिखित हैः:

1 तकली,
2 पदसा,
3 सायपाल,
4 मुरली,
5 वादसा,
6 कोली,
7 अश्ता,
8 गोण्डेगांव
9 मदनापुर (महोर),
10 बोंडगांवन,
11 उमरा,
12 मछन्द्रा पारदी,
13 करालगांव,
14 सावरखेड,
15 डिगडी (कुटेमार),
16 वाई,
17 हरदाप,
18 नाइकवाडी,
19 हिन्गानी,
20 वाजरा,
21 तुलशी
22 गोंडवाडसा,
23 अंजानखेड,
24 भोराड़,
25 चोराड़,
26 धनोरा (सिंदखेड),
27 रामपुर,
28 पाथरी,
29 खाम्बला,
30 पारदी,
31 सिन्दखेड,
32 सिंचखेड,
33 हटोला,
34 वाइफानी,
35 धुंद्रा,
36 गउरी,
37 बोथ,
38 सइलू,
39 करन्जी (सिन्दखेड़),
55 डारसांगवी (सिंदखेड़),
56 सिंगोडा,
57 सिरपुर,
58 वेम्भी,
59 पटोड़ा बुद्रुक मिनको,
60 मांडवी,
61 जवारला,
62 पालसी,
63 बेलगांव,
64 कनकी,
65 कोठारी (सिंदखेड़),
66 पिंपलगांव (सिंदखेड़),
67 डोंगरगांव (सिंदखेड़),
68 जरूर,
69 मिनकी,
70 पचुण्डा,
71 वनोला,
72 साकुर,
73 मैंडकी,
74 डिगडी (मोहनपुर),
75 धानोरा (डिगडी),
76 मोहापुर,
77 मुंग्शी,
78 सिंगदी (किनवत),
79 मालबोरगांव,
80 नेजपुर,
81 राजगड,
82 वडोली,
83 अनजी,
84 कनकवाडी,
85 लोनी,
86 धामनधारी,
87 पंधारा,
88 बेल्लोरी,
89 मारेगांव,
90 कमथाला,
91 अम्बादी,
92 खेरदा,
93 मलकापुर,
109 दभादी,
110 चिखाली,
111 हुदी (चिखली),
112 एन्धा,
113 भूलजा,
114 डारसंगवी,
115 मालकवाडी,
116 पेन्डा,
117 परधी खुर्द,
118 केरल,
119 डेगांव,
120 लिंगधारी,
121 परदी बुद्रुक,
122 बोधादी खुर्द,
123 बोधादी बुद्रुक,
124 सिंदगी (चिखली),
125 अंधाबोरी (चिखली),
126 कोपारा,
127 पीपर फोडी,
128 पटोडा (चिखली),
129 पिपरी,
130 धानोरा (चिखली),
131 सवारी,
132 धारा,
133 पोथ रेड्डी,
134 सिगारवाडी,
135 अन्जेगांव,
136 भंडारवाडी,
137 जलधारा (चद्रपुर),
138 बेलोरी (चिखली),
139 मालकोलारी,
140 डिगरास,
141 डोंगरगांव (चिखली),
142 शिवोनी (चिखली),
143 परोटी,
144 स्वरगांव,
145 जलधारा (इस्लापुर),
146 कोठारी,
147 हुड्डी (इस्लापुर),

40 भगवती, 41 वाराज बुद्रुक, 42 उमरी, 43 उनकदेव, 44 चाइस, 45 पिंपलसेंडा, 46 सरखानी, 47 देलही, 48 निराला, 49 नूरगांव, 50 टिट्वी, 51 लिंगी, 52 नागपुर, 53 जुनुनी, 54 दिगदवाजरा,	94 घोती, 95 सिरमेत्ती, 96 भीमपुर, 97 पिंपलगांव (किनवत), 98 धोगारवाडी, 99 गोकुंडा, 100 माण्डवा (130), 101 डिग्डी (मंगाबोड़ी), 102 नागजरी, 103 कोठारी (चिखली), 104 प्रधान संगवी, 105 बेन्डी, 106 अमाडी, 107 मदनापुर (चिखली), 108 शानीवार पेठ,	148 करांजी (इस्लापुर), 149 कुपटी खुर्द, 150 कुपटी बुद्रुक, 151 वागधारी, 152 तलारी

8. अमरावती जिले में निम्नलिखितः–
चिखलाधार और धरनी तहसीलें

9. यवतमाल जिले में निम्नलिखितः–
(i) मारेगांव तहसील के 130 गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

मारेगांव तहसील

1) घोगुलदारा	(48) पछपोहर	(94) भोराद (वन ग्राम)
(2) शिओनाला	(49) अम्बेजारी	(95) चिखालदोह
(3) बुरांडा	(50) रोहपात	(96) मुल्गवान
(4) पहपल	(51) रायपुर	(97) भीमनाला
(5) कान्हलगांव	(52) सगनपुर	(98) चटवान
(6) खेकडवाई	(53) हिवारा बरसा	(99) अराइकवाड़
(7) घोदाधारा	(54) रामपुर	(100) गवारा
(8) नरसाला	(55) कातली बोरगांव	(101) माथार्जुन
(9) धामनी	(56) पारदी (116)	(102) महदापुर
(10) मदनापुर	(57) शिबला	(103) पंधारवानी
(11) बोरी खुर्द	(58) चियाली (वन ग्राम)	(104) देमाद देवी
(12) पिस्गांव	(59) बोरगांव (वन ग्राम)	(105) मंडवा
(13) वड़गांव (40)	(60) पेंधारी	(106) डोंगारगांव (वन ग्राम)
(14) फिसकी (वन ग्राम)	(61) अर्जुनी	(107) दभाड़ी
(15) भालेवाड़ी	(62) कागांव	(108) उमरी (192)
(16) पथारी (51)	(63) रजनी	(109) मुधाती
(17) चिंचाला,	(64) माजरा	(110) द्यसोदी
(18) पंघार्कवाला (53)	(65) गंगापुर (वन ग्राम)	(111) कोंडपखिंडी
(19) खर्दा (वन ग्राम) (54)	(66) भोइकुंड (वन ग्राम)	(112) मंगरुल खुर्द
(20) पिम्प्रद (वन ग्राम)	(67) वाधोना	(113) मंगरुल बुदुर्क
(21) फपरवाड़ा	(68) सुसारी	(114) गोपालपुर
(22) सालाभट्टी (वन ग्राम)	(69) सुरला (131)	(115) रामपेठ
(23) दोलदोंगरगांव	(70) गोदानी	(116) चालबरडी
(24) मचिन्द्रा	(71) निमानी	(117) जामनी
(25) पंडविहोर	(72) दरारा	(118) शिरोला
(26) जाल्का	(73) आसन	(119) अदकोली
(27) पंधारदेवी (वन ग्राम)	(74) जागलोन	(120) खालकलोह
(28) अम्बोरा (वन ग्राम)	(75) जामकोला	(121) बिरसापेठ
(29) चिंचोनी बोटोनी	(76) इसापुर	(122) मुछी
(30) अवंलगांव (वन ग्राम)	(77) किलोना	(123) मारकी बुदुर्क
(31) कान्हलगांव (85)	(78) उमरघाट	(124) मारकी खुर्द
(32) खारीगांव (86)	(79) वल्लासा	(125) गणेशपुर
(33) सराती	(80) जुनोनी (वन ग्राम)	(126) पंवार (वन ग्राम)
	(81) लेंचोरी	(127) कृष्णपुर (वन ग्राम)

(34) बुरांडा (88) (35) दुर्गादा (36) वागधारा (37) मेंधानी (38) घानपुर (39) खंडानी (40) खापी (41) उञ्चातदेवी (वन ग्राम) (42) मारेगांव (वन ग्राम) (43) खंडानी (44) महासदोदका (45) पालागांव (46) बोटोनी 47) गिर्जापुर (वन ग्राम)	(82) चिंचघर (83) अम्बिजारी खुर्द (84) अम्बेजारी बुदुर्क (85) करगांव खुर्द (86) निम्बादेवी (87) टेम्फी (88) कुंडी (89) मांडिव (90) जुनोनी (91) पारम्भा (92) पोखरनी (वन ग्राम) (93) पिवारदोल	(128) खेकाड़ी (वन ग्राम) (129) शेकापुर (130) यिओती

(ii) रालेगांव तहसील के तैंतालीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

रालेगांव तहसील

(1) लोहारा (2) एकलारा (3) सोनेर्डी (4) वाटखेड (5) जलका (6) वार्हा (7) पिंपारी दुर्ग (8) मांडवा (9) कोलवान (10) शोइत (11) वरुद (12) बुकाई (13) जरगद (14) खादकी सुकली (15) डोंगरगांव	(16) तेजानी (17) अंजी (18) लोनी (19) बोराती (वन गांव) (20) साराती (21) खैरगांव कसार (22) वारधा (23) भुलगद (24) पिंपलाशेंडा (75) (25) अतमुर्दी (26) सावरखेड (27) चोंधी (28) वधोड़ा (29) खेमकुन्ड (30) पार्डी (वन गांव)	(31) उमरविहार (32) अदनी (33) खटारा (34) मुंजाला (35) पलासकुन्ड (36) वीरगांव (37) खैर गांव (38) देवधारी (39) सिंगल दीप (40) सोनुर्ली (41) सिन्दोला (42) जोतिगदारा (43) साखी खुर्द

(iii) केलापुर तहसील में निम्नलिखित **103** गांव और पन्धार्कवाड़ा कस्बा शामिल किया गया:

केलापुर तहसील

(1) मोदारी	(36) नईकसुकली (वन गांव)	(73) वेदार
(2) जोगीन कोहला	(37) पेधारी	(74) बागी
(3) मीरा	(38) पिल्पाली	(75) घनमोडे
(4) जीरा	(39) डोंगारागांव (308)	(76) नन्दगांव
(5) घोद्दारा (वन ग्राम)	(40) बेथ	(77) गणेशपुर (370)
(6) साखी बुदुर्क	(41) माले गांव खुर्द (वन गांव)	(78) टाटापुर
(7) वधोना खुर्द	(42) हिवारदारी (वन गांव)	(79) जुन्जापुर
(8) जोलापुर (वन ग्राम)	(43) मालागांव बुदुर्क (वन गांव)	(80) गेंडवाकाडी
(9) कराजी	(44) दरियापुर	(81) चलबर्दी
(10) वधोना बुदुर्क	(45) पिल्वाहरी	(82) बेलुरी
(11) तिवसाला (वन ग्राम)	(46) अर्ली	(83) टादुमारी
(12) कोथाड़ा	(47) हिवरी	(84) बरगांव (377)
(13) सुरदेवी	(48) पिंपालशेंडा (333)	(85) अकोली बुदुर्क
(14) चनई	(49) कारेगांव (334)	(86) महानदोली
(15) असोली	(50) वाडवत	(87) सखारा
(16) मोहादा	(51) खैरी (336)	(88) मराठवाकाडी
(17) कारेगांव (163)	(52) घुवाडी	(89) ढोकी (382)
(18) चिखालदारा	(53) कोंघारा	(90) वल्लारपुर
(19) कृष्णापुर	(54) सखरा बुदुर्क	(91) टोकवनजारी
(20) दाभा	(55) धारना	(92) वानजारी (382)
(21) मोरवा	(56) मांगी (343)	(93) खारीगांव बुदुर्क
(22) खैरगांव (199)	(57) ढोकी (344)	(94) टिमभी
(23) वघोली	(58) वायी	(95) राधापुर (वन गांव)
(24) कुसल	(59) पिंपालपुर	(96) पिखाना (वन गांव)
(25) चोपन	(60) गणेशपुर (347)	(97) वासारी
(26) मल्कापुर (वन गांव)	(61) खैरगांव (348)	(98) अन्धारवाडी
(27) केगांव	(62) पाधे	(99) येदलापुर (वन गांव)
(28) वादनेर	(63) निलजई	(100) चनाखा
(29) जुली	(64) मारगांव (352)	(101) निमधेली
(30) भाद उमारी	(65) अभोरा	(102) रुधा
(31) पटोडा	(66) डोंगरगांव (358)	(103) सुकली
(32) पहापल	(67) पिंपारी (353)	
(33) नागजारी खुर्द	(68) खैरगांव (360)	
(34) बहततार	(69) मुची	
(35) सुसारी	(70) मगुर्दा	
	(71) पंधारवानी बुदुर्क (वन गांव)	
	(72) कोंधी	

(iv) घतांजी तहसील के पचपन गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

घतांजी तहसील

(1) मारवेली	(21) काप	(39) चिखालवर्धा
(2) रजुरवाडी	(22) कवाथा बुद्रुक	(40) तड़-सवाली
(3) लिंगी	(23) बिलायत	(41) सैफल
(4) कोली खुर्द	(24) खादकी (260)	(42) नागेजरी बुदुर्क
(5) कोली बुदुर्क	(25) चिमटा	(43) कवाथा (वन गांव)
(6) रामपुर उन्धार्नी	(26) कोपरी खुर्द	(44) पारवा
(7) कापशी	(27) चिंचोली (268)	(45) मझाडा
(8) डेटोडी	किंघी (वन गांव) (269)	(46) पार्डी
(9) गुधा	(29) गवारा (वन गांव)	(47) जम्ब
(10) वारुड (240)	(30) टिटवी	(48) कालेश्वर
(11) जपारवाडी	(31) मुरादगवन (वन गांव)	(49) शेराद
(12) उमरी (242)	(32) पिंपाल खुटी (वन गांव)	(50) धुंकी (वन गांव)
(13) पलोडी	(33) खरोनी (वन गांव)	(51) मथानी (वन गांव)
(14) कोपरी (244)	(34) वधोना	(52) राजागांव (वन गांव)
(15) घोटी	(35) डोर्ली	(53) खापरी (वन गांव)
(16) बुडाडी	(36) राहती	(54) होनेगांव
(17) मुधाटी (वन गांव)	(37) रासा (वन गांव)	(55) गनेरी
(18) जलान्द्री	(38) जताला	
(19) मनुसधारी		
(20) अयाते		

10. गढ़चिरोली जिले में निम्नलिखित:

(क) इत्तापल्ली, सिरोंचा, अहेरी, धनोरा, कुरखेडा तहसील ।

(ख) (i) गढ़चिरोली तहसील के बासठ गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

गढ़चिरोली तहसील :

(1) नावगांव (636)	(22) मुदजा तुकुम	(43) राजनगुद्दा
(2) चाक चुरचुरा	(23) करुपाला	(44) बनोली
(3) कुराधी	(24) मसली	(45) सूर्यडोंगरी
(4) चाक मउसी	(25) रणभूमि	(46) सलाईटोला
(5) मरमेडी	(26) चन्द्राला	(47) विटानटोआ
(6) बोथेडी	(27) रणमोल	(48) पोटेगांव
(7) पेलनदुर	(28) कुम्भी पत्व	(49) रजोली (734)
(8) गिलगांव (658)	(29) कुम्भी मोकासा	(50) म्रदास
(9) चाक खरपुर्डी	(30) मादे मुल	(51) जालेर
(10) जपरा	(31) मारोदा	(52) दैवापुर
(11) चाक धिबाना	(32) कोसामघाट	(53) रामगाड (738)
(12) मेरेउमबोडी	(33) रायपुर (718)	(54) गावलहेटी
(13) कुरकेडी	(34) रवानजोरा	(55) डेउडा
(14) खुरसा	(35) पेकिनकासा	(56) खरादगुडा
(15) वीजापुर	(36) सवेला	(57) तालकुडा
(16) सोनापुर	(37) सुईमारा	(58) जामगांव
(17) मोंधा (680)	(38) सखेरा	(59) खाडसी
(18) सावरगांव (683),	(39) कर्कजारा	(60) कोरकुटी
(19) कनरी	(40) कन्हलगांव (725)	(61) नागवेली
(20) पुलखाल	(41) केलीगाटा	(62) जालेगांव
(21) मुदजा बुदुर्क	(42) तोहागांव	

(ii) अरमोरी तहसील के चौहत्तर गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

अरमोरी तहसील

(1) कोरागांव (6)	(26) चाक केरपाडा	(52) परासवाडी (113)
(2) कालमगांव	(27) लोहारा (78)	(53) डवाडी
(3) कुरल	(28) चाक सोनपुर	(54) खादकी (115)
(4) सलेडा तुकाम	(29) हिरापुर (80)	(55) भाकरांडी
(5) सलेडा लाम्बा	(30) डोंगर तामसी	(56) नरोती मालगुजार
(6) कसारी तुकाम	(31) सियानी खुर्द	(57) कारेगांव (119)
(7) कसारी गांव	(32) चावहेला	(58) वारखेडा
(8) शिवराजपुर (29)	(33) मोहाताला चाक कुकोडी	(59) खराडी
(9) पोटेगांव (30)	(34) मेंधा (89)	(60) भंशी
(10) विहिरगांव (33)	(35) डोंगारतमसी	(61) डोर्ली
(11) पिपांलगांव	(36) नगरवाडी	(62) वनारचुवा
(12) अरात-तोन्डी	(37) चाक नरोती	(63) जमभाली (127),
(13) डोंगारगांव (हलाबी)	(38) चाक कुरोंडी	(64) मिंधा(128),
(14) प्लासगांव (43)	(39) वाडेगांव	(65) नारचोली
(15) नवारगांव	(40) थोटीबोडी	(66) खेहारी
(16) पाथरगोटा (49)	(41) देलवांडी	(67) मारगांव पेच
(17) मगेवड़ा	(42) मेनापुर	(68) मारगांव (140)
(18) अर मोरी	(43) कोसारी	(69) चाक मारगांव
(19) सलमारा	(44) मनगोडा	(70) चाक चिंचोली
(20) थानेगावं	(45) तुलतुली	(71) मुसी खुम्ब
(21) पटानवेड़ा	(46) चकनागारवाही	(72) वेलगांव (144),
(22) पुरानवैरागड	(47) विहिरगांव	(73) चिचोली (145),
(23) देउलगांव (69)	(48) कुरांडी	(74) वानखेडा
(24) सुकला	(49) उमारी	
(25) मोहाजारी उर्फ सखारखेडी	(50) यंगाडा	
	(51) पिसेवाडढ़ा	

(iii) चामरोसी तहसील के एक सौ बत्तीस गांव नीचे दर्शाए गए हैं:

चामरोसी तहसील :

(1) सगानपुर (758)	(45) मांगनेर	(89) अम्बेला (वन गांव)
(2) बनढोना (764)	(46) चिंचापल्ली	(90) गाट्टा (वन गांव)
(3) गिलगांव (765)	(47) वानारचुवा	(91) अडगेपल्लि
(4) भिंडी कनाल (771)	(48) जयरामपुर	(93) येल्लूर
(5) दातारी	(49) वाइगांव	(94) थाकरी
(6) चाइट कनवर	(50) नाराणपुर	(95) राजगट्टा (908)
(7) कालमगांव	(51) राजुर खुर्द	(96) लोहरा
(8) कुरुड	(52) हलदवाही	(97) मुकारीटोला
(9) मालेर,	(53) मुधौली	(98) भोलखांडी (वन गांव)
(10) कुलेगांव	(54) कोठारी (845)	(99) हेतलकासा
(11) नाचनगांव	(55) बम्हानी देव	(100) बोलपल्ली
(12) भादभिद (788)	(56) सोमनपल्ली	(101) पुलीगुड्म
(13) वालसारा	(57) कान्हलगांव (848)	(102) कुनधादा
(14) चाक बिसापुर	(58) सिंगेला	(103) कोलसापुर
(15) जोगाना	(59) बेलगाट्टा	(104) गंगापुर
(16) मुरमुरी	(60) पेठताला	(105) चंदन खेड़ी
(17) रावनपल्ली	(61) छाक पेठाताला सं. 1,	(106) मालेरा
(18) सोनापुर	(62) पारादीदेव	(107) बसारवाड़ा
(19) डरर्ली	(63) यादवपल्ली	(108) चापराला
(20) रेखागांव	(64) राजपुर (856)	(109) छइदमपट्टी
(21) येदानूर	(65) जाम्भालीरिथ	(110) मुकाडी (वन गांव)
(22) पेलसानपेथ	(66) मेटेगुडा	(111) फुस्की
(23) पन्धारी भटाल	(67) छाक बेलगत्ता	(112) सिगनपल्ली
(24) राजनगेट्टा	(68) मांजी गांव	(113) धामनपुर
(25) चाक अमरगांव न.1(809)	(69) मच्छालीघोट	(114) कोठारी (930)
(26) मुतनूर	(70) छाक माक्केपल्लि सं.4	(115) अम्बाटपाल्लि
(27) अबापुर	(71) दुर्पन गुडा	(116) गोमानी
(28) मुरानदेपी	(72) छाक माक्केपल्लि सं.2	(117) लागमहेट्टी
(29) लिनगुडा	(73) छाक माक्केपल्लि सं.3	(118) दामनपुर
(30) अदयल	(74) गारांजी	(119) बन्दुकपल्ली
(31) कर्कापल्ली	(75) छाक मेड आमगांव	(120) कोड़ीगांव

(32) चाक कर्कापल्ली (33) जंगामरकुरल (34) फियूजर (35) दिकानी (36) चाक मुदोली न..2, (37) लक्ष्मणपुर (38) सगानपुर (829) (39) अम्बोली (40) गहुबोदी (41) छाक नारायणपुर संख्या 1 (42) छाक नाराणपुर संख्या 2 (43) राजुर वुदर्क (44) भादविड (835),	(76) छाक मेड आमगांव सं.1 (77) छाक मेड आमगांव सं.2 (78) तुमडी (79) गिरगाडी (80) माकेपल्लि मालगुजारी (81) बोरघाट (82) अस्टी नोकेवाडा (83) ब्राहमणपेठ (84) बेंगानूर (85) नोकेवाडा (86) अल्लापल्ली (87) रेगेवाही (88) कोलपल्ली	(121) चिचेला (122) नागुलवाही (123) छितुंगुहा (124) तुमुगुडा (125) माछिनगट्टा (126) येल्ला (127) टिकपाल्ली (128) मारपाल्ली (129) जामगांव (130) कुलथा (131) रामपुर (132) लागम चक

11. चन्द्रपुर जिले में निम्नलिखित:
राजुरा तहसील के एक सौ बयासी गांव नीचे दर्शाए गए हैं :

राजुरा तहसील :

(1) पारसौदा	(62) जुलबारदी	(123) सोराकासा
(2) रायपुर	(63) सवालहीरा	(124) कुसुम्बी
(3) कोथोडा खुर्द	(64) खीरगांव (80)	(125) जनकपुर
(4) गोविंदपुर	(65) पांढरवानी (81)	(126) पुनागुडा (नावेगांव)
(5) कोथोडा बुदुर्क	(66) जांम्बुलढ़ारा	(127) डेवड़ा
(6) मेंहदी	(67) धानकदेवी	(128) खदकी रायपुर
(7) पर्दी	(68) येरमी इसपुर	(129) गोवेन्दपुर
(8) जैवरा	(69) सारंगपुर	(130) मारियापट्‌न
(9) चनाई खुर्द	(70) जिवाती	(131) उमराजारा (176)
(10) अकोला	(71) नागपुर	(132) राहपल्लि खुर्द
(11) कोरपाना	(72) मारकोलमोट्टा	(133) धार्मराम
(12) दुर्गादी	(73) धोंदा अरजुनी	(134) भोकसापुर
(13) रुपापेठ	(74) धोंधा मांडवा	(135) बाम्बेजारी
(14) चुनाई बुदुर्क	(75) टेका अर्जुनी	(136) भारी
(15) मांडवा	(76) टेका मांडवा	(137) पांडरवानी (182)
(16) कानेरगांव बुदुर्क	(77) राहपल्ली बुदुर्क	(138) सिंडोलाटा
(17) कटलावोडी	(78) छिखिली (94),	(139) सोंडो
(18) शिवपुर	(79) पाटन (95),	(140) बेलगांव (185)
(19) चौपान	(80) हीरापुर	(141) काकड़घाट
(20) करमवौडी	(81) इसपुर	(142) गनेरी
(21) कुकुलवोंडी	(82) आसन खुर्द	(143) खिरदी
(22) टीपा	(83) आसन बुदुर्क	(144) सेदवई
(23) मंगुलहीरा	(84) पीपलगांव	(145) बाबरपुर
(24) खादकी (27),	(85) पालजारी	(146) हीरापुर (200),
(25) जमुलधारा (28),	(86) बोरिनवे गांव	(147) सखारी
(26) वोरगांव बुदुर्क	(87) नन्दा	(148) मनोली खुर्द
(27) वोरगावं खुर्द	(88) बीबी	(149) गोयेगांव
(28) आशापुर		

(29) तांगाला	(89) धुनकी	(150) हरडोना खुर्द
(30) खेरगांव (33),	(90) धामनगांव	(151) हरडोना बुदुर्क
(31) हतलौनी	(91) काखमपुर	(152) विनिरगांव (224)
(32) एरगांव	(92) बाडगांव	(153) मागी
(33) उमारजारा	(93) इंजापुर	(154) वांगी
(34) येल्लापुर	(94) चंदूर	(155) पाढंरपुनी (227)
(35) शिंगार पारार	(95) कुकुदसात	(156) अहेरी
(36) लम्बोंरी	(96) खिरदी	(157) कोच्छी
(37) सेदवई	(97) धुतरा	(158) गोरजा
(38) नरपाथर	(98) बहलामपुर	(159) बारुर
(39) कोदापुर	(99) मनोली खुर्द	(160) रानीवेली
(40) घरपाना	(100) जमानी	(161) भेडोडा
(41) नाकेवाडा	(101) नोकारी बुदुर्क	(162) ताम्भुरवाही
(42) गुडसेल	(102) सोनापुर	(163) चिरुड़
(43) वानी	(103) उप्पारवाई	(164) छिंछवोडी
(44) केकाजारी	(104) भुरखुंडा खुर्द	(165) कवथाला
(45) मोहदा	(105) कदकी (150),	(166) सोनुरली
(46) पुदियाल मोहदा	(106) नोकारी खुर्द	(167) सिरसी
(47) कमलापुर	(107) नागराला	(168) बेरडी
(48) चिंचखोंड	(108) पालेजारी	(169) भेंडाला
(49) वनसाडी	(109) काकबान	(170) केलजारी
(50) पराम्बा	(110) डोगरागांव (155)	(171) नवेगांव (265),
(51) देवघाट	(111) छिखाली (156),	(172) चिंचाला
(52) कुसाल	(112) भुरखुंडा बुदुर्क	(173) वीरुर
(53) दाहेगांव	(113) पाछगांव	(174) सिद्धेश्वर
(54) सोनुरलो (70)	(114) सेनगांव (159)	(175) घोट्टा
(55) कारगांव खुर्द (71)	(115) ताताखेंडी	(176) गोगरगांव
(56) धानोली	(116) भेंडवी	(177) सुबाई
(57) पिपराडा	(117) सुकादपल्लि	(178) कोस्ताला
(58) छिनछोली	(118) कारकागोंडी	(179) लाक्कदकोट
(59) कारगांव बुदुर्क	(119) तित्वी	(180) अम्बेजारी
(60) मारकागोंडी (76)	(120) नादपा	(181) अन्तारगांव (277)
(61) बेलगांव	(121) येरगांवन	(182) अन्नूर
	(122) कावादगोंडी	

महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को, मूलरुप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ.9) दिनांक 26.01.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश (स.आ. 26) दिनांक 07.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था और अपर संदर्भित आदेशों को जहां, तक उनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश,, 1985 (सां.आ. 123) दिनांक 02.12.1985 के तहत पुन: विनिर्दिष्ट किया गया है ।

V. ओडिशा

1 मयूरभंज जिला

2 सुदरंगढ़ जिला

3 कोरापुट जिला

4 सम्बलपुर जिले में कुचिंडा तहसील

5 क्योंझर जिले में, क्योंझर सब-डिवजीन और तेलकोइ तहसीलें और चम्पुआ सब डिवीजन की चम्पुआ और बारबल तहसीलें

6 बौध-खोंडमल जिले की खोण्डमाल सब -डिवजीजन की खोण्डमाल तहसील और बालीगुडा सब-डिवीजन की बालीगुडा और जी उदयगिरी तहसीलें ।

7 गंजाम जिले आर, उदयगिरी और पारलखेमुण्डी तहसील के मूगा और रायगढा खंड और सुरदा तहसील, धुमसुर सब-डिवीजन के गजलबाडरी और ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम ।

8 कालाहांडी जिले में भवानी पटना उप-मण्डल में यौमुल रामपुर खंड और लानजीगढ में पड़ने वाला लालजीगढ खंड और कालाहांडी तहसीलें ।

9 बालासोर जिले में नीलगिरी सब-डिवीजन के निलगिरी तहसील का नीलगिरी सामुदायिक विकास खंड ।

ओडिशा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूल रूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क) राज्य आदेश, 1950 (सी.ओ. संख्या 9) दिनांक 26.1.1950 और अनुसूचित क्षेत्र (भाग (ख) (राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ. 26) दिनांक 7.12.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और ऊपर संदर्भित आदेशों को जहां तक उनका संबंध ओडिसा राज्य से है आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया।

VI. राजस्थान

1. बांसवाडा जिला
2. डुंगरपुर जिला
3. उदयपुर जिले में निम्नलिखित :-

क)फलासिया, खेरवारा, कोटरा, सारदा, सालुमबार और लसादिया तहसीलें

ख) गिरवा तहसील के पंचायत-वार निम्नलिखित 81 गांव

i) सिसरमा पंचायत के सीसरमा देवली, बलेचा, सेठजी की कुण्डल, रायता, कोडियात और पीपलिया गांव

ii) बुजरा पंचायत के बुजरा, नया गुरहा, पोपलती और नया खेड़ा गांव

iii) नाई पंचायत का नाई गांव

iv) दोदावली पंचायत का, दोदावली कालीवास, कार नाली, सुरना, बोरावारा का खेरा मादरी, बच्छर और केली गांव

v) बड़ी उन्दरी पंचायत के बड़ी उन्दरी, छोटी उन्दरी, पीपलवास और कुमरिया खेरवा गांव

vi) आलसीगढ़ पंचायत के आलसीगढ़, पाई और गांव

vii)पदूना पंचायत के पदूना, अमर पूरा और ज्वाला गांव

viii)चंदवाडा पंचायत का चंदवाडा गांव

ix) सारू पंचायत के सारू और बान गांव

x) तीरी पंचायत के तीरी बोरीखुआ और गोजिया गांव

xi) जवार पंचायत के जवार, रेवान, थावरी टलाई, नसेरा, कनूर और उदिया खेरा गाँव

xii) बारपाल पंचायत केनारपाल तोराना तलब और कदिया खेत गांव

xiii) काया पंचायत के काया और चांदनी गांव

xiv) तीतारदी पंचायत के तीरादी, फांडा, बिलिया, दाकनकोटरा, धुलिया की पट्टी और सावीना खेरा गांव

xv) कानपुर पंचायत का कानपुर गांव

xvi) वाली पंचायत के वाली बूदेल, लालपुरा पारवल, खेरी और जसपुर गांव

xvii) चांदसदा पंचायत के चंदसा, दामोरोब का गुडा, मामादेव, झामर कोटरा, सथपुरा गुंजारन, सतपुरामीना, जली का घूरा, खारवा, मानपुरा और जोधपुरिया गांव

xviii) जगत पंचायत का जगत गांव

xix) दातीसार पंचायत के दातीसार, रुनीजा, बासू और रोद्दा गांव

xx) लॉकरवास पंचायत के लोकार वास तथा परोला गांव

xxi) भला का गुरहा पंचायत के भला का गुरहा, कारगेत, भेसधा और बिछड़ी गांव

4. चित्तोड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील
5. सिरोही जिले की आबूरोड तहसील में आबूरोड खंड

राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सीओ 26) दिनांक 7.12.1950 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और रद्द करने के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश 1981 (सी ओ 114) दिनांक 12.2.1981 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

VII. झारखण्ड @

1. रांची जिला
2. लोहरदगा जिला
3. गुमला जिला
4. सिमडेगा जिला
5. लातेहर जिला
6. पूर्वी-सिंहभूम जिला
7. पश्चिमी- सिंहभूम जिला

---

8. सरायकेला-खरसावां जिला
9. साहेबगंज जिला
10. दुमका जिला
11. पाकुर जिला
12. जामतारा जिला
13. पलामू जिला-सतबरवा ब्लॉक की राबदा और बकोरिया पंचायतें

---

14. गढ़वा जिला-भंडारिया ब्लॉक
15. गोडा जिला-सुंदर पहाड़ी और बौरीजोर ब्लॉक

@ संयुक्त राज्य बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश 1950 (सी.ओ. 9) दिनांक 26. 1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और बिहार राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 (सी.ओ. 109) दिनांक 31.12.1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य झारखंड के निर्माण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य बिहार के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित झारखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ. 192) में विनिर्दिष्ट झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र को दिनांक 11.04.2007 के अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य), आदेश, 2007 (सी.ओ. 229) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

VIII. मध्य प्रदेश @@

1. झाबुआ जिला
2. मंडला जिला
3. डिन्डोरी जिला
4. बरवानी जिला 1
5. धार जिले के सारदापुर, धार, कुक्शी धर्मपुरी, गंधवानी और मानवार तहसील
6. खरगोन (पश्चिम निमाड़) जिले के भगवानपुर, सेगांव, भीकनगांव, खरगोन और महेश्वर तहसील
7. खण्डवा (पूर्व निमाड़) जिले के खाकनार तहसील के खाकनार जनजाति विकास खण्ड और हरसुद तहसील के खालवा जनजाति विकास खण्ड।
8. रतलाम जिले में सैलाना और बाजवा
9. बेतुल जिले के बेतूल तहसील (बेतूल सामूदायिक विकास खण्ड के अलावा) और भैंसदेही, शाहपुर तहसीले
10. सियोनी जिले के लाखनडोन, घनसौर और कुराई जनजाति विकास खण्ड।
11. बालाघाट जिले का बैहर तहसील
12. होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील का केसला जनजाति विकास खंड
13. शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैथारी, कोतमा, जैतपुर, सोहागपुर और जय-सिंहनगर तहसील
14. उमरिया जिले की पाली तहसील में पाली जनजाति विकास खंड
15. सिधी जिले की कुसमी तहसील में कुसमी जनजाति विकास खंड
16. शियोपुर जिले की कराहल तहसील में कराहल जनजाति विकास प्रखंड
17. छिन्दवाड़ा जिले के तामिया और जमई तहसील, पटवारी सर्किल सं. **10** से **12** और **16** से **19** तक, पटवारी सर्किल सं. **09** में सिरीगांव खुर्द और किरवारी गांव, परसिया तहसील में पटवारी सर्किल खंड **13** के मैनावरी और गौली परसिया गांव, छिन्दवाड़ा तहसील में पटवारी सर्किल सं॰ **25** का बहमानी गांव। हरई जनजाति विकास खंड और अमरवाड़ा तहसील में पटावारी सर्किल सं॰ **28** से **36, 41, 43, 44** और **45** बी तक।

    बिछुआ तहसील और सौंसर तहसील में पटवारी सर्किल सं॰ **05, 08, 09, 10, 11** और **14,** पटवारी सर्किल सं॰ **01** से **11** और **13** से **26** और पटवारी सर्किल सं॰ **12** (ग्राम भूली को छोड़कर) पटवारी सर्किल सं॰ **27** का ग्राम नंदपुर, छिंदवाड़ा जिले की पांदुर्णा तहसील में पटवारी सर्किल सं॰ **28** के नीलकंठ और धवादिखापा गांव।

IX. छत्तीसगढ़ @@

1. सरगुजा जिला
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला
4. दांतेवाड़ा जिला
5. कांकेर जिला
6. बिलासपुर जिले में मारवाही, गौरेला- 1, विकास खंड गौरेला-2 आदिवासी विकास खंड और राजस्व निरीक्षक सर्किल
7. कोरबा जिला
8. जशपुर जिला

---

9. रायगढ़ जिले में धर्म जयगढ़, घरघोडा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड
10. दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति जनजाति विकास खंड
11. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड

---

12. रायपुर जिले में गरियाबंद, मैनपुर और छूरा जनजाति विकास खंड
13. धमतरी जिले में नागरी (सिहावा) जनजाति विकास खण्ड

@@ मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को मूलरूप में अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सां.आ. 9) दिनांक 26.1.1950 के तहत विनिर्दिष्ट किया गया और मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में उपर्युक्त पहले आदेश को रद्द करने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य) आदेश 1977 (सां.आ. 109) दिनांक 31.12. 1977 के तहत पुनः विनिर्दिष्ट किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत नए राज्य छत्तीसगढ़ के निर्माण के परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, 31.12.1977 के आदेश को रद्द करके, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सां.आ. 192) दिनांक 20.2.2003 के तहत पुनः निर्दिष्ट किया गया है।

टिप्पणः उपर्युक्त सूची में अनुसूचित क्षेत्र की वर्तनी में किसी असंगतता के मामले में सम्बंधित मूल अधिसूचना को अंतिम तथा अधिप्रमाणित माना जाएगा।

अनुलग्नक–4घ

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्टों की स्थिति
(31.12.2016 तक)

क्र.स.	राज्य	जिन वर्षों के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी						
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	आंध्र प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
2.	छत्तीसगढ़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
3.	गुजरात	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
4.	झारखण्ड	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
5.	हिमाचल प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
6.	मध्य प्रदेश	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
7.	महाराष्ट्र	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित
8.	ओडिशा	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित	प्रतीक्षित
9.	राजस्थान	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्रतीक्षित
10.	तेलंगाना	दिनांक 2 जून, 2014 को राज्य बना					प्रतीक्षित	प्रतीक्षित

अनुलग्नक–4ड़

वर्ष 2012-13 से राज्यों द्वारा आयोजित की गई जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) की बैठकों को दर्शाने वाला विवरण

(31.12.2016 तक)

राज्य का नाम	टीएसी की बैठको की तिथियां				
	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
आंध्र प्रदेश	एन आर	15.10.2013	एन आर	एन आर	एन आर
छत्तीसगढ़	13.7.2012 एवं 25.11.2012	17.7.2013	22.7.2014	08.06.2015 एवं 17.12.2015	12.07.2016
गुजरात	24.04..2012	एन आर	एन आर	07.10.2015	एन आर
हिमाचल प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	29.07.2015	एन आर
झारखण्ड	9.11.2012	एन आर	एन आर	28.01.2016	26.04.2016 एवं 03.11.2016
मध्य प्रदेश	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
महाराष्ट्र	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
ओडिशा	28.9.2012	27.7.2013	एन आर	एन आर	एन आर
राजस्थान	7.9.2012	12.4.2013	18.12.2014	एन आर	एन आर
तमिलनाडु*	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
पश्चिम बंगाल*	एन आर	23.12.2013	05.06.2014	26.08.2015	एन आर
तेलंगाना	2 जून, 2014 को राज्य बना		एन आर	एन आर	24.06.2016
उत्तराखण्ड*	19 जनवरी, 2015 को टीएसी नियमावली अधिसूचित हुई		एन आर	एन आर	08.07.2016 एवं 02.08.2016

अनुलग्नक–6क

2014-15 से 2016-17 तक राज्य टीएसपी परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	राज्य में अजजा जनसंख्या का %	2014-15					2015-16					2016-17			
		कुल योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	आवंटन %	टीएसपी व्यय	कुल योजना परिव्यय के संदर्भ में व्यय का %	कुल योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	आवंटन %	टीएसपी व्यय	कुल योजना परिव्यय के संदर्भ में व्यय का %	कुल योजना परिव्यय	टीएसपी आवंटन	आवंटन %	टीएसपी व्यय (दिसम्बर, 2016 तक)
आंध्र प्रदेश	5.5	26670	1500	5.62	1442	5.41	34408	1904	5.53	1711	4.97	56067	3100	5.53	1913
असम	12.45	18000	90	0.50	68	0.38	25406	98	0.39	34	0.13	-	-	-	-
बिहार	1.28	55099	509	0.92	509	0.92	57138	679	1.19	544	0.95	64126	982	1.53	589
छत्तीसगढ़	30.62	26615	9519	35.77	9417	35.38	29753	10513	35.33	10066	33.83	34715	11500	33.13	7490
गोवा	10.23	357.25	36	10.08	19.34	5.41	490	51.5	10.51	14.16	2.89	474	56	11.81	7.3
गुजरात	14.75	69195	9039	13.06	7536	10.89	79295	9691	12.22	8379	10.57	85558	10267	12.00	4123
हिमाचल प्रदेश	5.71	4400	395	8.98	432	9.82	4800	432	9.00	429	8.94	5200	468	9.00	468
जम्मू और कश्मीर	11.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड	26.21	18260	11797	64.61	6414	35.13	22526	14272	63.36	7755	34.43	28220	16304	57.77	7616
कर्नाटक	6.95	65600	4357	6.64	3538	5.39	72597	4678	6.44	4475	6.16	85375	5566	6.52	611
केरल	1.45	20000	600	3.00	582	2.91	20000	605	3.03	-	-	24000	683	2.85	-
मध्य प्रदेश	21.09	54902	7562	13.77	7629	13.90	60747	8658	14.25	7399	12.18	75189	10907	14.51	4498
महाराष्ट्र	9.35	51223	4815	9.40	4090	7.98	54999	5170	9.40	4563	8.30	56997	5358	9.40	-
मणिपुर	35.12	8671	3060	35.29	-	-	-	3366	-	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	22.85	37529	7885	21.01	5870	15.64	44230	8468	19.15	5190	11.73	50200	10466	20.85	1854
राजस्थान	13.48	66065	9178	13.89	7671	11.61	111784	15613	13.97	13821	12.36	99693	13596	13.64	9034
सिक्किम	33.8	2957	810	27.39	647	21.88	5176	-	-	-	-	1574	819	52.03	819
तमिलनाडु	1.1	42185	573	1.36	471	1.12	55100	658	1.19	617	1.12	60610	722	1.19	251
तेलंगाना	9.34	48648	4560	9.37	1727	3.55	52383	5036	9.61	3222	6.15	67630	6171	9.12	3139
त्रिपुरा	31.76	5151	2052	39.84	1532	29.74	4827	2064	42.76	1404	29.09	5184	2308	44.52	746
उत्तर प्रदेश	0.57	113500	104	0.09	47	0.04	120000	256	0.21	206	0.17	136667	260	0.19	106
उत्तराखंड	2.89	16260	457	2.81	259	1.59	15795	430	2.72	227	1.44	15937	455	2.85	113
पश्चिम बंगाल	5.8	42694	3139	7.35	3022	7.08	49507	3725	7.52	3646	7.36	57905	4418	7.63	-
कुल		**793981**	**82037**	**10.33**	**62922**	**7.92**	**920961**	**96368**	**10.46**	**73702**	**8.00**	**1011321**	**104406**	**10.32**	**43377**

2014-15 से 2016-17 तक मंत्रालय/विभाग-वार जनजातीय उप-योजना आवंटन

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	टीएसपी बाध्यता	2014-15 (संशोधित अनुमान)			2015-16 (संशोधित अनुमान)			2016-17 (संशोधित अनुमान)		
			कुल परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल टीएसपी का %	कुल परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल टीएसपी का %	कुल परिव्यय	कुल टीएसपी आवंटन	कुल टीएसपी का %
1	दूरसंचार विभाग	0.25	12469.63	7.47	0.06	20278.66	11.96	0.059	14488.21	25.65	0.177
2	कपड़ा मंत्रालय	1.20	4183.54	49.47	1.18	4326.44	49.16	1.136	6201.10	40.20	0.648
3	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	1.30	7540.83	0.00	0.00	7032.43	188.94	2.687	4122.63	30.01	0.728
4	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	1.40	134476.54	2.40	0.00	140565.00	1.12	0.001	140086.53	2.10	0.001
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	2.00	691.00	9.35	1.35	1114.21	12.80	1.149	1217.14	20.55	1.688
6	संस्कृति मंत्रालय	2.00	2159.00	30.00	1.39	2131.00	25.16	1.181	1550.50	34.41	2.219
7	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	2.40	3413.44	24.60	0.72	1956.18	26.05	1.332	5270.10	111.60	2.118
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2.50	2921.12	36.30	1.24	3828.68	53.23	1.390	3984.29	100.00	2.510
9	पर्यटन मंत्रालय	2.50	1182.99	27.50	2.32	922.15	21.25	2.304	1581.67	37.50	2.371
10	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3.50	55611.94	350.00	0.63	47065.00	520.00	1.105	52343.97	380.00	0.726

11	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3.60	19852.00	90.00	0.45	5586.00	108.03	1.934	6224.72	114.00	1.831
12	खान मंत्रालय	4.00	877.05	0.00	0.00	997.61	8.94	0.896	443.47	12.70	2.864
13	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	2716.30	106.22	3.91	2759.00	181.00	6.560	1365.18	186.40	13.654
14	उच्चतर शिक्षा विभाग	7.50	23700.00	951.31	4.01	25344.00	1011.05	3.989	29501.67	1288.34	4.367
15	कोयला मंत्रालय	8.20	1647.72	0.00	0.00	603.30	37.15	6.158	521.00	25.38	4.871
16	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	8.20	32324.79	1866.37	5.77	32600.99	2014.56	6.179	34310.56	2572.18	7.497
17	श्रम और रोजगार मंत्रालय	8.20	4504.87	121.36	2.69	4831.08	52.65	1.090	4914.15	43.94	0.894
18	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	8.20	2885.02	179.37	6.22	3020.88	206.53	6.837	5424.00	409.11	7.543
19	पंचायती राज मंत्रालय	8.20	3400.69	582.20	17.12	221.50	15.21	6.867	655.00	53.37	8.148
20	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	8.20	18588.39	1517.00	8.16	17074.59	1666.71	9.761	17590.57	1418.60	8.065
21	युवा मामले और खेल मंत्रालय	8.20	1156.61	69.72	6.03	1369.48	68.07		1581.90	71.71	4.533
22	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	10.00	12217.96	1210.00	9.90	10901.53	1074.30	9.855	16500.00	1650.00	10.000
23	भूमि संसाधन विभाग	10.00	2508.95	250.10	9.97	1578.31	154.80	9.808	1690.64	169.00	9.996
24	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	10.70	69058.26	4796.35	6.95	41924.12	4297.16	10.250	43877.12	4748.87	10.823
25	ग्रामीण विकास विभाग	17.50	108857.65	2907.93	2.67	77598.35	2786.18	3.591	96020.80	4269.49	4.446
26	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	3871.88	3850.00	99.43	4573.80	4550.00	99.480	4798.64	4798.64	100.000
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	-	1895.45	0.00	0.00	2000.14	0.00	0.000	2510.73	0.00	0.000
28	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	-	1994.10	11.74	0.59	1666.60	5.00	0.300	1888.00	5.50	0.291
29	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	-	2532.89	0.00	0.00	262.07	0.00	0.000	4308.60	72.00	1.671
30	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	-	**0.00**	**0.00**	0.00	1037.59	0.00	0.000	2139.68	157.75	7.373
31	विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग	-	441.06	28.93	6.56	610.95	43.60	7.136	765.74	57.37	7.492
	कुल		**539681.67**	**19075.69**	**3.53**	**465781.64**	**19190.61**	**4.120**	**507878.31**	**22906.37**	**4.510**

अनुलग्नक—6ग

क्रियाकलापों की व्याख्यात्मक सूची

क्रम सं.	वर्ग	मामले/क्रियाकलाप
1.	शिक्षा (एसएसए/आरएमएसए निधियों के साथ तालमेल में)	(i) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के साथ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वर्तमान भवन अवसंरचना में वृद्धि (मरम्मत और रखरखाव शामिल नहीं है) (ii) सह-शिक्षा आवासीय विद्यालयों का निर्माण। (iii) बालक तथा बालिका छात्रावासों का निर्माण। (iv) आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में सौर-ऊर्जा का उपयोग। (v) आवासीय विद्यालय (उच्चतर माध्यमिक स्तर को प्राथमिकता) में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (आईटी, हरित ऊर्जा आदि जैसे आर्थिक जगत के आधुनिक क्षेत्र सहित)। (vi) विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उपकरण नियमों पर शासकीय संस्थानों में विशेष व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त इकाई/मदें आरंभ करना (बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए भी) (vii) विद्यालयों में जनजातीय खेलकूदों के प्रोत्साहन का प्रावधान (युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं, राज्य टीएसपी के तहत टीएसपी प्रवाह के साथ समन्वय में) (viii) शिक्षा सुविधा/उपकरण आधारित आईटी (उच्च माध्यमिक स्तर के लिए) (ix) प्रतिभावान जनजातीय विद्यार्थियों की पहचान और पालन/प्रोत्साहन के लिए विशेष उपाय। (x) विशेष प्रभावों/निर्देश उपायों के लिए 3-5 वर्ष के लिए आवर्ती लागत : (1) विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरूआत। (2) जनजातीय प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों में सर्वोत्तम पब्लिक स्कूलों में प्रवेश हेतु विशेष छात्रवृत्ति। (3) विद्यालयों में व्यवहार कुशलता को बेहतर करने के उपाय (सामान्य शैक्षिक अवधि के उपरांत)। (4) सुपर 30 की तरह विशेष प्रशिक्षण/कोचिंग सुविधा।
2.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता	(i) सीएचसी/पीएचसी के भवन निर्माण में वृद्धि/मजबूती। (ii) न्यूनतम 3 वर्ष की जीवन-अवधि वाले उपकरण। (iii) सुदूर स्थानों में सचल औषधालय।

		(iv) जनजातीय विद्यार्थियों के बीच सिकल सैल एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करना और स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान। (v) महामारी वाली स्वास्थ्य समस्याएं जैसे स्थानिक, कुष्ठ रोग, टी.बी. आदि के उन्मूलन पर ध्यान। (vi) पैरा चिकित्सा पाठ्यक्रमों में जनजातीय विद्यार्थियों का प्रशिक्षण।
3.	प्राथमिक क्षेत्रों में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी तथा अन्य	(i) जनजातीय परिवार की आय बढ़ाने के लिए व्यापारिक और परम्परागत अनाजों को अपनाना और बढ़ाना। (ii) मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और नमी/जल संवर्धन के उपाय (कुआं, ट्यूबवेल और पम्पसेट आदि सहित)। (iii) जैविक खेती को प्रोत्साहन। (iv) केवीके के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र को विशेष तकनीकी सहायता । **बागवानी:** (i) पॉली हाउस, खेती सहित फलों, फूलों, सब्जियों के बगीचे लगाना। (ii) बागवानी के उत्पाद को बढ़ाने का अभ्यास और प्रचार। (iii) जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन। (iv) सुगंधित और औषधीय पौधों का प्रसार। (v) ड्रिप सिंचाई। **डेयरी विकास:** (i) जनजातीय परिवारों के लिए बेहतर और उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु प्रसंस्करण और शीत गृह अवसंरचना सहित डेयरी विकास (अथवा अन्य) आधारित सहकारिता। (ii) निर्माण अवसंरचना और उपकरण सहित पशु चिकित्सा सेवा। (iii) कृत्रिम वीर्य रोपण (एआई) के माध्यम से उच्च उपज परिणाम के लिए स्थानीय नस्ल को बेहतर बनाना। (iv) स्व-रोजगार के लिए पश्चगामी एवं अग्रगामी लिंकेज के साथ प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। **मुर्गी पालन तथा मछली पालन:** (i) बाजार मूल्य श्रृंखला को उचित लिंकेज के साथ फ्राई और फिंगर लिंग के उत्पादन सहित जनजातीय लाभार्थियों के माध्यम से वाणिज्यिक मछली पालन। (ii) घर में मछली पालन को प्रोत्साहन। (iii) पश्चगामी और अग्रगामी लिंकेज के साथ आय

		सृजनकारी गतिविधि के रूप में मुर्गी पालन को प्रोत्साहन।
4.	जनजातीय पारिवारिक अर्थ-व्यवस्था बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योनजाएं	(i) जनजातीय सहकारिता/स्व-सहायता समूह/व्यक्तिगत उद्यमशीलता के प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि/वन/प्राकृतिक संसाधन आधारित लघु/ग्राम उद्योगों की स्थापना। (ii) जनजातीय शिल्पकारों की बेहतर आय के लिए वस्त्र, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन के उत्पाद जैसे जनजातीय उत्पादों के लिए वर्तममान अवसंरचना (डिजाइन विकास आदि सहित) को बढ़ावा देना। (iii) जनजातीय उत्पादों को बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं और भंडारण। (iv) ग्राम पर्यटन, जैव-पर्यटन और साहसिक पर्यटन। (v) जनजातीय गहने, चित्रकारी, नृत्य कला, संगीत और पाक कला आदि जैसी परंपरागत जनजातीय सांस्कृतिक विधाओं में कौशल विकास और प्रोत्साहन। (vi) निश्चित स्व-रोजगार/प्लेसमेंट लिंकेज के साथ कोई अन्य क्रियाकलाप।
5.	प्रशासनिक/संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन	(i) टीआरआई का सुदृढ़ीकरण (भवन अवसंरचना/उपकरण और आईटी सहायता के साथ) (ii) प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्र नियमावली तैयार करना। (iii) विशेष जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान करना। (iv) टीएसपी निगरानी के लिए आईटी उपकरण सहायता।
6.	कौशल विकास (सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरणों की जारी योजनाओं के अंतर्गत टीएसपी प्रवाह के साथ संयोजन)	(i) महिला लाभार्थियों के लिए मुख्य स्वीकृत राशि के प्रावधान के साथ महिला केन्द्रित क्रियाकलापों/परियोजनाओं पर ध्यान देना।
7.	खेल एवं क्रीड़ा को प्रोत्साहन (भारत सरकार/राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के टीएसपी प्रवाह के साथ संयोजन में)	(i) जनजातीय स्कूलों में खेल की सुविधाओं का प्रावधान। (ii) खेल परिसर/छोटे स्टेडियमों आदि का निर्माण। (iii) जनजातीय युवाओं की आवश्यक प्रतिभागिता के साथ खेल के कार्यक्रम आयोजित करना।

अनुलग्नक–6घ

वर्ष 2007-08 से 2017-18 के दौरान जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) के तहत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य के नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	3712.99	4176.75	1930.00	5746.50	6057.00	4125.00	5789.00	2937.82	3500.00	5000.42	3624.77
2	असम	3220.27	3755.65	2883.00	3500.00	5475.00	4674.00	6563.63	1788.59	5844.00	3407.80	0.00
3	बिहार	715.50	0.00	870.94	650.00	1147.00	0.00	0.00	403.00	1368.26	743.74	0.00
4	छत्तीसगढ़	5893.78	6829.20	6322.88	8453.00	10645.00	9478.00	9478.00	9826.50	10809.64	11717.82	11659.57
5	गोवा	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.68	102.75
6	गुजरात	5419.14	4571.44	5635.53	8126.00	8838.00	7410.00	8448.00	10382.74	10566.50	9488.00	7701.90
7	हिमाचल प्रदेश	1133.43	1276.00	1179.40	1506.00	1851.00	1262.00	1768.00	997.99	475.00	1959.39	2159.61
8	जम्मू और कश्मीर	956.24	676.00	263.79	489.57	1143.00	0.00	1702.41	0.00	2000.00	3671.61	3626.50
9	झारखंड	7711.12	2198.25	0.00	9481.55	10704.00	11413.25	12187.00	9571.11	10000.00	9820.75	6974.41
10	कर्नाटक	1372.00	1544.00	1647.96	2053.00	2170.00	1853.25	2471.00	3000.00	4370.00	5100.00	5955.37
11	केरल	352.36	396.25	366.10	440.00	574.00	549.00	549.00	530.00	357.50	808.09	808.43
12	मध्य प्रदेश	9129.39	12644.25	8722.00	15214.00	15593.00	17525.00	17525.00	15274.22	11501.21	19236.61	20289.66
13	महाराष्ट्र	4293.00	2500.00	895.91	6696.00	7055.93	0.00	7728.00	11726.19	12514.91	9547.00	12810.38
14	मणिपुर	879.00	989.00	527.80	1187.00	705.00	1230.10	1581.90	1118.00	1100.00	2260.00	2144.19
15	ओडिशा	8543.41	10110.50	8885.55	12393.00	14449.15	13321.00	13321.00	14925.04	14728.52	11806.27	11665.96
16	राजस्थान	4654.00	5236.00	3400.00	8209.00	1840.00	7441.00	8377.00	8822.04	10190.00	11072.90	10051.83
17	सिक्किम	280.36	315.00	291.38	369.00	451.01	437.00	437.00	520.25	353.00	1497.62	453.33
18	तमिलनाडु	142.59	469.00	108.00	393.05	572.00	0.00	651.00	217.33	0.00	600.00	348.20
19	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3541.00	4000.00	3845.35	4493.55
20	त्रिपुरा	1318.28	1548.00	1431.29	1879.00	2244.00	1955.00	2102.10	1183.94	2400.07	1345.76	1649.77
21	उत्तराखंड	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	139.60	805.83	0.00	0.00	397.25
22	उत्तर प्रदेश	425.36	644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79	905.51	121.92	458.35
23	पश्चिम बंगाल	2894.59	3255.75	2654.34	3384.00	4720.00	2580.75	4181.36	5730.00	6233.00	5995.50	4997.11
	कुल	**63179.81**	**63135.29**	**48124.00**	**90169.67**	**96234.09**	**85254.35**	***105000.00***	***103999.38***	***113217.12***	***119502.23***	***112372.89***

अनुलग्नक–6ड़

2007-08 से 2017-18 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों की निर्मुक्ति

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	2453.03	1863.44	1946.20	5187.70	7998.00	4834.00	350.00	2139.00	5500.00	2869.43	3591.11
2	अरुणाचल प्रदेश	544.29	308.68	35.20	772.00	1082.83	0.00	832.19	1880.40	3000.80	6580.53	5660.80
3	असम	1192.63	1444.88	1240.77	3517.96	3419.00	0.00	3540.25	0.00	0.00	844.12	0.00
4	बिहार	319.20	0.00	95.00	838.00	959.00	0.00	0.00	586.00	0.00	1467.58	991.89
5	छत्तीसगढ़	3090.44	3211.43	2834.80	7786.00	9294.00	8534.00	9172.11	10778.00	11904.31	10488.52	8248.92
6	गोवा	68.45	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	450.00	0.00
7	गुजरात	3652.68	2372.77	4783.00	8302.00	9426.00	4629.60	10275.69	8592.45	11680.00	9739.02	10270.41
8	हिमाचल प्रदेश	165.43	148.32	360.00	377.00	431.00	474.00	474.00	190.99	523.20	1595.87	1968.02
9	जम्मू और कश्मीर	286.61	193.66	282.74	607.00	1390.00	150.34	1146.75	0.00	2000.00	3539.66	3049.06
10	झारखंड	3060.27	1852.43	3730.00	8004.00	9181.00	7369.50	9280.40	9873.00	12202.96	9489.38	9489.05
11	कर्नाटक	1458.05	1496.37	1823.00	3813.00	4263.00	4800.00	4800.00	4880.40	6300.00	4664.00	5881.74
12	केरल	101.52	159.42	387.00	405.00	463.00	510.00	510.00	748.94	1085.44	695.58	221.76
13	मध्य प्रदेश	5973.00	6466.80	6435.00	17311.31	14015.50	16518.04	15793.47	17321.42	14845.15	14971.43	19405.19
14	महाराष्ट्र	3610.310	2441.46	2000.00	9442.00	10805.00	2911.00	12489.00	11701.29	13374.00	11536.53	12862.24
15	मणिपुर	311.96	324.44	352.50	819.00	937.00	1031.00	1031.00	1600.01	1216.00	1694.40	1858.54
16	मेघालय	773.02	155.33	0.00	2100.00	2798.00	0.00	2924.38	2334.03	1507.67	1576.21	3603.40
17	मिजोरम	409.79	403.57	441.00	922.96	1056.00	810.75	1133.61	1877.78	3617.37	1927.49	2504.41
18	नागालैंड	866.170	200.00	576.59	2047.42	2301.00	2454.00	2886.93	2067.15	5469.34	6368.00	2025.11
19	ओडिशा	4176.84	4129.73	7026.00	11144.33	11347.00	11283.99	14706.50	12728.22	15200.00	11954.96	11826.82
20	राजस्थान	3168.91	3107.04	1500.00	8351.00	7642.00	7737.98	9437.80	9755.92	11000.00	10341.39	10240.58
21	सिक्किम	101.50	65.00	149.20	226.00	259.00	272.58	302.90	370.30	1250.30	1147.00	405.30
22	तमिलनाडु	0.00	291.39	342.00	358.00	614.25	0.00	901.00	639.60	852.80	798.24	378.00
23	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3894.40	6090.00	3608.05	4486.32
24	त्रिपुरा	485.04	434.88	780.00	1358.73	1250.00	1375.00	1355.00	1218.99	1600.68	1280.99	1627.85
25	उत्तर प्रदेश	499.12	391.28	350.00	1200.00	1484.91	200.00	0.00	743.49	1514.74	1138.62	189.00
26	उत्तराखंड	107.81	20.00	120.00	250.00	0.00	0.00	267.00	1530.36	92.02	0.00	677.56
27	पश्चिम बंगाल	2151.620	2489.09	2320.00	4848.00	6066.99	6104.00	6104.00	5747.00	7000.00	5814.37	4504.51
	कुल योग	**39027.69**	**33978.41**	**39910.00**	**99988.41**	**108483.48**	**81999.78**	**109713.9**	**113264.1**	**139226.7**	**126581.37**	**125967.59**

अनुलग्नक–6च

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अब तक स्वीकृत एवं कार्यरत ईएमआरएस की संख्या (31.12.2017 तक)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत ईएमआरएस की संख्या	कार्यरत ईएमआरएस
1.	आंध्र प्रदेश	14	04
2.	अरुणाचल प्रदेश	07	02
3.	असम	04	0
4.	बिहार	02	0
5.	छत्तीसगढ़	25	25
6.	गोवा	1	0
7.	गुजरात	27	27
8.	हिमाचल प्रदेश	01	01
9.	जम्मू और कश्मीर	05	0
10.	झारखंड	21	07
11.	कर्नाटक	12	09
12.	केरल	03	02
13.	मध्य प्रदेश	29	29
14.	महाराष्ट्र	18	16
15.	मणिपुर	05	03
16.	मिजोरम	06	02
17.	नागालैंड	05	03
18.	ओडिशा	27	13
19.	राजस्थान	18	15
20.	सिक्किम	04	04
21.	तमिलनाडु	07	05
22.	तेलंगाना	11	09
23.	त्रिपुरा	06	04
24.	उत्तर प्रदेश	04	02
25.	उत्तराखंड	02	01
26.	पश्चिम बंगाल	07	07
कुल		**271**	**190**

अनुलग्नक–6छ

2017-18 के दौरान ईएमआरएस के लिए राज्य-वार निधियों की निर्मुक्ति (31.12.2017 तक)

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2017-18		
		आवर्ती	गैर-आवर्ती	ईएमआरएस के लिए कुल निर्मुक्तियां
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	757.26	2033.85	2791.11
2	अरुणाचल प्रदेश	100.80	2600.00	2700.80
3	असम	0.00	0.00	0.00
4	बिहार	0.00	900.00	900.00
5	छत्तीसगढ़	2326.84	3471.00	5797.84
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	3930.78	1650.00	5580.78
8	हिमाचल प्रदेश	88.02	600.00	688.02
9	जम्मू और कश्मीर	0.00	800.00	800.00
10	झारखंड	1082.24	2943.76	4026.00
11	कर्नाटक	856.38	40.00	896.38
12	केरल	244.02	400.00	644.02
13	मध्य प्रदेश	3727.28	1680.00	5407.28
14	महाराष्ट्र	1688.40	3250.00	4938.40
15	मणिपुर	302.40	839.00	1141.40
16	मेघालय	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	168.00	1200.00	1368.00
18	नागालैंड	252.60	645.00	897.60
19	ओडिशा	2242.80	4000.00	6242.80
20	राजस्थान	1970.00	1000.00	2970.00
21	सिक्किम	354.00	0.00	354.00
22	तमिलनाडु	0.00	264.00	264.00
23	तेलंगाना	1377.00	2488.57	3865.57
24	त्रिपुरा	778.18	705.00	1483.18
25	उत्तर प्रदेश	252.00	700.00	952.00
26	उत्तराखंड	445.15	220.00	665.15
27	पश्चिम बंगाल	1049.16	0.00	1049.16
कुल		**23993.31**	**32430.18**	**56423.49**

अनुलग्नक–7

दिनांक 31.10.2017 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य	प्राप्त दावों की संख्या			मान्यता प्राप्त अधिकार पत्रों की संख्या			वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्रों की मान्यता दी गई है (एकड़ में)			निरस्त दावों की संख्या	दावों की तुलना में मान्यता प्राप्त अधिकार पत्र
	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल		
आंध्र प्रदेश	1,69,153	4,726	1,73,879	87,861	1,428	89,289	2,07,829.00	4,51,408.00	6,59,237.00	55,397	51.35%
असम	1,48,965	6,046	1,55,011	57,325	1,477	58,802	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0	37.93%
बिहार	8,022	0	8,022	121	0	121	उपलब्ध नहीं	0.00	उपलब्ध नहीं	4,215	1.51%
छत्तीसगढ़	8,52,530	27,548	8,80,078	3,86,206	14,161	4,00,367	8,25,272.61	16,34,025.82	24,59,298.43	4,59,799	45.49%
गोवा	9,758	372	10,130	17	8	25	0.00	5.66	5.66	311	0.25%
गुजरात	1,82,869	7,187	1,90,056	81,178	3,516	84,694	1,27,068.32	11,61,350.87	12,88,419.20	0	44.56%
हिमाचल प्रदेश	591	68	659	53	7	60	1.06	4,670.28	4,671.34	0	9.10%
झारखंड	99,224	3,286	1,02,510	54,458	1,723	56,181	98,265.22	45,503.71	1,43,768.93	27,652	54.81%
कर्नाटक	2,98,795	5,741	3,04,536	12,421	628	13,049	16,436.60	26,465.31	42,901.91	1,71,592	4.28%
केरल	36,140	1,395	37,535	24,599	उपलब्ध नहीं	24,599	33,018.12	0.00	33,018.12	7,889	65.54%
मध्य प्रदेश	5,76,533	39,416	6,15,949	2,19,827	27,263	2,47,090	7,90,476.32	13,20,974.14	21,11,450.46	3,64,309	40.12%
महाराष्ट्र	3,52,950	11,408	3,64,358	1,06,898	5,748	1,12,646	5,77,026.20	44,35,944.77	50,12,970.97	2,31,856	30.92%
ओडिशा	6,16,717	13,495	6,,30,212	4,11,082	5,964	4,17,046	6,11,833.36	3,28,728.77	9,40,562.14	1,49,711	65.51%
राजस्थान	73,455	700	74,155	37,239	88	37,327	56,735.77	497.28	57,233.06	34,528	50.34%
तमिलनाडु	18,420	3,361	21,781	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
तेलंगाना	1,83,107	3,427	1,86,534	93,494	721	94,125	3,00,092.00	4,54,055.00	7,54,147.00	82,572	50.51%
त्रिपुरा	1,98,238	277	1,98,515	1,25,020	55	1,25,075	4,35,726.57	91.16	4,35,817.74	65,779	63.01%
उत्तर प्रदेश	92,520	1,124	93,644	17,712	843	18,555	18,854.46	1,20,802.06	1,39,656.53	74,945	19.81%
उत्तराखंड	182	0	182	0	0	0	0	0	0	1	0.00%
पश्चिम बंगाल	1,31,962	10,119	1,42,081	44,444	686	45,130	21,014.27	572.03	21,586.29	96,587	31.76%
कुल	**40,50,131**	**1,39,696**	**41,89,827**	**17,59,955**	**64,316**	**18,24,271**	**41,19,650**	**99,85,095**	**141,04,744.77**	**18,27,143**	**43.54%**

अनुलग्नक–8क

2015-16 से 2017-18 (31.12.2017 तक) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (31.12.17 तक)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि
1	अण्डमान तथा निकोबार	0.00	•0	0.00	167	0.50
2	आंध्र प्रदेश	1986.82	49239	9777.62	65173	7198.11
3	अरुणाचल प्रदेश	1137.61	•0	1136.32	22564	4314.90
4	असम	6748.28	116693	266.65	29423	779.00
5	बिहार	0.00	••0	0.00	0	53.25
6	छत्तीसगढ़	4764.83	148660	2674.82	135586	3218.26
7	दमन और दीव	0.00	•0	53.63	328	26.19
8	गोवा	356.00	4270	645.00	1924	313.80
9	गुजरात	5520.40	163989	22040.27	192322	12626.74
10	हिमाचल प्रदेश	1350.00	8079	931.36	3739	291.00
11	जम्मू और कश्मीर	2494.17	21000	2587.84	13854	1867.56
12	झारखण्ड	0.00	••0	8148.39	63029	1292.50
13	कर्नाटक	5839.00	140891	8540.00	109943	1987.50
14	केरल	0.00	••0	3122.00	15834	2494.46
15	मध्य प्रदेश	3065.00	197176	13054.00	263176	8983.50
16	महाराष्ट्र	5209.83	175000	22092.28	163321	8951.91
17	मणिपुर	3588.00	66928	3385.20	59995	998.50
18	मेघालय	3274.61	74608	3189.00	54900	770.50
19	मिजोरम	4927.91	57330	4267.52	42072	1197.75
20	नगालैंड	2646.34	45140	1344.00	44404	1215.00
21	ओडिशा	4050.00	165100	15556.48	176579	7711.18
22	राजस्थान	10890.43	275669	9800.00	126965	6213.13
23	सिक्किम	400.00	3053	938.16	2605	669.45
24	तमिलनाडु	2266.86	20060	3061.85	23574	552.50
25	तेलंगाना	9650.00	171329	11483.00	112236	16187.25
26	त्रिपुरा	1700.00	28374	1323.90	21001	266.25
27	उत्तर प्रदेश	0.00	••0	1057.50	5322	264.75
28	उत्तराखंड	900.00	27796	5090.57	15401	600.25
29	पश्चिम बंगाल	2948.46	73357	0.00	85901	2507.89
		85714.55	**2033741**	**155567.37**	**1851338**	**93553.58**

अनुलग्नक–8ख

2015-16 से 2017-18 (31.12.2017 तक) तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तथा सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (31.12.17 तक)
		निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि
1	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0	0.00	325	_
2	आंध्र प्रदेश	1983.00	79602	0.00	39466	5282.94
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	2594	_
4	असम	0.00	0	321.33	0	_
5	बिहार	375.00	37095	0.00	0	_
6	छत्तीसगढ़	3607.00	225705	2534.15	207956	1805.30
7	दमन और दीव	0.00	0	0.00	356	8.03
8	गोवा	0.00	0	52.64	3721	3.75
9	गुजरात	3745.76	138465	80.81	188593	3650.84
10	हिमाचल प्रदेश	96.12	5798	51.21	1972	_
11	जम्मू और कश्मीर	700.00	37813	0.00	6131	_
12	झारखण्ड	0.00	0	0.00	91464	1704.53
13	कर्नाटक	0.00	0	0.00	52096	1364.59
14	केरल	300.00	30010	796.40	14464	_
15	मध्य प्रदेश	4300.00	364167	0.00	151611	2656.76
16	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	_
17	मणिपुर	0.00	0	867.38	22401	_
18	मेघालय	0.00	0	0.00	3273	122.94
19	मिजोरम	0.00	0	336.36	9843	_
20	नगालैंड	851.47	42048	0.00	18780	_
21	ओडिशा	4900.00	221243	3376.36	222837	5134.98
22	राजस्थान	0.00	0	0.00	0	_
23	सिक्किम	0.00	0	0.00	297	20.59
24	तमिलनाडु	600.00	15750	0.00	6602	_
25	तेलंगाना	0.00	0	0.00	28966	_
26	त्रिपुरा	1303.60	53516	0.00	16723	232.89
27	उत्तर प्रदेश	0.00	10856	0.00	8760	_
28	उत्तराखंड	107.00	0	0.00	5687	104.45
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	29249	_
	कुल	**22868.95**	**1262068**	**8416.64**	**1134167**	**22092.59**

अनुलग्नक—9क

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	पीवीटीजी की सूची
1	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	1. बोडो गडाबा
		2. बोंडो पोरजा
		3. चेंचू
		4. डोंगरिया खोंड
		5. गुटोब गडाबा
		6. खोंड पोरजा
		7. कोलम
		8. कोंडारेड्डी
		9. कोंडोसवारा
		10. कुटियाखोंड
		11. पारेंगी पोरोजा
		12. थोटी
2	बिहार (झारखंड सहित)	13. असुर
		14. बिरहोर
		15. बिरिजिया
		16. हिल खारिया
		17. कोरवास
		18. मल पहारिया
		19. परहइया
		20. सौरिया पहारिया
		21. सावर
3	गुजरात	22. कथोडी
		23. कोतवालिया
		24. पधार
		25. सिद्दी
		26. कोलघा
4	कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा
		28. कोरागा
5	केरल	29. चोलानाइकायन (कट्टूनायकन का एक क्षेत्र)
		30. कदार
		31. कट्टूनायकन
		32. कुरूम्बा
		33. कोरागा

6	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	34. अबूझ मारिया
		35. बैगा
		36. भारिया
		37. बिरहोर
		38. हिल कोरबा
		39. कमार
		40. सहरिया
7	महाराष्ट्र	41. कटकारिया (कथोडिया)
		42. कोलम
		43. मारिया गोंड
8	मणिपुर	44. मारम नागास
	ओडिशा	45. बिरहोर
		46. बोंडो
		47. डिडाई
		48. डोंगरिया खोंड
		49. जुआंग
		50. खारिया
		51. कुटिया खोंड
		52. लानजिया सौराव
		53. लोधा
		54. मनकिदा
		55. पौडी भूयान
		56. साउरा
		57. चुकटिया भुंजिया
10	राजस्थान	58. सहरिया
11	तमिलनाडु	59. इरूला
		60 कट्टूनायकन
		61 कोटा
		62. कुरुम्बा
		63. पानियान
		64. टोडा
12	त्रिपुरा	65. रियांग
13	उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड सहित)	66. बुकसा
		67. राजी
14	पश्चिम बंगाल	68. बिरहोर
		69. लोधा
		70. टोटो
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71. ग्रेट अंडमानीज
		72. जरावा
		73. ओन्गेज
		74. सेंटिनिलिज
		75. शोमपेन

अनुलग्नक—9ख

2015-16 से 2017-18 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की योजना के तहत राज्यों को निर्मुक्त की गई राशियों का सारांश

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017तक)
1	आंध्र प्रदेश	3240.000	5105.00	2076.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.000	100.00	0.00
3	बिहार	0.00	342.87	295.91
4	छत्तीसगढ़	1809.630	1230.00	817.50
5	गुजरात	898.100	779.12	390.67
6	झारखंड	1627.379	3120.00	2043.75
7	केरल	0.000	100.000	62.00
8	कर्नाटक	836.303	136.000	467.00
9	मध्य प्रदेश	4491.920	10460.40	5929.29
10	महाराष्ट्र	0.000	2077.00	1226.25
11	मणिपुर	100.000	329.00	195.00
12	ओडिशा	3373.920	1379.00	548.31
13	राजस्थान	1076.090	1331.00	778.50
14	तमिलनाडु	1118.893	3055.00	1770.75
15	त्रिपुरा	895.560	2250.00	1323.75
16	तेलंगाना	1439.035	1139.00	674.00
17	उत्तराखंड	0.000	292.48	130.00
18	पश्चिम बंगाल	447.600	574.00	330.75
	कुल	**21354.430**	**33799.87**	**19059.43**

अनुलग्नक–10क

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई)

क्रम सं.	पता
1	असम जनजातीय एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, **असम** सरकार, जवाहर नगर, एन.एच.- 37, गुवाहाटी-781022
2	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार, पं. रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, परिसर, रायपुर-492010
3	जनजातीय सांस्कृतिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **आंध्र प्रदेश** सरकार, दूसरा तल, तेलगु-समक्षेम भवन, मसब टैंक, हैदराबाद - 500028
4	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014, **गुजरात**
5	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल्स, शिमला- 171005, **हिमाचल प्रदेश**
6	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, **झारखंड** सरकार, मोराबाड़ी रोड, रांची - 834008
7	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, निदेशालय, जनजातीय कार्य निदेशालय, **जम्मू और कश्मीर** सरकार, नागरिक सचिवालय, जम्मू 180001
8	कर्नाटक जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **कर्नाटक** सरकार, सं. 15/40, अनिकेतन रोड कुवेम्पुनगर, मैसूर -570023
9	केरल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलेपमेंट, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अध्ययन, **केरल** सरकार, कोजिकोडे - 673017
10	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **मध्य प्रदेश** सरकार, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल- 462002
11	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **महाराष्ट्र** सरकार, 28, क्वीन्स गार्डेन, पुणे -411011
12	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, **मणिपुर** सरकार, चिंगमिरांग, इंफाल-795001
13	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **ओडिशा** सरकार, इकाई-VIII, सीआरपी चौराहा, भुवनेश्वर - 751003

14	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, **राजस्थान** सरकार, अशोक नगर, पो. बॉक्स नं. 86, उदयपुर- 313001
15	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, समाज कल्याण भवन, 5वीं मील, लुमसे गंगटोक, **सिक्किम**-737101.
16	जनजातीय अनुसंधान केन्द्र, **तमिलनाडु** सरकार, एम. पलाडा (पीओ), उधगमंडलम, नीलगिरि जिला, ऊटी -643004
17	जनजातीय सांस्कृतिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, **तेलंगाना** सरकार, दूसरा तल, डीएसएस भवन, मसब टैंक, हैदराबाद- 500028
18	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान, **त्रिपुरा** सरकार, लेक चोवेमाहुई, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा- 799001
19	अ.जा./अ.ज.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार, भागीदारी भवन (अंबेडकर पार्क के पास) विपुल खंड-गोमती नगर, लखनऊ -226010
20	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, **पश्चिम बंगाल** सरकार, पी 6-1/4 सीआईटी योजना, VII-एम, वीआईपी रोड, कांकुरगाछी, कोलकाता-700054
21	जनजातीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, **अंडमान और निकोबार** द्वीप समूह, प्रशासन, पोर्टब्लेयर- 744101

अनुलग्नक–10ख

2012-13 से 2016-17 तक जनजातीय अनुसंधान संस्थानो द्वारा चलाई गई कार्यकलापों की स्थिति

क्रम सं.	टीआरआई	अनुसंधान अध्ययन	मूल्यांकन अध्ययन	प्रशिक्षण	जनजातीय उत्सव	आधारभूत सर्वेक्षण	प्रकाशन	वृतचित्र
1	त्रिपुरा	8	3	0	7	0	20	10
2	पश्चिम बंगाल	40	4	4	0	0	3	4
3	कर्नाटक	12	4	14	1	5	10	9
4	तमिलनाडु	1	0	2	0	0	0	0
5	झारखंड	2	3	3	1	2	17	8
6	राजस्थान	3	7	6	15	0	4	0
7	असम	16	0	29	0	0	0	6
8	केरल	8	0	25	8	0	11	3
9	गुजरात	11	5	57	0	6	NA	0
10	उत्तर प्रदेश	5	1	3	0	1	1	0
11	मध्य प्रदेश*	14	26	77	5	0	4	NA
12	मणिपुर	26	0	12	28	3	205	12
13	महाराष्ट्र	14	3	146	4	0	6	1
14	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10	0	5	0	0	0	2
15	तेलंगाना	1	1	7	5	0	6	3
16	छत्तीसगढ़*	9	5	1	0	1	7	0
17	ओडिशा	40	10	68	10	3	28	4
18	हिमाचल प्रदेश	9	2	1	0	0	3	0
19	सिक्किम	4	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक—11

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) – वर्ष 2017-18 के दौरान लाभार्थियों के कवरेज हेतु लक्ष्य

क्रम सं.	राज्य का नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
1	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड, **आंध्र प्रदेश**	2330
2	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	185
3	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम, **अरुणाचल प्रदेश**	808
4	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड, **असम**	3300
5	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **बिहार**	1135
6	छत्तीसगढ़ राज्य अंतव्यवसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	6650
7	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **दादरा और नगर हवेली**	185
8	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, **गोवा**	185
9	गुजरात जनजातीय विकास निगम, **गुजरात**	7576
10	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां विकास निगम, **हिमाचल प्रदेश**	334
11	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ा वर्ग विकास निगम, **जम्मू और कश्मीर**	1268
12	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, **झारखंड**	7346
13	कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	3612
14	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	207
15	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, **केरल**	208
16	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, **लक्षद्वीप**	185
17	मणिपुर जनजातीय विकास निगम लिमिटेड, **मणिपुर**	768
18	सबरी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	8930
19	मेघालय सहकारिता एपेक्स बैंक लिमिटेड, **मेघालय**	2173
20	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, **मध्य प्रदेश**	13016
21	मिजोरम खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, **मिजोरम**	439
22	मिजोरम शहरी सहकारिता विकास बैंक लिमिटेड, **मिजोरम**	440
23	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, **नागालैंड**	727
24	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, **नागालैंड**	727

क्रम सं.	राज्य का नाम	आय सृजनकारी योजनाओं के लाभार्थियों का लक्ष्य
25	ओडिशा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारिता निगम लिमिटेड, **ओडिशा**	8151
26	राजस्थान अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारिता निगम, **राजस्थान**	7851
27	सिक्किम अनुसूचित जनजाति, जनजातियां तथा पिछड़े वर्ग विकास निगम लिमिटेड, **सिक्किम**	185
28	तमिलनाडु आदि द्राविडर परिवार एवं विकास निगम लिमिटेड, **तमिलनाडु**	675
29	स्त्रीनिधि ऋण सहकारिता संघ लिमिटेड, **तेलंगाना**	2700
30	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारिता विकास निगम, लिमिटेड, **त्रिपुरा**	990
31	उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम, **उत्तराखंड**	248
32	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	964
33	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां विकास वित्त निगम, **पश्चिम बंगाल**	2251
34	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारिता निगम, **पश्चिम बंगाल**	2251
	कुल:	**89000**

टिप्पण: वर्ष के लिए लाभार्थियों का आंतरिक लक्ष्य 89000 है। सांकेतिक आवंटन के आधार पर राज्यों को विभाजित किया गया है।

अनुलग्नक—12

2015-16 से 2017-18 (दिनांक 31.12.2017 तक) के दौरान पूर्व में "एमएफपी कार्यों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसी) को सहायता अनुदान" के नाम से ज्ञात "जनजातीय उत्पाद/उपज के विपणन और विकास के लिए संस्थागत समर्थन" की योजना के तहत राज्यों को जारी सहायता अनुदान के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18
1	केरल	-	-	393.52
2	ओडिशा	148.13	-	-
3	राजस्थान	-	43.43	-
4	त्रिपुरा	310.98	351.10	201.48
5	पश्चिम बंगाल	-	431.47	-
6	मिजोरम	-	174. 00	-
7	**ट्राइफेड**	3026.00	3500.00	1950.00
	कुल	**3485.11**	**4900.00**	**2545.00**

टिप्पणः यह अनुमानित है कि जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान ट्राइफेड को 1950 लाख रुपए की राशि वहीं राज्य टीडीसीसी को 393.52 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की जा सकती है, जिसे इस अवधि के दौरान उनके द्वारा उपयोग किया जाएगा।

अनुलग्नक–13

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थान एवं न्यायधिकार क्षेत्र

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते	न्यायधिकार क्षेत्र
1.	कमरा सं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, 52-क, पहाड़ी क्षेत्र, भोपाल-462011 (मध्य प्रदेश) दूरभाष संख्या 0755-2576530 फैक्स संख्या 0755-25578272	कर्नाटक, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तथा दादर एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
2.	एन-1/297 आईआरसी ग्राम, भुवनेश्वर-751015 (ओडिशा) दूरभाष संख्या 0674-2551616 फैक्स संख्या 0674-2551818	आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं पुदुचेरी-संघ राज्य क्षेत्र
3.	कमरा संख्या 101 तथा 102, प्रथम तल, ब्लॉक ए, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-10, विद्याधर नगर, जयपुर-302023 (राजस्थान) दूरभाष संख्या 0141-2236462 फैक्स संख्या 0141-2235488	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा चंडीगढ और दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र
4.	ईएसी कॉलोनी, प्लॉट नं. 3/16, प्रथम तल, जिला न्यायालय के पीछे (पूर्णिमा विद्यालय के समीप) रायपुर- 492001 (छत्तीसगढ़) दूरभाष संख्या 0771-2443335 फैक्स संख्या 0771-2443334	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. कोऑपरेटिव कॉलोनी, कदरू, रांची-834002 (झारखंड) दूरभाष संख्या 0651-2341677 फैक्स संख्या 0651-2340368	बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश
6.	रबेक्का विला, टेम्पल रोड, लोवर लाचुमिरे, शिलांग-793001 (मेघालय) दूरभाष संख्या 0364-2504202 फैक्स संख्या 0364-2221362	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा

अनुलग्नक—14क (i)

“अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान” की योजना के तहत 2015-16 से 2017-18 के दौरान निधि पोषित स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार सूची।

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के पते सहित नाम	परियोजना	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
					राशि
	आंध्र प्रदेश				
1	गुरुकुलम आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर आश्रम एंड रेजिडेंशियल एजूकेशनल इंस्टीटियुशन सोसाइटी (एपीटीडब्लयूएआरईआईएस), तेलगु संस्क्षेम भवन, दूसरा तल, मसाब टैंक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।	आवासीय विद्यालय (2 इकाइयां)	17940125	3223952	2967082
2	ग्राम अभ्युदय सोसाइटी फॉर इंटेग्रेटेड रुरल डेवलेपमेंट, 6ठा वार्ड, कोटा स्ट्रीट, उर्वाकोंडा, जिला अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश ।	आवासीय विद्यालय	1609470	3256740	0
3	आर.के. मिशन, कोरुकोंडा रोड, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश ।	सचल औषधालय	1277592	1917367	1862098
4	श्री लक्ष्मी महिला मण्डली, डी.न.15-155, मइलावरम (वीएंडएम), गद्दामंतुगु, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश।	गैर-आवासीय विद्यालय	1335150	3093498	1707300
5	सोसाइटी फॉर इंटेग्रेटेड रुरल इम्प्रूवमेंट (एसआईआरआई), 7/163-ए प्रकाश रोड, जिला-अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश।	आवासीय विद्यालय	1604037	1601574	1608057
6	सिमहापुरी विद्या सेवा समिति, सोमसेखरपुरम, नेल्लोर-जिला, आंध्र प्रदेश।	10-बिस्तरों का अस्पताल	1496790	2965230	0
कुल			**25263164**	**16058361**	**8144537**
अरुणाचल प्रदेश					

7	अरुणाचल पाली विद्यापीठ, चंगखाम, जिला लोहित, अरुणाचल प्रदेश।	आवासीय विद्यालय और सचल औषधालय	0	7614900	0
8	बुद्धिस्ट कलचरल प्रीजरवेशन सोसाइटी, अपर गमपा, पोस्ट/थाना: बमदिला, जिला पश्चिम कमांग, अरुणाचल प्रदेश।	आवासीय विद्यालय व कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	2222823	2187327
9	सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज्, गांव/पोस्ट: तवांग, जिला तवांग, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	1580895	1580895
10	महाबोद्धि मैत्री मण्डल, पोस्ट/थाना चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	वृद्धा आश्रम	0	427210	0
11	आर.के. मिशन, नरोत्तम नगर, द्वारा देमोली, जिला-तिरप, अरुणाचल प्रदेश	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (2 इकाइयां), आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय और 20-बिस्तरों का अस्पताल	0	9198293	9243331
12	आर.के. मिशन, पोस्ट: विवेकानन्दनगर, अलोंग, पश्चिम सियांग जिला, अरुणाचल प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय, 10-बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय, छात्रावास व ए वी इकाई	0	12422130	0
13	आर.के मिशन हॉस्पिटल, पोस्ट-रामकृष्ण मिशन, जिला पमपुमपारे, ईटानगर, अरुणाचल	60-बिस्तरों का अस्पताल, सचल	6529628	6940080	6940080

	प्रदेश, 791113	औषधालय			
14	रामकृष्ण शारदा मिशन, एट/पीओ: खोंसा, जिला तिरप, पिन- 786630, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	2473905	0	4584510
15	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 (मुख्यालय) रुपा में परियोजना	छात्रावास	566361	980359	1151550
16	ओजू वैलफेयर एसोसिएशन, नहारलागुन पुलिस थाने के पास, नहारलागुन, अरुणाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस)	0	4218399	4219151
	कुल		**9569894**	**45605089**	**29906844**
असम					
17	असम सेंटर फॉर रुरल डेवलपमेंट, इन्द्रकान्ता भवन, कनकलता पथ, पो.: उलुबारी, गुवाहाटी-781007, असम	सचल औषधालय	0	1370700	685350
18	भारत सेवाश्रम (गुवाहाटी शाखा) असम, गांव गंगानगर, जिला चाचर, असम	आवासीय विद्यालय	0	902616	1245932
19	डा. अंबेडकर मिशन, ग्राम धोपातरी, जिला कामरुप, असम	10-बिस्तरों का अस्पतालव सचल औषधालय	2258550	2301750	2301750
20	ग्राम विकास परिषद, एट:रंगालो, जिला नगाँव, असम	सचल औषधालय	685350	685350	685350
21	पथारी वोकेशनल इंस्टिट्यूट, एट-टॉप फ्लोर, बार लिब्रौग, जिला-नगाँव, असम	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	328500	328500	328500
22	आर.के.मिशन आश्रम, उलुबारी,	छात्रावास, सचल	0	3313580	0

	गुवाहाटी, असम	औषधालय व पुस्तकालय			
23	आर.के मिशन सेवाश्रम, आर.के. मिशन रोड, सिलचर, असम	छात्रावास	725430	748035	0
24	साधु असोम ग्राम्य पुथिभराल संस्था, टेलीपती, चमसाई रोड, जिला नगाँव, असम	पुस्तकालय व गैर-आवासीय स्कूल	1107216	990931	1075347
25	श्रीमंत शंकर मिशन, पो.पनिगांव, जिला-नगांव, असम	सचल औषधालय	680124	0	0
26	दयानन्द सेवाश्रम संघ, एनईआई, बोकजन, कारबी, एंगलोंग, असम (अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ की एक इकाई, 315, आसफ अली रोड, नई दिल्ली) (मुख्यालय) बोकजन में परियोजना -2 इकाई, जपारजन और दिफु	छात्रावास (4 इकाईयां)	0	3124598	3124598
	कुल		**5785170**	**13766060**	**9446827**
छत्तीसगढ़					
27	कचनाधुवा सेवा और कल्याण समिति ग्रा.+पो.-पंडुका, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़	गैर-आवासीय विद्यालय	0	994150	923200
28	नव अभिलाषा शिक्षा संस्थान, एट/पो.: बुधवानी, जिला राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़	आवासीय विद्यालय	1620270	1616670	1473660
29	आर.के.मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	6-छात्रावास, 1- युवा प्रशिक्षण केंद्र व ऑटों मोबाइल इंजीनियरिंग +दिव्यन एग्री ट्रेनिंग व अन्य विषयों की नई परियोजना	0	3985849	0
कुल			**1620270**	**6596669**	**2396860**
गुजरात					

30	भारत सेवाश्रम संघ, एट/पो.- डेडियापाड़ा, जिला - नर्मदा, गुजरात	सचल औषधालय	706950	706950	0
31	भारत सेवाश्रम संघ, गंगपुर (नवासरी), नवासरी, गुजरात	गैर-आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय (4), सचल ए वी इकाईयां	0	4630700	0
32	भारत यात्रा केंद्र, एट/पो.- डेडियापाड़ा, जिला-नर्मदा, पिन- 393040, गुजरात	छात्रावास	0	1322525	700500
33	आईएनआरईसीए, रायपिपला रोड, टिमबापड़ा, डेडियापाड़ा, जिला-नर्मदा, गुजरात	छात्रावास	1208790	1178550	1178550
34	श्री धधेला केलवानी मंडल, एट/पो.: धधेला, जिला-दाहोद, गुजरात	छात्रावास	594458	0	0
35	श्री सतगुरुदेव स्वामी अखंडनन्दा मैमोरियल चैरीटेबल ट्रस्ट, एट/पो.: बारुमल, जिला वलसाड, गुजरात	सचल औषधालय व छात्रावास	1827990	1788840	0
36	श्री स्वामीनाराण एजुकेशन ट्रस्ट, एट-मोल्हापनधा, जिला-वलसाड, गुजरात	आवासीय विद्यालय	0	1566270	0
कुल			**4338188**	**11193835**	**1879050**
हिमाचल प्रदेश		**हिमाचल प्रदेश**			
37	बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ऑफ की गोम्पा, पो.: की गोम्पा, जिला-लाहोल और स्पिति, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	0	1323100	1312900
38	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल ऐसोशिएशन, पो.बोक्स नं. 98, क्लब हाऊस रोड, मनाली, जिला-कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	3169327	3155287

39	इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज इन बुद्धिस्ट फिलॉस्फी एंड ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, एट-टबो, जिला-लाहोल और स्पिति, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय	0	7472059	0
40	रामधा बुद्धिस्ट सोसाइटी, गांव/पो.: सिधपुर, वाया-दरी, नोरबुलिंगा, धर्मशाला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	छात्रावास	0	1212324	1219590
41	रिनचेन जंगपो सोसाइटी फॉर स्पिति डेवलपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील-धर्मशाला, जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय (पी+एस) मुंसेल-लिंग-305 रांग्रिक, जिला लाहौल एवं स्पीति	0	11197340	5613000
42	रिनचेन जंगपो सोसाइटी पर स्पीती डेवलेपमेंट, स्पीति भवन, योल कैंट, तहसील- धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	आवासीय विद्यालय, ग्राम-कजा, तहसील, स्पीति, जिला-लाहुल स्पीति (प्राथमिक सह-शिक्षा)	0	3359710	1712300
कुल			**0**	**27733860**	**13013077**
जम्मू और कश्मीर					
43	हिमालयन बुद्धिष्ट कल्चरल सोसाइटी, ग्रा.: गुलाबगढ़, पो.: अथौली, जिला-डोडा, जम्मू और कश्मीर	आवासीय विद्यालय	0	0	1968601
	कुल		**0**	**0**	**1968601**
झारखण्ड					
44	भारत सेवाश्रम संघ (पाकुर), एट/पो./जिला: पाकुर, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय व कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	2116540	2053300

45	भारत सेवाश्रम संघ (सोनारी), सोनारी (डब्ल्यू), रिवरस मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन- 831011, झारखण्ड	सचल औषधालय (3), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, बेंत व बांस, ए वी इकाई बिनाई और बुनाई केंद्र (2), 20-बिस्तरों का अस्पताल (2)और आवासीय विद्यालय (2)	1894305	13284360	9126944
46	भारत सेवाश्रम संघ, एट-पथरा, पो.- रानीश्वर, जिला-दुमका, झारखण्ड	आवासीय विद्यालय (2), 20 – बिस्तरों का अस्पताल, सचल औषधालय	10208739	7058419	7291998
47	भारत सेवाश्रम संघ, (रांची युनिट) एट-बरियातु, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, रांची, झारखण्ड	आवासीय स्कूल व सचल औषधालय	2515014	0	2527093
48	आर.के.मिशन मठ, एट/पो./जिला: जामतारा-815351, झारखण्ड	सचल औषधालय	420564	564985	564592
49	आर.के, मिशन विवेकानन्द सोसाइटी, बिस्तुपुर, जमशेदपुर, झारखण्ड	छात्रावास, सचल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, टंकण व आशुलिपिक प्रशिक्षण केंद्र, सचल पुस्तकालय सह- व ए वी इकाई	0	3685133	0
50	आर.के. मिशन आश्रम, मुरेबाड़ी, रांची, झारखण्ड	दिव्यान यूनिट, सचल औषधालय, पुस्तकालय	5480800	0	4123620

51	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	डुंगरी गांव, ब्लॉक नामकुम में 50-बिस्तरों का अस्पताल	0	3645431	5023922
52	आर.के.मिशन टीबी सेनोटोरियम, रांची, झारखण्ड	70-बिस्तरों का अस्पताल व सचल औषधालय	0	10221027	10858781
	कुल		**20519422**	**40575895**	**41570250**
कर्नाटक					
53	आशिर्वाद रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट(आर), के.एच.बी. कॉलोनी, जिला–गुडीबन्डे, कर्नाटक	10-बिस्तरों का अस्पताल	1614392	3230239	1551600
54	भारती ऐजुकेशनल ट्रस्ट, एट–पथापल्ली तालुक, बगेपल्ली, जिला कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3218940	1620270
55	डा. अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी(आर), एट–नालकुडूर गोमाला, नालकुडूर, पिन–577544, चन्नागिरी तालुक, देवेंगेरी जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	3218922	3218940	1566270
56	हरिहरा ग्रामीणवृद्धि संघ, एट:चिक्काबल्लापुर तालुक, जिला कोलार, कर्नाटक	सचल औषधालय	685350	1370700	683573
57	कुमुधवाटि रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, एच.न.32, आर.आर.एक्सटेंशन, मधुगिरि–572132, तुमकुर जिला,कर्नाटक	सचल औषधालय व गैर–आवासीय विद्यालय	1647270	1647270	1647270
58	प्रगति रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, एट– गेराहल्ली, चिक्काबाल्लपुर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	3240540	0
59	संत कबीरदास एजुकेशन सोसाइटी, सेदाम रोड, जगत, जिला–गुलबरगा, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1566270	1566270	1566270
60	श्री मंजूनाथ स्वामी विद्या संस्था, 4206/9, जिला दावणगेरे, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	0	1547494	1546825

61	श्री स्वामी सर्वधर्म शरणालया ट्रस्ट, रंगापुरा, जिला तुमकुर, कर्नाटक	गैर–आवासीय विद्यालय तथा 10 बिस्तरों का अस्पताल	0	2570490	2473290
62	श्री विनायका सेवा ट्रस्ट, एट–काइवारा, चिंतास्वामी–तालुक, जिला–कोलार, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय	1592370	1600290	1532340
63	स्वामी विवेकानन्द यूथ मूवमेंट, कंचनाहल्ली, शान्ति नगर पो., हेग्गाडादेनाकोटे तालुक, जिला माइसोर, कर्नाटक	आवासीय विद्यालय (2), 10-बिस्तरों का अस्पताल (2) और सचल औषधालय	7696215	15698731	0
64	विवेकानन्द गिरिजन कल्याण केन्द्र, बी.आर. हिल्स, यालन्दुर तालुक, जिला चमराजनगर, पिन– 571441, कर्नाटक	सचल औषधालय, 10–बिस्तरों का अस्पतातल गैर–आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय	4704559	0	4715753
	कुल		**22725348**	**38909904**	**18903461**
केरल					
65	मां अमृतामयी मठ, अमृता भवनम, परिपल्ली, पो.:कोलम–691574 (केरल)	छात्रावास एंड 10–बिस्तरों का अस्पताल	1385301	0	0
66	श्री रामकृष्णा अदवैता आश्रम, पो. कालडी, जिला एरनाकुलम, केरल	छात्रावास	1351099	2628536	0
67	रामकृष्ण मठ (स्वामी निर्मलानंद स्मृति बाल भवन), एट कायाकुलम-690502, जिला-अलपप्पूझा, केरल	छात्रावास	943740	0	796950
68	स्वामी विवेकानन्द मेडिकल मिशन, विवेकानन्द नगर, मुत्तिल, जिला– वयनाड, केरल	सचल औषधालय तथा 20–बिस्तर वाला अस्पताल	3018175	2906666	2874338

69	वनवासी आश्रम ट्रस्ट, एट-पेरिया-34, पो.: पेरिया, जिला वयनाड, केरल	आवासीय विद्यालय	0	2858670	0
70	वयनाड गिरीजन सेवा ट्रस्ट, मट्टीलयम पोस्ट, वीलामुंडा (वाया) वयनाड जिला, केरल-670731	आवासीय विद्यालय	2927145	2961180	0
	कुल		**9625460**	**11355052**	**3671288**
मध्य प्रदेश					
71	अमरपुर बाल विकास विद्यामंदिर, एट/पो.-अमरपुर, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	830100	830100	1564200
72	बन्धेवल शिक्षा समिति, नसरुल्लागंज, जिला सेहोर भोपाल, म.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय और कम्पयूटर प्रशिक्षण केंद्र	0	1790595	0
73	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, शारदापुर , कुक्शी, धार, मध्य प्रदेश, (भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापुर स्मारक सदन, नई दिल्ली-110055 की एक इकाई)	आवासीय विद्यालय	1145100	0	0
74	हितेश्री सामाजिक संस्था, एमआईजी-30/4बी, साकेतनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सचल औषधालय	668205	657537	0
75	जन कल्याण आश्रम समिति, ग्रा.- सिद्धपुर (दोम), पो.-सेमिरी हरिचंद, तहसील-बबाई, जिला- होशंगाबाद, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय	710192	1230708	0

76	म.प्र. अनुसूचित जाति जनजाति अवाम पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, उज्जैन म.प्र.	आवासीय विद्यालय	0	3223708	0
77	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल, एट-तिकारिया, जिला-डिनडोरी, म.प्र.	गैर-आवासीय विद्यालय	1280500	1036500	2566000
78	पुष्पा कोनवेंट शिक्षा समिति, सी-537-538, पुष्पा नगर कॉलोनी, भोपाल-462010 (म.प्र.)	गैर-आवासीय विद्यालय	0	2710409	914490
79	सेवा भारती,(मध्य प्रदेश)"मातृछाया" (शिशु केंद्र), सेवा भारती, स्वामी रामतीर्थ नगर, मैदा मिल के समीप, होशंगाबाद रोड भोपाल-462011, मध्य प्रदेश	आवासीय विद्यालय (2), कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (3) तथा छात्रावास (2)	1300473	1355884	1254935
80	स्वामी विवेकानन्द विद्या निकेतन शिक्षक समिति, युवराज क्लब, कैंट रोड, गुना, मध्य प्रदेश	गैर-आवासीय विद्यालय	719450	745605	0
81	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्युट, 7-ई, रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली (मुख्यालय) सतना में परियोजना, मध्य प्रदेश	मझगवां, सतना जिला, मध्य प्रदेश आवासीय विद्यालय (बालिका)	0	1697358	1617818
	कुल		**6654020**	**15278404**	**7917443**
महाराष्ट्र					
82	जय हिन्द मित्र मंडल, कोल्हा, जिला- फुलवानी, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय विद्यालय	1823670	1817527	1641519
83	खण्डेराओ एजुकेशन सोसाइटी, एट: बसर, जिला धुले, महाराष्ट्र	गैर-आवासीय प्राथमिक विद्यालय (बसर में) तथा आवासीय स्कूल (वरुड)	0	3240540	3240540

84	रेनूका देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, कुकाने, मालेगांव, महाराष्ट्र	गैर–आवासीय प्राथमिक विद्यालय **(वर्ष 2013-14 से आवासीय विद्यालय)**	0	1609483	1606464
85	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, तकली, जिला– जलगांव, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	1553543	1532520	1574730
86	श्री साईनाथ एजुकेशन सोसाइटी, प्रतापपुर, तहसील तलोडा, नन्दुरबार, पिन-425413, महाराष्ट्र	छात्रावास	0	1215090	1214280
87	श्री स्वामी श्याम सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला– धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1619928	1618335
88	सिद्धकला शिक्षण प्रसारक मंडल, नन्दगांव, तहसील, नन्दगांव, जिला–नासिक, महाराष्ट्र	आवासीय प्राथमिक विद्यालय	0	1609920	1620270
89	उज्ज्वल रुरल डेवलपमेंट सोसाइटी, एट/पो. नेवाडे, तहसील–सिंधखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र	छात्रावास	0	1175580	1207013
90	यूथ वेलफेयर एसोशिएशन ऑफ इंडिया, राधिका हॉटल के समीप, विश्नुवाडी, बुलदाना, जिला–बुलदाना, महाराष्ट्र	10-बिस्तरों वाला अस्पताल	0	1616400	1616400
91	चंद्रराई महिला मंडल, एट/पो.– पिम्पलनेर, जिला धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270
92	तापी प्रसार एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट, एट–नेवाडे, जिला–धुले, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1620270	1620270
93	राजमाता शिक्षण प्रसारक मण्डल, एट–दाईथान, तालुका–अशति, जिला–बीड़, महाराष्ट्र	आवासीय विद्यालय	0	1617930	1604970
	कुल		**3377213**	**20295458**	**20185061**

मणिपुर					
94	आदिम जाति शिक्षा आश्रम, चिंग मेरोंग खोंगनांग एनी करक, डी.एम. रोड, इम्फाल प. जिला, इम्फाल मणिपुर-795001 (भारतीय आदिम जाति सेवक संघ थक्कर बापुर स्मार्क सदन की एक इकाई, नई दिल्ली-110055 (इम्फाल, मणिपुर शाखा)	छात्रावास	982080	987143	0
96	चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी चाम्स परिसर कंगलातनवी,-795151, सेनापति जिला., मणिपुर	छात्रावास	0	5364000	0
97	क्रिस्च्यन ग्रामर स्कूल (चाइल्ड डेवलपमेंट सेन्टर), ग्रीन हिल्स, तमंगलोग, मुख्यालय, पिन-795141, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	1771470	0
98	इंटेग्रेटेड एजुकेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन, (आईईएसडीओ) इम्फाल ईस्ट, मणिपुर	गैर-आवासीय विद्यालय	1162890	1162890	1162890
99	इंटेग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट एण्ड एजेकेशनल ऑर्गनाइजेशन (आईआरडीईओ), वंगबाल, पो. थोबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय (2इकाइयां)	0	7239464	0
100	रुरल एजुकेशनल और सोशियो-इकोनोमिक्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, (आरईएयईडीओ) एट:थंगा टोंगब्राम लेकाई, बीपीओ थंगा, जिला बिशनुपुर, मणिपुर	गैर-आवासीय स्कूल	938250	1876500	0
101	सैमसिनपावलपी, (पैटे स्टूडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन) एसएसएसपी कॉम्प्लेश, बुंगनूल, पो. बोक्स न.99, जिला-लम्का, पिन-795128, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	12505500	6252750
102	टाईप राईटिंग इंस्टीट्यूट एण्ड रुरल डेवलपमेंट सर्विस, थोबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	1620270	1620270	1620270
103	सोसाइटी फॉर वूमेनस एजुकेशन एक्शन एण्ड रेफलेशन (एसडब्ल्यूईएआर), अथोकपाम खुनाउ, पो.-थोबाल, मणिपुर,	सचल औषधालय	706950	0	0

104	यूनाइटेड रुरल डेवलपमेंट सर्विस (यूआरडीएस), एचओ:हेरोक हेतुपोकपी, जिला–थाउबाल, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	3240540	0
105	वालेंटियार फॉर रुरल हेल्थ एण्ड ऐक्शन (वीओआरएचए), लामर्डिग, वंग्गिंग, मणिपुर	सचल औषधालय और टंकण तथा आशुलिपिक प्रशिक्षण केंद्र	935910	935910	932310
106	टेयर फंड इंडिया कोम्मिट्टी ऑन रीनिफ एण्ड रेहबिलेशन सर्विस (टीएएफआईसीओआरआरएस), चिमटुंग वेंग, डोरकास रोड, नई लम्का, जिला– चरचांदपुर, मणिपुर	आवासीय विद्यालय	0	2702520	0
	कुल		**6346350**	**39406207**	**9968220**
मेघालय					
107	आर.के.मिशन, लैथुमखुट, पी.ओ. बोक्स– 9, ब्लॉक/मण्डल–शिलॉग पीओ–शिलॉग–793003, जिला पश्चिम खासी हिल्स, मेघालय	छात्रावास, सचल औषधालय व पुस्तकालय (2 इकाईयां)	1666650	0	1659710
108	आर.के.मिशन आश्रम, चेरापुंजी, जिला ईस्ट खासी हिल्ल्स, पिन–793111, मेघालय	62 एलपी/एमई –एससी–गैर–आवासीय स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, गैर–आवासीय स्कूल, 2 छात्रावास, 3 सचल औषधालय, सीटीसी पुस्तकालय, एम ए वी यूनिट, बुनाई और बिनाई	25812558	60692770	29543847
	कुल		**27479208**	**60692770**	**31203557**

मिजोरम					
109	मिजोरम हेमिथाई एसोशिएशन, मर्सी विला, 10-ए अपर रिपब्लिक रोड, आइजोल-796012, मिजोरम	आवासीय विद्यालय व सचल औषधालय	0	1775790	1775790
110	सोशल गुडनेश एजेंसी, 6 फ्लोर, लालत चैम्बर, सोलोमन केब के पास, टुइकॉल ए, आइजोल-796001, मिजोरम	सचल औषधालय	0	691155	700200
111	थुतक नुनपुइटु टीम, मुन्ना वेंग जुअनगटुई, आइजोल-796017 मिजोरम	आवासीय विद्यालय	0	1549530	1334504
	कुल		**0**	**4016475**	**3810494**
दिल्ली					
112	भारत सेवाश्रम संघ (दिल्ली), श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र व छात्रावास	0	767318	819023
113	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डॉ. अम्बेडकर मार्ग (लिंक रोड), नई दिल्ली-55	छात्रावास	0	139853	895719
	कुल		**0**	**907171**	**1714742**
ओडिशा					
114	आदिवासी सोशल और कल्चरल सोसाइटी एट/पो. कुचिंदा, जिला सम्बालपुर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1614870	1614870	1614870
115	अरुण इंन्स्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर, एट: अश्वाखोला, पो.:कारमुल, जिला धेनकानल, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	3814974	1907865
116	एसोशिएशन फॉर वोलुनटारी ऐक्शन (एवीए) एट-दिमापुर, जिला-पुरी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	1825470	1798470	1795230
117	वनवासी सेवा समिति, एट/पो.-बालिगुडा, जिला-खंडामल, पिन-762103, ओडिशा	छात्रावास	0	2361780	0

118	बानकी आंचालिक आदिवासी हरिजन कल्याण प्रसाद, एट–बानकी, जिला– कुट्टक, ओडिशा	छात्रावास व क्रेच केंद्र (5इकाइयां)	1219590	1219590	2385180
119	भैरवी क्लब, एट–लेखनपुर, डाकघर–सारंगधरपुर, वाया–रणपुर, जिला–नयागढ़, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	1620270	0
120	नेहरु सेवा संघ, एट/पो.:बानपुर, जिला खुरडा, ओडिशा	छात्रावास	1618695	1599165	1599165
121	निखिला उत्कल हरिजन सेवा संघ, निलादरी विहार, सल्लाश्री विहार, भुवनेश्वर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय (माध्य)	0	4490190	2245095
122	उड़ीसा सर्वोदय प्रसाद, सर्वोदय आश्रम, एट/पो.:नोपदा, जिला नोपदा, ओडिशा –766105	छात्रावास	1185030	1158030	0
123	आर.के.मिशन, विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर–751002, ओडिशा	छात्रावास और पुस्तकालय	999765	0	1014218
124	आर.के. मिशन पुरी, पिन कोड -752001	छात्रावास, सचल औषधालय व टंकण और आशुलिपिक प्रशिक्षण केंद्र	1065285	1069764	926505
125	रामकृष्ण विवेकानन्द वेदान्त आश्रम, एट–सारागलांजी, भवानीपटना, जिला–काहांडी ओडिशा	सचल औषधालय	0	0	6764760
126	राष्ट्रीय सेवा समिति (आरएएसएस), 9, ओल्ड हुजुर ओफिस बिल्डिंगस, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (मुख्यालय) पडवा में परियोजना, जिला– कोरापुट, ओडिशा	ओडिशा में सचल औषधालय	784500	684720	0
127	सेवा समाज, एट/पोस्टः गुनुपुर, जिला– रायगाडा, ओडिशा	छात्रावास	0	1181790	1181790

128	श्री आर.के.मिशन आश्रम, एट/पो.- रामपुर, जिला- कालाहांडी, ओडिशा	छात्रावास, कृषि और संबद्ध विषय में प्रशिक्षण और सचल औषधालय	0	6806160	6806160
129	सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता विकास और आर्थिक सेवा (स्वदेशी), एट: गोपालबंधु नगर, फुलबनी, जिला- कालाहांडी, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	3151710	0
130	विश्वा जीवन सेवा संघ, एट- सारधापुर, जिला खुरदा, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	2851497	2852100
131	भारत सेवाश्रम संघ (जमशेदपुर ब्रांच), सोनारी (डब्ल्यू), रिवर्स मीट रोड, ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन- 831011, झारखण्ड (मुख्यालय), ओडिशा	आवासीय विद्यालय, सचल औषधालय 'क' तथा 'ख' (2 इकाई), 10-बिस्तरों का अस्पताल और बुनाई, बुनाई और हथकरघा प्रशिक्षण (सारी परियोजनाएं **सुन्दरगढ़ ओडिशा में**)	6738105	6667725	6545125
132	लक्ष्मी नारायण सेवा प्रतिष्ठान, मानसपोल, जिला जयपुर, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	0	1607530	3175740
133	सोशल वेलफेयर एंड रुरल डेवलपमेंट (एसडब्ल्यूएआरडी) बालिजोरांडा, पीओ-बाइनरिया, द्वारा महिनागड़ी, जिला ढ़ेंकानल, ओडिशा	आवासीय विद्यालय	2028258	4078323	0
	कुल		**19079568**	**47776558**	**40813803**
राजस्थान					
134	बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, पोस्ट-बनस्थली विद्यापीठ, तहसील-नेवाई, जिला टोंक, राजस्थान, पिन-304022	पूर्वोत्तर अनुसूचित जनजाति लड़कियों जिनमें अण्डमान	0	5246000	0

		और निकोबार शामिल है के लिए वजीफा स्कीम			
135	मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा, पो.-भिंडर, जिला उदयपुर, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1579230	1537268	1449967
136	श्रद्धालय आश्रम समिति, सूरजपोल, कोटा, आदर्श नगर, रवाभाटा, जिला–चित्तौडगढ़, राजस्थान	आवासीय विद्यालय	1603519	0	0
	कुल		**3182749**	**6783268**	**1449967**
सिक्किम					
137	ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन, जीवीआरए रोड, एट–चागनी तार, गंगटौक, सिक्किम पिन कोड–737101, सिक्किम	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	2602665	5205330	0
138	मुयल लियांग ट्रस्ट, योंग्डा हिल्स, डीपीसीए, ड्रेंकचुंग–जोंग, 737113 पश्चिम सिक्किम गंगटोक, सिक्किम	आवासीय विद्यालय	2851448	0	6478537
	कुल		**5454113**	**5205330**	**6478537**
तमिलनाडु					
139	न्यू लाइफ जेन्सी फॉर ट्राइबल प्यूपिल अपलिफ्टमेंट (एनएटपीयू) जिला–वैल्लोर, तमिलनाडु पिन–632009	छात्रावास	1181790	0	3197155
140	ग्रामीण मक्कल अबनिरुद्ध ल्याक्कम (जीएमआई), पून्थोट्टम, पो.–कोयमबटूर, तमिलनाडु	10-बिस्तरों वाला अस्पताल, सचल औषधालय	0	2328165	2330550
141	दक्षिण भारत अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ, सईदापेट, पिन कोड– 600017, तमिलनाडु	आवासीय विद्यालय	0	1562854	0

142	निलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, निलगिरी, तमिलनाडु	60- बिस्तरों वाला अस्पताल, (3) 10 बिस्तरों वाला अस्तपाल, (3) सचल औषाधलय	0	0	8724563
	कुल		**1181790**	**3891019**	**14252268**
तेलंगाना					
143	सरोजनी देवी हरिजन महिला मंडली 11-10-635/1, जिला खम्माम, तेलंगाना-507001	आवासीय विद्यालय	0	1372950	0
144	जीयर एजूकेशन ट्रस्ट गंगनमहल कॉलोनी, डोमालगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना	आवासीय विद्यालय	1976326	2213339	0
145	तेलंगाना जनजातीय संघ आवासीय शिक्षण इंस्टीट्यूट सोसाइटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद	आवासीय विद्यालय (16)	0	60200340	7676131
	कुल		**1976326**	**63786629**	**7676131**
त्रिपुरा					
146	बहुजन हिताय एजुकेशनल ट्रस्ट, पोओ- बिशनपुर, मानी बंकुट, सबरुम, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	1582470	3164940	0
147	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति, सलकामा, 9/4, कृष्णानगर, त्रिपुरा	आवासीय विद्यालय	0	3437100	0
	कुल		**1582470**	**6602040**	**0**
उत्तर प्रदेश					
148	सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, 846, शिवाजी नगर, पुणे, पिन-411001, महाराष्ट्र (मुख्या.) लखीमपुर परियोजना	छात्रावास (4 इकाइयां) व आवासीय विद्यालय	636132	1866625	0

149	यूपी वनवासी सेवा संस्थान, गांव-गोबरुल्ला, पीओ-ध्यानपुर, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश	आवासीय विद्यालय	1582271	1582272	1582470
	कुल		**2218403**	**3448897**	**1582470**
उत्तराखंड					
150	अशोक आश्रम, पो. अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, देहरादून, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	0	6003360	0
151	इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी इंस्टीटयुट फोर द ट्राइबल ऑफ इंडिया, पीओ- झज्जर, प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड (ग्राम-झज्जर, ब्लॉक सहसपुर, जिला देहरादून में परियोजना)	आवासीय विद्यालय	0	1274727	0
152	सीमांत अनुसूचित आवाम जनजाति सेवा संस्थान, उत्तरांचल	आवासीय विद्यालय	1059908	1061528	0
153	समग्र ग्रामीण विकास समिति, एट/पो.:ग्वालदन, जिला-चमोली, उत्तरांचल	सचल औषधालय	706950	706950	706950
154	सरवेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, पूने, महाराष्ट्र (मुख्यालय) प्रोजेक्ट एट बाजपुर, उत्तरांचल	छात्रावास और आवासीय विद्यालय	0	2217308	2200115
	कुल		**1766858**	**11263873**	**2907065**
पश्चिम बंगाल					
155	भारत सेवाश्रम संघ (औरंगाबाद), एट/पो.: औरंगाबाद, जिला-मुरशिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास और सचल औषधालय	0	2962749	0
156	भारत सेवाश्रम संघ (बलूरघाट), एट-बलूरघाट, जिला-दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास (6 इकाइयां), पुस्तकालय और सचल पुस्तकालय और ए वी इकाई	0	6754025	6787967

157	भारत सेवाश्रम संघ (बेल्डंगा) बेल्डंगा, जिला-मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (3 इकाईयां), सचल औषधालय-10 बिस्तर वाला हस्पताल और टाइपिंग शोर्टहैण्ड प्रशिक्षण केंद्र	11391452	0	22691582
158	भारत सेवाश्रम संघ (मूलूक) ग्राम आदर्शपल्ली, डाकघर-मूलूक, वाया-वोलपुर, जिला-बीरभूम, पिन कोड- 731204 , पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय, सचल हस्पताल (2 इकाईयां) बुनाई और बुनाई व हथकरघा	4676796	0	9353592
159	भारत सेवाश्रम संघ (सूरी), एट-प्रणबनंदा पल्ली, डाकघर-सूरी, ब्लॉक-सूरी-I, जिला-बीरभूम, पिन-731204, प.ब.	छात्रावास व सचल औषधालय	1832085	0	3667971
160	भारत सेवाश्रम संघ (दोकरा) ग्राम+पो.:दोकरा, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और आवासीय विद्यालय	2260980	2246792	2262204
161	भारत सेवाश्रम संघ (फरक्का) बेरहामपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	721783	721755
162	भारत सेवाश्रम संघ, एट/पीओ-बेरहामपुर जिला-मुरशिदाबाद, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	0	1387028	0
163	भारत सेवाश्रम संघ (घाक्सोले), घाक्सोले यूनिट, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय और छात्रावास	0	1860649	3727080
164	भारत सेवाश्रम संघ (हुगली) ग्राम-पंजाबीपुरकूर, जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल	छात्रावास व पुस्तकालय	0	0	2600200

165	भारत सेवाश्रम संघ (रनघाट-पेरादंगा ब्रांच), ग्राम-कुसुरिया, पो.:प्रीतिनगर, जिला-नदिया, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय (पी+एस) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र टंकण व सचल औषधालय	3489551	3481985	0
166	भारत सेवाश्रम संघ (पुरुलिया), एट/पो. रघुनाथपुर जिला पुरुलिसा, पिन 723133 ,पश्चिम बंगाल	छात्रावास व कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	2771920	0	1463138
167	भारत सेवाश्रम संघ (रायगंज), रायगंज, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय	706950	0	706950
168	भारत सेवाश्रम संघ (ताजपुर) ताजपुर यूनिट, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	1860381	0	1863540
169	भारत सेवाश्रम संघ (तेयोर), ग्राम+पो.: तेयोर, जिला डी.दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	सचल औषधालय और छात्रावास	2354450	0	4716900
170	भारत सेवाश्रम संघ (कुनूर), गांव/पीओ-कुनूर, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	छात्रावास	1181790	0	1181790
171	विकास भारती वेलफेयर सोसाइटी, 20/1बी, लाल बजार स्ट्रीट, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल (मुख्यालय) प्रोजेक्ट एट गोपिबल्लावपुर-II, जिला-मिदनापुर	सचल औषधालय	0	1370700	685350
172	बिरसा मुंडा एजुकेशन सेन्टर, ग्राम क्रांति, पो.:क्रांतिहत, जिला जलपाइगुडी, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	2942820	3036541	0
173	गोहलडिया जाति उपजाति ब्लू बर्ड वूमेन वेलफेयर सेनटर, गोहलडिया, जिला-मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	आवासीय विद्यालय	0	2459520	2459520
174	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोशिएशन, बुद्धा केन्द्र, एट-सलुगरा, जिला-जलपाइगुड़ी,	गैर-आवासीय विद्यालय	0	854832	847858

	पश्चिम बंगाल-734318				
175	प्रणब कन्या संघ, प्रणब पल्ली, पो.:कोरा चंडीगढ़, मध्यमग्राम, उत्तर 24-परगना, पश्चिम बंगाल-743298	छात्रावास	718515	721228	721850
176	आर.के.मिशन ब्योज हम, रहरा, जिला-उत्तर-24 परगना, पश्चिम बंगाल	छात्रावास सह आवासीय विद्यालय	1604070	1636470	0
	कुल		**37791760**	**29494302**	**66459247**
	कुल योग		**217537744**	**530643126**	**347319800**

अनुलग्नक–14क (ii)

राज्य-वार सार

अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
1	आंध्र प्रदेश	25263164	16058361	8144537
2	अरुणाचल प्रदेश	9569894	45605089	29906844
3	असम	5785170	13766060	9446827
4	छत्तीसगढ	1620270	6596669	2396860
5	गुजरात	4338188	11193835	1879050
6	हिमाचल प्रदेश	0	27733860	13013077
7	झारखंड	20519422	40575895	41570250
8	जम्मू तथा कश्मीर	0	0	1968601
9	कर्नाटक	22725348	38909904	18903461
10	केरल	9625460	11355052	3671288
11	मध्य प्रदेश	6654020	15278404	7917443
12	महाराष्ट्र	3377213	20295458	20185061
13	मणिपुर	6346350	39406207	9968220
14	मेघालय	27479208	60692770	31203557
15	मिजोरम	0	4016475	3810494
16	ओडिशा	19079568	45737410	40813803
17	राजस्थान	3182749	6783268	1449967
18	सिक्किम	5454113	5205330	6478537
19	तमिलनाडु	1181790	3891019	14252268
20	तेलंगाना	1976326	63786629	7676131
21	त्रिपुरा	1582470	6602040	0
22	उत्तराखंड	1766858	11263873	2907065
23	उत्तर प्रदेश	2218403	3448897	1582470
24	पश्चिम बंगाल	37791760	31533450	66459247
25	दिल्ली	0	907171	1714742
	कुल योग	**217537744**	**530643126**	**347319800**

अनुलग्नक–14ख (i)

"कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत 2015-16 से 2017-18 के दौरान निधि पोषित संगठनों की राज्य वार सूची

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों / स्वैच्छिक संगठनों का पते के साथ नाम	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
				राशि
आंध्र प्रदेश				
1	आंध्र प्रदेश जनजाति कल्याण आश्रम और आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, हैदराबाद, (14 इकाइयां)	193107731	27094085	0
	कुल	**193107731**	**27094085**	**0**
अरुणाचल प्रदेश				
2	भारत सेवाश्रम संघ, लाखरा रोड, काहिलीपुर, गुवाहाटी, असम पक्के कसांग में (मुख्यालय) परियोजना, पूर्व कामेंग जिला- वेस्ट कमेंग, अरुणाचल प्रदेश	0	0	1940050
	कुल	**0**	**0**	**1940050**
छत्तीसगढ़				
3	विवेकानंद सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण सेवा संस्थान, मां शारदा विद्यामंदिर ओरछा, नारायणपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ (विश्वास))	0	3963499	3711971
	कुल	**0**	**3963499**	**3711971**
गुजरात				
4	गुजरात राज्य जनजातीय विकास आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी (जीएसआईटीडीआरईआईएस), बिरसा मुंडा भवन, गांधीनगर (43 इकाइयां))	168077278	285792943	147464614
5	लोक निकेतन, एट/पीओ- रतनपुर, तालुक - पालनपुर, जिला - बनासकांठा, पिन - 385001, गुजरात	1737536	0	0
6	श्री सर्वोदय आश्रम ट्रस्ट, एट/पीओ-सनाली, तह०-दांता, जिला-बनासकांठा, गुजरात	1417597	0	1706505
	कुल	**171232411**	**285792943**	**149171119**
झारखंड				
7	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, नई दिल्ली (मुख्यालय) लुम्बई में परियोजना	2107200	0	0
	कुल	**2107200**	**0**	**0**

मध्य प्रदेश				
8	आदर्श लोक कल्याण संस्थान, जे.आर. बिरला रोड, ज्ञान मंडी के पास वरिष्ठ विद्यालय, विद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	5905825	11879385	5940857
9	बंधेवाल शिक्षा समिति, जिला हरदा, 92, पुराना नारियाल खेड़ा, भोपाल-462038, भोपाल, मध्यप्रदेश	0	2091200	0
10	केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, ग्राम-तिकरिया, जिला-डिंडोरी, मध्य प्रदेश (2-शैक्षिक परिसर)	0	4558200	4522350
11	म.प्र. अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, 166-ई, मुनिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	0	2154220	0
12	पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, मु.-पटेल नगर, ब्लॉक-गोरडोंगरी, जिला-बैतुल, पिन - 462010, पुष्पा नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	0	5058980	0
13	पांडे शिक्षा समिति, गांव बामराह, सतना, मध्य प्रदेश	0	4266293	2186000
14	राजेन्द्र आश्रम ट्रस्ट, एटी/पो-काठीवाड़ा, जिला-झाबुआ, मध्य प्रदेश	0	2506281	0
15	शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सव्य सांची केंद्र, एट-अमर निंकुंज, अर्जुन नगर, सीधी, जिला-सीधी, पिन - 486661, मध्य प्रदेश	5340040	0	0
16	श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवाश्रम, माई की बगिया, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, पिन 484886, मध्य प्रदेश	0	1745935	1638756
17	ग्रामीण सेवा केंद्र, एट/पीओ-मंडलीनाथू, तहसील-राणापुर, जिला झाबुआ, पिन - 457993, मध्य प्रदेश	3111980	0	0
18	मध्यप्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश	0	7744445	4032000
	कुल	**14357845**	**42004939**	**18319963**
महाराष्ट्र				
19	चंद्राई महिला मंडल, पिम्पलनेर, एट-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र (ग्राम-पंखेडा, एट-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र में **छात्रावास**	0	0	1906200

	परियोजना)			
20	श्री स्वयं सेवा भावी संस्थान, गणेशपुर एट-सकरी, पिन -424310, जिला-धुले, महाराष्ट्र **(छात्रावास परियोजना)**	0	1815200	1746200
21	नवनिर्माण शिक्षण संस्था, बेब्रातंडा, तहसील-डेगलूर, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र (ग्राम-मेंढ़की, ब्लॉक- माहोर, जिला नादेंड, **छात्रावास परियोजना**)	0	3754400	0
22	संधि निकेतन शिक्षण संस्थान, वड़गॉव, जिला-नांदेड, महाराष्ट्र	0	10268810	0
	कुल	**0**	**15838410**	**3652400**
ओडिशा				
23	अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल अफेयर्स, एटः अस्वखोला, पोस्ट- करमुल, जिला, धनेकनाल, ओडिशा	0	7203888	3547834
24	ब्राइट कैरियर अकादमी, एट-डोलोमंडप, चंदनबाद एरिया, पोस्ट-जैपोर, जिला-कोरापुट, पिन -764001, ओडिशा	0	4972626	0
25	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, एट-उत्कल शाखा, पोस्ट- सत्यभामापुर, जिला-कटक, पिन-754200, ओडिशा	0	2127310	0
26	कोरापुट विकास फाउंडेशन, एट -लिंगराज नगर, पीओ-जयपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा	3689238	3722660	0
27	लिबरेशन एजूकेशन एंड एक्शन फॉर डेवेलपमेंट (एलईएडी), एट/पीओ-जैपोर,ग्राम-सुंदरगढ़, जिला कोरपुट, ओडिशा	0	2955156	2965080
28	मर-म्यूनिंग आश्रम, अरबिंदों नगर, पो-जैपोर, जिला-कोरापुट, ओडिशा	0	4492400	0
29	एनवाईएसएएसडीआरआई, एट-संथापुर, पीओ-संथापुर, जिला धेनकनाल, ओडिशा	0	6772519	0
30	ओडिशा मॉडल जनजाति एजूकेशन सोसाइटी, (ओएमटीईएस) भुवनेश्वर, ओडिशा **(19 परियोजनाएं)**	94230556	104051619	49983897
31	प्रकल्प, एट/पीओ-ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा	0	9971040	0

32	भारतीय समाज के सेवक, एट/पीओ-रायगढ़ा, जिला रायगढ़ा, ओडिशा	1950678	2125911	0
33	सेवा समाज, एट/पीओ-गुनुपुर, जिला-रायागढ़, पिन 762022, ओडिशा	2182200	4326075	0
34	सोशल एजुकेशन फॉर एन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट (एसईईडी) एन-2/152, आईआरसी गांव, नयापली, भुवनेश्वर, ओडिशा	0	4261645	0
35	सोसाइटी फॉर नेचर एजु. और स्वास्थ्य (स्नेह), प्लॉट नंबर 19 -20, आईआरसी ग्राम, नयापाली, वीआईपी ऐरिया, भुवनेश्वर, ओडिशा (2-शैक्षिक परियोजनाएं)	0	5824104	5805753
36	श्री रामकृष्ण आश्रम, एट-बादारोहिला, पीओ-कडालिमुंडा, जिला-आंगुल, पिन-759126, ओडिशा (2-शैक्षिक परियोजनाएं)	0	12349700	0
37	टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ए - 47, रामेश्वर पटना, मौसिमा स्क्वेयर, भुवनेश्वर, ओडिशा	2028587	2148021	2360971
38	सर्वोदय समिति, एट/पीओ-कोरापुट, पिन - 764020, जिला-कोरापुट, ओडिशा	0	5998322	0
39	होली होम एट-डाईनुडां छाक, पीओ- तानवत जिला-नउ पाडा, ओडिशा	0	9638400	0
	कुल	**104081259**	**192941396**	**64663535**
राजस्थान				
40	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, 940, हिरन मागरी, सै.न. 4, उदयपुर- 313002, राजस्थान	0	2032550	0
41	मेवार शारीरिक शिक्षा समिति, हिंटा, पो.-भंडर, उदयपुर, राजस्थान	0	3204200	2513350
42	राजस्थान बाल कल्याण समिति, ग्राम/ पोस्ट-झाडोल (फलासीया), जिला-उदयपुर, राजस्थान	0	9641060	0
	कुल	**0**	**14877810**	**2513350**
तेलंगाना				
43	तेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (टीटीडब्ल्यूआरईआईएस), हैदराबाद **(16 इकाइयां)**	48075810	71975792	32190954
		48075810	71975792	32190954
	कुल योग	**532962256**	**654488874**	**276163342**

अनुलग्नक—14ख (ii)

कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत निर्मुक्ति निधियों के ब्यौरे

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (31.12.2017 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	193107731	27094085	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1940050
3	छत्तीसगढ़	0	3963499	3711971
4	गुजरात	171232411	285792943	149171119
5	झारखंड	2107200	0	0
6	मध्य प्रदेश	14357845	42004939	18319963
7	महाराष्ट्र	0	15838410	3652400
8	ओडिशा	104081259	192941396	64663535
9	राजस्थान	0	14877810	2513350
10	तेलंगाना	48075810	71975792	32190954
कुल		**532962256**	**654488874**	**276163342**

अनुलग्नक–15

वर्ष 2017-18 (31.12.2017 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निर्मुक्त की गई राशि

(करोड़ में)

क्रम सं.	योजना	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल
1	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजना	56.6	0.00	18.58	36.03	25.04	20.25	4.05	16.27	**176.85**
2	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	–	–	–	1.23	–	–	0.20	2.32	**3.74**
3	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	43.14	7.79	9.98	7.70	11.97	12.15	6.69	2.66	**102.08**
4	अजजा के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2.99	0.94	1.0	3.12	0.38	-	0.65	-	**9.08**
5	लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी)	-	-	-	-	-	-	-	2.01	**2.01**
6	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास	-	-	1.95	-	-	-	-	13.24	**15.19**
7	जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	4.53	16.49	**42.47**
	कुल	**102.73**	**8.73**	**52.95**	**48.08**	**37.39**	**32.4**	**16.12**	**52.99**	**351.42**

अनुलग्नक–16

वर्ष 2017-18 (31-12-2017 तक) के दौरान महिला लाभार्थियों को शामिल करने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

क्र.सं.	योजनाओं/ कार्यक्रमों के नाम	उप–योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित बजट अनुमान 2016–17 [करोड़ रुपये में]	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य (31.12.2017 तक)
1.	अनुच्छेद 275 (1) अनुदान	मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता निर्धारित की है: (i) शिक्षा – (40-50%) (ii) स्वास्थ्य- (10-15%) (iii) कृषि, बागवानी, पशु–पालन, मछली पालन, डेयरी और अन्य प्राथमिक क्षेत्र (20-30%) (iv) जनजातीय परिवार की आय को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजनकारी योजनाएं (10-15%) (v) प्रशासनिक संरचना (कार्य बल सहित)/ संस्थागत ढांचा तथा अनुसंधान अध्ययन (< 5-10%)	1500.00	यह लिंग आधारित योजनाएं नहीं हैं तथा लाभ, पुरुष और महिला लाभार्थी दोनों के लिए है। अनुदान, अंतरालों को भरने की प्रवृति के हैं। तथापि, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) बैठक 2017–18 में, राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कुल लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं/बालिकाएं होनी चाहिए। किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकरों द्वारा समय–समय पर आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारण के अनुसार की जानी है। वास्तव में लक्ष्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, न ही कम अवधि में निगरानी योग्य परिणामों को दर्शाना संभव है।	दिनांक 31.12.2017 तक 1259.94 करोड़ रुपये अनुच्छेद 275(1) अनुदान के तहत राज्यों को जारी किए गए हैं। 14 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) इस अवधि के दौरान स्वीकृत किए जा चुके हैं।
2.	टीएसपी को एससीए		1350.00		31.12.2017 तक 1123.72 करोड़ रुपये की राशि टीएसएस को एससीए के तहत राज्यों को जारी की जा चुकी है।

क्र.सं.	योजनाओं/ कार्यक्रमों के नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित बजट अनुमान 2016-17	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य (31.12.2017 तक)
3.	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	योजना के अंतर्गत कोई पृथक बजट आवंटन नहीं है। "अ.ज.जा. के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के तहत संयुक्त निधि आवंटित की गई है"।	वित्तपोषित शैक्षणिक परिसरों और लाभ प्राप्त अनुसूचित जनजाति की लड़िकयों की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान (31.12.2017 तक) 27.61 करोड़ रुपये 8 राज्यों में 23, 140 अ.ज.जा. बालिका लाभार्थियों को कवर करते हुए 107 शैक्षिक परिसरों के लिए जारी किए गए हैं।
4	जनजातीय अनुसंधान संस्थान को समर्थन	जनजातियों द्वारा यात्रा विनिमय		जनजातीय अनुसंधान संस्थान राज्य/देश के अन्य भागों के दौरों की व्यवस्था करेंगे। विभिन्न जनजातियों के लोगों द्वारा गठित यात्रा समूह में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।	
5	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम–आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)	30.00	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या।	एनएसटीएफडीसी ने 31.12.2017 तक एएमएसवाई के तहत 588 महिला लाभार्थियों के आर्थिक उत्थान के लिए 4.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा आवधिक ऋण तथा लघु ऋण योजना सहित अन्य आय सृजनकारी योजना के तहत महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

क्र.सं.	योजनाओं/ कार्यक्रमों के नाम	उप-योजनाओं के ब्यौरे	पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित बजट अनुमान 2016-17	पता लगाने योग्य, मापने योग्य, और निगरानी करने योग्य आउटपुट/परिणाम	प्राप्त लक्ष्य (31.12.2017 तक)
6	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) और पुस्तक बैंक की योजना	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और पुस्तक बैंक की योजना	1347.00	योजना के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	935.53 करोड़ रुपये का अनुदान अ.ज.जा. बालक और बालिका लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए हैं।
7	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की योजना	कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिपूर्व छात्रवृत्ति की योजना	265.00	योजना के तहत शामिल विद्यार्थियों की संख्या	220.92 करोड़ रुपये का अनुदान अ.ज.जा. के बालक और बालिका लाभार्थियों के लिए विभिन्न राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी किए गए हैं।
8	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)	विदेश में अध्ययन के लिए अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति	1.00	योजना के तहत कवर किए गए विद्यार्थियों की संख्या	अ.ज.जा. बालक तथा बालिका लाभार्थियों के लिए योजना के तहत 71.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

अनुलग्नक–17

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत दिव्यांग अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान:

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए वाचक भत्ता:

पाठ्यक्रम का स्तर *	वाचक भत्ता (रुपए प्रति माह)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 160 रुपए प्रतिमाह तक परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि ऐसा विद्यार्थी उस छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, सुरक्षा के अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1955 के अनुसार विकलांगता नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग चिकित्सा, सुनने में परेशानी, चलने संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है;

(ग) कम अग्रांग विकलांगता वाले गंभीर रूप से दिव्यांग दिवा छात्रों के लिए 160/- रुपए प्रतिमाह की दर से अंगरक्षण भत्ता;

(घ) किसी शैक्षिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले, गंभीर रूप से हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग छात्र, जिसे किसी सहायक की आवश्यकता होती है, को सहायता प्रदान करने के छात्रावास के इच्छुक किसी कर्मचारी को 160/- रुपए प्रतिमाह का विशेष वेतन लागू है;

(ड.) मानसिक मंदता और मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोचिंग के लिए 240/- रुपए प्रतिमाह भत्ता।

(ख) से (ड.) में प्रावधान कुष्ठ रोग से ठीक हुए विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

मान्यता प्राप्त निजी असहायित विद्यालयों में कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग विद्यार्थी इस योजना के तहत भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो निम्नानुसार है:

असहायित निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भत्ते	**राशि (रुपए में)**
(i) दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए मासिक वाचक भत्ता।	160
(ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मासिक परिवहन भत्ता (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1955 में यथा परिभाषित) यदि ऐसे विद्यार्थी छात्रावास जो शैक्षिक संस्थान के परिसर के अंदर है, में नहीं रहते हैं।	160
(iii) गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80% या उससे अधिक विकलांगता) के लिए मासिक अनुरक्षण भत्ता, निम्नांग विकलांगता वाले दिवाछात्र/विद्यार्थी ।	160
(iv) शैक्षिक संस्थान में रह रहे शारीरिक रूप से गंभीर हड्डी रोग से पीड़ित दिव्यांग विद्यार्थी जिसे सहायक की सहायता की आवश्यकता है, को सहायता देने हेतु छात्रावास के किसी इच्छुक कर्मचारी के लिए मासिक सहायक भत्ता अनुमत्य है।	160
(v) मानसिक मंदता तथा मानसिक रूप से बीमार विद्यार्थियों के लिए मासिक कोचिंग।	240

टिप्पणी: दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूरी सहभागिता अधिनियम, 1955) के तहत यथा परिभाषित विकलांगता को राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

*विभिन्न समूहों के विवरण निम्नानुसार है:

समूह	पाठ्यक्रम
समूह I	(i) चिकित्सा (एलोपैथिक भारतीय और चिकित्सा की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धति), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, आयोजना, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यवसाय वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोतर अनुसंधान सहित स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री और पाठ्यक्रम। (ii) व्यावसायिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकॉप्टर पायलेट और बहु-इंजन रेटिंग सहित) (iii) प्रबंधन और चिकित्सा की विभिन्न शाखाओँ में स्नातकोतर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सीए/ आईसीडब्ल्यूए/सीएस/आईसीएफए आदि (v) एमफिल, पीएचडी और डॉक्टरोत्तर कार्यक्रम (डि.लिट, डी.एस.सी. आदि):- क) समूह- II के वर्तमान पाठ्यक्रमों में ख) समूह- III के वर्तमान पाठ्यक्रमों में (vi) एल.एल.एम.
समूह II	(i) फार्मेसी (बी-फार्मा), नर्सिंग (बी-नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस एवं पुनर्वास, जांच आदि जैसे अन्य पैरा मेडिकल शाखाएं, जन-संचार, होटल प्रबंधन और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/आतिथ्य प्रबंधन, इंटिरियर डेकोरेशन, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (बैंकिंग, बीमा, कर आदि) जैसे क्षेत्रों में जहां प्रवेश पात्रता कम-से-कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, उनमें डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। (ii) स्नातकोतर पाठ्यक्रम जैसे एम.ए/एम.एस.सी/एम.कॉम/एम.एड/एम.फार्मा आदि समूह-I में शामिल नहीं है।
समूह III	अन्य सभी पाठ्यक्रम जो स्नातक डिग्री के हैं जैसे बी.ए/बी.एस.सी/बी.कॉम आदि समूह- I तथा II में शामिल नहीं हैं।
समूह IV	मैट्रिक के बाद के सभी गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश पात्रता हाई स्कूल (कक्षा X) है उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक प्रमाण-पत्र (कक्षा XI तथा XII) ; सामान्य और व्यावसायिक दोनों विधाएं, आईटीआई पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, आदि।

अनुलग्नक–18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं.
1	श्रीमती एच.टी. हिलरी	वैज्ञानिक घ (एनआईसी)	कमरा नं. 217 जी, डी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23387970
2	श्री नदीम अहमद	अवर सचिव (टीएसपी)	कमरा सं. 217 एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23073708
3	श्रीमती सुनंदा शर्मा	अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)	कमरा सं. 217 एफ, डी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23387007
4	श्री अरविंद मुदग्ल	अनुभाग अधिकारी (स्थापना) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 400, बी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23387187
5	श्री अरविंद मुदग्ल	अनुभाग अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	कमरा सं. 400, बी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23387469
6	श्री राजीव कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (एनजीओ)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली- 110115 दूरभाष सं. 23386952
7	श्री राजीव कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (पीवीटीजी) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 416, बी-विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली- 110115 दूरभाष सं. 23386952
8	श्री सुरिंदरपाल शर्मा	अनुभाग अधिकारी (संसद समन्वय)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23381903
9	श्री धर्मबीर कुमार	अनुभाग अधिकारी (बजट एवं रोकड) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23381903

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पता/दूरभाष सं.
10	श्री आर.के. वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (एफआरए) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 216 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली 110115 दूरभाष सं. 23383461
11	श्री आर.के.वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (जीविकोपार्जन)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23383461
12	श्री प्रवीण पंडित	अनुभाग अधिकारी (अनुदान)	कमरा सं. 217 एफ, डी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110115 दूरभाष सं. 23381962
13	श्री एस. पद्मनाभ	अनुभाग अधिकारी (छात्रवृत्ति/डीबीटी)	कमरा सं.416, बी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110115 दूरभाष सं. 23070508
14	श्री सत्येन्द्र कुमार	उप-निदेशक (सांख्यिकी)	कमरा सं. 239, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली दूरभाष सं. 26182153
15	श्री बिश्वा बिहारी पाणिग्रही	उप-निदेशक (नीति विश्लेषण)	कमरा सं. 61, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली- 110066 दूरभाष सं. 26182823
16	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (लोक शिकायते)	कमरा सं. 281, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182428
17	श्री जोसी जोशेफ	अनुभाग अधिकारी (सीएलएंडएम)	कमरा सं. 279, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182428
18	श्री धर्मबीर कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी (टीआरआई)	कमरा सं. 218, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
19	श्री शिवदर्शन कोरी	सहायक निदेशक (राजभाषा)	कमरा सं. 240, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली दूरभाष सं. 26182429
20	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (एनसीएसटी)	कमरा सं. 341, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182153
21	श्री संतोष कुमार	अनुभाग अधिकारी (मीडिया) (अतिरिक्त प्रभार)	कमरा सं. 341, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066 दूरभाष सं. 26182153

अनुलग्नक–19

लेखा-परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट की स्थिति जिनकी कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित है

क्रम सं.	वर्ष	पैरा/पीएसी रिपोर्ट की सं. जिनका कृत कार्रवाई नोट लेखा-परीक्षा द्वारा विधिक्षा के उपरांत जमा कर दिया गया है।	लेखा-परीक्षा पैरा/पीएसी रिपोर्ट जिसकी कृत कार्रवाई टिप्पण लंबित हैं, के ब्यौरे			
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया कृत कार्रवाई टिप्पण की संख्या	भेजी गई किन्तु अवलोकनों के बाद कृत कार्रवाई टिप्पणों की संख्या एवं जिनकी लेखा-परीक्षा मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुती के लिए प्रतीक्षा गत है।	भेजा गया एटीएन परन्तु विधिक्षा नहीं हुई/लेखा परीक्षा द्वारा अवलोकन के साथ लौटाया गया	एटीएन की संख्या जिनकी अंतिम विधिक्षा लेखा परीक्षा द्वारा हो चुकी है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1.	2013	1	-	-	-	-
	कुल	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**

भारत के महामहिम श्री एम. वेंकैया नायडू दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में ''आदि महोत्सव'' का उद्घाटन करते हुए

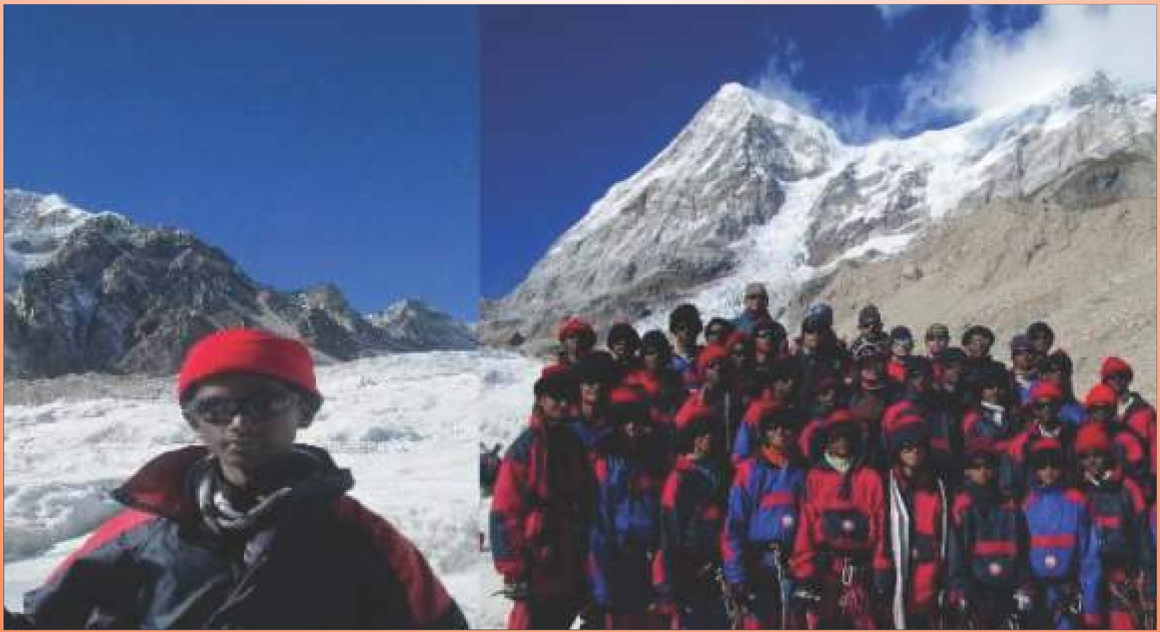

रेनॉक (15500 फीट) ऊँची चोटी पर विजय प्राप्त करने वाले श्री ए महेश, ईएमआरएस, मैरीमदला, करीम नगर जिला, तेलंगाना। वह रेनॉक पर्वत पर चढ़ाई करने वाले 17 विद्यार्थियों में से एक हैं।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मुद्रक : विबा प्रेस प्रा. लि., 9810049515